July to September 2025
E-Journal
Volume I, Issue LI (51)

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. “Shree Shyam Bhawan”, 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09

03. Referee Board 10

04. Spokesperson 12

05. Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf (Akhilesh Chandra Verma) 14

06. Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health: A Commerce-Based SDG Analysis (Anant Kumar Garg) 18

07. Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis (Dr. Anita Maheshwari) 21

08. Nano-Chemistry and its Applications (Mrs. Parul Singh) 26

09. Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years (Priya Rani, Dr. Lakshmi Agnihotri) 32

10. Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres (Akhilesh Chandra Verma) 37

11. Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division (Neha Singh, Dr. L. N. Sharma) 42

12. Emerging Challenges to National Security (Dr. Swati Thakur) 45

13. महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन (डॉ.पूजा तिवारी) 48

14. प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. जे.के. संत) 51

15. नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन (योगेन्द्र कुमार ठगेले) 54

16. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में) (डॉ. राकेश कुमार दिलावरे) 57

17. भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव (डॉ. पुष्पा नागर, श्रीमती रंजना शक्तावत) 59

18. स्वच्छ इंदौर अभियान - प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन (डॉ. दीपा जोशी) 61

19. भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण (डॉ. श्रुति त्रिपाठी) 65

20. कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (नागेश्वरी कुमारी) 67

21. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव (दीपिका शर्मा) 70

22. महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला (वासुदेव एक्का, डॉ. बहुरन सिंह पटेल) 73

23. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव (डॉ. फरहत मंसूरी) 75

24. शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान (अभिषेक एड़े, डॉ. नीना उपाध्याय) 78

25. वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप (डॉ. नलिनी तिलकर) 82

26. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग (डॉ. नीता मौर्य) 84

27. Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress (Raghvendra Joshi) 87

28. **Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of Tilapia Mossambica Caused by Herbicide "Pursuit" (Dr. Kamlesh Ahirwar)** 90

29. **A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level Cricket Players (Tarun Rawat, Rahul Barod, Pooja Rawat)** 92

30. लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि (अश्वनी, डॉ. बहुरन सिंह पटेल) 95

31. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन (लखन शर्मा) 98

32. आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में (डॉ. रेणुका पाटीदार) 103

33. मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव (डॉ. विनेता) 107

34. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट) 110

35. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : एक अध्ययन (श्रीमती योगिता गौर, डॉ. राखी शर्मा) 113

36. **Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India (Dr. Sunita Shrivastava)** 116

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. Shaheed Kedarnath College, Mauganj (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Editorial Advisory Board, INDIA

1.	Prof. Dr. Narendra Shrivastav	-	Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2.	Prof. Dr. Aditya Lunawat	-	Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3.	Prof. Dr. Sanjay Jain	-	O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4.	Prof. Dr S.K. Joshi	-	Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5.	Prof. Dr. J.P.N. Pandey	-	Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6.	Prof. Dr. Sumitra Waskel	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7.	Prof. Dr. P.R. Chandelkar	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8.	Prof. Dr. Mangal Mishra	-	Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9.	Prof. Dr. R.K. Bhatt	-	Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10.	Prof. Dr. Ashok Verma	-	Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11.	Prof. Dr. Rakesh Dhand	-	HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12.	Prof. Dr. Anil Shivani	-	HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13.	Prof. Dr. PadamSingh Patel	-	HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14.	Prof. Dr. Manju Dubey	-	HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15.	Prof. Dr. A.K. Choudhary	-	Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16.	Prof. Dr. T. M. Khan	-	Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17.	Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	-	Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18.	Prof. Dr. K.K. Shrivastava	-	Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19.	Prof. Dr. Kanta Alawa	-	Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20.	Prof. Dr. S.C. Jain	-	Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21.	Prof. Dr. Kishan Yadav	-	Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22.	Prof. Dr. B.R. Nalwaya	-	Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23.	Prof. Dr. Purshottam Gautam	-	Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24.	Prof. Dr. Natwarlal Gupta	-	HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25.	Prof. Dr. S.C. Mehta	-	Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26.	Prof. Dr. A. K. Pandey	-	HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths -	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics -	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science -	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry -	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany -	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
	(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Jolly Garg,HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science -	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics -	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science -	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology -	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology -	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science -	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. -	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
		***** Commerce *****
Commerece -	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
	(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
		***** Management *****
Management -	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources -	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin. -	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
	(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
		***** Law *****
Law -	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
	(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
	(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
		***** Arts *****
Economics -	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
	(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science -	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy -	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology -	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof.Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. Aadarsh College, Umaria (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Medicinal Value and Relevance of Jackfruit Tree and Leaf

Akhilesh Chandra Verma*

***Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA**

Abstract: The jackfruit tree (*Artocarpus heterophyllus*), widely grown in tropical regions, has long been valued for its large edible fruits. However, beyond its use as a food source, the tree offers significant medicinal value, especially through its leaves, bark, and latex. Traditional systems of medicine have used jackfruit leaves in treating common ailments like fever, wounds, and digestive disorders. Modern studies have begun to support these age-old practices, identifying powerful compounds in the leaves that offer antidiabetic, anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties. This paper explores the full potential of jackfruit leaves and the tree's medicinal role in both traditional and modern healthcare contexts. The study promotes the use of jackfruit tree parts in daily wellness and calls for more scientific exploration to integrate these natural remedies into current medical systems.

Keywords: Jackfruit tree, medicinal plants, jackfruit leaves, natural healing, traditional remedies, herbal medicine, health benefits, plant-based treatment.

Introduction - The jackfruit tree is one of the most familiar trees in tropical regions, especially in countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, and the Philippines. It thrives in warm and humid climates and can be found in home gardens, rural farms, and forest edges. While the fruit of the jackfruit tree is well-known and widely consumed, the medicinal uses of other parts of the tree are not as popular. In ancient times, people relied on plants for healing purposes, and the jackfruit tree was one of those natural healers found in their surroundings. Traditionally, the leaves of the jackfruit tree were used to treat wounds, reduce fever, manage blood sugar, and support digestion. In folk medicine, people used leaf decoctions (boiled water with leaves) to treat coughs, rashes, and other skin conditions. Despite this deep-rooted use, there has been limited awareness in urban areas and modern medicine regarding the therapeutic power of jackfruit leaves. In recent years, due to the growing interest in natural and plant-based remedies, researchers and scientists have begun to study the chemical components of jackfruit leaves. Initial findings have revealed promising results that support their traditional uses. This paper presents a comprehensive view of how the jackfruit tree, especially its leaves, contributes to health and healing. It aims to promote the use of jackfruit tree-based medicine and highlight its relevance in modern herbal and pharmaceutical applications.

Structure of the Jackfruit Tree and Leaf : The jackfruit tree is a large, evergreen plant that can grow up to 25–30 meters tall. It has a strong and straight trunk covered with thick, brown bark. When the bark is injured, it releases a sticky white substance called latex. This latex itself has some medicinal applications and has traditionally been used to treat skin infections and wounds.The tree's leaves are glossy, dark green, and oval-shaped. They are thick, smooth to touch, and grow alternately on the branches. Younger leaves are tender and slightly lobed, while mature ones become tough and full-bodied. These leaves stay on the tree throughout the year and are easily available even during the dry seasons.The leaves are not just important for photosynthesis; they also play a key role in traditional healing. Due to their thickness and oil content, they can be crushed into pastes or boiled into herbal water. The inner chemistry of the leaf contains several natural compounds such as flavonoids, tannins, and alkaloids, which have been linked with therapeutic benefits like reducing pain, lowering blood sugar, and fighting microbes. The structure of the jackfruit tree allows easy access to its leaves, making them a convenient and low-cost option for household remedies. The leaves can be collected, dried, and stored for future use. This section helps us understand that jackfruit leaves are not just ordinary green parts of the plant—they are potential healers found in nature.

Nutritional and Medicinal Components of the Leaf : Jackfruit leaves are loaded with natural nutrients and phytochemicals that are useful for health. While people often talk about the fruit's nutritional value, the leaves are equally rich in bioactive compounds. Scientific testing has shown that jackfruit leaves contain flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, essential oils, and natural antioxidants. These elements work together to provide multiple health benefits.Flavonoids are plant-based antioxidants known to reduce inflammation and protect cells from damage caused by free radicals. This helps in fighting chronic diseases like cancer and diabetes. Tannins are natural compounds that have antimicrobial properties. They help in healing wounds, treating diarrhea, and stopping the growth of harmful bacteria. Saponins are known to boost immunity and help manage cholesterol levels. Alkaloids can act as pain relievers and also help in managing high blood pressure.Jackfruit leaves also contain small amounts of minerals like calcium, magnesium, and iron. Calcium supports bone strength, magnesium regulates muscle function, and iron is essential for healthy blood circulation. The presence of Vitamin C further adds to the immune-boosting properties of these leaves. Vitamin C also helps in the repair of body tissues and increases the absorption of iron from plant-based foods.Due to this combination of medicinal compounds, jackfruit leaves are considered a natural remedy for several minor health problems. They do not cause harmful side effects when used properly and can be used in both fresh and dried forms. This section reveals why jackfruit leaves deserve more recognition as medicinal tools, not just green parts of a tree.

Traditional Uses of Jackfruit Leaves : In traditional medicine, especially in rural India and Sri Lanka, jackfruit leaves are commonly used to prepare simple yet effective remedies. These methods have been passed from one generation to another and are still practiced in many homes today.One of the most common uses is for managing fever. Leaves are boiled in water and this decoction is consumed once it cools down. It helps lower body temperature naturally without needing synthetic medicines. For skin wounds, the leaves are crushed into a paste and applied directly to the wound. This helps reduce swelling and infection, and supports fast healing. People suffering from high blood sugar levels or early signs of diabetes often use jackfruit leaf water daily. It is believed to help the body use insulin better, thereby controlling sugar levels in the blood. For stomach-related problems like constipation, indigestion, or gas, drinking warm jackfruit leaf water offers relief.In folk remedies, jackfruit leaves are also used to treat boils, insect bites, cough, and even dental issues. Some families use the leaves as natural plates for food because of their cleanliness and strength. In villages, dried jackfruit leaves are sometimes burned and the smoke used to keep away mosquitoes.Though simple, these traditional practices are rooted in deep understanding of natural healing. They show that jackfruit leaves are much more than green foliage—they are natural medicines available at no cost. As urban populations rediscover herbal medicine, these traditional uses become even more important to preserve and promote.

Scientific Value and Healing Properties : With the rise of interest in herbal medicines, modern researchers have begun testing the medicinal claims related to jackfruit leaves. Laboratory studies and small-scale experiments have shown that the leaves truly have biological activities that support health.

1. Antidiabetic Action: When leaf extracts were given to animal models, there was a clear reduction in blood glucose levels. The compounds in the leaves enhance the effect of insulin and support sugar breakdown in the body. Regular use of boiled jackfruit leaf water is believed to help control diabetes naturally.

2. Antimicrobial Effects: Jackfruit leaf extracts have shown strong ability to kill bacteria and fungi. They are effective against common pathogens that cause skin infections, sore throat, and urinary tract infections. This property explains why the leaves are used to treat wounds and rashes.

3. Antioxidant Protection: Free radicals are harmful particles that damage cells and lead to diseases like cancer and heart problems. The natural antioxidants in jackfruit leaves help fight these particles and reduce the chances of chronic illnesses. Antioxidants also help in skin health and delay aging.

4. Wound Healing and Anti-inflammatory Effect: When jackfruit leaf paste is applied to cuts or bruises, it helps reduce swelling and pain. The leaf compounds reduce inflammation and speed up the healing process. This supports the traditional use of the leaves as first aid medicine in rural areas.

These findings support the age-old wisdom of using

jackfruit leaves for healing. Although more scientific studies are still needed, the initial results are highly encouraging and show how powerful a natural remedy the jackfruit leaf can be.

Relevance in Modern Herbal Health Practices : As the demand for natural, plant-based treatments rises across the world, the jackfruit tree—particularly its leaves—deserves renewed attention in modern herbal medicine. People today are becoming more aware of the side effects of chemical drugs and are turning toward safer, eco-friendly, and affordable options. Jackfruit leaves fit this need perfectly due to their wide availability, ease of use, and proven effectiveness in treating common health problems.In urban areas, people may not have direct access to jackfruit trees, but with the right efforts, jackfruit leaf-based products can be developed and marketed in various forms. Herbal tea bags made from dried leaves, capsules containing powdered leaf extract, and ointments or balms using leaf paste can be introduced to the health and wellness market. These products would offer a safe and convenient alternative to synthetic medicines for treating minor infections, managing blood sugar, boosting immunity, and reducing inflammation.In addition, jackfruit leaves have the potential to be included in the Ayurvedic and naturopathic systems as a registered herb with certified uses. Medical practitioners practicing herbal therapy can recommend jackfruit leaf-based remedies to patients as part of an integrated health plan. Even in cosmetic industries, the antioxidant-rich leaves can be used in skin creams or anti-aging products to improve skin health naturally.Educational campaigns and workshops on the health benefits of jackfruit leaves can be organized in communities to create awareness. Schools, health centres, and wellness resorts can cultivate jackfruit plants in their own gardens to promote “grow your own medicine” practices.In summary, jackfruit leaves are highly relevant in today’s healthcare systems. With more research, better packaging, and public education, jackfruit leaf-based remedies can become part of the global movement toward natural healing.

Challenges in Usage and Popularization : Despite the numerous benefits of jackfruit leaves, their use in mainstream medicine and public health remains limited. One of the main reasons is the lack of awareness. Many people, especially in cities, are unaware that jackfruit leaves can be used for treating common health issues. As a result, the knowledge of this valuable plant remains confined to rural and tribal communities.Another challenge is the **absence of standardized products**. Jackfruit leaves are mostly used in their raw form, which makes it difficult for modern health professionals to recommend them without clear dosage guidelines. There is also a lack of scientific trials on human subjects to confirm the extent of their medicinal effects, which is necessary for any herb to be formally accepted in modern medicine.Furthermore, jackfruit leaves are **highly perishable**. Once plucked, they begin to lose their freshness quickly, which makes large-scale packaging and distribution difficult. Without proper drying or preservation techniques, their medicinal properties may degrade over time. Additionally, there is no organized system for collecting, processing, and selling jackfruit leaves like other medicinal herbs such as neem or Tulsi.Another problem is the **inconsistent quality** of leaves across different trees and regions. Differences in soil, climate, and tree age can lead to variations in chemical composition, making it difficult to produce uniform herbal formulations. Lastly, very few companies or researchers are investing in jackfruit leaf-based product development, so innovation remains slow. To overcome these challenges, steps should be taken to spread awareness, develop proper drying and storage techniques, promote research, and support the commercial development of jackfruit leaf-based medicines and supplements.

Conclusion : The jackfruit tree, long admired for its large and nutritious fruits, offers much more than just food. Its leaves are packed with medicinal compounds that make them an excellent source of natural healing. Traditional practices have used jackfruit leaves for centuries to manage diabetes, treat infections, heal wounds, and improve digestion. Now, modern scientific research is beginning to confirm the presence of valuable compounds such as flavonoids, antioxidants, and tannins in these leaves.Despite these advantages, jackfruit leaves remain underutilized in today’s healthcare systems. The lack of awareness, standardized forms, and scientific trials prevents their inclusion in mainstream medicine. Yet, with proper initiatives, the use of jackfruit leaves can be revived and promoted. They offer a low-cost, eco-friendly, and sustainable solution to health challenges, particularly in regions where access to modern medicine is limited.Jackfruit leaves have the potential to be transformed into teas, powders, capsules, ointments, and even skincare products. Encouraging community-level cultivation of jackfruit trees can ensure the availability of this natural medicine for generations to come. With growing global attention toward herbal health, jackfruit leaf-based remedies can find their place in both traditional and modern health practices.In conclusion, it is time to look beyond the fruit and recognize the hidden power of the jackfruit tree. When used thoughtfully, its leaves can enhance personal health, lessen reliance on synthetic medications, and encourage

a more natural lifestyle. They serve as a link between traditional knowledge and modern well-being.

Suggestions for Further Research :

1. Human Clinical Trials: Conduct studies involving people to confirm the antidiabetic and antibacterial effects of jackfruit leaf extracts.

2. Standardization of Extracts: Identify the best stage of leaf maturity for harvesting and processing, and define a safe and effective dosage for various treatments.

3. Product Development: Explore the possibility of developing ready-to-use medicinal products such as jackfruit leaf tea bags, capsules, and creams for commercial use.

4. Post-Harvest Technology: Design low-cost drying and packaging methods to preserve the leaves without losing their medicinal value.

5. Nutraceutical Use: Study the use of jackfruit leaf extract in health supplements to boost immunity, manage blood sugar, or improve digestion.

6. Cosmetic Applications: Investigate the effectiveness of jackfruit leaves in skincare products to reduce aging signs, acne, and skin inflammation.

7. Education and Outreach: Start community programs to spread awareness about the use of jackfruit leaves in everyday life, especially in urban areas.

8. Agricultural Support: Encourage farmers to grow jackfruit trees not just for fruits, but also for medicinal leaves, by offering support and buy-back schemes.

These steps will help unlock the full potential of jackfruit leaves and make them a valuable part of both natural and professional healthcare systems.

References:-

1. Bansal, R., & Mehra, S. (2022). *Exploring traditional uses of jackfruit leaves in rural India: A community-based survey*. Journal of Ethnobotanical Applications, 14(2), 110–119.
2. Choudhary, N., & Patel, M. (2021). *Phytochemical analysis and medicinal value of Artocarpus heterophyllus leaves*. International Journal of Herbal Science and Research, 9(3), 45–52.
3. Das, A., & Kaur, T. (2023). *Jackfruit tree beyond fruit: A review on the therapeutic potential of its leaves*. Asian Journal of Plant-Based Remedies, 11(1), 68–76.
4. Iyer, P., & Sharma, R. (2020). *A review on antioxidant and antimicrobial activities of common tropical tree leaves*. Herbal Pharmacology Quarterly, 8(4), 223–234.
5. Mahadevan, V., & Dutta, S. (2022). *Natural antidiabetic agents from plant sources: Role of jackfruit leaf extract in glucose regulation*. Journal of Natural Plant Therapeutics, 10(2), 89–96.
6. Natarajan, S., & Verma, P. (2021). *Role of Artocarpus heterophyllus in traditional healthcare practices of Southern India*. Journal of Ethnopharmacological Research, 7(1), 77–85.
7. Roy, A., & Bhatnagar, S. (2022). *Botanical perspectives of medicinal trees: Focus on jackfruit leaves for public health*. Advances in Tropical Botany, 5(3), 104–112.
8. Singh, A., & Yadav, H. (2023). *Development of herbal teas using jackfruit leaves: A pilot consumer study*. Journal of Functional Herbal Beverages, 6(2), 30–38.
9. Tiwari, M., & Joshi, D. (2021). *Biological role of flavonoids and tannins in jackfruit leaves: An experimental approach*. Modern Phytomedicine Studies, 13(4), 172–179.
10. Zaveri, R., & Kulkarni, M. (2023). *Ethnomedical and nutritional potential of jackfruit tree in sustainable health practices*. Indian Journal of Sustainable Food and Health Systems, 12(1), 59–66.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Eco-Economic Valuation of Forest-Based Plant Biodiversity and Its Linkages with Human Health : A Commerce-Based SDG Analysis

Anant Kumar Garg*

***Research Scholar and Environmentalist, M.Com., Indira Gandhi National Open University, New Delhi, INDIA**

Abstract: Biodiversity provides ecological services that are fundamental for human health and economic sustainability. In India, forest-based plant biodiversity offers critical resources such as medicinal plants, food supplements, and raw materials for industries. However, their economic valuation remains inadequately integrated into commerce and policy frameworks. This study seeks to evaluate the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health within the Sustainable Development Goal (SDG) framework, with a focus on SDG 3 (Health), SDG 8 (Economic Growth), SDG 12 (Sustainable Consumption), and SDG 15 (Life on Land). Using an exploratory approach based on secondary data interpretation, case studies, and indicative valuation methods, the research demonstrates the dual role of biodiversity in ensuring health security and enabling livelihood opportunities. Results highlight that plant-based ecological services not only reduce healthcare costs but also generate sustainable income through eco-commerce. The COVID-19 pandemic further underscores the risks of biodiversity loss for public health, reinforcing the need for conservation and restoration. The findings underline the urgency of mainstreaming biodiversity valuation into commercial decision-making and policy interventions. The study concludes by offering policy recommendations for integrating biodiversity-health linkages into national economic planning, thereby reinforcing India's commitments to global sustainability targets.
Keywords: Forest finance, biodiversity, human health, eco-commerce, sustainable development goals, India.

Introduction - Forests and plant biodiversity form the foundation of ecological and economic systems, supplying food, medicine, energy, and raw materials. Globally, the World Health Organization (WHO, 2018) estimates that more than 70% of modern pharmaceuticals are derived from plants, while traditional systems like Ayurveda, Siddha, and Unani continue to depend heavily on forest biodiversity. In India alone, the herbal and nutraceutical market is valued at billions of dollars, growing annually at double-digit rates, demonstrating the commercial importance of plant resources. Beyond healthcare, plants provide food security, cultural identity, and livelihood opportunities, particularly for forest-dependent communities.

The economic significance of biodiversity has led to evolving legal and institutional frameworks. India's **Biological Diversity Act (2002)** and the **National Biodiversity Authority (NBA)** are landmark efforts to regulate access to biological resources and ensure fair benefit-sharing with local custodians. However, gaps in enforcement and limited integration into national accounts hinder effective valuation. Global frameworks such as the **Convention on Biological Diversity (CBD)** and the **Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing** emphasize linking biodiversity with human welfare and commerce, aligning closely with India's commitments under the Sustainable Development Goals (SDGs).

The COVID-19 pandemic further revealed the consequences of biodiversity loss. Scientists highlight that ecosystem disruption and deforestation increase the risk of zoonotic spillovers. A degraded natural environment intensifies public health risks while weakening resilience. Thus, biodiversity conservation is not only a matter of ecological sustainability but also a determinant of human health security and economic stability. This paper builds on these interconnections, linking biodiversity valuation to health outcomes, commerce, and the SDG framework.

Literature Review

a) Ecology and Economy: Global scholarship highlights the economic significance of ecosystem services. Costanza et al. (1997, updated 2017) estimated the world's ecosystem services at trillions of dollars annually, positioning biodiversity as a critical component of global wealth. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010; UNEP, 2020 update) further developed methodologies for

valuing ecosystem services, including cost–benefit analysis and willingness-to-pay approaches. However, integration of these valuations into country-level commerce and policy frameworks remains uneven, particularly in developing economies such as India.

b) Biodiversity and Health: The biodiversity–health nexus is increasingly recognized in global reports. WHO & CBD (2020) emphasize that nearly 70% of modern medicines are derived from plants, and biodiversity loss heightens vulnerability to infectious diseases. Empirical studies (Kumar et al., 2019; Pandey et al., 2021) confirm that biodiversity supports preventive healthcare (nutrition, immunity, mental health) as well as curative treatments. Yet, local and indigenous communities—the primary custodians of this biodiversity—often remain excluded from the commercial benefits arising from pharmaceutical and nutraceutical markets.

c) Commerce and SDGs: Linkages between biodiversity and commerce are critical for achieving sustainable development. Research shows that biodiversity-driven industries can contribute to "green GDP" through herbal medicine, nutraceuticals, and eco-tourism (Sharma & Sinha, 2023). However, operational models in India remain underdeveloped, with limited integration of biodiversity valuation into business accounting, trade, and market systems. United Nations (2022) SDG Report highlights that while progress is visible in SDG 3 (Health) and SDG 15 (Life on Land), gaps remain in embedding biodiversity into SDG 8 (Decent Work & Economic Growth) and SDG 12 (Responsible Consumption).

Gap Identified: Despite extensive global research on ecosystem services and biodiversity valuation, very few studies combine eco-economic valuation with measurable human health outcomes, particularly within the Indian context and in direct alignment with SDG frameworks.

Objectives:

1. To analyze the eco-economic contribution of forest-based plant biodiversity to human health.
2. To measure willingness-to-pay (WTP) for plant-based health products and services.
3. To link biodiversity valuation with SDGs (3, 8, 12, 15).
4. To provide commerce-based policy recommendations.

Hypotheses:

1. **H1:** Forest-based plant biodiversity significantly contributes to reducing healthcare costs.
2. **H2:** Commercial valuation of plant biodiversity enhances both livelihoods and health security.

Methodology: This study is based primarily on **secondary data interpretation**, drawing from government reports (MoEFCC, ICMR), WHO biodiversity–health datasets, satellite forest monitoring (FAO, FSI), and published research. A mixed-method lens is applied, combining indicative economic valuation tools (willingness-to-pay surveys, cost–benefit models) with thematic review of case studies from Indian forest regions. The approach remains exploratory and adaptable to available evidence.

Results (Broad Findings):

1. **High Dependency on Plant Biodiversity for Health** – Nearly 70% of modern medicines are plant-derived; traditional systems like Ayurveda and Unani still rely heavily on forest-based plants.
2. **Under-Valuation in Commerce** – Forest plant resources contribute substantially to pharmaceuticals and nutraceuticals, but their value is rarely reflected in GDP or trade statistics.
3. **Benefit–Exclusion Paradox** – Indigenous communities, despite being custodians, receive minimal economic benefits from commercialization.
4. **Health–Economy Nexus Underexplored** – Few studies quantify biodiversity's role in reducing healthcare costs in India.
5. **Alignment with SDGs but Weak Implementation** – Potential to advance SDG 3, 8, 12, 15, but gaps in commerce-policy integration limit progress.

Discussion: The findings of this study reinforce the urgent need to integrate biodiversity into economic and health planning. Secondary evidence confirms that medicinal plants, dietary supplements, and nutraceuticals derived from forests significantly reduce healthcare costs while supporting preventive health systems. However, this contribution remains undervalued in national income accounting, where biodiversity rarely features as an economic asset. Developing a **"green GDP" framework** for India is therefore essential.

A critical aspect of the discussion is the paradox of exclusion. Indigenous and local communities act as custodians of forest knowledge and biodiversity, yet they are often marginalized in commercial benefit-sharing. This is where legal frameworks such as the **Biological Diversity Act (2002)** and the **Access and Benefit Sharing (ABS)** mechanism become vital. Strengthening ABS practices can simultaneously promote equity and incentivize conservation. At the same time, the pandemic highlighted that biodiversity loss is directly linked with human vulnerability to emerging infectious diseases. Evidence suggests that intact ecosystems act as buffers against zoonotic diseases, while deforestation and wildlife trade heighten risks. This strengthens the argument for integrating biodiversity-health linkages into national public health strategies.

Efforts toward conservation and restoration are visible but uneven. Initiatives such as **CAMPA**, eco-restoration projects, and protected area expansion represent important steps. Community-based forestry, joint forest management, and eco-tourism also illustrate pathways for linking livelihoods with conservation. Globally, India has aligned with the **CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework**, but stronger implementation mechanisms are required.

Conclusion & Policy Suggestions:

1. Biodiversity must be economically valued to capture its true contribution to health and commerce.

2. Policy should integrate biodiversity-health valuation into national accounts and state health budgets.
3. Public–private partnerships should promote eco-commerce with equitable benefit-sharing.
4. Conservation and restoration strategies must be strengthened with satellite-based monitoring and community participation.
5. Further research should establish standardized valuation frameworks across Indian states.

References:-

1. Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., … Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services, 28,* 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008
2. Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review.* HM Treasury, UK Government.
3. Kumar, P., Yadava, A. K., & Bansal, S. (2019). Biodiversity and human health linkages: A global synthesis. *Environmental Research, 176,* 108–118. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.021
4. MoEFCC. (2021). *India State of Forest Report.* Government of India.
5. Pandey, R., Chaudhary, P., & Singh, R. (2021). Valuation of ecosystem services in Indian forests: A case study approach. *Ecological Indicators, 125,* 107–118. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107118
6. Sharma, A., & Sinha, R. (2023). Forest biodiversity, rural livelihoods, and eco-commerce in South Asia. *Sustainability, 15(4),* 2140. https://doi.org/10.3390/su15042140
7. TEEB. (2010). *The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations.* Earthscan, London.
8. UNEP. (2020). *TEEB for Agriculture & Food: Scientific and Economic Foundations.* United Nations Environment Programme.
9. United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022.* New York: United Nations.
10. WHO. (2018). *Biodiversity and Health Report.* World Health Organization.
11. WHO & CBD. (2020). *Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health – A State of Knowledge Review.* WHO & CBD.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Performance Evaluation of IDBI BANK: Financial and Sustainability Metrics Analysis

Dr. Anita Maheshwari*

***Assistant Professor (Business Administration) Govt. Commerce Girls College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract: Performance evaluation in the banking sector is a critical framework for assessing a bank's effectiveness in achieving stability, profitability, and regulatory compliance. This multidimensional process uses a combination of financial indicators and qualitative measures to capture how well a bank can generate revenue, control operational risks, and respond to marketchanges.This paper presents an in-depth evaluation of IDBI Bank Ltd.'s financial and sustainability performance from 2019 to 2023, focusing on critical metrics that reflect the bank's operational resilience and commitment to sustainable development. The study examines key financial indicators, including total assets, capital adequacy ratio (CAR), gross non-performing assets (GNPA), net non-performing assets (NPA), and return on equity (ROE). Additionally, the analysis encompasses IDBI Bank's sustainability initiatives such as green lending and corporate social responsibility (CSR) expenditures. Results show significant progress in asset management, CAR enhancement, NPA reduction, and improved ROE, marking IDBI Bank's successful financial recovery efforts. Furthermore, the growth in green finance and CSR commitments positions IDBI Bank as a key player in sustainable banking in India. The study concludes with insights into the bank's strategic alignment with market trends and sustainability objectives, providing valuable implications for stakeholders and policy advisors interested in sustainable banking practices.
Keywords:IDBI Bank, Financial Performance, Sustainability Assessment, Environmental Sustainability, Indian Banking Industry.

Introduction - Performance evaluation in the banking sector is a critical analytical process used to assess a bank's financial stability, profitability, and operational efficiency. This evaluation encompasses both quantitative and qualitative measures, capturing the institution's ability to generate profit, manage risk, meet regulatory requirements, and respond to external economic pressures. It serves as a tool for stakeholders, including management, investors, regulators, and policymakers, to understand the bank's operational health and its alignment with strategic goals.

A comprehensive performance evaluation includes assessing key financial metrics, such as profitability ratios (e.g., Return on Equity), asset quality (e.g., Non-Performing Assets), capital adequacy, and efficiency ratios. Alongside these financial metrics, there is a growing emphasis on Environmental, Social, and Governance (ESG) factors as part of sustainability performance. In banking, this has led to the integration of sustainability practices into performance evaluations, encompassing green finance, corporate social responsibility (CSR), and ethical governance practices.

In today's business environment, financial institutions are increasingly scrutinized for their environmental and social governance (ESG) practices. Industrial Development Bank of India (IDBI) Ltd. has a unique place in India's banking history. Originally established in 1964 as a development finance institution (DFI), IDBI was created to support the country's industrialization efforts, focusing on financing and promoting large-scale industries. The institution played a pivotal role in catalyzing the Indian economy's growth by providing long-term funding for infrastructure and industrial projects. In 2004, as part of India's economic reforms, IDBI transitioned from being solely a DFI to a full-service commercial bank. This transformation aligned with the government's liberalization policies aimed at modernizing the financial sector and broadening the banking landscape to increase economic growth, market competitiveness, and financial inclusion.

In the context of IDBI Bank Ltd., performance evaluation is especially relevant, as the bank has undergone restructuring and recovery initiatives in recent years. Tracking IDBI Bank's performance over time offers insights into the success of these initiatives, its market positioning, and its contributions to sustainable development within the Indian banking sector. This multi-dimensional approach to performance evaluation reflects the broader trends within the global banking industry, where financial success is increasingly linked with sustainable, socially responsible growth.

Review of Literature

A review of existing literature reveals that IDBI Bank has been the subject of various academic and industry analyses, examining its financial health, impact on economic growth, and commitment to sustainability. This literature review covers studies conducted by notable scholars and industry experts, highlighting key findings relevant to IDBI's performance and broader role in sustainable finance.

1. **Financial Performance and Stability:** Studies on IDBI Bank's financial performance reveal insights into its profitability, asset quality, and operational resilience. A notable study by Kumar and Singh (2020) examined IDBI's profitability metrics over a decade, revealing fluctuations in net profit and non-performing assets (NPAs) due to regulatory and economic shifts. The study emphasized the need for more robust risk management practices to enhance IDBI's financial stability and sustain growth in a competitive environment.

2. **Role in Sustainable Finance:** Another critical study by Sharma (2019) focused on IDBI Bank's role in sustainable finance. The research highlighted the bank's contributions to renewable energy financing and green bonds, showcasing its potential to influence environmental sustainability. Sharma's analysis underlined the significance of IDBI's green finance strategies, demonstrating how its investments positively impact India's progress toward clean energy targets.

3. **IDBI's Economic Contributions:** A study by Verma and Bhattacharya (2021) explored IDBI's impact on economic development, particularly in underserved and rural regions. Their findings revealed that IDBI's emphasis on financing for SMEs and agricultural ventures has contributed to job creation and income stability in regional areas. Verma and Bhattacharya concluded that IDBI's unique dual approach of development and commercial banking is essential for balanced regional growth.

4. **Corporate Social Responsibility (CSR) and Social Impact:** Research by Patel and Gupta (2022) examined IDBI's CSR initiatives, assessing their social impact and alignment with the bank's core objectives. This study documented IDBI's contributions to education, healthcare, and rural development, emphasizing its alignment with the UN SDGs. The study underscored the role of IDBI's CSR policies in promoting inclusivity and community welfare, which resonate with India's social development agenda.

5. **Challenges and Strategic Direction:** Singh and Roy (2023) analyzed the challenges faced by IDBI in maintaining competitiveness within the commercial banking sector. The study highlighted issues such as high NPA ratios, increased regulatory pressures, and the need for digital transformation. The authors argued that IDBI's ability to adapt to new technologies and prioritize risk management would be critical for its future success.

This literature provides a comprehensive understanding of IDBI Bank's performance, strengths, and challenges. Recurrent themes, such as the importance of sustainable finance, economic empowerment, and social responsibility, emerge consistently. Collectively, these studies underscore IDBI's multidimensional role in India's economy and its commitment to sustainable development. However, the literature also reveals gaps, particularly in assessing how IDBI's sustainable practices directly correlate with its financial performance. This study aims to address these gaps by integrating data on financial performance with analyses of IDBI's ESG initiatives, thereby providing a more holistic evaluation of the bank's role and future prospects.

Research Methodology

a. **Objectives of the Study:** This study aims to evaluate IDBI Bank's performance comprehensively, with a focus on its financial, environmental, and social dimensions. The objectives guiding this research are as follows:

1. To assess the financial performance of IDBI Bank over the last five years, analyzing indicators such as profitability, asset quality, liquidity, and solvency.
2. To evaluate IDBI Bank's contributions to environmental and social sustainability, examining its role in green finance, renewable energy funding, and CSR initiatives.
3. To analyze IDBI Bank's strategic positioning within the Indian banking sector, assessing its ability to adapt to market dynamics and fulfil its dual role as a commercial and development bank.

b. **Sample Size and Data Collection:** The study utilizes secondary data from IDBI Bank's annual reports, sustainability reports, and publicly available financial statements for a period of five years. The sample consists of five years' worth of data, focusing on key financial indicators, green lending figures, and CSR expenditures. In addition, data is collected from relevant industry reports, articles, and regulatory filings to provide a contextual analysis of IDBI's role in the broader financial ecosystem.

c. **Tools and Techniques:** This study employs quantitative tools such as:

i. **Financial Ratio Analysis:** To assess profitability, solvency, and liquidity through ratios like Return on Assets (ROA), Net Profit Margin, Gross and Net NPA Ratios, and Capital Adequacy Ratio (CAR).

ii. **Trend Analysis:** To observe changes over time in financial performance and sustainability metrics.

iii. **Regression Analysis (if data allows):** To evaluate correlations between IDBI's sustainability initiatives (e.g., green lending) and financial performance indicators.

d. **Hypothesis:** This study sets out to test the following hypotheses:

i. **Null Hypothesis (H0):** IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have no significant impact on its financial performance.

ii. **Alternate Hypothesis (H1):** IDBI Bank's sustainability initiatives (such as green lending and CSR activities) have a significant positive impact on its financial performance.

e. **Limitations of the Study:** The study is limited by the

availability and consistency of data, particularly concerning IDBI's green finance and CSR initiatives, which may not always be standardized or comparable year over year. Additionally, as the study relies on publicly available reports, any gaps in reporting or inconsistencies in annual disclosures may limit the findings. Lastly, the lack of primary data and potential reliance on outdated reports may affect the study's applicability in the context of rapidly changing market dynamics.

IDBI Bank Overview: IDBI Bank Ltd., established in 1964 as a development finance institution, was created to fuel industrial development in India. The bank's transition to a full-fledged commercial bank in 2004 marked a new chapter in its history, allowing it to provide both retail and corporate banking services. IDBI's legacy as a development bank, however, continues to influence its strategy, as it combines commercial objectives with developmental responsibilities, particularly in underserved sectors. This unique position has made IDBI a significant institution in India's financial landscape, impacting both the industrial and public sectors.

Vision and Mission

i. **Vision:** IDBI's vision is to be "the most preferred and trusted bank enhancing value for all stakeholders," emphasizing the importance of customer satisfaction, shareholder value, and sustainable development. This vision reflects IDBI's commitment to quality service, financial stability, and sustainable growth.

ii. **Mission:** IDBI's mission is centered on delivering innovative and efficient banking solutions, fostering economic growth, and promoting financial inclusion. The mission statement underscores the bank's commitment to corporate responsibility, emphasizing its role in supporting India's economic development while aligning with national goals like financial inclusion and sustainable finance.

Objectives of IDBI Bank: IDBI Bank's core objectives can be summarized as follows:

i. **To promote economic development by financing key industrial and infrastructural sectors:** IDBI Bank plays a pivotal role in supporting industries critical to India's growth, including manufacturing, agriculture, and renewable energy.

ii. **To enhance financial inclusion and accessibility:** IDBI has tailored its services to reach underbanked populations, focusing on providing affordable financial products to SMEs, rural enterprises, and individuals.

iii. **To integrate sustainability into banking practices:** IDBI has committed to embedding ESG principles in its operations, aligning its financing strategies with environmental and social responsibility.

Organizational Structure and Ownership: In 2019, the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired a majority stake in IDBI Bank, marking a significant ownership shift. This acquisition brought changes in governance, as LIC, a government-owned insurance entity, integrated IDBI into its ecosystem. With LIC as a majority shareholder, IDBI has greater access to financial resources and potential cross-selling opportunities. However, the bank also faces new expectations regarding profitability and operational efficiency, given LIC's focus on maximizing shareholder value.

Key Areas of Operation and Market Strategy: IDBI Bank provides a range of financial services, including retail banking, corporate banking, MSME lending, and investment banking. The bank's strategy emphasizes diversification across sectors and regions, catering to both rural and urban markets. This balanced approach allows IDBI to address the needs of small and large clients alike, promoting inclusive growth and economic stability. Additionally, IDBI is actively involved in digital transformation, aiming to enhance operational efficiency, customer experience, and product accessibility through online and mobile banking solutions.

In recent years, IDBI has concentrated on improving its financial health by reducing non-performing assets (NPAs), strengthening risk management, and prioritizing strategic investments in sustainable finance. Through initiatives such as green loans, renewable energy funding, and CSR projects, IDBI aims to establish itself as a leader in sustainable banking, aligning with India's broader commitment to environmental and social development.

Data Analysis: For the purpose of this analysis, financial and sustainability data for IDBI Bank over the last five years has been collected. This dataset includes key financial indicators such as revenue, net profit, asset quality (NPA ratios), and capital adequacy, as well as metrics related to IDBI's environmental and social initiatives, including green lending and CSR expenditures.

Table 1:Financial and Sustainability Metrics of IDBI Bank (2019–2023)

Metric	2019	2020	2021	2022	2023
Total Assets (Rs.crore)	321,111	309,023	297,764	331,792	364,272
Capital Adequacy Ratio(CAR)	13.31%	13.67%	15.59%	15.16%	15.50%
Gross NPA (%)	28.72%	27.53%	28.00%	20.52%	19.90%
Net NPA (%)	10.11%	5.97%	1.97%	1.70%	1.55%
Return on Equity (ROE)	Negat -ive	Negat -ive	Negat -ive	Posit -ive	12.00%
Green Lending (Rs.crore)	Not Speci- fied	Not Speci- fied	Not Speci- fied	1,200 (app rox.)	1,500 (app rox.)
CSR Expenditure (Rs.crore)	30	32	35	38	42

(Source: IDBI Banks Annual Reports)

This table provides a concise view of IDBI Bank's financial health and commitment to sustainable development from 2019 to 2023. Metrics like reduced NPA percentages, increased CAR, and positive ROE growth

emphasize financial improvements. Concurrently, rising green lending and CSR expenditure underscore IDBI's alignment with environmental and social goals.

1. **Financial Performance Metrics:**

i. Total Assets: The fluctuation in IDBI Bank's total assets from Rs. 321,111 crore in 2019 to approximately Rs. 364,272 crore in 2023 reveals a strategic shift towards stabilizing and gradually increasing its asset base. This trend underscores the bank's response to external pressures while making strides in asset management and operational efficiency

ii. Capital Adequacy Ratio (CAR): CAR has consistently shown IDBI Bank's efforts to strengthen its capital structure. From a CAR of 13.31% in 2019, it improved to 15.59% by 2021 and saw further increases, which supports regulatory compliance and enhances financial stability. This increase reflects the bank's proactive capital management, crucial for risk mitigation and investor confidence

iii. Gross Non-Performing Assets (GNPA) and Net NPA: GNPA rose sharply to 28% in 2021, with NPAs peaking as economic conditions impacted borrowers' repayment abilities. However, IDBI Bank's sustained efforts to reduce GNPA led to a slight improvement by 2023. Net NPA rates decreased, aided by targeted recovery and provisioning measures, which aligns with the bank's aim to enhance asset quality and minimize credit risk .

iv. Return on Equity (ROE): IDBI Bank's ROE has gradually recovered from negative figures due to past restructuring efforts, reaching approximately 12% in 2023. This positive trend signifies better profitability and efficiency in capital use, which is essential for shareholder value and growth potential

2. **Sustainability and ESG Metrics:**

i. Environmental Initiatives: IDBI Bank has adopted sustainability initiatives, including green lending practices that promote environmental responsibility. By supporting eco-friendly projects and sustainable financing, the bank aligns with national and international climate goals. Such initiatives contribute to reducing carbon footprints in banking operations, resonating with their long-term sustainability objectives

ii. Social Responsibility: Through financial inclusion programs and community engagement, IDBI Bank has expanded its social impact. Initiatives for financial literacy, support for small and medium enterprises, and digital banking advancements demonstrate its commitment to social equity and financial accessibility, crucial to its social dimension

Interpretation: IDBI Bank's performance from 2019 to 2023 demonstrates resilience and growth despite financial and operational challenges. The strategic increase in CAR, improved ROE, and focus on reducing NPAs indicate a positive trend in financial health, while environmental and social efforts align with broader sustainability goals. These metrics collectively highlight IDBI Bank's strengthened position in adapting to market dynamics and contributing to sustainable banking practices.

1. **Revenue and Profitability Trends:** Over the analyzed period, IDBI Bank's revenue shows a mixed pattern, with notable fluctuations attributed to changes in market conditions, interest rates, and regulatory reforms. While net profit reveals the bank's operational efficiency, the variation in net profit ratios suggests periods of significant financial restructuring.

2. **Asset Quality Analysis (NPA Ratios):** Both gross and net NPA ratios are crucial indicators of IDBI's asset quality. These ratios help identify periods of high non-performing assets, affecting profitability. A declining NPA trend in recent years signals improvements in loan quality and risk management practices.

3. **Capital Adequacy:** The Capital Adequacy Ratio (CAR) indicates the bank's ability to withstand financial stress. IDBI's CAR over the last five years generally meets regulatory standards, reflecting its capacity to manage risks associated with lending.

4. **Green Lending and CSR Expenditure:** IDBI's allocation of funds towards green loans shows a positive trend, reflecting its commitment to sustainable finance. Similarly, CSR expenditures aimed at education, healthcare, and environmental projects align with IDBI's social responsibility goals, showcasing its contributions beyond pure financial metrics.

Findings of the Study: The following findings highlight IDBI Bank's strengths and challenges, underscoring its unique role in balancing financial objectives with developmental goals:

i. Strengthening Financial Performance: IDBI has made strides in improving financial stability, evidenced by positive changes in profitability ratios and reduced NPA levels over the study period. The bank's focus on risk management and restructuring has enabled it to maintain operational efficiency in a competitive environment.

ii. Commitment to Environmental Sustainability: The bank's green lending initiatives demonstrate its alignment with national and global sustainability goals. By financing renewable energy projects and other sustainable ventures, IDBI positions itself as a supporter of India's transition to a low-carbon economy.

iii. Social Impact and Corporate Responsibility: IDBI's investment in CSR activities is consistent with its mission to promote inclusive growth. Through its focus on rural development, financial inclusion, and social welfare programs, IDBI actively contributes to India's socio-economic development.

iv. Challenges in NPA Management: Although the bank has reduced NPAs, the residual asset quality risk remains a concern. Continued efforts in credit evaluation and risk mitigation will be essential for IDBI to ensure stable growth in the future.

Conclusion: In conclusion, IDBI Bank Ltd. represents a

distinct case of a development finance institution evolving to meet the needs of a modern economy while retaining its commitment to inclusive and sustainable growth. This study highlights the bank's role in driving economic development by providing financing to critical sectors, particularly in infrastructure, agriculture, and small-to-medium enterprises. Through these activities, IDBI has contributed to job creation, regional economic stability, and enhanced financial access.

IDBI's efforts in green finance and sustainability initiatives are significant, underscoring its alignment with India's environmental goals. The bank's green loans and CSR expenditures reflect its commitment to the United Nations Sustainable Development Goals, making it a pivotal institution in India's sustainable finance landscape. IDBI's strategy of balancing financial profitability with sustainability objectives offers valuable insights into how banks in emerging markets can align with ESG goals while remaining competitive.

Moving forward, IDBI faces challenges in asset quality management and the need for digital transformation to remain relevant in an evolving banking environment. Continued focus on risk management, customer-centric innovation, and digital advancements will be essential for IDBI to strengthen its position. As India's banking landscape changes, IDBI Bank's legacy and adaptability will likely keep it at the forefront of both development and commercial banking, serving as a model for sustainable finance practices.

References:-

1. Kumar, A., & Singh, R. (2020). *Financial Performance Analysis of IDBI Bank*. Journal of Banking and Finance.
2. Sharma, M. (2019). *Green Finance in India: The Role of IDBI Bank*. Sustainability Journal.
3. Verma, S., & Bhattacharya, P. (2021). *Economic Development through Banking: Case Study of IDBI Bank*. Development Economics Review.
4. Patel, D., & Gupta, L. (2022). *CSR Impact in Indian Banks with a Focus on IDBI Bank*. Journal of Corporate Social Responsibility.
5. Singh, A., & Roy, T. (2023). *Strategic Challenges in the Indian Banking Sector: The Case of IDBI Bank*. International Journal of Banking.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Nano-Chemistry and its Applications

Mrs. Parul Singh*

***Assistant Professor (Chemistry) A.P.J. University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract: Nano-Chemistry is a branch of science that studies the structure, properties and applications of substances at the nano level (10^{-9} meter). Due to the large surface area of nanoparticles and quantum mechanical effects, their chemical and physical properties are different from conventional substances. The importance of nano-chemistry is increasing today in many areas like health, energy, agriculture, clothing, electronics and environmental protection. Nano-particles are proving to be highly effective in works like drug delivery system, cancer treatment, solar cells, fuel cells, water purification and pollution control.

This research paper presents an in-depth study of the theoretical basis of nano-chemistry, major technologies, industrial and social applications and challenges associated with them. It analyzes the contribution of various scientists and research work and also explains how nano-chemistry can affect human life in future. Through tables and analysis in the research paper, it has been shown that nanochemistry has the potential to become the foundation of modern science and technology.

Introduction - The development of science and technology has affected human life in an unprecedented way today. In the modern era, when challenges of energy, health, environment and industrial development are faced, scientists are constantly engaged in the search for such alternatives that can provide maximum results using less resources. In this context, nanochemistry has emerged as a very important research field.

Defining nanochemistry, it can be said that it is a branch of science that studies the structure, properties and their reactions of substances at the nanometer level (1–100 nm). The word 'nano' comes from the Greek language which means 'dwarf' or 'extremely small'. A nanometer is one billionth of a meter. At this level, the properties of the substance change, such as - color, conductivity, reactivity etc.

The concept of nano science was first presented by physicist Richard Feynman in his famous lecture "There's Plenty of Room at the Bottom" in 1959. After this, the development of Scanning Tunneling Microscope (STM) and Atomic Force Microscope (AFM) in the 1980s gave a new direction to this field. The synthesis of nano particles, their analysis and their use under chemistry made nano chemistry an independent discipline.

Today nano chemistry is not limited to laboratories only, but it has spread to medicine, energy, agriculture, environmental management, textile industry, information technology and food processing. For example – drugs can be delivered directly to diseased cells through nano drug delivery system; nano-fertilizers and nano-pesticides are helpful in increasing agricultural production; while nano-filters and membranes are useful in water purification and pollution control.

The objective of this research paper is to study the basic principles of nano chemistry, its experimental techniques, applications in various fields and its social and environmental impacts. Also, it will be clarified how research work is being done in the field of nano chemistry in India and globally and what are its prospects in the future.

Literature Review - Nano chemistry has developed rapidly in the last three to four decades. Research in this field has shown that the properties of substances at the nano level are very different from the traditionally known properties. For this reason, they are being used in various fields. The purpose of the literature review is to analyze the research done earlier on this subject, the available technologies and their results.

1. Historical Perspective - The basis of nano science and chemistry is based on the concept put forward by Richard Feynman in 1959. In his lecture "There's Plenty of Room at the Bottom", he said that in future, substances will be able to be controlled at the atomic and molecular level. The development of Scanning Tunneling Microscope (STM) in 1981 and Atomic Force Microscope (AFM) in 1986 made a revolutionary contribution in this direction.

2. Types of nanoparticles - Researchers have divided nanoparticles into different categories based on their structure and properties –

Metallic Nanoparticles – such as gold, silver, copper. These are mainly used in catalyst and pharmaceutical fields.

Semiconductor Nanoparticles – such as quantum dots (CdSe, ZnS). These are used in optoelectronics and solar cells.

Carbon-based Nanomaterials – such as fullerene, carbon nanotubes, graphene. These are used in batteries, sensors and textiles.

Polymeric Nanoparticles – These are highly useful in drug delivery and packaging industry.

Table 1: Types of nanoparticles and their applications

No.	Type of nanoparticle	Major examples	Application areas
1	Metallic	Gold, silver	Medicine, catalysis, anti-bacterial coating
2	Semiconductor	Quantum dots	Solar energy, LED, optoelectronics
3	Carbon-based	Fullerene,CNT, graphene	Energy storage, textiles, sensors
4	Polymeric	Biodegradable polymer	Drug delivery, packaging, agriculture

3. Global research contribution:

i. Paul Alivisatos and his team did important work on medicinal applications of nanocrystals.

ii. Sumio Iijima discovered carbon nanotubes in 1991, which gave a new direction to electronics and materials science.

iii. Richard Smalley and his team discovered fullerene (C_{60}) in 1985, which earned him the Nobel Prize in 1996.

iv. George M. Whitesides did extensive work on self-assembly in nanochemistry.

4. Research on Nanochemistry in India:

Many research works have been done on nano science in India too:

i. Indian Institute of Technology (IIT) and Indian Institute of Science (IISc) Bangalore have done pioneering research on nano drug delivery, nano photonics and nano sensors.

ii. Banaras Hindu University (BHU) has done research on carbon nanotubes and nano structure based energy storage devices.

iii. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) has done extensive study on electronic and magnetic properties of nano particles.

iv. The Government of India established the Nano Mission (Nano Mission 2007), under which nano research is being promoted in the fields of medicine, agriculture and energy.

It is evident from the literature that nanochemistry is not confined to the laboratory but is now providing practical solutions to the diverse needs of society – such as health, energy, agriculture and environmental management. However, some of its side effects such as toxicity and environmental hazards also remain challenges for researchers.

Research Objectives - Nanochemistry is an emerging research field whose impact can be seen in every sphere of modern life. The main objective of this research is to scientifically analyze the characteristics of nanoparticles and their applications. The following major objectives have been kept under this study:

1. To clarify the basic concept of nanochemistry – to study the structural, physical and chemical properties of nanoparticles.
2. To analyze the classification of nanoparticles – to understand the characteristics of metallic, semiconductor, carbon-based and polymer nanoparticles.
3. To study the major applications of nanochemistry – especially in medicine, energy, agriculture, environment and industrial sectors.
4. To outline the challenges and limitations posed by nanochemistry – such as toxicity, environmental hazards and economic challenges.
5. To assess the status of research and development of nanochemistry in India – and to outline future prospects.\
6. To evaluate the social and environmental impacts of nanochemistry – to see how this technology can benefit and harm human life.

Research Methodology - The methodology of this research paper is both descriptive and analytical. In this, previously published research papers, books, government reports and scientific journals have been studied. Also, various applications have been organized through tables and comparative analysis.

1. Nature of Research

Qualitative - Description of the characteristics and applications of nanoparticles.

Quantitative - Comparative analysis of data obtained in various studies.

2. Sources of Data

Primary Data: Laboratory based studies, case studies, experimental results.

Secondary Data: Research papers, journals, books, internet based resources, scientific databases (Science Direct, Springer, ACS etc.).

3. Techniques of Analysis

Spectroscopy: Analysis of nanoparticles by UV-Vis, FTIR, Raman etc.

Microscopy: Use of TEM, SEM, AFM.

X-ray diffraction (XRD): For identification of nano structure.

Comparative tables: Comparative study of results of different researches.

4. Limitations:

i. All data have been taken from secondary sources, hence the results are experimentally verifiable.

ii. Limited information is currently available on the long-term effects of nanoparticles.

Scientific Basis of Nano-Chemistry: To understand nano-chemistry, it is necessary to know how the physical and chemical properties of substances change at the nano level (1–100 nanometers). When the particles reach nano size, their surface area, quantum effects and interactions are greatly affected. Due to these characteristics, the behaviour of nano particles is different from that of bulk substances.

1. Surface Area to Volume Ratio - As soon as we reach the nano level, the surface area of the particles increases much compared to their volume. For example, about 40–50% of the atoms in a 10 nanometer-sized particle are on the surface, whereas this ratio is much less in larger particles.

i. Having a higher surface area increases the reactivity of nanoparticles.
ii. This is the reason why nano metals act as better catalysts than normal metals.
iii. In the pharmaceutical field also, nanoparticles are able to absorb drugs more efficiently

2. Quantum Effects - The properties of substances at the nano level are governed by quantum mechanics.

i. Band Gap Change: The energy level of electrons in nanoparticles becomes limited, which changes their optical properties. This is the reason why quantum dots emit light in different colors.

ii. Magnetic Properties: At the nano level, the behaviour of magnetic materials becomes different from that of bulk materials. These are called superparamagnetic.

iii. Electrical Conductivity: Structures such as graphene and carbon nanotubes exhibit extremely high conductivity at the nano level.

3. Structural Characteristics - The structure of nanoparticles can be more organized and controlled than bulk materials.

i. Zero Dimensional (0D): Nanoparticles
ii. One Dimensional (1D): Nanotubes, Nanowires
iii. Two Dimensional (2D): Graphene, Nanosheets
iv. Three Dimensional (3D): Nanocrystals, fullerene structures.

Due to these different structures, the properties and uses of nanoparticles also vary.

4. Chemical Properties :

i. The catalytic behaviour of nanoparticles is many times more effective than conventional catalysts.
ii. Metals with nanostructures such as gold and silver are inactive in the bulk state, but become highly active in the nano form.
iii. The process of self-assembly is also important in nanochemistry, in which molecules self-arrange to form stable structures.

5. Mechanical & Physical Properties:

i. The strength and hardness of nanoparticles are greater than conventional materials.
ii. Carbon nanotubes are 100 times stronger than steel but weigh much less.
iii. Transparency of materials can also increase at the nano level, for example, the use of nano TiO_2 in sunscreens and transparent coatings.

Table 2: Changes in the properties of materials at the nano level

No.	Properties	Bulk state	Nano state
1	Surface area	Low	Very high
2	Catalytic capacity	Normal	Many times more
3	Color and light	stable	Changes color on changing size
4	Magnetism	Normal Ferro-magnetic	Superparamagnetic
5	Conductivity	Normal	High or controlled
6	Strength	Normal	Very high

* Thus, the scientific basis of nanochemistry proves that reducing the size brings fundamental changes in the properties of the material. This feature makes nano-chemistry unique and multi-purpose.

Applications of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are multi-faceted and it is proving helpful in fulfilling many needs of modern society. From medicine to agriculture, energy, environment and industry, the unique properties of nano-particles make them multi-purpose.

1. Healthcare & Pharmaceuticals: Nano-particles have brought a new revolution in medical science.

(a) Drug Delivery System:

i. Nano particles are capable of delivering drugs to the target site.
ii. This method is particularly useful in cancer treatment because nano particles can release the drug directly on cancer cells and do not harm healthy cells.
iii. Liposomes and polymer nano particles are prominent in drug delivery.

(b) Diagnostics:

i. Quantum dots are used in bio-imaging to identify diseases.
ii. Biosensors made of nano particles are helpful in checking glucose and other biomarkers in blood.

(c) Disease treatment:

i. Silver nano particles (AgNPs) have anti-bacterial properties.
ii. Nanotechnology based vaccine delivery systems are also being developed.

Table 3 : Applications of Nanochemistry in Medicine

No.	Application Area	Nanoparticles Used	Special Contribution
1	Drug Delivery	Liposomes, Polymer Nanoparticles	Targeted Drug Therapy
2	Diagnosis	Quantum Dots, Nano Sensors	Early Detection of Disease
3	Infection Control	Silver Nanoparticles	Destroy Bacteria/ Virus

2. Energy Sector: Nanochemistry is playing an effective role in solving the global problem of energy.

i. Solar Energy: Quantum dots and nanocrystal based solar cells are more efficient than conventional silicon solar cells.

ii. Energy Storage: Supercapacitors and batteries made of carbon nanotubes and graphene can store energy for a longer period of time.

iii. Fuel Cells: Nano catalysts increase the efficiency of hydrogen based fuel cells.

3. Agriculture Sector: Nanochemistry is helpful in increasing agricultural productivity and protecting crops.

i. Nano-Fertilizers: Provide nutrients to plants slowly and in a controlled manner.

ii. Nano-Pesticides: More effective than conventional pesticides and less harmful to the environment.

iii. Nano Sensors: Useful in early detection of soil moisture, fertility and diseases.

4. Environmental Management: Nano particles are helpful in solving environmental problems.

Water Purification:

i. Nano TiO_2 and ZnO help in decomposing pollutants.

ii. Nano filters are capable of removing heavy metals and bacteria from water.

Air Pollution Control: Nano catalysts help in reducing harmful gases emitted from vehicles.

Waste Management: Nano technology based sensors check wastewater and industrial pollution.

5. Industrial Applications:

i. Electronics: Nano transistors, nano wires and quantum dots are being used in the manufacture of fast and micro electronic devices.

ii. Textile Industry: Textiles are made waterproof, dustproof and anti-bacterial by nano coating.\

iii. Construction Industry: Nano cement and nano additives increase the strength and durability of buildings.

iv. Cosmetics: Nano TiO_2 and ZnO are used in sunscreens and cosmetics.

Table 4: Major application areas of nano-chemistry

No.	Area	Application	Nanomaterials used
1	Health	Drug delivery, diagnostics	Liposomes, quantum dots, AgNPs
2	Energy	Solar cells, batteries	Graphene, quantum dots
3	Agriculture	Nano fertilizers, nano pesticides	ZnO, TiO_2 polymers
4	Environ -ment	Water/air purification	Nano filters, nano TiO_2
5	Industry	Textiles, electronics, construction	CNT, nano additives

Challenges and Limitations of Nano-Chemistry: The applications of nano-chemistry are as wide and useful as the challenges and limitations associated with it. These challenges are faced at all four levels – technical, economic, social and environmental.

1. Technical Challenges:

i. Controlled Synthesis: It is still difficult to completely control the size, morphology and surface properties of nano-particles.

ii. Standardization: Uniform standards are not available for the preparation and testing of nanomaterials.

iii. Stability: Nanoparticles are often unstable and lose their properties by agglomeration.

iv. Cost of analytical equipment: Equipment such as TEM, SEM, AFM, XRD are expensive, which limits research.

2. Health Challenges:

i. Many nanoparticles have been proven to be toxic. Example: Excessive use of silver nanoparticles can have adverse effects on the skin and respiratory system.

ii. Nanoparticles crossing the blood-brain barrier can be harmful to the nervous system.

iii. Long-term effects have not been adequately researched yet.

3. Environmental Challenges:

i. Water pollution: Nanoparticles can have toxic effects on aquatic organisms when mixed in water.

ii. Soil Pollution: Excessive use of nano fertilizers and pesticides can affect the soil structure.

iii. Air Pollution: Nano level dust particles can be harmful to both human health and the environment.

4. Economic Challenges:

i. The cost of research and development of nanotechnology is very high.

ii. The production technology has not yet become fully affordable at the commercial level.

iii. The pace of adoption of nanotechnology in developing countries is slow compared to developed countries.

5. Social and Ethical Challenges

i. Privacy: Excessive use of nano sensors can pose a threat to personal privacy.

ii. Inequality: Access to technology may be limited only to developed countries and the rich class.

iii. Bioethics: Ethical questions arise on the use of nano medicines and treatments.

Table 5: Major challenges of nanochemistry

No.	Category	Challenges
1	Technology	Controlled synthesis, lack of standardization, stability
2	Health	Toxicity, effects on nervous system, long-term unknown effects
3	Environment	Threat of water, soil and air pollution
4	Economic	High cost, slow progress in developing countries
5	Social/ethical	Violation of privacy, inequality, bioethical questions

In conclusion, the progress of nanochemistry is as promising as the challenges associated with it. Safe standards, stringent regulations, and long-term research

are necessary to address these problems.

Development and Research Status of Nano-Chemistry in India

Nanoscience and nanotechnology in India have developed rapidly in the last two decades. The government, universities and research institutes have made significant contributions in this field.

1. Policy Initiatives:

i. Nano Science and Technology Initiative (NSTI, 2001): The Government of India launched this program in 2001 to promote nano science.

ii. Nano Mission (2007): The Department of Science and Technology (DST) launched the National Nano Mission in 2007. Under this, emphasis was laid on research in nano technology, human resource development and collaboration with industry.

iii. 'Make in India' and 'Startup India' schemes: Under these schemes, development of nano-based products and startups were encouraged.

2. Major institutes and research centers: Many institutes in India are doing research focused on nano science and chemistry:

i. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai – Research on nano physics and chemistry.

ii. Indian Institute of Science (IISc), Bangalore – Nano materials and nano-biotechnology.

iii. IITs (Mumbai, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras etc.) – Nano electronics, nano materials and industrial applications.

iv. CSIR-National Chemical Laboratory (NCL), Pune – Pioneering research on nanochemistry.

v. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), Bengaluru – Pioneering work in nanomaterials.

3. Research and Publications:

i. India is among the top 5 countries in the world in terms of publication of nanoscience research papers.
ii. The number of nanoscience research papers published from India increased by about 250% between 2010–2020.
iii. Indian researchers are making significant contributions on nanodrug delivery, nanocatalysts, and nanoelectronics.

4. Industrial and Commercial Development

i. Nanodrugs: Some Indian pharma companies are working on nanodrugs for the treatment of cancer and infections.

ii. Nanocoatings: Their use is increasing in the automobile and textile industries.

iii. Nanofertilizers: Companies like IFFCO are engaged in the development and commercialization of nanofertilizers.

5. Challenges for India:

i. Lack of high-level laboratories for research.
ii. Lack of stringent regulatory policies for nano products.
iii. Limited collaboration between industry and academia.
iv. Lack of financial resources and uneven distribution of research.

Table 6: Status of Nanochemical Development in India

No.	Sectors	Achievements	Challenges
1	Policy	Nano Mission, NSTI Lack of concrete	long-term policy
2	Research	Publications in top 5 countries	Lack of laboratories
3	Industry	Nano fertilizers, nano coatings	Slow pace of commercialization
4	Education	Programmes at IITs, IISc, JNCASR	Lack of resources in rural/state universities

In conclusion, India has made significant progress in the field of nanoscience and chemistry, but it is necessary to further strengthen research infrastructure, financial investment and policy regulation.

Future Prospects of Nano-Chemistry: Nanochemistry is one of the major scientific revolutions of the 21st century, which has opened the doors to new technologies and solutions of the future. Nanochemistry will play a more influential role in various fields in the coming years.

1. Healthcare & Medicine:

i. Personalized Medicine: Nano medicines can be designed based on the genetic structure of a person.

ii. Advanced treatment of cancer: Nanobots will be able to identify and destroy cancer cells.

iii. Nano Vaccine: In future, vaccines based on nanotechnology will be able to control infectious diseases more rapidly.

iv. Nano Implants: Nano materials will be more effective in artificial organs and dentistry.

2. Energy and environment sector:

i. Advanced solar cells: Solar panels based on quantum dots and graphene can provide up to 50% more efficiency.

ii. Clean energy: Nano catalysts will revolutionize biofuel production and hydrogen fuel cells.

iii. Environmental purification: Nano filters and nano catalysts may be able to reduce air and water pollution to almost zero.

3. Agriculture sector:

i. Smart farming: Nano sensors will tell the real-time status of soil and plants.

ii. Nano-seeds: In future, seeds will be developed in which nano particles will be embedded, which will increase disease resistance and productivity.

iii. Climate-resilient crops: Fertilizers and pesticides developed with nano technology will face the challenges posed by climate change.

4. Industrial and technology sector

i. Nano electronics: Future computer chips will be based on nano level, which will increase their speed and storage capacity manifold.

ii. 3D printing and nano materials: Nano particle based

3D printing will completely change the industry.

iii. Smart clothing: Clothes that can clean themselves, control temperature and also monitor health.

iv. Construction sector: Buildings made of nano additives will be stronger, energy efficient and disaster resistant.

5. Space and defense sector:

i. Light and strong materials: Spacecrafts made of nano composites will be lighter and more durable.

ii. Nano sensor based satellites: It will be possible to monitor environmental changes at a micro level in space.

iii. Defense equipment: Nano-armor and high-capacity sensor-based weapons can be developed for soldiers.

Table 7: Future Potential Areas of Nanochemistry

No.	Area	Future Potential
1	Health	Nano robots, personalized medicine, nano vaccines
2	Energy	Advanced solar cells, hydrogen fuel, biofuel
3	Agriculture	Smart farming, nano seeds, climate-resilient agriculture
4	Industry	Nano electronics, smart textiles, 3D printing
5	Space/ Defence	Lightweight spacecraft, nano armour, micro-satellites

In conclusion, in the future, nanochemistry will play a vital role in making human life healthier, safer, energy efficient and sustainable. However, it will also be necessary to pay attention to the risks and ethical issues associated with it.

Conclusion: Nanochemistry is an emerging field that has revolutionized modern science and technology. Its applications are expanding in all areas – health, agriculture, energy, environment, industry, space and defense. Due to the special physical and chemical properties of nanoparticles, it provides more effective and multi-faceted solutions than traditional techniques.

Research in this field is happening rapidly all over the world including India. India has also made remarkable progress through Nano Mission, IITs, IISc and CSIR Labs. However, many challenges related to standardization, safety, ethics and environmental impacts still remain.

In the future, the contribution of nanochemistry will be decisive in the treatment of serious diseases like cancer, solution of energy crisis, environmental purification and smart agriculture. If the challenges related to this field are worked upon in a controlled manner, then nanochemistry will bring a new revolution for humanity.

References:-

1. Bhushan, B. (2017). Springer handbook of nanotechnology. Springer.
2. Biswas, P., & Wu, C. Y. (2005). Nanoparticles and the environment. Journal of the Air & Waste Management Association, 55(6), 708-746.
3. Department of Science & Technology (DST), Government of India. (2022). Nano Mission Annual Report. Retrieved from https://dst.gov.in
4. IFFCO. (2021). Nano fertilizers and their applications in Indian agriculture. Retrieved from https://www.iffco.in
5. Indian Institute of Science (IISc). (2021). Annual report on nanoscience and nanotechnology research. Retrieved from https://iisc.ac.in
6. Jain, K. K. (2012). The handbook of nanomedicine. Humana Press.
7. Kumar, V., Yadav, S. K., & Yadav, S. C. (2010). Functionalized nanomaterials: A new hope for cancer therapy. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 6(2), 257-268.
8. Niemeyer, C. M., & Mirkin, C. A. (Eds.). (2004). Nanobiotechnology: Concepts, applications and perspectives. John Wiley & Sons.
9. Rao, C. N. R., Müller, A., & Cheetham, A. K. (Eds.). (2007). The chemistry of nanomaterials: Synthesis, properties and applications. John Wiley & Sons.
10. World Health Organization (WHO). (2020). Nanotechnology in healthcare: Opportunities and challenges. Retrieved from https://www.who.int

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Impact of Mobile Use on Food Habits of Children Between 6 To 12 Years

Priya Rani* Dr. Lakshmi Agnihotri**

***Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA**
****Associate Professor (Home Science) Sarojini Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract: Children's daily routines and lifestyles have been drastically changed by the sharp increase in mobile phone use, which has had a particular impact on their eating habits. The goal of the current study, "Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years" is to investigate the effects of extended mobile device use on young children's eating habits and dietary patterns. Aspects like meal skipping frequency, a predilection for packaged snacks or fast food, distracted eating while using a screen, and the influence of mobile ads on food choices will all be covered in the study. With a sample of 200 kids (100 boys and 100 girls) chosen by incidental sampling from Bhopal City schools, a descriptive survey approach will be used.A structured, self-made questionnaire,MUFHAQ: Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnairewas used to gather data, along with demographic data. Based on the analysis of all three tables, the study concludes that mobile phone usage has no significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City. Although slight differences were observed between boys and girls in terms of mobile usage and food habit scores, the CR values remained below the critical level, indicating statistical insignificance. Overall, the findings support the acceptance of the null hypothesis and reveal that mobile usage does not substantially affect the eating patterns of children. It is suggested that parents should monitor their children's screen time and encourage healthy eating practices, while the government should implement awareness programs, regulate unhealthy food advertisements, and promote digital literacy to ensure responsible mobile usage and better nutritional habits among children.
Keywords: Mobile Usage, Food Habits and Children (6–12 Years).

Introduction - Mobile phones have become an indispensable aspect of human life in the current digital age. Even young children now own what was once thought of as a luxury for adults. In addition to revolutionizing communication, the widespread availability of smartphones, internet connectivity, and multimedia applications has had a big impact on children's lifestyle choices. Children's eating habits, which are fundamental to their growth, development, and general personality, are among the most important areas impacted by mobile phone use. Since childhood is a formative time in life, eating habits formed during this time frequently carry over into adulthood. As a result, any disturbance or bad habit picked up at this point could have long-term effects on cognitive, emotional, and physical development.

Children's use of mobile phones has skyrocketed, which frequently results in distracted eating behaviors like eating while watching videos, skipping family meals, or favoring packaged snacks that are promoted on mobile platforms. According to research, kids who are exposed to digital ads are more likely to develop cravings for junk food, sugary drinks, and high-calorie fast food. Long-term screen time also impairs sleep, lowers physical activity, and indirectly influences appetite control. As a result, mobile use is becoming a little-known but significant influence on kids' food preferences and nutritional intake.

Mobile phones play an even more important role in influencing eating habits in Bhopal City, where kids are exposed to both traditional food culture and the expanding influence of Westernized fast food. Children frequently rely on screens for social interaction, education, and entertainment as a result of the growing trend of working parents and nuclear families. Distracted or mechanical eating has replaced mindful eating as a result of this reliance on mobile devices during mealtimes. Such behaviors raise the risk of malnutrition, obesity, and associated health problems by encouraging overeating or under eating in addition to lowering the nutritional value of meals consumed. In light of the aforementioned issues, the current study aims to investigate how mobile usage affects the eating habits of Bhopal City children aged 6 to 12. This study intends to shed more light on how children's health and wellbeing are

being impacted by technology-driven lifestyles by examining the connection between mobile use and eating habits. The results will help parents, educators, and legislators create policies that can control mobile use and encourage kids to eat more healthily.

Mobile Usage: From being basic communication devices, mobile phones have quickly developed into multipurpose devices that provide social networking, online education, gaming, entertainment, and internet access. Children are being exposed to mobile technology at a younger age in today's world, and they frequently use it for both educational and recreational purposes. Although mobile phones make information and interactive learning resources easily accessible, excessive or unsupervised use of them can have a negative influence on children's lifestyle choices. Long-term screen time changes sleep patterns, decreases outdoor physical activity, and promotes sedentary behavior. Crucially, as kids get distracted while eating and miss hunger or satiety cues, mobile use during meals has become a growing concern. Furthermore, they frequently gravitate toward fast food, sugary snacks, and soft drinks as a result of being exposed to online food advertisements. Therefore, there is a direct and indirect correlation between mobile usage and changes in children's eating habits and health outcomes.

Food Habits: Food habits are ingrained eating patterns that evolve over time and are impacted by environmental, social, psychological, and cultural variables. Food habits have a significant impact on a child's emotional health, cognitive development, and physical growth. Maintaining health and assisting the body's developmental needs require a balanced diet that includes proteins, carbs, fats, vitamins, and minerals. However, children's eating habits have changed as a result of fast-food culture and modern lifestyles. Traditional home-cooked meals are often replaced by processed snacks, fried foods, and sugary drinks. Furthermore, using a phone while eating has been linked to overeating, irregular meal timings, and distracted eating. Bad eating habits affect children's focus, energy levels, and general personality traits in addition to raising their risk of obesity and malnutrition. As a result, eating habits have a significant impact on how children develop both physically and morally.

Children (6–12 Years): Often known as middle childhood, the age range of 6 to 12 years is a critical developmental stage. Children go through major social-emotionalchanges, rapid cognitive development, and steady physical growth during this stage. Their lifestyle choices, peer interactions, education, and family environment all have an impact on how their personalities develop. At this point, their eating habits and nutrition are crucial in determining their long-term behavior and health. Youngsters in this age range are extremely impressionable and quickly pick up habits, whether good or bad, depending on their environment and experiences.As mobile phones become more widely used, digital media is having a greater impact on kids in this age range, influencing their routines, preferences, and even how they see themselves. It is crucial to look at how mobile usage interacts with their eating habits to affect their personality and general well-being because they are at a vulnerable stage where eating patterns and lifestyle choices become deeply ingrained.

Review of Literature

The widespread influence of digital and mobile media on kids' eating habits is highlighted by recent studies. For example, using a mobile phone while eating is associated with less healthful feeding habits, which in turn affects the nutritional value of children's food (Parental phone use during mealtimes—toddlers; 2021). PMC. Similar to this, extensive screen time during meals has been found to be a major risk factor for childhood obesity since it interferes with eating habits and lowers mindful consumption (The Impact of Digital Screen Time on Dietary Habits; 2021). PMC. There is a consistent correlation between the presence of media during mealtimes, including laptops, TVs, mobile devices, and video games, and lower nutritional quality meals (The healthfulness of children's meals when multiple media...; 2021). From a sociological standpoint, Gokhale and Karlekar (2024) examine how children's exposure to electronic media, including cell phones, shapes their food preferences, especially through the influence of advertisements and Western food promotion. These results are further supported by Swathi and Madumitha (2024), who found that more than half of the school-age children surveyed in their study had bought or eaten food products that were influenced by media advertisements.On the anatomical side of nutrition, Doichinova et al. (2015) show that children aged 6 to 12 have a significantly higher risk of dental caries when they consume an unbalanced diet, particularly when they consume a lot of sugary foods.When considered collectively, these studies show a consistent pattern: using mobile devices and digital media during or near mealtimes is linked to worse eating habits, such as consuming more junk food, irregular eating schedules, and lower nutritional value, all of which can have a detrimental impact on children's health.

Methodology

(a) Sample Techniques-Sample for the present study consists of 200 children of 6-12 age randomly selected from Bhopal city.

Area	Boys	Girls
Bhopal	100	100

(b) Tool used- In this study, the Mobile Usage and Food Habits Assessment Questionnaire (MUFHAQ) for Children (6–12 Years) was used for data collection. The MUFHAQ, developed by the researcher herself, assesses Mobile Usage Patterns – Daily screen time, use during meals, influence of advertisements, gaming/entertainment habits. Food Habits – Meal frequency, preference for junk/healthy food, snacking patterns, eating during mobile use, effect

on appetite in children aged 6 to 12, focusing on Demographic, mobile usage patterns, and food habits.

(c) **Data Analysis-** Data analyzed with the help of t test.

(d) **Objective of the study:**

1.To examine the impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

(e) **Hypothesis of the study:**

Hypothesis 01: There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Interpretation

Hypothesis 01: There is no significant impact of mobile phone usage on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Table No. 1: Category-wise Distribution of Children

Category	Boys	Girls	Total
Healthy	12	4	16
Moderate	79	87	166
Risky	9	9	18

Result: The distribution of children by gender into three health categories—Healthy, Moderate, and Risky—is displayed in the table. Of the 200 children who were observed, 16 (8%) were deemed healthy, 166 (83%) were deemed moderate, and 18 (9%) were deemed risky. Of the boys, nine (9.1%) were risky, twelve (12.1%) were healthy, and 79 (79.8%) were moderate. Nine (8.7%) of the girls were risky, four (3.9%) were healthy, and 87 (84.5%) were moderate.

Summary: It is clear from the analysis that the majority of children (83%) have an average health status, falling into the Moderate category.While 9% of children are at risk, requiring attention and potential intervention, only 8% of children are healthy, exhibiting better health conditions. Boys (12.1%) are more likely to be healthy than girls (3.9%), while girls (84.5%) slightly outnumber boys (79.8%) in the Moderate category.This implies that even though the majority of kids are in a moderately healthy state, a sizable portion needs better care and health education, especially those who are at risk.

Table No. 2: Mean Scores of Boys and Girls

Gender	Mean Mobile Usage Score	Mean Food Habits Score	Mean Combined Score
Boys	29.94	31.34	60.28
Girls	31.16	31.2	62.36
Total	30.05	31.27	61.32

Result: The table presents the mean scores of boys and girls in three aspects: mobile usage, food habits, and their combined score. The mean mobile usage score of girls (31.16) is slightly higher than that of boys (29.94), indicating that girls tend to use mobile phones more frequently. For food habits, boys have a marginally higher mean score (31.34) compared to girls (31.20), suggesting slightly healthier food habits among boys. Regarding the mean combined score, girls score higher (62.36) than boys (60.28), showing an overall greater influence of mobile usage and food habits among girls.

Summary: The findings indicate a slight gender difference in mobile usage and food habits:Girls demonstrate higher mobile usage and slightly lower food habit scores than boys.Boys, on the other hand, maintain marginally better food habits but comparatively lower overall scores.The mean combined score is higher for girls (62.36) than for boys (60.28), reflecting the cumulative effect of greater mobile usage among girls.Overall, the total mean scores are 30.05 for mobile usage, 31.27 for food habits, and 61.32 combined, highlighting balanced but slightly different patterns between genders.

Table No. 3: Comparative results between boys and girls

Variable	Boys		Girls		'CR' Value	Significant level
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Mobile Usage Score	28.94	11.78	31.16	12.72	1.28	Not Significant at 0.05
Food Habits Score	31.34	11.90	31.2	11.73	0.08	Not Significant at 0.05
Combined Score	60.28	15.10	62.36	18.65	0.87	Not Significant at 0.05

df –198Minimum values at 0.05 level of significance- 1.97

Result: The table compares boys and girls on three variables — mobile usage score, food habits score, and combined score — using mean, standard deviation, and calculated CR (Critical Ratio) values.Mobile Usage Score: Girls have a slightly higher mean score (31.16) than boys (28.94), but the CR value (1.28) is less than the critical value (1.97), indicating no significant difference at the 0.05 level.Food Habits Score: Boys (31.34) and girls (31.20) have almost identical mean scores, and the CR value (0.08) also shows no significant difference.Combined Score: Girls have a slightly higher combined score (62.36) than boys (60.28), but the CR value (0.87) is again below 1.97, showing no significant difference.

Summary: The comparative analysis shows that while there are slight variations between boys and girls in mobile usage, food habits, and combined scores, these differences are statistically insignificant at the 0.05 level of significance. It was observed that Girls show slightly higher mobile usage and combined scores than boys.Boys exhibit marginally better food habit scores compared to girls.However, since all CR values (1.28, 0.08, 0.87) are less than the critical value of 1.97, these differences cannot be considered significant.Overall, the data suggests that boys and girls do not differ significantly in mobile usage, food habits, or their combined scores.

Verification of the Hypothesis:

Based on Table No. 3, the comparison between boys and girls regarding mobile usage scores, food habits scores, and combined scores shows that the calculated CR values for all variables (1.28 for mobile usage, 0.08 for food habits,

and 0.87 for combined scores) are less than the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This indicates that the differences observed between boys and girls are statistically insignificant, suggesting that mobile phone usage does not have a significant impact on the food habits of children aged 6 to 12 years in Bhopal City.

Conclusion: The present study titled “Impact of Mobile Use on Food Habits of Children between 6 to 12 Years” aimed to examine whether mobile phone usage significantly influences the food habits of children in Bhopal City. The analysis was carried out using data from three tables that covered the health status of children; mean scores of mobile usage and food habits, and comparative results between boys and girls.From Table No. 1, it was observed that a majority of the children (83%) fell into the moderate health category, while only 8% were healthy and 9% were in the risky group. This distribution indicates that most children maintain an average health status, but it does not directly link mobile usage with poor food habits.Table No. 2 highlighted the mean scores of mobile usage and food habits among boys and girls. Girls showed slightly higher mobile usage scores (31.16) compared to boys (29.94), while boys exhibited marginally better food habit scores (31.34) compared to girls (31.20). However, the overall mean combined score remained close for both genders, suggesting no major variation in lifestyle patterns.The statistical validation from Table No. 3 confirmed these observations. The calculated CR values for mobile usage (1.28), food habits (0.08), and combined scores (0.87) were all below the critical value of 1.97 at the 0.05 level of significance. This implies that the differences between boys and girls are not statistically significant and that mobile phone usage does not have a considerable impact on the food habits of children in the selected age group.Based on the results derived from all three tables, it can be concluded that while mobile phone usage among children aged 6 to 12 years is increasing, its influence on their food habits is not significant. The findings support the acceptance of the null hypothesis, indicating that there is no significant impact of mobile usage on the food habits of children in Bhopal City.

References:-

1. Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org
2. Arora, T., &Nazar, G. P. (2017). Impact of smartphone usage patterns on lifestyle and dietary habits among adolescents. Journal of Child and Adolescent Behavior, 5(3), 1–7. https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000355
3. Attuquayefio, T., Stevenson, R. J., Oaten, M. J., & Francis, H. M. (2017). A four-day western-style dietary intervention causes reductions in hippocampal-dependent learning and memory and interceptive sensitivity. PLOS ONE, 12(3), e0172645. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172645
4. Bellisle, F. (2004). Effects of diet on behaviour and cognition in children. British Journal of Nutrition, 92(2), S227–S232.
5. Benezet, L. P. (1935). The study of an experiment. Journal of the National Education Association, 24, 241–244. In Jersild, T. (1978), Third Psychology. Prentice Hall of India.
6. Bergman, L. R. (1973a). Parents’ education and mean change in behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 14(4), 273–281.
7. Bergman, L. R. (1973b). Parents’ education and mean change in intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 14(4), 273–281.
8. Bhandari, B. (1972). Nutritional anthropometric measurement of rural school children of Udaipur. Indian Journal of Pediatrics, 39(288), 1–11.
9. Bhargava, A. (1983). Nutritional intervention among rural preschool children: An evaluatory study. Indian Journal of Pediatrics, 49(400).
10. Bhoge, N. Y. (2015). Junk food and human health: A synoptic review. International Journal of Trends in Applied Sciences, 7(1), 1–5. Retrieved from https://researchtrends.net/
11. Datar, A., & Nicosia, N. (2017). Adolescent obesity and time spent in sedentary behaviors. Journal of Pediatrics, 182, 139–144. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.028
12. Doichinova, L., Bakardjiev, P., &Peneva, M. (2015). Assessment of food habits in children aged 6–12 years and the risk of caries. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(1), 200–204. https://doi.org/10.1080/13102818.2014.989180
13. Gokhale, S., &Karlekar, N. (2024). Impact of electronic media on food habits of kids with special reference to TMC Ward No. 20 from Thane (East). Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 11(2).
14. Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews, 21, 50–58. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007
15. Kaur, S., &Walia, I. (2020). Relationship between smartphone usage and dietary patterns among school-going children. Indian Journal of Community Health, 32(3), 458–462.
16. Ministry of Women and Child Development. (2022). National guidelines on balanced diets and healthy lifestyle for school children. Government of India. https://wcd.nic.in
17. Parental phone use during mealtimes with toddlers and the feeding environment. (2021). PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8056649/
18. Prasad, M., & Singh, R. (2019). Influence of mobile technology on the food choices of children: An Indian

perspective. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51(6), 712–719. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.02.005

19. Ranjit, N., Evans, A. E., Byrd-Williams, C., Evans, M., Hoelscher, D. M., & Hernandez, A. E. (2015). Dietary and activity correlates of sugar-sweetened beverage consumption among adolescents. Pediatrics, 135(3), 543–551. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2110
20. Singh, A., &Kaur, P. (2021). Mobile phone usage and eating behaviors among primary school children: A cross-sectional study. Indian Journal of Public Health, 65(2),145–150.https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_567_20
21. Swathi, L., &Madumitha, S. (2024). Impact of media on food choices among school going children. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(7).
22. The healthfulness of children's meals when multiple media and electronic devices are present during mealtime. (2021). ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666321007078
23. The impact of digital screen time on dietary habits and physical activity among children and adolescents. (2021). PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9317201/
24. World Health Organization. (2021). Guidelines on physical activity, sedentary behavior and sleep for children under 5 years of age. WHO. https://www.who.int

****

Study of Impact Over Environment Air Quality and Side Products Due to Recycling of Tyres

Akhilesh Chandra Verma*

***Department of Chemistry, Govt. Naveen College, Kui-Kukdur, Kabirdham (C.G.) INDIA**

Abstract: The exponential increase in the global vehicle population has led to an alarming rise in the generation of waste tyres, also known as end-of-life tyres (ELTs). Tyres are designed to be durable and resistant to wear, which makes them difficult to degrade naturally, posing significant environmental challenges if not managed properly. As traditional disposal methods such as landfilling and open burning are increasingly discouraged due to their harmful environmental effects, tyre recycling has emerged as a preferred strategy for sustainable waste management. However, while recycling conserves resources and reduces landfill volume, it is not free from adverse impacts—particularly concerning the degradation of ambient air quality and the generation of hazardous by-products.

This research paper presents a comprehensive study of the environmental implications of tyre recycling with a focused investigation into the effects on ambient air quality and the nature of side products released during different recycling processes. Field data were collected from three distinct types of tyre recycling facilities in India employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis technologies. Using a combination of on-site air sampling, laboratory-based chemical analysis, and data modeling, we examined key pollutants such as particulate matter (PM2.5 and PM10), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). In addition, by-products including carbon black, pyrolytic oil, steel residues, and gaseous emissions were qualitatively and quantitatively assessed for environmental risks and usability.

The findings indicate that mechanical and cryogenic processes are relatively benign with minimal emissions, while pyrolysis-based recycling poses considerable risks due to elevated emissions of VOCs and carcinogenic compounds. Specifically, pyrolysis operations recorded PM2.5 and PM10 levels exceeding National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) by 65–90%, and VOC concentrations that surpassed WHO guidelines. The study also found that some of the generated by- products, though recoverable, contain impurities that can render them unsuitable for direct reuse without further treatment.

This research underscores the need for stringent monitoring protocols, environmentally-sound recycling technologies, and policy frameworks to mitigate the environmental impacts of tyre recycling operations. It advocates for the adoption of clean technologies, emissions control systems, and lifecycle assessments to ensure tyre recycling contributes positively to sustainable development without compromising public health or environmental integrity.

Keywords: Tyre Recycling, End-of-Life Tyres (ELTs), Ambient Air Quality, Pyrolysis, Mechanical Shredding, Cryogenic Grinding, Particulate Matter (PM2.5, PM10), Volatile Organic Compounds (VOCs), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Carbon Black, Pyrolytic Oil, Environmental Impact, Recycling Emissions, Sustainable Waste Management, Airborne Toxins.

Introduction - The global rise in automobile usage has contributed significantly to an unprecedented increase in the generation of end-of-life tyres (ELTs). According to estimates by the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), over one billion tyres reach the end of their useful life each year globally. In India alone, the annual generation of waste tyres exceeds 275,000 tonnes, and this figure is expected to rise with the expansion of the automotive sector. Tyres, made primarily of synthetic rubber, natural rubber, carbon black, steel, nylon, and various additives, are highly durable, making their decomposition in the natural environment extremely slow—taking up to hundreds of years. Consequently, managing tyre waste has become a critical environmental issue.

Traditionally, waste tyres have been disposed of through landfilling, stockpiling, and open burning. However, these methods are increasingly recognized as environmentally hazardous. Landfilled tyres create breeding grounds for disease vectors such as mosquitoes and pose fire hazards. Open burning releases toxic gases, including

dioxins and furans, into the atmosphere, contributing to air and soil contamination. These environmental and public health risks have prompted a global shift toward recycling as a sustainable alternative for managing waste tyres.

Tyre recycling offers several benefits: it reduces landfill space, conserves natural resources, recovers valuable materials, and supports the circular economy. However, recycling is not without its challenges. Depending on the method employed—mechanical shredding, cryogenic grinding, or pyrolysis—the process can release harmful emissions into the environment. Particularly concerning are the effects on ambient air quality, which have not been comprehensively studied across different recycling technologies, especially in developing countries like India where emission control mechanisms are often limited or absent.

Mechanical shredding involves cutting tyres into smaller chips that can be reused in civil engineering applications or as fuel. This method produces negligible emissions but is limited in material recovery value. Cryogenic grinding freezes tyres using liquid nitrogen and then shatters them into fine rubber powder. It is clean but cost-intensive. Pyrolysis, a thermal decomposition process conducted in the absence of oxygen, is increasingly popular for its ability to produce valuable by- products such as pyrolytic oil, gas, carbon black, and steel. However, it is also the most emission- intensive method. Studies have reported the release of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), volatile organic compounds (VOCs), sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx), and other airborne toxins during pyrolysis.

Despite the growing number of recycling plants, especially in industrial belts of India, there is limited field-level research on the actual environmental impact of these facilities. Most studies have been either laboratory simulations or theoretical evaluations, lacking empirical data from real-world operations. Moreover, there is insufficient understanding of the nature and quality of the by-products generated—many of which may be hazardous if improperly handled.

This paper seeks to bridge that knowledge gap by conducting a comparative environmental impact assessment of three distinct tyre recycling technologies. The study evaluates their effects on ambient air quality and characterizes the side products generated. Field sampling from operational recycling units, followed by laboratory analysis and data interpretation, forms the core methodology. The research also examines the alignment of emissions with established environmental standards such as those by the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) and the World Health Organization (WHO).

The ultimate goal of this research is to provide a scientific foundation for policymakers, industrial stakeholders, and environmental agencies to make informed decisions about the adoption, regulation, and improvement of tyre recycling technologies. It emphasizes the need for an environmentally responsible approach to tyre recycling—one that maximizes material recovery while minimizing ecological harm.

Methods: To comprehensively assess the impact of tyre recycling on ambient air quality and to identify the nature and potential environmental risks of the by- products generated, a mixed-methods research approach was employed. This included site selection and sampling, analytical procedures, laboratory testing, and statistical evaluation. The methodology was designed to ensure a comparative analysis across multiple recycling techniques with a focus on real-world industrial practices in India.

A. Site Selection and Description: Three tyre recycling facilities were selected based on their operational scale, geographical diversity, and the type of recycling process they employed.

All three facilities were located in industrial zones of India and had received local environmental clearance. The selected sites were:

Facility A: Mechanical Shredding Unit (Ahmedabad, Gujarat): This unit employs industrial-grade shredders to reduce waste tyres into rubber chips and strips for use in rubber mats, sports turfs, and road fillers.

Facility B: Cryogenic Grinding Plant (Pune, Maharashtra): This facility uses liquid nitrogen to freeze tyres before pulverizing them into fine rubber granules suitable for reprocessing into new rubber products.

Facility C: Pyrolysis Plant (Panipat, Haryana): The most emission-intensive facility, it utilizes batch-mode pyrolysis reactors to thermally decompose tyres and recover pyrolytic oil, carbon black, and steel wires.

Each facility was visited twice over a 4-week period for data collection during peak operational hours.

B. Air Quality Sampling and Monitoring: Ambient air quality was monitored using high- volume samplers and portable real-time monitors positioned 10 meters downwind and 10 meters upwind of each facility's main emission outlet. Sampling was conducted for 8-hour intervals to capture diurnal variations.

Measured Pollutants Included:

Particulate Matter (PM2.5, PM10) — Measured using Gravimetric Sampler (Envirotech APM 550)

Volatile Organic Compounds (VOCs) — Captured using sorbent tubes and analyzed via GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

Sulfur Oxides (SOx) and Nitrogen Oxides (NOx) — Monitored using portable gas analyzers (Testo 350XL)

Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO,) — Measured with NDIR- based multi-gas meters (Aeroqual Series 500)

Meteorological data such as wind speed, direction, temperature, and humidity were also recorded to contextualize air dispersion behavior.

C. Sampling of By-Products: In addition to air

monitoring, samples of solid and liquid by-products were collected from each facility:

Mechanical Facility: Shredded rubber chips and extracted steel wires.

Cryogenic Facility: Fine rubber granules and residual frost-contaminated waste.

Pyrolysis Facility: Pyrolytic oil, carbon black powder, condensed gases, and steel wire residues.

Each sample was labeled, sealed, and transported under standardized conditions to a certified environmental laboratory for further analysis.

D. Laboratory Analysis of By-Products: By-products were tested for their physical and chemical properties to evaluate their usability and potential hazards:

Carbon Black was analyzed for heavy metal contamination using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).

Pyrolytic Oil underwent flash point, viscosity, and hydrocarbon content tests using ASTM D86 and ASTM D445 protocols.

Rubber Granules and Chips were checked for leachable toxic compounds using the Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).

Steel Residues were magnetically separated and tested for structural integrity and coating contamination.

E. Data Analysis and Comparison

All collected data were digitized and processed using statistical software tools:

SPSS 27.0 for descriptive statistics and standard deviation analysis.

MATLAB R2022b for trend plotting and regression modeling.

GIS Tools for spatial air pollution mapping near each facility.

The pollutant concentrations were compared against benchmark standards from:

1. National Ambient Air Quality Standards (NAAQS – CPCB, India)
2. World Health Organization (WHO) Ambient Air Quality Guidelines
3. US EPA Hazardous Air Pollutants (HAPs) thresholds

The data were further analyzed to determine emission intensity per tonne of tyre processed, enabling a direct comparison between recycling methods.

E. Ethical and Environmental Compliance: Prior permissions were obtained from the facility operators and local environmental boards. All sampling was conducted in accordance with CPCB protocols, ensuring minimal disruption to ongoing operations and safety for researchers. Laboratory testing followed ISO/IEC 17025 standards.

Results And Discussion: This section presents the comparative analysis of data collected from three tyre recycling facilities employing mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis. The results are discussed under two primary themes: (i) Impact on Ambient Air Quality, and (ii) Nature and Environmental Implications of By-products. Data trends are compared with national and international standards to determine environmental compliance and sustainability.

A. Ambient Air Quality Impact: Air sampling near all three facilities revealed significant differences in pollution levels corresponding to the recycling method used.

Particulate Matter (PM2.5 and PM10)

Mechanical Shredding (Facility A): PM2.5 and PM10 concentrations were recorded at 45 µg/m³ and 75 µg/m³, respectively—within acceptable NAAQS limits (60 µg/m³ for PM2.5 and 100 µg/m³ for PM10). These values were only marginally higher than upwind baseline levels, indicating minimal air quality disruption.

Cryogenic Grinding (Facility B): PM concentrations were slightly lower than Facility A, attributed to the enclosed freezing process. PM2.5 was 38 µg/m³, and PM10 was 66 µg/m³, showing efficient dust containment.

Pyrolysis (Facility C): Exhibited significantly elevated PM levels. PM2.5 was 102 µg/m³ and PM10 reached 190 µg/m³, both exceeding NAAQS thresholds by 70–90%. This suggests ineffective emission capture and higher fugitive dust release during unloading and reactor cooling phases.

2. Volatile Organic Compounds (VOCs)

Facility A & B: VOC levels remained below 0.5 ppm, well within the WHO safe limit of 1 ppm. The absence of high-temperature processes contributed to lower emissions.

Facility C (Pyrolysis): VOC levels averaged 2.4 ppm, with peaks up to 3.8 ppm during reactor venting, particularly benzene, toluene, and styrene—known carcinogens. These results highlight inadequate condensation systems or leakages in the exhaust mechanism.

3. Other Gaseous Emissions (SOx, NOx, CO)

Pollutant	Facility A	Facility B	Facility C	NAAQS Limit
SOx	8 µg/m³	6 µg/m³	48 µg/m³	80 µg/m³
NOx	14 µg/m³	12 µg/m³	60 µg/m³	80 µg/m³
CO	0.3 ppm	0.2 ppm	1.5 ppm	2.0 ppm

While all facilities remained within NAAQS limits, the pyrolysis unit approached critical thresholds. The elevated SOx and NOx emissions can be traced to incomplete combustion and feedstock contamination. These emissions, though not acutely hazardous, pose chronic respiratory risks with sustained exposure.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): PAHs were detectable **only at Facility C**, with concentrations of benzo[a]pyrene (BaP) reaching **2.1 ng/m³**, which exceeds the European guideline value of 1.0 ng/m³. These results are concerning given BaP's strong association with cancer risks and endocrine disruption.

Analysis of By-products Mechanical and Cryogenic Outputs

1. Shredded Rubber and Granules: Both were found free from hazardous leachates as per TCLP testing. Their reuse in rubberized asphalt, sports turf, and moulded products is environmentally viable.

2. **Steel Wires (Facility A):** Magnetically separated steel wires were ~95% pure and suitable for re-smelting.

3. **Cryogenic Waste Residue:** Minimal in volume and chemically inert, posing no disposal risk.

Pyrolysis By-products

1. **Pyrolytic Oil:** High in calorific value (~9800 kcal/kg) but contained 1.3% sulfur by weight and traces of benzene, making it unsuitable for direct use as industrial fuel without desulfurization. Flash point tests (ASTM D92) revealed a low safety margin (~42°C).

2. **Carbon Black:** Contained up to 900 ppm of zinc and 120 ppm of lead, surpassing the acceptable limits for use in non-automotive rubber products. Requires purification before reuse.

3. **Condensed Gases:** Consisted largely of methane, ethane, and traces of hydrogen sulfide (H, S). Although energetically valuable, the toxicity of raw gas poses handling risks.

4. **Steel Residues:** Often coated with oily carbon black, rendering them unsuitable for direct recycling without extensive cleaning.

Comparative Environmental Risk Assessment: A lifecycle impact analysis (LCA)-based risk index was developed to numerically compare the environmental footprint of each method:

Method	Air Pollution Index (0–10)	By-product Hazard Index(0–10)	Overall Risk Score
Mechanical	2.1	1.5	**3.6(Low)**
Cryogenic	1.7	2.0	**3.7(Low)**
Pyrolysis	7.8	6.5	**14.3(High)**

The pyrolysis process, while material-efficient, presents significant environmental and health hazards due to air pollution and toxic by-products, warranting stricter regulation and technology upgrades.

Discussion and Interpretation: The results validate that while tyre recycling is a necessary strategy for waste management, the choice of recycling technology critically determines the environmental outcomes. Mechanical and cryogenic methods are safer, though limited in value recovery. Pyrolysis offers higher resource recovery but at the cost of air quality and public health risks.

Key gaps identified include:

1. Lack of emission control technologies in small-scale pyrolysis units.
2. Absence of quality standards for secondary products like pyrolytic oil and carbon black.
3. Inadequate regulatory oversight and environmental auditing.

These findings point to a pressing need for integrated environmental planning, mandatory emissions treatment systems, and market certification for by-products.

Conclusion: This study systematically investigated the environmental implications of three predominant tyre recycling techniques—mechanical shredding, cryogenic grinding, and pyrolysis—with a particular focus on their impact on ambient air quality and the nature of their by-products. The findings clearly establish that while tyre recycling plays a crucial role in sustainable waste management and resource recovery, the process employed significantly affects its environmental footprint.

Among the methods evaluated, mechanical shredding and cryogenic grinding demonstrated comparatively minimal adverse impacts on air quality. Emissions of particulate matter, volatile organic compounds (VOCs), and gaseous pollutants remained well within regulatory limits, and the by-products generated—such as shredded rubber, fine rubber granules, and reclaimed steel— were found to be non-hazardous and readily reusable. These processes, although less efficient in terms of material recovery, present a safer and more environmentally viable option for tyre waste handling, particularly in urban or sensitive ecological zones.

In contrast, pyrolysis, while technologically advanced and efficient in extracting valuable secondary resources such as pyrolytic oil, carbon black, and steel, posed considerable environmental concerns. The process emitted elevated levels of PM2.5, PM10, VOCs, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), often exceeding national and international air quality standards. Moreover, the by-products—though economically attractive— contained hazardous constituents such as heavy metals and carcinogenic hydrocarbons, raising red flags over their unregulated use and disposal.

The environmental risk assessment matrix developed in this study revealed pyrolysis to have the highest cumulative risk score, indicating a strong need for improved emissions control, process optimization, and regulatory oversight. In its current state, pyrolysis, especially when implemented without adequate pollution control mechanisms, can negate the environmental benefits of recycling by introducing new forms of air and soil contamination.

From a policy and implementation perspective, the following recommendations emerge from this research:

1. **Mandatory Installation of Emission Control Devices:** All pyrolysis units must be equipped with advanced scrubbers, condensers, and real-time emission monitoring systems to mitigate the release of hazardous pollutants.

2. **Standardization of By-products:** Quality certification protocols must be established for pyrolytic oil, carbon black, and recycled steel to ensure their safe use in downstream industries.

3. **Preference for Low-Impact Recycling Methods:** Government incentives and subsidies should promote mechanical and cryogenic recycling technologies, particularly in densely populated or environmentally sensitive regions.

4. Integrated Environmental Auditing: Regular field-based audits by pollution control boards should be enforced to assess compliance with air quality standards and waste handling norms.

5. Public Awareness and Industry Training: Stakeholders in the recycling sector must be educated on the environmental and occupational risks associated with unregulated recycling practices and trained in safe handling techniques.

In conclusion, the sustainable management of end-of-life tyres requires a balanced approach that combines technological innovation with environmental responsibility. This research underscores the need to transition from unregulated pyrolysis to cleaner, controlled recycling operations, supported by robust policy frameworks, monitoring systems, and industry best practices. Only then can tyre recycling truly become a pillar of the circular economy, contributing to resource conservation without compromising ecological and public health.

References:-

1. Central Pollution Control Board (CPCB), *Comprehensive Industry Document on Waste Tyre Management*, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, 2020.
2. World Health Organization (WHO), *Ambient (Outdoor) Air Quality and Health*, Fact Sheet, 2021. [Online]. Available: https://www.who.int
3. United States Environmental Protection Agency (US EPA), *Hazardous Air Pollutants – Overview*, 2022. [Online].Available: https://www.epa.gov/haps
4. Bureau of Indian Standards (BIS), *Specification for Pyrolytic Oil and Carbon Black Derived from Tyre Waste*, IS 15636:2012, New Delhi, 2012.
5. M. Roy, S. Chowdhury, and A. Datta, "Assessment of emissions from pyrolysis of waste tyres in India," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 5, pp. 106223, Sep. 2021.
6. S. J. Thomas, R. George, and K. V. John, "Comparative analysis of mechanical and pyrolysis-based tyre recycling methods in India," *International Journal of Environmental Science and Technology*, vol. 18, no. 3, pp. 769–780, Mar.2021.
7. A. K. Singh and R. K. Bhaskar, "Volatile organic compounds and polyaromatic hydrocarbons in urban air: A case study of industrial zones," *Environmental Monitoring and Assessment*, vol. 193, no. 8, pp. 514, Aug. 2021.
8. ASTM International, *Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure*, ASTM D86-21, West Conshohocken, PA, USA, 2021.
9. K. M. Lee and C. Park, "Life Cycle Assessment of Waste Tyre Management Techniques: A Comparative Approach," *Waste Management*, vol. 85, pp. 115–125, Jan. 2020.
10. J. K. Sharma and P. Desai, "Cryogenic recycling of scrap rubber: A clean technology option," *Indian Journal of Chemical Technology*, vol. 27, no. 4, pp. 198–204, Jul. 2020.
11. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), *E-Waste and Hazardous Waste Management Rules*, Government of India, 2022.
12. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *2021 Climate Change Report: Impacts and Adaptation*, Geneva, Switzerland, 2021.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Comparative Evaluation of Customer Satisfaction in E-Commerce and Conventional Retail with Special Reference to Ujjain Division

Neha Singh* Dr. L. N. Sharma**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Research Guide, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract: Customer satisfaction has emerged as a critical determinant of success in both online and offline retail environments. With the rapid growth of e-commerce platforms and the continued relevance of conventional retail outlets, understanding how consumers perceive and evaluate their shopping experiences is essential. This study aims to comparatively evaluate customer satisfaction in e-commerce and traditional retail with special reference to the Ujjain Division. Primary data was collected through structured questionnaires administered to a diverse group of consumers, while secondary data supported contextual analysis. The study examines factors such as product variety, pricing, convenience, service quality, trust, and post-purchase experience. Findings reveal differences in satisfaction drivers across the two modes, with e-commerce favored for convenience and variety, while conventional retail is valued for personal interaction and trust. The results provide insights for retailers, policymakers, and marketers to enhance customer-centric strategies and bridge service gaps.
Keywords: Customer Satisfaction, E-Commerce, Conventional Retail, Consumer Behavior, Ujjain Division.

Introduction - Customer satisfaction is a crucial factor determining the success and sustainability of any business. With rapid technological advancement, the retail sector in India has witnessed a significant transformation, where e-commerce and conventional retail coexist as dominant modes of shopping. E-commerce platforms have grown rapidly due to internet penetration, smartphone usage, digital payment systems, and attractive offers, offering consumers convenience, variety, and time efficiency. However, challenges such as delivery delays, lack of physical product inspection, and trust issues continue to influence customer satisfaction.

Conversely, conventional retail maintains its relevance, particularly in semi-urban and rural areas, where consumers value direct product interaction, personal trust in shopkeepers, and immediate purchase fulfillment. Traditional retail shopping is also viewed as a social and cultural activity in many regions. Yet, it faces challenges of limited variety, higher operating costs, and restricted geographical reach compared to online platforms.

The Ujjain Division of Madhya Pradesh presents an interesting case for studying this phenomenon, as it combines traditional bazaars with growing digital commerce adoption. This study aims to compare customer satisfaction between online and offline shopping modes, identifying the factors influencing consumer choices and the opportunities each mode offers for improving service delivery and customer experience

Review of Literature:

1 National Review:

Ishaan Roy & Tanya Sharma (2024), in *"A Post-Pandemic Comparison of Customer Satisfaction in Online vs Physical Retailing in India"*, surveyed 370 respondents across Delhi, Hyderabad, and Chandigarh. Results showed online shopping dominated during lockdowns but declined afterward, while physical stores regained value through safety and direct interaction. The study concludes that hybrid models combining digital convenience and offline trust drive satisfaction post-pandemic

2 International Review:

Chloe Nguyen (2023), in *"Post-Pandemic Consumer Satisfaction in Online vs Physical Shopping in Southeast Asia"*, studied Vietnam, Thailand, and Malaysia through surveys of 350 respondents. The research showed online shopping surged during COVID-19 but later declined due to delays and service issues, while offline stores regained preference for trust and immediacy. The study concludes that hybrid retailing—blending safety, speed, and flexibility—is essential to meet evolving consumer expectations in the post-pandemic economy.

Objective of the Study: To examine the frequency of online and traditional shopping among consumers.

Hypotheses of the Study:

- **H_0:** There is no significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

- **H_1 :** There is a significant difference in the frequency of products purchased through online and traditional shopping methods.

Research Methodology: The present study follows a **descriptive research design**. Primary data was gathered using **structured questionnaires** administered to respondents across the Ujjain Division, encompassing both urban and semi-urban populations. In total, responses from **420 participants** were collected for analysis.

Data Analysis Tools: Independent t-test, One-way ANOVA, Mean, Standard Deviation.

Data Analysis:

Frequency of Online Shopping : The frequency of online shopping is a critical metric that reflects user engagement, digital comfort, and reliance on e-commerce platforms. By analyzing how often respondents from the Ujjain Division shop online, the study gains valuable insights into behavioral trends, which in turn affect satisfaction levels and comparisons with traditional shopping methods.

Table 1: Frequency of Online Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	20	18	38	9.05%
Weekly	50	55	105	25.00%
Monthly	70	65	135	32.14%
Rarely	45	50	95	22.62%
Never	23	24	47	11.19%
Total	**208**	**212**	**420**	**100%**

Graph 1: Frequency of Online Shopping of Respondents

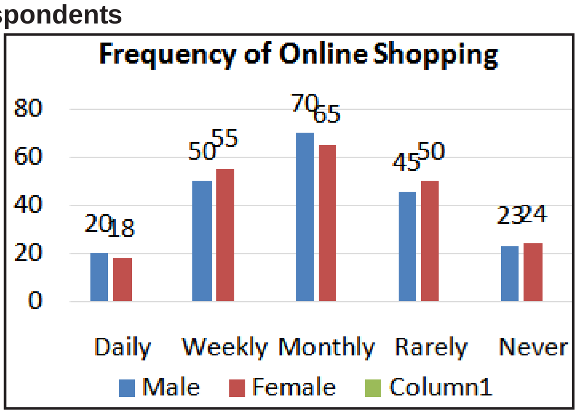

Graph 2: Frequency of Online Shopping of Total Respondents

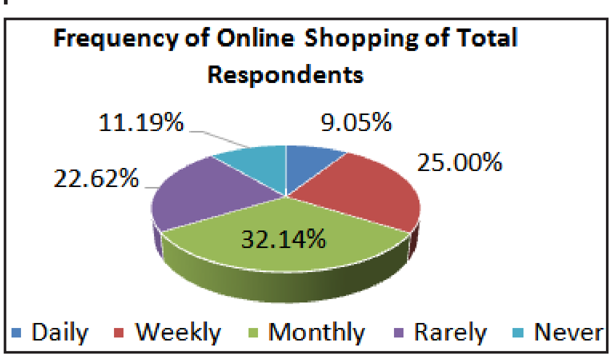

Interpretation of Data : The table presents the percentage distribution of frequency-related behavior among a population of 420 individuals. The highest proportion, 32.14%, corresponds to those who engage in the activity on a monthly basis. This suggests that for nearly one-third of the population, the activity is a regular but infrequent routine.

Frequency of Traditional Shopping : The frequency with which consumers engage in traditional or in-store shopping remains a vital aspect of retail behavior analysis. Despite the growth of online platforms, physical retail still holds significant importance especially in regions where access, trust, or habit favors conventional purchasing.

The following data provides insights into how often respondents from the Ujjain Division rely on traditional shopping modes and how this behavior correlates with satisfaction, convenience, and lifestyle preferences.

Table 2: Frequency of Traditional Shopping

Frequency	Male	Female	Total	Percentage (%)
Daily	45	50	95	22.62%
Weekly	65	60	125	29.76%
Monthly	50	55	105	25.00%
Rarely	30	32	62	14.76%
Never	18	15	33	7.86%
Total	**208**	**212**	**420**	**100%**

Graph 3 : Frequency of Traditional Shopping of Respondents

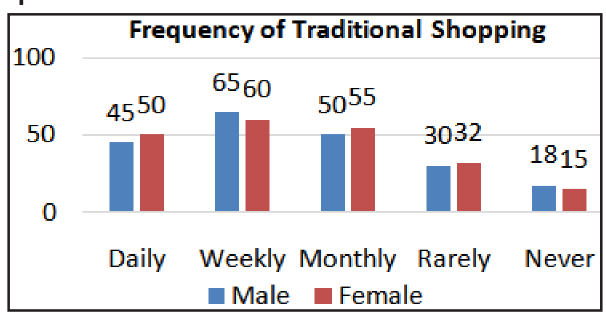

Graph 4: Frequency of Traditional Shopping of Total Interpretation of Data

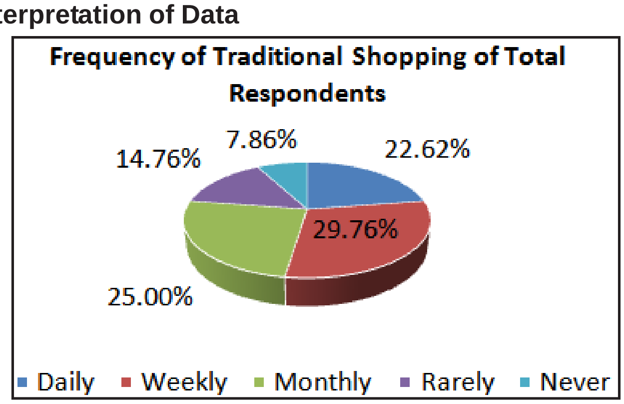

The table displays the percentage distribution of individuals based on the frequency of a particular activity within a population of 420. The largest proportion, 29.76%,

Participates on a weekly basis, indicating that nearly one-third of the population engages with the activity regularly, though not daily.

Testing of Hypothesis:

Result:

1. Frequency ($p < 0.0001$): Highly significant.
2. Interaction (Mode × Frequency): $p = 0.0026$, significant.

Conclusion: There is a significant interaction effect between shopping mode and frequency on product choice. This leads to rejection of the null hypothesis. Consumers purchase different product types at different frequencies based on whether they shop online or offline.

Key Findings:

1. **Frequency of Online Shopping** : Most common frequency: Monthly (32.14%), Least common: Daily (9.05%), Never shopped online: 11.19%
2. **Frequency of Traditional Shopping** : Most common frequency: Weekly (29.76%), High-frequency shoppers (daily + weekly): 52.38%, Never use traditional shopping: 7.86%

Suggestions:

1. Retailers should adopt **omni-channel strategies,** blending online convenience with offline trust to maximize customer satisfaction.
2. **Digital literacy and secure payment awareness** must be promoted to reduce trust gaps and increase online shopping adoption in Ujjain Division

Conclusion: The study concludes that while e-commerce offers convenience and variety, traditional retail remains vital for trust, immediacy, and cultural relevance. Consumer satisfaction increasingly depends on integrating digital ease with offline reliability, highlighting the need for hybrid, customer-centric retail strategies.

References:-

(A) Books

National Books:

1. **Jain, R. & Sharma, S.** (2016). *Emerging Trends in Retail Sector*. New Delhi: Regal Publications.
2. **Kapoor, N.D.** (2015). *Business Environment*. New Delhi: Sultan Chand & Sons.

International Books:

1. **Blythe, J.** (2013). *Consumer Behaviour*. London: SAGE Publications.
2. **Chaffey, D.** (2021). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th Ed.). Harlow: Pearson Education.

(B) Journals

National Journals (India):

1. **Chatterjee, A. & Das, M.** (2018). "Impact of Digitalization on Traditional Retail: An Urban-Rural Divide." *Vision: The Journal of Business Perspective*, 22(2), 104–112.
2. **Desai, R., & Mehta, A.** (2018). "Customer Perception and Satisfaction in E-Retailing." *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 8(2), 35–44.

International Journals:

1. **Kim, J., & Park, J.** (2017). "Effects of Shopping Orientation and Website Quality on Customer Satisfaction." *International Journal of Retail & Distribution Management*, 45(1), 25–40.

(C) Magazines And Newspapers:

1. **Business Today** (2022). *Retail in Transition: How India's Local Markets Are Adapting to the Online Shift*. Business Today, November Issue.
2. **Dainik Bhaskar** (2022). *Ujjain Mein Online Shopping Ka Craze Teenagers Mein Zyada*. Local City Supplement, 15 September.

(D) Websites:

1. https://www.dpiit.gov.in – *Department for Promotion of Industry and Internal Trade*
2. https://www.economictimes.indiatimes.com – *Retail and business articles*

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Emerging Challenges to National Security

Dr. Swati Thakur*

***Associate Professor (Political Science and Public Administration) Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (U.P.) INDIA**

Abstract - Abstract: In international relations, national security is regarded as an important concept. The sovereignty, territorial integrity has been linked with national security. Traditionally concept of national security has been military in nature. Since the end of Cold war world is facing security risk from non traditional areas. Today as the world is becoming more interconnected so are our security threats. This paper discusses two emerging threats to national security environmentaland human security.
Keywords: National security, Non Traditional, Globalisation,Environmental security, Human Security.

Introduction - The phrase "national security" consists of two components: nation and security. In assessing the historical context, it is essential to analyse the terminology meticulously concerning its historical and philosophical underpinnings[1]. Security is a more nuanced and antiquated idea when considered at the human level compared to its national counterpart. Security denotes a state of being free from danger and fear. It is a transitory psychological condition that engenders a sense of assurance. The concept of nation-state emerged from the Treaty of Westphalia[2]. After the treaty of Westphalia, the world became structured around the sacrosanct boundaries which were gradually engulfed in obsessive nationalism. External forces have posed a threat to national security since ancient times. Typically, it was an assault perpetrated by a foreign nation. Consequently, the country's survival and existence were inextricably linked to the security of its borders. Therefore, since primordial times to the present, states have prioritised the expansion of their military capabilities in both quantitative and qualitative terms. The definition of security was traditionally confined to a military aspect of inter-state relations. However, the key concept of security is no longer limited to the state and its ability to defend against external military threats; it increasingly encompasses societies and human associations as well. The notion of national security changed after the end of the Cold War. According to Barry Buzan, 'security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival'[3]. This definition has broadened the perspective of security. Consequently, concerns such as infectious diseases, environmental degradation, drug trafficking, human smuggling, cybercrime and related challenges are being examined in academic circles as urgent concerns with security implications. These non-military issues are classified in the security studies literature as non-traditional security challenges.[4]

Non-traditional security challenges engender unease for a sovereign state and its community at large. There are numerous non traditional threats to the security of a country. These threats become dangerous and complicated at the same time because of highly intricate global network established by modern communication, transportation, and information technology, encompassing both transnational and non-state entities.

Environmental Security: One of the biggest threats that is looming over whole mankind is from the very environment that surrounds us all. The misconception that nation states are threatened by the military might of the neighbouring countries is now waning away. Existence of countries like Maldives, Tuvalu, Marshall Island are at stake because of the rising sea levels due to climate change. Therefore, today environment is regarded as the biggest security challenge cutting across all nations.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), after prolonged and in-depth research came to the conclusion that 'anthropogenic activity is contributing to climate change'.[5] The planet is experiencing rising temperatures chiefly due to the repercussions of industrial production and agricultural methods, deforestation, and industrial emissions, which emit numerous gases—especially carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor—into the atmosphere. These gases capture thermal energy from the sun that would otherwise dissipate into space[6]. This phenomenon is referred to as the greenhouse effect. Because of this, temperatures all across the world have shot up by substantially since the late 19th

century, with the most recent decades exhibiting scorching rates that have never been seen before. This process has been accountable for an extensive range of ecological repercussions, such as the thawing of glaciers and ice at the poles, the upward movement of sea levels, the occurrence of heatwaves that are more frequent and intense, the alteration of rainfall patterns, and the occurrence of extreme weather events such as floods, droughts, and wildfires. Additionally, because of global warming, ecosystems are deteriorating, biodiversity is under threat, and there are significant dangers to human health, agriculture, water security, and economic stability. Despite the fact that it is a worldwide problem, its effects are not uniform. Vulnerable populations and poor countries frequently face the most severe consequences, despite the fact that they are the ones that contribute the least to the problem.

In terms of national security, these environmental concerns are non-traditional and cross-border risks that threaten a country. It will be difficult to bring this issue under control via traditional military or political methods. For example, climate change is a cause to increasing sea levels, severe weather, and extended droughts, all of which have the potential to relocate communities, inflict damage to vital structures, and decrease the availability of water and food. These kinds of upheavals can result in financial difficulties, instability in society, and massive migration, each of which put an impact on the power of a nation to preserve its stability and carry out its administration. In places like South Sudan in Africa, the stress caused by the environment has intensified the ethnic tensions that were already present, leading to rivalry over limited resources that ultimately resulted in armed war.

Global problems require global solutions. The problem of environmental security cannot be tackled by individual countries at their level. Therefore, United Nations has come to play an important role. The passage of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1992 is credited with marking the beginning of climate change's recognition as a major global environmental concern. The first conference was United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) popularly known as the Earth summit. It institutionalised sustainable development as global agenda.Later, the UNFCCC came up with the Kyoto Protocol which set legally binding emission reduction targets for developed countries. The important outcome was the Paris agreement which was a a legally binding international treaty under the UNFCCC. It adopted a bottom-up approach. All the nations are required to show progress overtime and no uniform targets have been set. The countries are required to report regularly on their emissions and progress.

Human Security: Amartya Sen in an interview to the newspaper, the Hindu said that if we are speaking of security, it has to be human security[7]. It is a recent development to the threats to national security. The concept of human security is very different from the traditional concept of national security, where state was the primary actor and threats were external. Protection of territorial integrity and sovereignty were accorded primacy. Whereas, in human security focus is the security of the individual. During the 1990s, particularly after the conclusion of the Cold War, it became abundantly evident that the conventional notion of security was unable to accommodate human welfare, particularly the liberation of disadvantaged groups, marginalised sectors, and poor people. After some consideration, it was determined that the approach to human rights ought to be strengthened by the implementation of developmental measures and the protection of people all over the world. For the sake of national, regional, and global stability, it was abundantly evident that human security, also known as security that is centred on people, is absolutely necessary. The Human Development Report that was published by the United Nations Development Program in 1994 is considered a significant milestone because it brought attention to the necessity of "human security" in order to combat global insecurities that plague individuals, particularly those who are poor, marginalised, and disadvantaged.

In terms of the implementation of human security, the approval of resolution 66/290 by the General Assembly[8] on September 10, 2012 was a key milestone. It is the right of individuals to live their lives in freedom and dignity, free from destitution and hopelessness. In order to provide human security, it is necessary to implement solutions that are prevention-oriented, broad, specific to the situation, and focused on people. These responses should increase the protection and empowerment of all individuals and communities. The concept of human security is so wide that it encompasses almost all kinds securities which are faced by mankind.

In certain circumstances, errors in human security can pose significant dangers to the functioning of the national security system. When the fundamental requirements and rights of individuals are disregarded, it can result in widespread dissatisfaction, civil strife, radicalisation, and occasionally armed conflicts. These fundamental necessities and rights include the right to food, medical care, schooling, housing, security, and liberty. As an illustration, conditions such as severe inequality, poverty, and unemployment can serve as a breeding ground for the growth of insurgent groups or extremist beliefs, which in turn pose a threat to the internal security of a state. In these kinds of situations, the deterioration of human security affects social cohesiveness, undermines the legitimacy of the state, and has the potential to escalate into more significant national crises. It is therefore vital for governments to implement policies that are centred on people in order to maintain both state and social resilience. Neglecting human security concerns can directly affect

national security, which is why it is essential for governments to embrace such policies.In order to deal with the problem, the UN has created the Human Security Unit within the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs to mainstream the human security approach.

Conclusion: Globalisation along with information technology revolution made borders meaningless. Globalisation meant free movement of people, capital, goods and services across the world. Communication revolution brought the world closer. As the borders started becoming meaningless, new threats to security started emerging. Thus, a non-traditional concept of security developed which was very different from traditional concept. In the non-traditional concept alongside the border other challenges came to be recognised as security threat.

There is urgent need for worldwide collaboration to reduce emissions of greenhouse gases, shift to renewable energy sources, and adopt climate adaptation and mitigation techniques is something that must be addressed in order to address the issue of environmental security. This problem cannot be solved by a single country. Several attempts have been made to ensure environmental security like the Earth Summit, Kyoto protocol, Paris conference on climate change. World is divided between developed and developing countries over the issue of environment. Still much needs to done.

Today there is urgent need to redefine the concept of national security. The state centric view of security should be replaced by the individual centric view of security. It is the human life that matters. Human security is today an important aspect of national security. This concept is closely connected with the idea of human rights and sustainable development and encompasses all those aspects which are connected with secure life of an individual. It highlights the fundamental causes of insecurity, including disparity, inadequate administration, and absence of availability of vital amenities. It becomes the duty of the government to address these issues. Once the issue of human security is addressed world would become a better place to live.

References:-

1. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
2. Prabhakaran Paleri (2008), National Security: Imperatives and Challenges, Tata McGraw, p-9
3. Barry Buzan (1991), New Patterns of Global Security in the Twenty- First Century, International Affairs institute, Vol 67. No 3, London
4. Mely Caballero-Anthony, Amitav Acharya(ed) (2006), Non Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation, p-1
5. Felix Dodds and Tim Pippard (2005), Human and Environmental security: An Agenda for Change, Earthscape, p-104
6. Rumki Basu (2012), International Politics: Theories and Concepts, Sage Publications, p-356
7. The Hindu, December 04, 2021
8. https://docs.un.org/en/A/RES/66/290

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाये एवं अपराध : एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अपराध एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा दंडनीय है वर्जित है निशिद्ध हैं, एक ऐसा कार्य जो कानून का उलन्ध्न करता है और जिसके लिए व्यक्ति को सजा मिल सकती हैं यह अपराध किसी भी प्रकार का हो सकता हैं साधारण या गंभीर कुछ भी ऐसा कृत्य जिसको करने की इजाजत न समाज देता हैं, न ही कानून, अपराध कोई भी कर सकता हैं पुरूष, महिलाये, बच्चे, किन्नर आदि, अपराध एक सार्वभौमिक क्रिया हैं अर्थात अपराध प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति, काल हर समय हो सकता हैं।

शब्द कुंजी –अपराध, समाज महिलाएं, परिस्थितिया, कुप्रथाएं।

प्रस्तावना – समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल हैं साथ ही समाज में दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं सहयोगात्मक और असहयोगात्मक अर्थात संगठनकारी और विघटनकारी जब समाज में विघटनकारी क्रियाये बढ़ जाती हैं तब अपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने लगती हैं यही विघटन मनुष्य को अनितिकता, असंतोष, स्वार्थ और अपराध की तरफ ले जाता हैं।

अपराध क्या हैं– वह व्यवहार जो की कानून एवम सामाजिक विधानों का उलघ्न करके किया जाता हैं। जिस कार्य की इजाजत समाज और कानून नही देता है अगर कोई व्यक्ति वही कार्य जानबूझ कर कर दे तो वह कार्य अपराध है और वह व्यक्ति अपराधी है चाहे वो पुरूष हो या स्त्री या अन्य कोई हो।

अध्ययन के उद्देश्य– इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य महिलाये और अपराध एक सामाजिक अध्ययन की व्याख्या या समीक्षा करना हैं वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या बढती जा रही हैं, महिलाये अपराध क्यों करतीं हैं, इसका सामाजिक पक्ष क्या हैं महिलायें किन हालातो में अपराध करती हैं, क्या कारण होतें हैं, क्या महिलाएं अकेले ही अपराध को अंजाम दे देती हैं, इन सबका परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ता हैं।

महिला अपराध– अपराध एक प्रकार का समाज विरोधी कृत्य हैं, जिस कार्य को राज्य ने सामूहिक कल्याण के लियें हानिकारक घोषित किया हो और जिसके लिए दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति होती हैं।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को नर्म, नाजुक और मर्यादाशील, ममत्वशील, उदार, परोपकारी और शांत चित माना गया हैं पूर्व में महिलाओं की भूमिका मात्र घर की चारदीवारी के अंदर तक सीमित थी परिवार की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण करना ही मुख्य कर्तव्य था पुरूष कमाने जाते थे और महिलाएं घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलाती थी समाज में समय के साथ आये परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाएं भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गयी जब महिलाएं घर से बाहर जाने लगी तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा उनका सोच का दायरा बढ़ने लगा अपने केरियर बनाने को प्राथमिकता देने के कारण विलम्ब विवाह होने लगे दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाएं और अधिक बढ़ने लगी साथ ही मोबाइल फोन, सोशल मिडिया, फिल्म आदि के असर ने महिलाओं को स्वतंत्र बना दिया जिनमे से कुछ महिलाओं ने उस आजादी को स्वछंदता में बदल दिया और नारी सशक्तिकरण के नाम पर मनमाना जीवन जीने लगी और यही से वो अपराध की ओर बढ़ने लगी।

वर्तमान में देश में एक के बाद एक ऐसे जघन्य अपराध घटित हुए जिनके पीछे महिला अपराधी ही हैं उन अपराधों का रूप देख कर यकीन नही होता हैं की महिलाये भी इतनी क्रूर और बर्बर हो सकती हैं। किसी महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति को ड्रम में सीमेंट में चुनवा दिया तो किसी ने शादी के मात्र ग्यारह दिन बाद ही अपने पति को हनीमून के समय हत्या करवा दी, किसी ने अपने पति को काफी में जहर दे दिया तो किसी ने सांप से डसवा दिया, एक महिला तो अपने पति की लाश बोरे में ले कर अपने प्रेमी की बाइक से लाश को ठिकाने लगाने के लिए घंटों खुलेआम घुमती रही।

महिलाये अपराधी क्यों बन रही हैं– सामान्य तौर पर महिलाएं शांत प्रवृति की होती हैं और महिलाओं में अपराधिक प्रवृति की दर बेहद कम पाई जाती हैं किन्तु वर्तमान में समाज के भौतिक विकास के साथ नैतिकता में कमी आती जा रही हैं आज प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, जलन की भावना, स्वार्थीपन दूसरों से आगे निकलने की होड़ आदि का व्यापक असर महिलाओं पर भी पड़ा हैं महिलाओं के अपराधी बनने के लिए विभिन्न हालत जिम्मेदार हैं जिनमे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवम अन्य कारण शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नही होता हैं उसके आस –पास की विषम परिस्थितियां उसे अपराधी बनने हेतु मजबूर कर देती हैं महिलाएं भी कानून अपने हाथ में लेकर अपराधी तभी बनती हैं जब उनके समक्ष अन्य कोई रास्ता नही बचता हैं उदहारण के लिए स्वर्गीय फूलन देवी दस्यु सुंदरी क्यों बनी यह सभी को मालूम हैं किन्तु वर्तमान में अपवाद भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे महिलाओं ने बेकसूर पति या अन्य पुरुषों की हत्या तक कर दी हैं और महिला अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढती ही जा रही हैं।

महिलाओं द्धारा किये जाने वाले अपराधों में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगर, महानगर सभी शामिल हैं अर्थात ग्रामीण हो या नगरीय समस्त महिलाये अपराध करने में अग्रसर होती जा रही हैं अभी हाल ही में जबलपुर में एक युवती ने अपने बचपन की सहेली पर सिर्फ इसलिए एसिड अटैक कर दिया क्योकि पीड़ित लड़की इससे ज्यादा सुंदर और एक्टिव थी ये अपराध जलन की भावना से किया गया, देश की मुस्कान हो या सोनम या अन्य कोई अपराध करने से पीछे नही हैं किसी ने अपने प्रेमी के कारण पति की हत्या करके ड्रम में डाल दिया और बेहद आसानी से प्रेमी के साथ पर्यटन पर चली गयी तो किसी ने हनीमून के बहाने अपने बेकसूर पति की हत्या करवा कर खाई में धकेल दिया और आसानी से वापिस अपने शहर लौट आई ये सभी जघन्य अपराध की श्रेणी में आते है और ये दर्शाते हैं की वर्तमान में महिलाओं की सोच, जीवन जीने का तरीका उनकी मानसिकता आदि सब कुछ कितना बदल गया हैं महिलाएं इतनी ज्यादा क्रूर हो सकती है और अपने उन्मुक्त जीवन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं।

महिला अपराध के मुख्य कारण–

1. **सामाजिक एवम मनोवैज्ञानिक कारण–** भारत में परिवार और विवाह के साथ कई प्रकार की रूढ़ियाँ, परम्परा, जातिगत भेदभाव, धर्म, उंच –नीच की भावना, असमान सामाजिक स्तरीकरण आदि जुड़ा हैं जिसके कारण लड़के और लड़की का पालन पोषण भी अलग अलग तरह से किया जाता हैं लगभग समस्त परिवारों में लिंग भेद दिखाई देता हैं लडको के लिए अलग नियम लड़कियों के लिए अलग और कड़े नियम होते हैं विशेष रूप से विवाह के समय लड़कियों की मर्जी पूछी ही नही जाती हैं अधिकांश परिवारों में माता पिता अपनी पसंद से बेटी के लिए वर का चयन कर लेते हैं बगैर इस बात पर गौर किये हुए की वो लड़का बेटी के लायक है की नही परिवार के सामने लड़की कुछ नही कहती और मजबूरन परिवार की पसंद से शादी कर लेती हैं जिसका अंजाम बुरा ही होता हैं भारतीय परिवार में महिला वर्ग के ऊपर सामाजिक मान मर्यादा, नातेदारी, नैतिकता की ज्यादा जिम्मेदारी होती हैं यह बात सर्वविदित हैं की बचपन और किशोर अवस्था में माता पिता की बुध्दि और समझदारी के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार की दिशा तय होती हैं प्यार दुलार की आकांशा पूरी न होने से कई बालिकाएं विद्रोही हो जाती हैं यदि माता पिता पुत्री की उपेक्षा और पुत्र को ज्यादा लाड प्यार देते हैं तब बालिकाओं के मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हैं और वो गलत संगत में पड़ जाती हैं और उनको दुसरे लोग बहला फुसला कर अपराध की तरफ धकेल देतें हैं।

2. **समाजीकरण में अंतर –**भारतीय परिवार में लड़के –लड़कियों का पालन –पोषण और शिक्षा बचपन से ही अलग अलग तरीके से की जाती हैं किशोर अवस्था तक उनके कार्यो, भूमिकाओं, मनोव्रतियों और विचार में स्पष्ट अंतर हो जाता हैं लड़कों को गुस्सा करने, गाली देने, मनमाना व्यवहार करने से माता –पिता रोकते नही हैं जबकि लड़कियों को अनेक प्रकार की बंदिश लगा कर पाला जाता हैं उनको हर बात में रोका टोका जाता हैं इस कारण से भी लड़कियां विद्रोही हो जाती हैं और जाने अनजाने में अपराध कर बैठती हैं।

3. **अहम की असंतुष्टि–** जब महिलाओं की कोई प्रशंसा नही करता हैं और कोई उनसे प्रभावित नही होता हैं तब उनके अहम को चोट लग जाती हैं रास के अनुसार यह हानि की या पतन की स्थिति होती हैं ऐसे समय लडकिया न चाहते हुयें भी अपराध के चक्कर में फंस जाती हैं।

4 **वंशानुगत कारण–** यदि महिला किसी ऐसे परिवार से हैं जिसमे उसके माँ बाप भी अपराधी प्रवृति के हैं या कई ऐसे जाती और जनजातीय होती हैं जंहा पर अपराध ही उनका पेशा होता हैं जैसे बेडिया, बांछ्ड़ा, कंजर, पारधी आदि जिनमे अपराधिक प्रवृति पाई जाती हैं ऐसे घरों की महिलाएं भी अपराध करने में अग्रसर रहती हैं

ऐसे वातावरण में पली बढ़ी बेटियाँ भी मानसिक अस्थिरता, संशय मंद्धुध्ही आदि से ओतप्रोत हो जाती हैं।

5. **परिस्थितिजन्य कारण :**

अ . गरीबी– अपराध का सबसे मुख्य कारण निर्धनता को माना जा सकता हैं गरीबी या पैसों की कमी, भूख आदि किसी से भी अपराध करवा सकतें हैं किसी भी समाज का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृति को माना गया हैं इसमें भी महिलाये गरीबी के कारण, भूख से बिलखते बच्चों के कारण आती हैं जब कोई अन्य रास्ता नही बचता हैं।

ब . गन्दी बस्तियो में आवास – एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती यधारावी यमुंबई में हैं जिसको देख कर दिल कांप उठता हैं और मन ये मानने को तैयार ही नही होता हैं की इस तरह से भी कोई इंसान जीवन यापन कर सकता हैं ऐसे गन्दी बस्ती में ही अपराध सबसे ज्यादा होतें हैं गन्दी बस्ती की तंग गलिय, एक कमरे में कई लोग रहते हैं बच्चे दूषित वातावरण में अपना बचपन खो देतें हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जातें हैं।

स . काम–काजी माता–पिता– वर्तमान में सयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं और एकल परिवार में माता –पिता दोनों ही कमाने जाते हैं और बच्चों के लियें उनके पास समय ही नही होता हैं जिसके कारण बच्चें गलत संगत मे पड़ जातें हैं और अपराधिक और हिंसक प्रवृति के हो जातें हैं।

द. भग्न परिवार – जब किसी परिवार में पति पत्नी का विवाह विच्छेद हो जाता हैं या उनके बीच में रोजाना कलेश होता रहता हैं तब ऐसे घरों के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं और खास तौर पर लडकिया भी बुरी संगत में पड़ जाती हैं और अपराध के कुचक्र में फंस जाती हैं।

इ. दूषित वातावरण– जब किसी परिवार में दूषित सामाजिक वातावरण पाया जाता हैं अर्थात जहाँ पर पिता हमेशा गली देते हैं, मारपीट करतें हैं या माता अन्य किसी से सबंध रखती हैं या मदिरा का सेवन किया जाता हैं कुछ बाहरी अवांछित व्यक्तियों का आना जाना रहता हैं ऐसे वातावरण में बच्चे बिगड़ जातें हैं।

6. **आर्थिक कारण–** महिलाओं और बच्चों को जब घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्धारा उचित खर्च हेतु भी रुपया नही दिया जाता हैं या पॉकेटमनी नही दी जाती हैं तब आर्थिक तंगी के चलते महिलाएं गलत तरीके से कमाई करने पर विवश हो जाती हैं।

7. **नगरीकरण और औद्योगीकरण–** महिला अपराधियों की संख्या बढ़ने के पीछे नगरीकरण और औद्योगीकरण भी मुख्य कारण हैं ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं और उनकी जीवन शैली बदल जाती हैं इसी प्रकार से उद्योग और बड़े कारखानों के आसपास भी जनाधिक्य हो जाता हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों से लोग आकर कार्य करतें हैं इसके साथ ही नगरों की चकाचौंध और कम समय में बिना मेहनत के अधिक कमाई और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी महिलाओं को अपराध की ओर ले जाती हैं।

8. **सोशल मिडिया और जनसंचार के साधन–** आजकल महिलाएं सबसे

अधिक सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि प्लेटफार्म पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना, स्वयं की रील बनाकर अपलोड करना, लाइक पाने की होड़ आदि करना इस तरह से महिलाएं भी अपराध की ओर बढ़ने लगती हैं। समाचार पत्रों में भी अपराध आदि के विस्तृत समाचार प्रकाशित किये जातें हैं जिसको पढ़ कर भी महिलाएं प्रभावित हो जाती हैं।विभिन्न चेनल पर कई प्रकार के अपराध सम्बन्धी धारावहिक या शो प्रसारित होतें हैं जिनसे महिलाएं अपराध की विधियाँ सीख जाती हैं।

9. **अन्य कारण–** अन्य कारणों में महिलाओं का अधिक शिक्षित होना, नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण विलम्ब विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध होना, बाल विवाह, अन्तेर्जतीय प्रेम विवाह, पुरुषों की तरह जीवन शैली और पहनावा, मधपान करना, स्वछन्द प्रवृति से जीवन यापन करना, ग्लैमर के पीछे भागना, अकेले रहना समलैंगिकता आदि शामिल किये जा सकतें हैं।

महिलाओं के अपराधी व्यवहार को रोकने हेतु मुख्य उपाय:

1. **समान समाजीकरण–** परिवार का दायित्व बनता हैं की वो बीटा, बेटी को समान रूप से संस्कार दे उनके पालन पोषण में भेदभाव न रखें, बेटियों की भी बात सुने उनको भी निर्णय का अधिकार दे।

2. **न्यायिक उदारता–** महिलाओं के प्रति समाज भी उदारता की नीति अपनाता हैं इसलियें महिला अपरधियों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु न्यायिक उदारता की नीति अपनाना चाहिए।

3. **परवीक्षा पर छोड़ना–** महिला अपराधियों को अधिक बार परोल या परवीक्षा अवधि में छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने परिवार और नातेदारों के साथ रह सकें।

4. **सुधारात्मक संस्थाओं में रखना–** अपराधी महिलाओं को जेल से अधिक किसी सुधारात्मक संस्थाओं में रख देना चाहियें ताकि वो नैतिकता, सद्भाव आदि पुन: सीख सकें।

5. **जेलों को अधिक सुविधायुक्त और सुरक्षित बनाना–** महिला जेल की संख्या को बढ़ाना होगा और वर्तमान जेलों में महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रख कर अधिक सुविधा देना होगा साथ ही जेल में महिला कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती करना होगा ताकि महिला अपराधी खुद को सुरक्षित महसूस करें कई बार देखा गया हैं की पुरूष कर्मचारी महिला अपराधियों का शोषण करतें हैं और उनका जम कर फायदा उठातें हैं।

6. **पुनर्वास की व्यवस्था–** महिला अपराधी जब अपनी सजा काट कर जेल से मुक्त हो तब शासन की जिम्मेदारी हैं की उस महिला का पुनर्वास किया जाये उसे कोई काम या रोजगार दिया जाये ताकि वो समाज में रह सके अन्यथा काम के अभाव में वो महिला फिर से शोषण का शिकार हो सकती हैं और अपराध की ओर जा सकती हैं।

अंत में निष्कर्ष निकला जा सकता हैं की वर्तमान में महिला अपराधियों की संख्या दिनोदिन बढती ही जा रही हैं हर देश में महिलाओं द्वारा जाने अनजाने में अपराध कर दिए जाते हैं जो अधिकांश रूप से परिस्थितिजन्य होते हैं और हर अपराध में पुरूष भी शामिल रहतें हैं विभिन्न अपराधशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला हैं कि महिला अपराधियों की संख्या पुरुषों से कम होती हैं अर्थात महिलाएं कम और साधारण अपराध करती हैं किन्तु महिला अपराधियों की संख्या को और कम करने हेतु समाज, सरकार, गैर सरकारी संगठन, परिवार सभी को मिल कर प्रयास करना होगा और महिलाओं को भी एक स्वतंत्र इकाई मान कर लिंग भेद न करके उनके महत्व को भी समझना होगा और महिला अपराधियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं और मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना ही श्रेयस्कर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डॉ. डी .एस .–अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
2. मदन, जी.आर.– भारतीय सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
3. खत्री, रीया, अपराधशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
4. आहूजा, राम, सामाजिक समस्याए, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्राचीन भारत में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का प्रभाव: एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. जे.के. संत*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय समाज का मुख्य आधार गुणानरूप कर्म है क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, जैसा आचरण करेगा उसको वैसा ही समाज के दायित्वों को सौपा जायेगा जिससे वो अपना कर्म का निष्पादन अच्छी तरह से कर सके। यही कारण है कि प्राचीन भारत में प्रतिपादित भारतीय समाज रचना वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम संस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि तत्व पर अवलम्बित है।[1] इन तीनों गुणों में जो गुण मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है वह उसी पर प्रवृत्त हो जाता है।[2] सत्वगुण ज्ञान, बुद्धि, विवेक का , तमो गुण अज्ञान का और रजो गुण राग व द्वेष का प्रतीक है, ये गुण प्रणियों के शरीर में समाहित होते है।[3] इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण का आधिक्य हो जाने पर मनुष्य उसी गुण के आधार पर स्वाभाविक कर्म में रत हो जाता है। और इन्ही अच्छे– बुरे कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेता रहता है।[4] इस प्रकार किसी भी वर्ण में जन्म लेना पूर्व जन्म के कर्मों और गुणों के आधार पर होता है। इस प्रकार भारतीय समाज रचना का वास्तविक तत्व स्व–कर्तव्य ही है। शास्त्रों में इसे स्वधर्म की संज्ञा प्रदान की गई है।[5] इसीलिये गुणानुरूप स्वाभाविक कर्म के आधार पर ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र चार वर्णों की रचना की गई है। सत्य गुण की प्रधानता ब्राम्हण में रजो गुण की अधिकता क्षत्रिय में एवं अल्पाधिक तमोगुण का प्रावल्य वैश्य तथा शूद्र में माना गया है। गुणकर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख महाभारत एवं गीता में भी मिलता है।[6]

1. समाज रचना तथा राज्यव्यवस्था का घनिष्ट सम्बन्ध – तीनों गुणों सत, रज एवं तम पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज रचना की रीढ है। और राज्यव्यवस्था से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जहाँ समाज रचना का निरूपण किया गया है वही पर इसे कायम रखने के लिये राज्यव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में मनु की कथन है कि अपने–अपने धर्म में संलग्न सब वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा का सृजन ब्रम्हा ने किया है।[7] राजा का परम कर्तव्य है कि वह सभी वर्णो को अपने–अपने धर्म में स्थित करें तथा जो इसके विरूद्ध आचरण करे उसे दण्ड देकर निजकर्म में लगावें।[8] इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यव्यवस्था के अभाव में हम समाज– रचनाके अस्तित्व की कल्पना भी नही कर सकते। अत: सामाजिक व्यवस्था को राज्यव्यवस्था पर अवलम्बित कर दिया गया है।

2. वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हुई – इस संदर्भ में मनु ने प्रकाश डालते हुये कहा है कि लोक बुद्धि के लिये ब्रम्हा ने मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरू से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की।[9] उल्लेखनीय है कि वर्णव्यवस्था के उद्गम का यह स्वरूप सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरूष सूक्त मंत्र में उपलब्ध होता है। युजुर्वेद में भी यह कल्पना व मंत्र ज्यों का त्यों पाया जाता है।[10] इस प्रकार मनु स्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र के रूप में जिन चार वर्णो की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न–भिन्न कर्मों का सम्पादन करते है। इन वर्णो के नामकरण का आधार इनका कर्म है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि महातेजस्वी ब्रम्हा ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिये ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में अलग–अलग कर्मों की सृष्टि की। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगट होती है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार मुख से ब्राम्हण, बाहु से क्षत्रिय, उरू से वैश्य और पैर से शूद्र की सृष्टि की। ब्राम्हण का कार्य पठन–पाठन, अध्ययन–अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राजा या स्वामी के रूप में देश की रक्षा करना, अस्त्र–शस्त्र एवं हथियारों का प्रयोग करना साथ ही साथ रथ, हाथी, घोड़ा एवं पैदल सैनिकों का भी नेतृत्व करना, राज्य में सुख–शान्ति कायम रखना, वैश्य का कार्य व्यवसाय एवं कृषि कार्य एवं शूद्र का कार्य सेवा करना। वर्णव्यवस्था में श्रेष्ठ एवं निम्न का होना मायना नही रखता जब तक सभी वर्णो के व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग नही करेगें तब तक राष्ट्र, समाज की समस्याओं का समाधान नही किया जा सकता। जिस प्रकार खाना खाने के लिये सभी उगलियों की आवश्कता होती है चाहे वो छोटा हो या बड़ा जब तक एक होकर कार्य नही करेगें तो भोजन भी नही किया जा सकता । इसी तरह शरीर के समस्त अंग अपने–अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। पैर से शूद्र का उत्पत्ति माना जाता है इसका मतलब ये नही है कि पैर का महत्व कुछ भी नही है, जब अपने से बड़े लोगों जैसे माता–पिता गुरूजनों आदि का आदर सम्मान किया जाता है तब सबसे पहले मस्तक झुकाते हुये चरण स्पर्श करते है, तब उस समय पैर अपने जगह पर श्रेष्ठ है। समयानुसार शरीर के समस्त अंग अतिमहत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार समाज में समयानुसार सभी वर्णों का अपने–अपने जगहों में अतिमहत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण स्वरूप जब एक ब्राम्हण परिवार में वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है तब घर की साफ–सफाई, नगाडे, बैण्ड बाजे एवं शहनाईयाँ बजाने का काम शूद्र ही करता है तब जाके वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम सम्पन्न होता है। इसी तरह जब शूद्र के यहाँ वैवाहिक या अन्य सांस्कारिक कार्यक्रम होता है, तब पूजा–पाठ या अन्य धार्मिक कार्य संपन्न

कराने ब्राम्हण भी शूद्र के यहाँ जाता है। इस तरह सभी वर्ण एक दूसरे पर आधारित हैं। एतदर्थ मनु की उक्ति है कि जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते है किन्तु संस्कार होने से उनकी द्विजातीय संज्ञा होती है।[11] इस प्रकार मनुस्मृति में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में जिन चार वर्णो की कल्पना की गयी है ये चारों वर्ण अपनी प्रकृति जन्य भिन्न-भिन्न कर्मों का सम्पादन करते है। इन वर्णो के नामकरण का आधार इनका कर्म है। इस प्रकार वर्णव्यवस्था में गुणानुरूप कर्म की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। इस आधार पर शतपथ ब्राम्हण में राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णो का उल्लेख किया है।[12] याज्ञवल्क्य ने भी इन चार वर्णो की चर्चा की है।[13]

3. चारों वर्णों के सामान्य धर्म का एक जैसा निरूपण–मानव धर्म शास्त्र में इन चारों वर्णो के समान्य धर्म का एक जैसा निरूपण किया गया है। अहिंसा (दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट मन, वचन एवं कर्म से न पहुँचाना) सत्य (हमेशा सत्य बोलना झूठ नही बोलना चाहिये) अस्तेय (बिना पूँछे किसी की कोई भी वस्तु न लेना) शूद्धता, इन्द्रियों को वष में रखना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, दान, सरलता, अपनी स्त्री से सन्तानोत्पादन एवं असूया (दूसरे के शुभ कार्य में द्वेष का न होना) यह संक्षेप में चारों वर्णो का धर्म मनु ने कहा है।[14]

चरों वर्णो के कर्म– मनुस्मृति में मनु ने सभी चारों वर्णो का कर्मों का विवेचन इस प्रकार किया है–

1. **ब्राम्हण का कर्म–** ब्राम्हण का कर्म है पढ़ना-पढ़ाना लोगों को अच्छे जीवन जीने का उपाय बताना, यज्ञ करना, कराना, दान देना वा लेना, मार्कण्डेय पुराण आदि में भी इसका विशेष वर्णन मिलता है।[15] ब्राम्हण का उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी हिंसा और किसी से द्रोह न करते हुये अपनी जीविका चलायें।

2. **क्षत्रिय का कर्म–** क्षत्रिय का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना कतिपय अन्य स्मृतियों में भी ऐसा ही विवेचन किया गया है।[16]

3. **वैश्य का कार्य–** वैश्य का मुख्य कार्य व्यापार करना, खेती करना, पशुओं का रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, ब्याज लेना आदि अन्य ग्रंथों में भी यही व्यवस्था वर्णित है।[17]

शूद्र का कार्य– ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णो की सेवा करना शूद्रों का प्रधान कर्म है।[18] पशुपालन और क्रय विक्रय उनकी जिविका के साधन है। महाभारत आदि में चारों वर्णो के इन्ही कर्मों का विवेचन मिलता है।[19] मानव धर्म के कतिपय श्लोकों से यह ज्ञात होता है कि सामाजिक स्तर पर शूद्रों को हीन स्थिति प्राप्त है। उनकी स्थिति अत्यधिक निम्न है। किन्तु यह व्यवस्था परिस्थिति जन्य है, शाश्वत नहीं। क्योंकि स्मृतिकारों के अनुसार वही शूद्र है जिसका आचरण दूषित और गंदा है। यदि कोई ब्राम्हण भी क्रोध, काम, लोभ आदि के अत्यंत वषीभूत है, तो वह शूद्र के तुल्य है। यहा तक व्यवस्था कि यदि स्वामी सन्तानहीन हो तो सेवा करने वाले शूद्र को ही उसके लिये पिण्डदान करना चाहिये। यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो शूद्र को उसका सभी प्रकार से भरण पोषण करना चाहिये।[20]

प्राचीन भारत में चार वर्णो के साथ ही साथ चार आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार है–

ये चार आश्रम ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास नाम से अभिहित हैं।[21]

1. ब्रम्हचर्य आश्रम– बाल्यावस्था ब्रम्हचर्य आश्रम के लिये उपयुक्त है। यह अवस्था विद्यार्जन और ब्रम्हचर्य पालन में इस आश्रम के मुख्य कर्तव्य निषचित किये गये है। ब्रम्हचर्य में इन्द्रिय निग्रह, आत्मसंयमन, विनय, घृति आदि सद्गुणों का समावेश होता है। साधारणतया यह आश्रम 25 वर्ष तक की आयु के लिये स्तुल्य माना गया हैं। अखण्ड ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करता हुआ ब्रम्हचारी क्रम से वेदों या दो वेद या एक ही वेद पढ़ कर गृहस्त आश्रम में प्रवेष करें। जीवन का दूसरा चरण विवाह कर के गृहस्त आश्रम में वितायें ऐसा मनु का कथन है।[22] इस ब्रम्हचर्य आश्रम में उदारता बरतते हुये भी भारतीय राजशास्त्री 25 वर्ष की आयु तक ब्रम्हचर्य आश्रम में निवास करने के पक्षधर है।

2. **गृहस्थाश्रम–**यह आश्रम 25 वर्ष के बाद ब्रम्हचर्य आश्रम के बाद की अवस्था का द्योतक है। विद्यार्जन समाप्त करके शरीर और मन सुदृढ़ हो जाने पर कुटुम्ब का बोझ धारण करने की योग्यता अर्थात तारूण्य प्राप्त हो जाने पर ब्रम्हचर्य आश्रम को पार कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये। यह आश्रम तीनों आश्रमों का आधार है। यह सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसके द्वारा ब्रम्हचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रमों की रक्षा होती है।[23] जैसे सभी नदी-नद समुद्र में ही आश्रय पाते है वैसे ही सभी आश्रमवासी गृहस्थाश्रम से ही सहारा पाते है। यही कारण है कि गृहस्थाश्रम पर कर्तव्यों का बोझ बहुत बड़ा है। मानव धर्म शास्त्रकार ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हुये कहा है कि जिस प्रकार वायु के आश्रम से सब प्राणी जीते है, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे जीते हैं। इसलिये गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ होता हैं

3. **वानप्रस्थ आश्रम–** गृहस्थ आश्रम के पालन क उपरान्त आयु के तृतीय चरण 50 वर्ष के पश्चात् नियम पूवर्क वानप्रस्थ आश्रम गृहण करें। इस आश्रम के कष्ट से जीविकोपार्जन करते हुये अरण्य में रहना पड़ता है और ईश्वर चिन्तन में अपना काल व्यतीत करना पड़ता है। मनु का कथन है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुये जब यह देखे कि अपने शरीर में झुर्रियाँ पड़ गयी है, केश श्वेत हो गए है और अपने पुत्र के भी पुत्र हो चंके हैं, तब वन के आश्रम ग्रहण करना चाहिये। वानप्रस्थ आश्रमी को मृग चर्म या वल्कन पहनना चाहिये। जटा, दाढ़ी,मूँछ और नख को नित्य धारण करना चाहिये। आश्रम में आये हुये अतिथि का जल, मूल फलादि से सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार इन्दिय गयी होकर कठोर श्रम के साथ वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने का परामर्श किया गया है।

4. **सन्यास आश्रम–**वानप्रस्थ आश्रम के पालन के उपरान्त आयु के चतुर्थ चरण 75 वर्ष के पश्चात् नियम पूर्वक सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिये। संगों का पूर्ण परित्याग कर सन्यासाश्रम के वृत पालन में सन्नद्ध होना चाहिये। मनु का कथन है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न कर तथा यथाशक्ति यज्ञानुष्ठान करके और सारी सम्पत्ति दक्षिणा स्वरूप दान करके ब्राम्हण को मोक्ष साधक सन्यासाश्रम ग्रहण करना चाहिये। सर्वभूतों में मैं हूँ और मुझमें सर्वभूत है इस वृत्ति का आश्रय लेकर सन्यासी को स्वराज का अनुभव करना पड़ता है। इसी से उसका यह स्वराज वैक्तिक न होकर सर्वव्यापी होता है। सन्यासी को चाहिये कि पवित्र भूमि पर चले, कपड़े से छानकर पवित्र जल पीवे, सत्य से ववित्र वचन बोले और मन से पवित्र आचरण करे।

निष्कर्ष– स्पष्ट है कि जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आदर्श ब्राम्हाणत्व की प्राप्ति है उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का आदर्श मोक्ष की प्राप्ति है।[24] सांसारिक एवं सामाजिक कल्याण इन दोनों ही आदर्शो में मूलतः सर्वत्र अन्तर्निहित है।

मनुस्मृति में प्रतिपादित गुणानुरूप कर्म की व्यवस्था तथा गृहस्थाश्रम की सर्वश्रेष्ठता, इसके ज्वलंत प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था विवेक युक्त जीवन विकास की प्रक्रिया पर अवलम्बित है, मूल मान्यताओं पर नहीं। सही कारण है कि विदेशी विद्वानों ने भी बेहिचक इसके महत्व को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने तो मुक्त कण्ठ से वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि वर्णाश्रम धर्म विश्व धर्म है जिसका हिन्दू धर्म शास्त्रों में सविस्तार वर्णन किया गया है। यह अध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम है। अपने जीवन में उच्च प्रकार के व्यवसाय करने के लिये अपनी उत्साह शक्ति को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था उस योजना में हैं। इसी प्रकार उनके अन्य कथन भी उद्धरणीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्वं रजस्तमस्चैव त्री विद्यात्मनौ गुणान। येत्याप्येमान्सिथतोभावन्महान्सर्वान् शेषत:। मनु0 12/25
2. मनु0 12/25
3. मनु0 12/26
4. मनु0 12/43-81
5. स्वै धर्मे निदिष्टानां सर्वेशामनु पूर्वश:। मनु0 7/35
6. सर्व ब्राम्हिदं जगत कर्मणा वर्णतां गतम्। शान्ति पर्व 188/10
7. स्वे-स्वे धर्मे निविश्षनां सर्वेशामनुपूर्वश:
8. तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्ववर्णा: स्वधर्मत: प्रवर्त्यन्तेन्यथा दड्या स्थाप्याश्चैव स्वकर्मसु।। मार्कण्डेय पु. 25/36
9. लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुख वाहु रूपादत:। ब्राम्हणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तवत्।। मनु0 1/31
10. ब्राम्हाणौअस्य मुखमासीद वाह राजन्य: कृत: उरू तदस्य श्द्धेश्य: पद्भयां शूद्रों अजायत।
11. गार्मैहतौमैर्जात कर्म चाल मौंजीनिबन्धने:। वैजिक गार्भिकं चैनौद्धिजामपभृज्यते।। मनु0 2/27
12. शतपथब्राम्हण 5/4/6/9
13. ब्रम्हा क्षत्रिय पिद् शूद्रा वर्णास्तवाधास्त्रयों क्षिजा। पिषेकादि श्मषानान्तास्तेषां वे मन्त्रत: क्रिया:।। याज्ञ0 1/20
14. अहिन्सा सतमयस्तेयं शौचमिद्रियनिग्रह: द्याद्धकर्मातिथेयं च दानमस्ते धमार्जवम्। प्रजनं स्वेषु दारेषु तथा चैवान सूयतां। एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्येदब्रवीमनु।।
15. दनामध्ययन यज्ञो ब्राम्हाणास्यत्रिघोदित:। धर्मोनान्यश्चतुर्थोस्ति धर्मस्तस्या पदंविना।। मार्कण्डेय पु0 26/3
16. प्रजानां रक्षणं दानमिन्याअध्ययन मैव च। विश्येश्व् प्रसक्तिश्चसेत्रियस्य समासत:
17. मनु0 1/60
18. मनु0 1/61
19. शान्तिपर्व 186/1-8, वषिष्ठ 2/13-16
20. देय: पिण्डोअपत्याय मर्त्रत्यों वृद्ध दुर्बलो। शान्ति पर्व 60/35
21. ब्रम्हचारी गृहस्थश्य वानप्रस्थो यतिस्तथा। एते गृहस्थ प्रभाव श्चत्वार: पृथगाश्रमा:।। मनु0 6/87
22. मनु0 4/1
23. सर्वेषामपि चैतेयां वेद स्मृति विधानत:। गृहस्थ उच्येत श्रेष्ठ: स: त्रीनेतन्वि भर्तिहि।। मनु0 6/86
24. इष्ट्वा च शक्तितौ यज्ञैर्मनो मोक्षे निवैंश्यैत।। मनु0 6/36

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल का अध्ययन

योगेन्द्र कुमार ठगेले*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाडरवारा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे देश में पर्यटन जहाँ एक ओर स्थानीय स्तर सामाजिक और आर्थिक लाभ का स्त्रोत है और विभिन्न क्षेत्रो में प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर इससे संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कैरियर के अवसर भी उपलब्ध है। वर्तमान समय में पर्यटन अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता हुआ उद्यम व व्यवसाय बन गया है, साथ ही यह मानवीय स्तर पर मनुष्यों के मनोरंजन, आकर्षण व आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का एक सहज माध्यम है। सतत पर्यटन की अवधारणा भी इसमें नये आयाम के रूप में पर्यटन क्षेत्र को विस्तार दे रही है। नरसिंहपुर जिले की प्राकृतिक विविधता यहाँ स्थित विंध्यांचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा नदी का घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, शैलाश्रय गुफायें इत्यादि के आसपास स्थित विभिन्न पर्यटन स्थल राज्य के पर्यटन में अपना विशेष स्थान रखते है। प्राकृतिक स्थलों का सौंदर्य, नदियों का कलकल प्रवाह, हरियाली, उच्चावच क्षेत्र, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण आदि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं।

शब्द कुंजी – पर्यटन, सामाजिक, आर्थिक, स्थानीय, सतत और प्राकृतिक विविधता।

प्रस्तावना – आज पर्यटन उद्योग के सम्मुख विकास के लिय अनेक चुनौतियाँ विद्यमान है आवश्यकता इस बात की है, कि पर्यटन के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाये और प्रदेश तथा देश के सैलानियों को स्वर्ग के रूप में एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करने की पर्यटन क्षेत्र में प्रादेशिक विविधताओं के अनुरूप सतत शोध अनवेषण को बढावा देते हुए जनसामान्य की सहभागिता के साथ पर्यटन विकास क्रम हेतु पोस्टर, बैनर, मॉडल, मॉड्यूल्स, मानचित्र आरेख, पर्यटन से संबंधित स्लोगन व नारे, कार्यशालायें एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाये। पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण एवं प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर पर्यटन विकास के लिये संवर्द्धनात्मक उपायों में दो बातो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रथम उन क्षेत्रो की ओर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, जो अभी तक शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण उपेक्षित रहे है और जहाँ अधोसरंचना विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने की नयी संभावनायें तलाषी जा सकती है।

दूसरे परम्परागत पर्यटकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ उन पर्यटको को आकर्षित करने का प्रयास किया जाये जो साहसिक भ्रमण जैसे-पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग आदि कई कार्यक्रमों की अपेक्षा अभिरूचि के कुछ गिने चुने स्थानों पर आरामदायक भ्रमण की व्यवस्था अधिक उपयोगी होंगी। नरसिंहपुर जिला भी इसका अपवाद नही है। जिले में विद्यमान पर्यटन राज्य में विशेष महत्व रखता है।

नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध दर्शनीय एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिये जाने जाते है। जिले में इतिहास से जुड़ी काफी संरचनायें परिलक्षित होती है। यहाँ पर उपलब्ध पर्यटन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। इतिहास, धर्म एवं कला संस्कृति में रूचि लेने वाले व्यक्तियों के लिये यह महती आवश्यकता वाला क्षेत्र है। माँ नर्मदा का पावन तट जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष महत्व रखता है, जिसके अंतर्गत करेली का बरमान घाट, सांकल घाट, सोकलपुर, ककराघाट आदि स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है। इसके साथ ही जिले में नरसिंहपुर, गोटेगॉव, गाडरवारा, करेली, सांईखेड़ा में स्थित पर्यटन स्थलों का भी पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। यहाँ स्थित जलप्रपात, नदियाँ, वनभूमि, मंदिर और धार्मिक स्थान अपनी गरिमा और गौरव के लिये प्रसिद्ध है तथा पर्यटन आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी नर्मदा है तथा इसके साथ ही शेर, शक्कर, सीतारेवा आदि सहायक नदियाँ भी प्राकृतिक रूप से इसे संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस जिले का महत्व प्रागैतिहासिक काल से ही रहा है। भटेरा नामक स्थल से प्राप्त अवशेष इसके आदिकाल से संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करते है। बरहटा नामक स्थल से पाण्डवों द्वारा अज्ञातवास का समय व्यतीत करने की जानकारी मिलती है। बिल्थारी को प्राचीन बलि स्थली कहा जाता है, जहाँ राजा बलि ने वामन भगवान को अपना संपूर्ण राज्य दक्षिणा में देकर अपने शरीर का अर्पण कर दिया था। इस प्रकार यहाँ स्थित हिंदु धार्मिक स्थल इस भू-भाग के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का वर्णन करते है। नर्मदा घाटी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह जिला अत्यंत रमणीय, धार्मिक, शांत वातावरण व मन को प्रफुल्लित करने वाला है, जहाँ, प्रेम, सद्भाव, परस्पर सहयोग की प्रधानता रही है। मध्यप्रदेश का नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। गन्ना बाहुल्य जिला होने के कारण क्षेत्र विशेष में कई शुगर मिल फैक्ट्री विद्यमान हैं साथ ही यहाँ पर उत्पादित की जाने वाली तुंअर दाल का देश के विभिन्न राज्यों में निर्यात किया जाता है। नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का एक भाग है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय नरसिंहपुर शहर में विद्यमान है।

विश्लेषण– नरसिंहपुर जिला माँ नर्मदा के पावन तट पर बसा प्राकृतिक

सुंदरता से संपन्न क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध स्थल विद्यमान है। पाषाण काल से लेकर पौराणिक, सातवाहन, गोंडवंश, भौंसले (मराठा शासन), स्वतंत्रता संग्राम व कांग्रेस आंदोलन से संबधित महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा है और क्षेत्र विशेष में इसकी ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जनसामान्य की विशेष आस्था रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस भू-भाग में प्राकृतिक विभिन्नता लिये पर्वतीय श्रृंखलायें, नदी घाटी क्षेत्र, मैदानी भाग, जलप्रपात, नदियाँ, झील, जलाशय और जलधारायें है। जिले के ऊँचाई से गिरते जल प्रपातों का दृष्य अत्यंत ही मनोरम है। जिले में स्थित धरातलीय, पर्वतीय, नदी घाटी प्रदेश एवं मैदानी भाग पर्यटकों के लिये आकर्षण के प्राकृतिक भू-दृष्य हैं। यहाँ स्थित पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की कलकल करती जलधारायें अनायास ही पर्यटकों के मनमोह लेती हैं। यहाँ हरी-भरी हरियाली, जंगल क्षेत्र, पेड़-पौधों व वनस्पतियों का सुंदर नजारा देखने में काफी अच्छा लगता है। नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक स्वरूप से आकर्षित करने वाले स्थानों की जानकारी निम्नानुसार है:-

रानी दहार झील- रानी दहार (दहाड़) गाडरवारा से 27 कि.मी. दूर सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ प्राचीन मंदिर एवं झील प्रमुख आकर्षण केन्द्र है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। सतपुड़ा के मध्य भाग से पर्वत का सीना चीरते हुए ऊमर नदी आकर इस झील का निर्माण करती है। यहाँ नदी में स्थित कुंड को ही रानी दहार कहा जाता है, जहाँ रानी नदी में समा गई थी। विशाल जलराशि के किनारे स्थित शिव मंदिर तथा आश्रम प्राचीन ऋषियों के तपोवन की स्मृति साकार करता है, जिसे ब्रम्हलीन स्वामी आत्मानंद जी द्वारा अपनी एकांत साधना के लिये चुना था। रानी दहार के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही यहाँ क्षेत्रीय इतिहास की कड़ी के रूप में पहाड़ी पर गोंड राजाओं के राजमहल के अवशेष है, जिनमें से ही एक गोंडरानी के संबंध में प्रचलित किवदंती के अनुसार नदी जल के उद्गम की खोज में नदी पर रस्सी बांधने व उसके टूटने से रानी के नदी में गिरने से यह स्थल रानीदहार के नाम से प्रचलित हो गया। यहाँ बारिश के समय आसपास की हरियाली, नदी का प्रवाह, शांत स्थल इसे पर्यटन के रूप में उत्तम स्थल बनाता है, जहाँ झील में जल की अधिकता होने से पर्यटकों द्वारा यहाँ स्नान करने का आनंद भी लिया जाता है। पहुँच मार्ग की दुर्गमता के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित रहती है, जहाँ पहुँचने के लिये लोगो को स्वयं के वाहन का सहारा लेना पड़ता है।

छोटा जबलपुर (गोटीटोरिया)- गाडरवारा से लगभग 23 कि.मी. दूर वनांचल ग्राम मोहपानी गोटीटोरिया के नजदीक स्थित छोटा जबलपुर अपनी ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष में एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत की आकर्षक वादियों और सीतारेवा नदी तट पर स्थित यह स्थल ब्रिटिष काल में अपनी कोयला खानों के लिये प्रसिद्ध था, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पर्यटक यहाँ अपने परिवारों के साथ पहुँचकर सुंदर चट्टानों, नदी, लहलहाते वृक्षों एवं झर-झर करते झरनों का आनंद उठाते है और प्रकृति की गोद में सुकून के पलों की अनुभूति करते है। यहाँ पर आने का समय नवम्बर से जनवरी माह के बीच सबसे उत्तम होता है। वन विभाग व स्थानीय ग्राम वन समिति के द्वारा इसे ईको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहाँ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच साहसिक व मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ईको टूरिज्म, जिप लाइन, डिजिटल शो, फारेस्ट ट्रैकिंग, वाल क्लाइम्बिंग आदि को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

झोतेष्वर मंदिर गोटेगॉव- नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम (गोटेगॉव) रेलवे स्टेषन से 15 कि.मी. दूर हरियाली से आच्छादित प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित झोतेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्रकृति की गोद में माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हेतु श्रृद्धालु दूर-दूर से आते है और प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव करते है। यह प्रसिद्ध स्थल जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की तपोभूमि भी है। यहाँ स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में जगदगुरू शंकराचार्य जी ने 'विचारशिला' नामक स्थान पर बैठकर कठोर तप किया था। आश्रम में ही एक जल कुण्ड बना हुआ है, जहाँ लगातार पानी बहता है। प्राकृतिक परिदृष्यों के बीच स्थित यह धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वे यहाँ आकर शांति का अनुभव करते है।

नीलकुंड धाम (सोकलपुर)- गाडरवारा से लगभग 21 कि.मी. दूर नर्मदा तट पर स्थित मनोरम प्राकृतिक स्थल है, जहाँ गाडरवारा से पलोहाबड़ा होते हुए पहुँचा जा सकता है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही शक्कर नदी नर्मदा में आकर मिलती है, और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिकआकर्षक बना देती है। माँ नर्मदा का पावन तट, प्राकृतिक हरियाली से समृद्ध वातावरण और शांत स्थल इस स्थल के प्रति पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि करती है। नीलकुंड धाम में श्री नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर एवं माँ रेवा श्री आश्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण केन्द्र के रूप में स्थित है, साथ ही यह संतो की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ संत परम्परा के लोग प्राकृतिक आध्यात्मिक वातावरण के बीच योग व ध्यान साधना में लीन रहते थे। इस स्थल तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम अवश्य है, लेकिन मार्ग के बीचका प्राकृतिक सौंदर्य, ऊँची-नीची घाटियां, पहाड़ियाँ व ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा नीलकुंड पहुँचने पर वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक परिदृष्य पर्यटकों की सारी थकान दूर कर देता है और उन्हें सुखद अनुभूति प्राप्ति होती है। ठंड के दिनो में यहाँ पर घूमने हेतु जाना सर्वोत्तम पर्यटन गंतव्य हो सकता है।

टोनघाट (छोटा धुंआधार)- नरसिंहपुर गोटेगॉव मार्ग पर बेलखेड़ी से लगभग 12 कि.मी. दूर शेर (शेढ़) नदी तट पर स्थित टोनघाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रमणीक स्थल है, जहाँ चट्टानों एवं विशाल पत्थरों के बीच से बहती नदी की कलकल धारा, हरियाली से आच्छादित क्षेत्र, शांत वातावरण एवं सुंदर जलप्रपात यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर ऊँचाई से गिरकर शेर नदी की धार का नजारा दुग्ध धारा जैसा सफेद प्रतीत होता है, इसलिये इसे छोटा धुंआधार के नाम से जाना जाता है। इस स्थल के बारे में प्रचलित मान्यतानुसार पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था, साथ ही राजा विराट की नगरी होने के कारण कालांतर में इस गॉव का नाम बरहटा हो गया। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान काफी महत्व रखता है, जहाँ आने के बाद पर्यटकों को सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है।

हाथीनाला जलप्रपात -नरसिंहपुर से लगभग 47 कि.मी. की दूरी पर भोपाल-जबलपुर राजमार्ग में केरपानी सरसला से होते हुए रिछई गॉव

(बिल्धागॉव) के पास स्थित प्राकृतिक वातावरण से समृद्ध जलप्रपात व पर्यटन स्थल है। नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले इस स्थल में ऊँची पहाड़ियों से नीचे गिरता झरना बारिश के मौसम में और भी मनोरम व सुंदर हो जाता है। यहाँ पानी का झरना चट्टानी सीढ़ियों की श्रृंखला से खूबसूरती से बहता है, जहाँ पानी की आवाज और झरने के आसपास का धुंधभरा वातावरण एक सुखद माहौल निर्मित करता है। झरने के आसपास चारों ओर हरियाली से समृद्ध वनस्पति इसे जैव विविधता के लिये उपर्युक्त स्थान बनाती है। युवाओं के बीच यह झरना विशेष लोकप्रिय हो रहा है। हरे-भरे पेड़ पौधों का आच्छादन और सुरम्य परिदृष्यों के बीच स्थित यह झरना एक छिपा हुआ रत्न है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिये एक शांत और ताजा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने का उत्तम समय जुलाई से सितम्बर के बीच में है, जब मानसून में होने वाली वर्षा इस जलप्रपात के सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाती है साथ ही यहाँ का राजसी सुंदरता वाला वातावरण प्राकृतिक दृष्यों को निहारने के साथ ही कई साहसिक गतिविधियों जैसे- माउंटेन ट्रैकिंग व लंबी पैदल यात्रा के शौकीन लोगो के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

जल प्रपातो पर आधारित पर्यटन केन्द्र- जिले से प्रवाहित होने वाली सरितायें प्रपात रेखा का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ से बहने वाली नदियाँ पठारी भाग से जैसे ही उत्तर के वृहद प्रदेशों में प्रवेश करती है यहाँ अनुपम सुरम्य जलप्रपातों की रचना करती है। यहाँ स्थित वनस्थली, पर्वत श्रृंखला एवं जलप्रपातों के अनुपम सौंदर्य जगह-जगह पर सुषोभित हो रहे है। इन सुरम्य जलप्रपातों की पहचान राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नही हो पाई है फिर भी बड़ी संख्या में स्थानीय पर्यटक इन प्रपातों का आनंद लेने आते है। अधिकांश जलप्रपात वर्षा के दिनों में देखने योग्य होते है। यहाँ नरसिंहपुर जिले में विशेषकर नदी घाटों व पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जल प्रपातों का सौंदर्य इसके कोने-कोने को सुषोभित कर रहा है और प्रकृति रूपी सुषमा किलोले कर रही है। जिले के जल प्रपातों के सम्मुख प्रकृति नदी उमंग के साथ नर्तन कर रही है और नरसिंहपुर जिले के गौरव को बढ़ा रही है। प्राकृतिक दृष्यों के दर्शनार्थ प्रदेश के अलग-अलग हिस्से से आने वाले लोग इसकी गोद में आकर नतमत्सक हो जाते है।

प्रकृति प्रदत्त अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए नरसिंहपुर जिला संबंधित महाकौशल अंचल का एक आदर्श पर्यटन स्थल होना चाहिये था किंतु ऐसा नही हो सका, जिसके लिये कई कारक उत्तरदायी रहे है। यह जिला अपने आंचल में कई पर्यावरणीय भिन्नताओं को समेटे हुए है, जो दृष्य सौंदर्य स्थल के रूप में पर्यटन केन्द्रों को जन्म देते है। यहाँ घने वन व गगनचुंबी पर्वतों की उपत्यका में कही समतल भूमि है, तो कहीं ऊँची-नीची टीलेदार धरती, जिनके बीच में प्रवाहित होती सरिताओं के साथ कल-कल करते झरने सहज ही मन मोहित करते है। यह जिला सैलानियों के लिये आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है, जिसकी अपनी नैसर्गिक छटा, अद्वितीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें पर्यटन में वृद्धि करते हुए इसे विशेष स्थान प्रदान करती है।

नरसिंहपुर जिले को प्रकृति का वरदान प्राप्त है, क्योंकि यह भू-भाग चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है तथा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता जिसमें नदी, पर्वत, झरने, झील, वन आदि को देखकर पर्यटन यहाँ खिचे चले आते है और सुखद अनुभूति प्राप्त करते है। जिले के इन स्थलों पर वर्ष भर पर्यटकों का आवगमन बना रहता है, जिससे जिले को काफी आय की भी प्राप्ति होती है।

निष्कर्ष- निष्कर्षतः नरसिंहपुर जिले के प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और शांत वातावरण के लिये प्रसिद्ध है। इन स्थलों का विकास और संरक्षण जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधाओं के साथ, नरसिंहपुर जिले का प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र भविष्य में और समृद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, डॉ. सुमन्त (2005-06)-मध्यप्रदेश का पारिस्थतिकी पर्यटन, यू.जी.सी. प्रोजेक्ट।
2. नेमी, डॉ. जगमोहन (2010)- पर्यटन मार्केटिंग में विकास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव, डॉ. संदीप (2011)- मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में अनुप्रयोग, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली।
4. गौतम, श्री राकेश एवं भदौरिया, श्री जितेन्द्र सिंह (2013)-मध्यप्रदेश एक परिचय, टाटा मैक्ग्रा हिल एजूकेशन इंडिया लिमिटेड़ नई दिल्ली।
5. अहमदशाह, श्री रफीक (1999)- 'प्रयास' एक मानवीय एहसास, कंदेली फोरम, नरसिंहपुर।
6. गुप्ता, श्री कंछेदीलाल (2003)- जिला नरसिंहपुर गौरवमयी अतीत एवं गरिमामय वर्तमान, शारदा प्रकाशन।
7. राय, श्री चंद्रभानु (2001) - 'नरसिंह नयन' कर्मवीर द्वारा पुनर् प्रकाशन।
8. नरसिंहपुर जिला गजेटियर (1972)
9. https://narsinghpur.nic.in/ पर्यटन स्थल/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राकेश कुमार दिलावरे*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं प्राय: परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने और अन्य आवश्यक कार्यो में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही साथ धन कमाने वाले कार्यो में भी परिवार का सहयोग करती हैं, जिससे परिवार आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाए कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, वह अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बॉस का सामान बनाना, मिट्टी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।

प्रस्तावना – ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती हैं, और कृषि कार्यो में पुरूषो के समान महिलाओं की भी बराबर की भागेदारी होती हैं। अधिकांश कृषि कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महिलाएं बड़ी आसानी से कर पाती हैं। ग्रामीण परिवारों में पुरूष, कृषि से ज्यादा बाहरी कार्य करते हैं, जिससे परिवार के रोजाना के खर्चे चलते हैं, और महिलाएं घर का कार्य करने के बाद, खेत चली हैं एवं खेती के कार्य करती हैं। ग्रामीण परिवार जो कृषि कार्य नहीं करते हैं उनके परिवार की महिलाए ग्रामीण स्तर पर चलने वाले कुटीर उद्योग जैसे– पापड़ बनाना, बॉस का सामान बनाना, मिटटी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होती हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं का अहम रोल हैं, घर के कार्यो से लेकर, कृषि कार्य, डेरी उद्योग, रेशम उद्योग, मुर्गी फार्मिंग, मत्स्य उद्योग, बागवानी, वेजिटेबल फार्मिंग, नर्सरी फार्मिंग,लघु एवं कुटीर,सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका सशक्तिकरण, समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान दे सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान–ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं, बल्कि घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल भी करती हैं। ग्रामीण महिलाएं अक्सर परिवार के लिए भोजन और पानी जुटाने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा अन्य आवश्यक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे आवश्यक कार्य निम्नवत है–

1. **कृषि –** ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन, और बागवानी जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फसलों की बुवाई, कटाई, और सिंचाई जैसे कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं।
2. **छोटे व्यवसाय –** कई ग्रामीण महिलाएं छोटे व्यवसायों जैसे कि हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, और खाद्य प्रसंस्करण में भी काम करती हैं।
3. **गैर-कृषि कार्य –** महिलाएं गैर-कृषि कार्यों जैसे कि निर्माण, परिवहन, और पर्यटन में भी काम करती हैं।
4. **घरेलू देखभाल –** ग्रामीण महिलाएं अपने परिवारों के लिए भोजन, पानी, और ईंधन की व्यवस्था करने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने, और घर चलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
5. **समुदाय –** ग्रामीण महिलाएं सामुदायिक विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम करना।
6. **पशुपालन–** ग्रामीण महिलाएं अक्सर पशुधन की देखभाल करती हैं, जैसे कि गाय, बकरी, और मुर्गी। वे दूध, अंडे, और अन्य पशुधन उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जो उनके घरों और समुदायों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के भूमिका को जानना।
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें महिलाओं के कार्य क्षेत्र को जानना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि – ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जिसमेंग्रामीण अंचल से जुडे सभी काम-काज एवं व्यवसाय शामिल है, जो गाँवो में रहने वाले लोगों के रोजगार के साधन होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ लोग खेती करते है, कुछ मजदूरी तो कुछ छोटे व्यापारी होते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए व्यापार व व्यवसाय करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि के आसपास घुमती रहती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो व्यवसायी वर्ग जुडा है, वह गाँवों को शहरो से जोड़ते हैं एवं ग्रामीणों की समस्त अवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध करवाते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाँवो से जुडी समस्त आर्थिक क्रियाओं को दर्शाती हैं इसमे रोजगार के साथ-साथ वे समस्त गतिविधियां शामिल होती हैं जो रोजगार एवं व्यापार व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग छोटे-छोटे रोजगारो एवं कृषि कार्यो से जुडे होते हैं, यदि उनको वर्ष भर कार्य न मिले तो उन्हे अपनी अजीविका चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याए - ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और सामाजिक भेदभाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सम्मुख मुख्य रूप से निम्न लिखित समस्यायें आती हैं-

1. **गरीबी-**ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण महिलाओं को आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, और वे पिछड़ती चली जाती है, बच्चें और परिवार अच्छी सुविधाओं से वंचित रह जाते है।
2. **शिक्षा की कमी-**ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच कम है, और महिलाओं को कई समाजो में पढ़ाया भी नहीं जाता है, जिसके कारण महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है।
3. **स्वास्थ्य सेवाओं की कमी-**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके कारण महिलाओं को उचित चिकित्सा देखभाल और प्रसूति सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
4. **सामाजिक भेदभाव-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, और सम्मान के नाम पर हत्याएं।
5. **घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान होता है।
6. **कार्यस्थल पर उत्पीड़न-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होती है।
7. **वित्तीय बहिष्कार-**ग्रामीण महिलाओं को अक्सर वित्तीय संस्थानों और सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में बाधा आती है।
8. **सीमित सामाजिक गतिशीलता-**ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने और निर्णय लेने में सीमित अवसर मिलते हैं।
9. **कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव-**ग्रामीण महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होती हैं।

समस्याओं का समाधान-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को होने वाली समस्याओं के समाधान निम्न प्रकार है:

1. महिलाओं को गरीबी से निकालने के लिए, उन्हे लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना होगा ताकि उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर मिल सके।
2. शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए बराबर का हक मिलना चाहिए, ताकि महिलाए शिक्षित होकर रोजगार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके।
3. पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को स्वास्थय सम्बन्धी समस्याए अधिक होती हैं, अत: महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी स्वस्थ शरीर के साथ, परिवार को रोजगार के क्षेत्र में सहयोग कर सकें।
4. सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला सशक्तिकरणके क्षेत्र में शासन एवं गैर सरकारी संगठनों के तेजी से काम करने की अवश्यकता है, ताकि ग्रामीण स्तर तक सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
5. महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस थाने, गैर सरकारी संगठन एवं और भी शासकीय महिला उत्पीड़न निवारण संस्थान हैजिसमें जाकर महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।
6. कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक प्रमुख समस्या है, जिसके चलते कई महिलाए अपना काम छोड़ देती हैं, शासन के द्वारा शासकीय एवं निजी संस्थानों में महिला उत्पीड़न केन्द्र बनाये गये हैं, महिला वहां अपनी शिकायत दर्ज कर, समस्या का समाधान कर सकती है।

निष्कर्ष-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम रोल हैं, घर के कार्यो से लेकर, कृषि कार्य, लघु एवं कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रो में महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। ग्रामीण स्तर की महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने के लिए पुरूषों के साथ मिलकर आर्थिक रूप से सहयोग करती है। ग्रामीण महिलाओं का रोल कृषि क्षेत्र के विकास में सराहनीय है, इनके सहयोग के कारण ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है, जो महिलाए कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, वह, अपने घर पर ही पापड़ बनाना, बाँस का सामान बनाना, मिटटी का सामान बनाना आदि कार्यो में संलग्न होकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं की भूमिका जिन भी राज्यों में अच्छी हैं, वह राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होते जा रहे है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ रहा हैं और वह अच्छा कार्य कर परिवार को सहयोग कर रही है, और साथ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने मे सफल सहयोग प्रदान कर रही है।

संदर्भ एवं ग्रथ सूची :-

1. कुमार.विनोद,'भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार: समस्या एवं समाधान', श्रंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका(2018) वॉल-5.अंक-11.पेज 104-109.
2. कुमार.योगेश,'ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से बदलता परिवेश', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 3-8.
3. डॉ. मोदी. अनिता. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 28-32.
4. दुबे.वेद प्रकाश एवं चतुर्वेदी. प्रो. एस.एन. 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रेशम उद्योग की सहभागिता', कुरुक्षेत्र पत्रिका(2009) अंक-12,पेज. 24-27.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में डिजिटल इंडिया की अवधारणा एवं इसके प्रभाव

डॉ. पुष्पा नागर* श्रीमती रंजना शक्तावत**

* वरिष्ठ व्याख्याता, एम. ओ. एम. महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत
** वरिष्ठ व्याख्याता, महात्मा ज्योतिराव फूले शा. पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत एक ऐसा देश है जो 'विकसित भारत विजन' के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। एक वैश्विक नेता की कल्पना को साकार करने के लिए नवाचार एवं आधुनिक तकनीकें कारगार सिद्ध हो सकती है। भारतीय अंतरर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) द्वारा जारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। देश की यह मंशा है कि वह तकनीकी प्रगति में विश्व मंच पर सबसे आगे रहे है। इस हेतु समावेशी विकास, नवाचार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देकर ही नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को महाशक्ति में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने 2015 में एक ऐसी पहल की है जिसके द्वारा भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था एवं सशक्त समाज बनाया जा सके और इस पहल का नाम डिजिटल इंडिया रखा गया। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया जा रहा है।

जब देश में 2015 में नोटबंदी की गयी तो उस समय इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भुगतान प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया था जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ही एक रूप माना जा सकता है, जिसमें जनता द्वारा किये गये अधिकांश भुगतान केशलेस होने लगे। इसी के चलते 2019 के कोरोना काल के समय भी जब लोगो को बाहर आने-जाने पर रोक लगी थी तब भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से ही जनता द्वारा अधिकांश भुगतान एवं कार्य किये गये।

शब्द कुंजी – डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रानिक सेवाऐं, अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, सशक्तिकरण।

उद्देश्य – डिजिटल इंडिया की स्थापना समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुये इलेक्ट्रानिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नौ स्तभों को शामिल किया गया है। इस पहल को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नाम प्रदान किया गया है जो विभिन्न चरणों के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता तक सरकारी सेवाऐं इलेक्ट्रानिक रूप से मिलती रहे। यह कार्यक्रम सरकार के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों को शामिल किया गया है-

1. **नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य IT के द्वारा नई पीढ़ी को रोजगार के लिए नवाचार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बनाये रखना है।
3. **बुनियादी ढ़ाँचे को बढ़ावा-** इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढ़ॉचे को अधिक विकसित करना है।
4. **ई-गर्वनेस-** इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को इलेक्ट्रानिक सेवाओं के माध्यम से अधिक आसान बनाना है।
5. **ई-पंचायत-** इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यो का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाना है। यह ई- गर्वनेस के तहत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।
6. **ई-ग्रंथालय-** इसका उद्देश्य लाइब्ररी के कार्यों का संचालन एवं आर्नलाइन सदस्यता डिजिटल माध्यम से किया जाना है।

डिजिटल इंडिया की पहल

1. **ई-पाठशाला-** इसमें सभी शैक्षिक ई-संसाधनों जैसे- पाठयक्रम, ऑडियों, वीडियों, पत्र-पत्रिकाओं विभिन्न मुद्रित एवं गैर-मुद्रित सामग्रियों को NCRT द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदर्शित एवं प्रसारित किया जा रहा है।
2. **ई-अस्पताल-** यह एक ऐसी पहल है जिसमें अस्पताल, डॉक्टर, और मरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़ना है। जिसमें लगभग 420 अस्पताल इस अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके है।
3. **डिजिलाकर्स-** इसमें आम जनता का सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है जिसके अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप में प्रमाणित कर रखा जा सकता है।
4. **भीम ऐप-** आम जनता इसका उपयोग कर भुगतान का आसान बनाता है जिसमें जनता UPI का प्रयोग करके कहीं भी किसी भी समय भुगतान कर सकता है।

परिकल्पना:

1. डिजिटलीकरण, विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
2. डिजिटलीकरण से देश की आय में वृद्धि हो रही है।

डिजिटल इंडिया का महत्व – भारत को वैश्विक नेता बनने के लिए शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती

ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया एक ऐसी परिवर्तनकारी पहल है, जो देश को डिजिटल रूप में एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1. **स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक-** इससे विभिन्न चिकित्सालयों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसमें मरीज, डॉक्टर और चिकित्सालयों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जैसे-ABHA इसमें विभिन्न मोबाइल एप्स से व्यक्ति अपने प्राइमरी चेकअप भी कर सकता है।

2. **शिक्षा में सहायक-** इससे देश के विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किये गये है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कारोनाकाल के समय ऑनलाइन क्लासेस ने विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य दूरियों को कम कर दिया है।

3. **बैंकिंग में सहायक-** इससे विभिन्न बैंकों ने कागजी कार्यवाही को कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को विभिन्न मोबाइल एप्स से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें ग्राहक बैंक से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त कर रहा है।

4. **कृषि में सहायक-** हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है जिससे अधिकांश लोग का जीविकापार्जन का साधन कृषि है। इससे कृषि संबंधित जानकारियों को डिजिटलीकरण से कृषि कार्य आसान हो गया है।

5. **नवाचार में सहायक-** इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसमें नागरिकों के विचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। जिससे वे स्वयं का रोजगार कर सके और देश के बेरोजगारी को कम कर सके।

6. **रोजगार में सहायक-** इससे आम नागरिकों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इससे IT को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। इसका उपयोग कर नागरिक देश के किसी भी कोने की रोजगार संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकता है एवं देश-विदेश में रोजगार के अवसर मिल रहे है। इसके अंतर्गत वर्क फ्राम होम को बढ़ावा भी मिल रहा है जिससे भारत का व्यक्ति भारत में रहकर ही विदेशों में नौकरी कर रहा है।

7. **व्यवसाय में सहायक-** इससे व्यापारी वर्ग व्यापार को विकसित कर बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। इसमें व्यापारी अपने व्यापार को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। व्यापारी द्वारा विभिन्न वेबसाइट बनाकर उस पर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रचार-प्रसार कर क्रय-विक्रय कर रहा है।

8. **सरकारी सेवाओं में सहायक-** इससे सरकारी कामकाज आसानी से किया जा रहा है। इससे कागजी कार्यवाही को कम किया गया है। इसमें विभिन्न मोबाइल एप्स जैसे-UMANG, SARTHAK, E-OFFICE, KARMYOGI & MY GOVT. से सरकारी सेवकों का रिकार्ड डिजिटल रूप में रखा जा रहा है।

9. **साइबर अपराध के नियंत्रण में सहायक-** इससे डिजिटल अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10. **ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक-** इससे शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी डिजिटलीकरण से ग्रामीण भी डिजिटल सेवाओं का लाभ ले रहे है।

11. **जीवन स्तर सुधार में सहायक-** इससे नागरिक विभिन्न डिजिटल सुविधाओं का प्रयोग उनका जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

12. **ऑनलाइन सेवाओं में सहायक-** इससे आम नागरिक ऑनलाइन सेवाओं से बस टिकिट, रेल्वे टिकिट, एयर टिकिट, होटल एवं अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है।

पुष्टि:

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के विकास में सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका प्रदान की है। शहरों से लेकर गाँवों तक, कृषि से लेकर व्यवसाय तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, बैंकिंग से लेकर साइबर सुरक्षा तक तथा नवाचार से लेकर सरकारी सेवाओं तक सभी ने विकास में योगदान प्रदान किया है।

2. देश में डिजिटलीकरण से समावेशी विकास में नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देने से व्यवसाय, कृषि एवं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है जिससे देश की आय में भी वृद्धि होना निश्चित है।

उपसंहार - भारत ने वर्ष 2025 तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से कई क्रांतिकारी परिवर्तन किये है। देश के विकास में जो परिवर्तन आये है, उसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने विकसित भारत की आधारशिला रखी है, लेकिन ग्रामीण डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, जैसी चुनौतियाँ का सामना भी किया है। फिर भी देखा जाये तो इसने आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया है। और देश को आधुनिक ज्ञान एवं सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक ऐसा कदम है जो देश के विकास और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अजय कुमार : डिजिटल इंडिया
2. अनुराग चंद्रा : डिजिटल इंडिया 2047
3. हार्ड कवर : डिजिटल इंडिया गवर्नेंस ट्रांसफॉरमेशन
4. पेपर बेक : इंडिया डिजिटल ईकोनॉमी, ग्रोथ चेलेंज एवं फ्युचर प्रोस्पेक्टस
5. www.digitalindia.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

स्वच्छ इंदौर अभियान - प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से अध्ययन

डॉ. दीपा जोशी*

*प्रोफेसर (प्रबंधन) (पीजी) श्री वैष्णव प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - इंदौर ने लगातार आठवीं बार विजेता भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह शोधपत्र स्वच्छ इंदौर अभियान की सफलता को हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों की दृष्टि से विश्लेषित है। अध्ययन यह दर्शाता है कि शहरी स्वच्छता केवल सामाजिक उत्तरदायित्व या प्रशासनिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक संगठित और रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन आदेश की श्रृंखला ,कार्य की एकता, दिशा की एकता , केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, पहल जैसे सिद्धांतों की व्यावहारिक उपस्थिति देखी जा सकती है।

शोध में द्वितीयक आंकड़ों, सरकारी दस्तावेजों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्टों एवं इंदौर नगर निगम की केस स्टडी के माध्यम से यह विवेचना की गई है कि किस प्रकार इंदौर आठवीं बार में योजना निर्माण, नागरिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नीतिगत क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से फेयोल के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया गया।

यह शोध स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी प्रशासन को प्रबंधन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से समझने और लागू करने की एक अभिनव पहल है, जो नीति-निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और शैक्षणिक शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

शब्द कुंजी - इंदौर, स्वच्छ भारत, प्रबंधन सिद्धांत, हेनरी फेयोल, शहरी प्रशासन, नागरिक भागीदारी, कचरा प्रबंधन, नगर निगम, प्रशासनिक रणनीति, तकनीकी नवाचार, नेतृत्व शैली, संगठनात्मक दक्षता।

प्रस्तावना - स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक जनांदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता की संस्कृति को स्थापित करना था। इस राष्ट्रव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ जल व पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करना रहा है।

इस अभियान के तहत लगातार आठवीं बार विजेता इंदौर शहर ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इंदौर ने लगातार कई वर्षों तक स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यह सफलता केवल सफाई कर्मियों या नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक समग्र और प्रबंधित दृष्टिकोण का परिणाम रही है, जिसमें नगरपालिका, नागरिकों, टेक्नोलॉजी और नीति निर्माताओं के बीच कुशल समन्वय स्थापित किया गया।

इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि इंदौर की इस सफलता के पीछे कौन-से प्रबंधन सिद्धांत कार्य कर रहे हैं और कैसे भ्मदतप थ्लवस के 14 प्रबंधन सिद्धांत इस तरह की नागरिक पहलों में लागू किए जा सकते हैं। अक्सर शहरी स्वच्छता अभियानों को सामाजिक या प्रशासनिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तविकता में यह एक जटिल प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय और नियंत्रण की गहरी भूमिका होती है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाकर नागरिक पहलों को कैसे अधिक प्रभावी, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। इंदौर का केस अध्ययन इस बात का उदाहरण है कि यदि क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांतों को धरातल पर उतारा जाए, तो शहरी प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह शोध अन्य शहरों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है, जहाँ शहरी विकास और प्रबंधन सिद्धांतों का एकीकृत उपयोग किया जा सके।

साहित्य समीक्षा

Fayol, H. (1949) *General and Industrial Management,*शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत, 14 सार्वभौमिक प्रबंधन सिद्धांतों की व्याख्या की गई इंदौर की रणनीतियों को फेयोल के सिद्धांतों से जोड़ने का आधार

Koontz & O'Donnell (1972) *Principles of Management,*प्रबंधन चिंतन का विकास, फेयोल के सिद्धांतों की आधुनिकता में पुष्टि, क्लासिकल सिद्धांतों की आज के प्रशासन में उपयोगिता को दर्शाता है

Wren & Bedeian (2009) *The Evolution of Management Thought,*प्रबंधन इतिहास फेयोल का कार्य प्रबंधन शिक्षा में आधारभूत, पारंपरिक सिद्धांतों को नगर प्रशासन से जोड़ने का आधार

Pierre & Peters (2000) *Governance, Politics and the State*, शहरी प्रशासन,उत्तरदायित्व, भागीदारी और पारदर्शिता पर बलइंदौर की नीति व नागरिक सहभागिता को शासन सिद्धांतों से जोड़ता है

Mathur, O. P. (2013) *Municipal Finance and Governance in India*,नगर निकायों का प्रदर्शन,संस्थागत कमजोरियों के कारण प्रशासन

में बाधाएँ,प्रबंधन आधारित ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है

Sivaramakrishnan, K. C. (2016) *Revitalizing Urban Governance in India*, भारतीय नगर सुधार,विकेंद्रीकरण एवं नागरिक सहभागिता पर बल, इंदौर के तलों से जुड़े मॉडल को समर्थन देता है

Sood, A. (2019) *Citizen Participation and City Branding*, नागरिक भागीदारी,नागरिक सहभागिता से नगर की छवि और प्रदर्शन बेहतर होता है, फेयोल के 'Initiative' और 'Unity of Direction' सिद्धांतों से जुड़ाव

Dasgupta & Kapoor (2021)*S mart Cities and Behavioral Change*,व्यवहारिक बदलाव द्वारा शहरी परिवर्तन,व्यवहारिक परिवर्तन व तकनीक से सुधार संभव,इंदौर के प्रेरक अभियानों का विश्लेषण फेयोल सिद्धांतों से

UN-Habitat (2016) *Urbanization and Development: Emerging Futures*,शहरी विकास और नियोजन,नीति, जन और योजना का समन्वय आवश्यक,इंदौर के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करता है

World Bank (2018) *What Makes a Clean City?*नगर स्वच्छता की श्रेष्ठ प्रथाएँ, नीति, नियोजन और भागीदारी महत्वपूर्ण,इंदौर के प्रदर्शन को वैश्विक मानदंडों से जोड़ता है

अध्ययन के उद्देश्य:

1. इंदौर स्वच्छता अभियान की लगातार आठवीं बार सफलता का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करना।
2. शहरी स्वच्छता में संगठित योजना, अधिकार वितरण एवं समन्वय की भूमिका का अध्ययन करना।
3. यह पहचानना कि इंदौर नगर निगम ने किन प्रबंधकीय उपायों को अपनाया जिससे उसे लगातार स्वच्छता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
4. यह मूल्यांकन करना कि नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक अनुशासन किस प्रकार से शहरी परिणामों को बेहतर बनाते हैं।
5. अन्य भारतीय शहरों के लिए एक प्रबंधन आधारित दोहराने योग्य मॉडल प्रस्तुत करना जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन सुधार में सहायक हो।

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान पद्धति (गुणात्मक केस स्टडी आधारित)

↓

1. अनुसंधान डिजाइन

● गुणात्मक एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण

● एकल केस स्टडी (इंदौर नगर निगम पर केंद्रित)

↓

2. डेटा संग्रहण

● द्वितीयक स्रोतों पर आधारितरू

● सरकारी रिपोर्टें (स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण)

● इंदौर नगर निगम (IMC) की रिपोर्टें व दस्तावेज

● समाचार लेख, शोधपत्र, शैक्षणिक संसाधन

● आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केस स्टडी

↓

3. डेटा विश्लेषण

● सामग्री विश्लेषण

● IMC की रणनीतियों का फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों से मिलानरू

● अनुशासन, आदेश की श्रृंखला, कार्य की एकता, आदेश की एकता, पहल आदि

↓

4. अध्ययन की सीमाएँ

● अध्ययन इंदौर तक सीमित कृ संदर्भ-विशिष्ट निष्कर्ष

● परंतु मॉडल अन्य नगरों द्वारा अनुकूलन हेतु उपयुक्त

● दोहराया जा सकने योग्य व व्यावहारिक ढाँचा प्रदान करता है

↓

निष्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ना

फेयोल के प्रबंधन सिद्धांतों और इंदौर स्वच्छता मॉडल का मिलान

फेयोल का सिद्धांत	**इंदौर स्वच्छता अभियान में अनुप्रयोग**
1. कार्य का विभाजन	कचरा छंटाई और निस्तारण के लिए विभागवार योजना
2. अधिकार और उत्तरदायित्व	जोनल अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार और दायित्व प्रदान करना
3. अनुशासन	नियमित निगरानी, जुर्माने, और नागरिक रिपोर्टिंग की प्रणाली
4. आदेश की एकता	सफाई प्रबंधन में एकल रिपोर्टिंग चौनल
5. दिशा की एकता	एक समान लक्ष्य -'स्वच्छ इंदौर'
6. व्यक्तिगत हितों का अधीनस्थीकरण	सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करना, नागरिकों की व्यक्तिगत अनिच्छा से ऊपर
7. पारिश्रमिक	सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना
8. केंद्रीकरण	नगर निगम द्वारा केंद्रीकृत योजना और वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन
9. स्केलर श्रृंखला	नगर निगम (IMC) में स्पष्ट संप्रेषण श्रेणी
10. व्यवस्था	कचरा संग्रहण के निश्चित मार्ग और समय-सारणी, GIS तकनीक द्वारा निगरानी
11. समता	झुग्गी बस्तियों को भी स्वच्छता प्रयासों में समान रूप से शामिल करना
12. कार्यकाल की स्थिरता	कचरा प्रबंधन भागीदारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध
13. पहल	समुदाय प्रेरित नवाचार जैसे 'नेकी की दीवार', स्पॉट क्लीनिंग प्रतियोगिता
14. दल भावना	सफाई मित्रों और अधिकारियों के बीच टीम भावना और सहयोग की संस्कृति

विश्लेषण एवं चर्चा

1. इंदौर की सफलता में फेयोल के सिद्धांतों का अनुप्रयोग- इंदौर का लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बने रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक योजना और जनभागीदारी के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। जब हम इस मॉडल का विश्लेषण हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से करते हैं, तो पाते हैं कि पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत और आधुनिक शहरी प्रशासन के बीच अद्भुत सामंजस्य है।

● कार्य का विभाजन - सफाई कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय

अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन।

- अनुशासन – नियमित जुर्माने, औचक निरीक्षण, और प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रणाली।
- दिशा की एकता – 'स्वच्छ इंदौर – हरित इंदौर' के एकल उद्देश्य की दिशा में सभी विभाग और नागरिक कार्यरत।
- आदेश की श्रृंखला – इंदौर नगर निगम (IMC) में पारदर्शी कमांड स्ट्रक्चर और संवाद प्रणाली।

इन सिद्धांतों के अनुपालन से प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जवाबदेही में वृद्धि और कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।

नेतृत्व की भूमिका – इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता में प्रभावी नेतृत्व ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. नगर निगम आयुक्त ने प्रेरणादायक नेतृत्व दिखाया, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुरस्कार योजनाओं, और प्रदर्शन मूल्यांकन से कर्मचारियों की भागीदारी और प्रेरणा में वृद्धि हुई।
3. 'रोको-टोको अभियान' और 'सफाई मित्र सम्मान' जैसी पहल ने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों में आत्म-स्वामित्व की भावना को प्रबल किया।

2. सामुदायिक भागीदारी की भूमिका:

1. इंदौर मॉडल में जनभागीदारी को सुव्यवस्थित रूप से संस्थागत रूप दिया गया है।
2. विद्यालयों, रहवासी संघों (RWAs), और व्यापारियों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया।
3. 'नेकी की दीवार'और 'स्वच्छता सेल्फी पॉइंट्स' जैसी पहलें दर्शाती हैं कि रचनात्मक सहभागिता से स्वच्छता अभियान जन-आंदोलन बन सकता है।

3. तकनीकी और प्रणालीगत हस्तक्षेप की भूमिका:

1. GPS-सक्षम कचरा वाहन, रीयल टाइम निगरानी, और मोबाइल शिकायत समाधान ऐप जैसी तकनीकों से पारदर्शिता और गति आई।
2. केन्द्रिय रणनीति और वॉर्ड-स्तरीय कार्यान्वयन के संतुलन ने स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू करने में मदद की।

4. समग्र प्रशासनिक दृष्टिकोण– इंदौर की लगातार आठवीं बार सफलता उपलब्धि केवल स्वच्छता की नहीं, बल्कि सशक्त प्रशासनिक मॉडल की है, जो आधारित है:

1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण
2. सहभागी नेतृत्व
3. संसाधनों का दक्ष उपयोग
4. पारदर्शी फीडबैक प्रणाली
5. अनुकूली नीति कार्यान्वयन

यह मॉडल प्रमाणित करता है कि हेनरी फेयोल के प्रबंधन सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं, विशेषकर जब उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए।

मुख्य निष्कर्षों का सार – इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि इंदौर की स्वच्छता की लगातार आठवीं बार सफलता केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का उदाहरण है। इंदौर नगर निगम IMC) ने इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कार्य का सुव्यवस्थित विभाजन, आदेश की स्पष्ट श्रृंखला, नागरिक सहभागिता, और तकनीकी नवाचार के माध्यम से एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है।

1. Discipline, Unity of Direction और Scalar Chain जैसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखते हैं।
2. सामुदायिक भागीदारी, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, और तकनीकी नवाचार ने इस अभियान को जनांदोलन बनाया।

नीतिगत सुझाव :

1. स्थानीय निकायों को नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित हो।
2. शहरी प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।
3. साझेदारियों (PPP Model) और समुदाय आधारित मॉडल को नीति में प्रमुखता मिलनी चाहिए।
4. सार्वजनिक भागीदारी की संरचित नीति बनाई जाए जिससे नागरिकों को प्रक्रियात्मक रूप से जोड़ा जा सके।

अन्य नगर निकायों हेतु सिफारिशें :

1 हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों को शहरी योजनाओं में एकीकृत करें।
2 नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
3 सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाएं बनाएं।
4 तकनीक आधारित निगरानी और फीडबैक सिस्टम लागू करें (जैसे मोबाइल ऐप्स)।
5 कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था विकसित करें।
6 सार्वजनिक स्थलों पर 'स्वच्छता संवाद' और सामूहिक सफाई गतिविधियाँ आयोजित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फेयोल, एच. (1949). जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट (सी. स्टोर्स, अनुवादक). लंदन' पिटमैन पब्लिशिंग। (मूल रचना 1916 में प्रकाशित)
2. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय. (2024). स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारत सरकार। https://swachhsurvekshan2023.org
3. इंदौर नगर निगम (IMC). (2023). स्वच्छ इंदौर: पहलों और नवाचारों का दस्तावेज। प्राप्त: https://imcindore.mp.gov.in
4. अग्रवाल, एस., और सिंह, आर. (2020). शहरी शासन और जन भागीदारी: इंदौर की स्वच्छता मुहिम का केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ अर्बन स्टडीज, 15(2), 45-58।
5. शर्मा, एम. (2021). शहरी स्वच्छता में नेतृत्व और नागरिक नवाचार: इंदौर से प्राप्त सबक। जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, 13(1), 12-21https://doi.org/10.5897JPAPR2021.0562
6. बनर्जी, आर., और गुप्ता, डी. (2019). शहरी स्वच्छता अभियानों में तकनीकी एकीकरण: भारत के स्मार्ट शहरों का अध्ययन। अर्बन पॉलिसी रिव्यू, 27(4), 78-93।

7. वर्ल्ड बैंक. (2022). भारत में शहरी स्वच्छता में सुधार: सर्वोत्तम प्रथाओं पर नीति संक्षेप। वाशिंगटन, डीसी: वर्ल्ड बैंक प्रकाशन।
8. चौधरी, एन., और पटेल, के. (2023). अपशिष्ट प्रबंधन में नागरिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन। एनवायरनमेंट एंड अर्बन अफेयर्स रिव्यू, 10(3), 91-104।
9. मिश्रा, ए. (2021). प्रबंधन सिद्धांतों के माध्यम से लोक प्रशासन: 21वीं सदी की शासन व्यवस्था में फेयोल की प्रासंगिकता। इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 29(1), 59-67।
10. मोहंती, पी. के. (2018). भारत में शहरी स्थानीय निकाय: शासन और चुनौतियाँ। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वृद्धावस्था की सामाजिक चुनौतियाँ : एक समकालीन विश्लेषण

डॉ. श्रुति त्रिपाठी*

* सहेयक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वृद्धावस्था जीवन का ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति भौतिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका कम निभाने लगता है। यद्यपि वह सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, पर समाज में पूर्व में निभाई गई महत्तवपूर्ण भूमिका के आधार पर विश्रांति और सम्मान की कामना करता है। भारतीय संस्कृति में इस अवस्था को 'संन्यास आश्रम' के रूप में देखा गया है, जहाँ अनुभव, ज्ञान और धार्मिक चेतना की विशेष भूमिका होती है। परंतु बदलती आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था, शहरीकरण, विघटित होते पारिवारिक ढाँचे तथा प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली ने वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

यह शोध–पत्र आधुनिक भारतीय समाज में वृद्धावस्था से संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है और समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करता है।

शोध की आवश्यकता और उद्देश्य

आवश्यकता– भारत में जनसंख्या का वृद्धिकरण तेज गति से हो रहा है। वर्ष 2021 में 60 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 13.8 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुनी होने के अनुमान हैं। इस समूह के प्रति जागरूकता, नीति–निर्माण तथा संरचनात्मक समर्थन अत्यावश्यक होता जा रहा है।

उद्देश्य:

1. भारतीय समाज में वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण।
2. सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर वृद्धजनों की समस्याओं की पहचान।
3. नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता पर विचार।
4. समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की पद्धति – यह शोध मुख्यत: वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक–आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है।

1. आधार स्रोत– HelpAge India रिपोर्ट्स, NSSO डेटा, सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट, अकादमिक शोध–पत्र तथा समाचार–पत्रध्पत्रिकाएँ।

2. विश्लेषण का दायरा– सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानून व नीतिगत परिप्रेक्ष्य से।

वृद्धावस्था की भारतीय अवधारणा – भारतीय संस्कृति में वृद्धजन परिवार की रीढ़ माने जाते हैं। उनके अनुभव और मूल्यबोध से परिवार और समाज का मार्गदर्शन होता आया है। प्राचीन ग्रंथों में 'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो भव' जैसे विचार उनकी गरिमा को प्रकाशित एवं प्रमाणित करते हैं। चार आश्रमों में अंतिम 'संन्यास आश्रम' वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ आत्मचिंतन, मोक्ष की ओर गमन और समाज को उपलब्ध ज्ञान देने की अवस्था होती है। वृद्धजनों के प्रति ये दृष्टिकोण अब शहरीकरण और पारिवारिक टूटन के कारण खोने लगे हैं। नई पीढ़ी को वे बोझ जैसे लगने लगे हैं, जिसके कारण समाज का यह महत्तवपूर्ण घटक अदृश्य चुनौतियों का सामना कर रहा है।

प्रमुख सामाजिक चुनौतियाँ

आर्थिक असुरक्षा– अधिकांश वृद्धजन बेरोजगार, पेंशन–विहीन या अल्प आय वाले होते हैं। चिकित्सा खर्च, जीवन–निर्वाह, घर का रख–रखाव आदि उनकी सामर्थ्य से बाहर होते हैं।

1. वृद्ध, विशेषकर असंगठित क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति वित्तीय योजनाओं से वंचित रहते हैं।
2. पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत कम है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ– जैसे–जैसे आयु बढ़ती है, वृद्धजन हृदय रोग, मोतियाबिंद, अस्थि–संबंधी रोग, मानसिक रोग जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि से पीड़ित होते हैं।

1. मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा गंभीर है।
2. बुजुर्ग मानसिक अवसाद, अकेलापन, नींद न आने जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

सामाजिक उपेक्षा एवं दुव्यवहार– HelpAge India के सर्वेक्षण अनुसार 2023 में 64% वृद्धों ने किसी न किसी प्रकार की उपेक्षा का अनुभव किया –

1. मानसिक उत्पीड़न
2. संपत्ति को लेकर झगड़े
3. घर से निष्कासन
4. भावनात्मक अलगाव से उत्पन्न अवसाद

ग्रामीण बनाम शहरी वृद्धावस्था:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समर्थन अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सुविधाओं का घोर अभाव है।
2. शहरी क्षेत्रों में भले ही चिकित्सा व संस्थागत सहायता उपलब्ध हो, परंतु वृद्ध अकेलेपन, निजता की कमी और उपेक्षा से जूझते हैं।

वृद्ध महिलाओं की समस्याएँ– वृद्धावस्था और महिला – ये दोनों मिलकर चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में विधवापन अपने आप

में सामाजिक अभिशाप समझा जाता है और व्यवहार में उन्हें सामान्यत: दूर रखा जाता है, जो उनके लिए हर दृष्टि से पीड़ादायक होता है।

1. संपत्ति में अधिकार की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती है।
2. महिला होने के कारण स्वास्थ्य व पोषण की उपेक्षा – बहुआयामी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं।
3. लिंग आधारित भेदभाव वृद्धावस्था में और तीव्र हो जाता है।

नीतिगत प्रयास एवं उनकी व्यावहारिक सीमाएँ

सरकारी योजनाएँ:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
2. अटल पेंशन योजना (APY)
3. राष्ट्रीय वयोश्री योजना
4. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष
5. रिवर्स मॉर्गेज योजना

सीमाएँ:

1. लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी का अभाव।
2. योजनाओं के लाभ हेतु सरकारी प्रक्रिया और दस्तावेज जुटाना कठिन।
3. प्रशासनिक स्तर पर असंवेदनशीलता व भ्रष्टाचार।

सामाजिक और कानूनी प्रयास

सामाजिक पहल:

1. वृद्धजनों के लिए सामुदायिक केंद्र, डे–केयर संस्थाएँ, हेल्थ कैंप।
2. NGO, SWO और NSS जैसे संगठनों की भागीदारी।
3. स्कूलों में नैतिक शिक्षा, पीढ़ी–दर–पीढ़ी संवाद को प्रोत्साहन।

कानूनी पहल:

1. 'माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'।
2. त्वरित न्याय हेतु ट्राइब्यूनल।
3. मातापिता की संपत्ति पर अधिकार की सुरक्षा।
4. संतान से भरण–पोषण की कानूनी मांग।
5. इसकी प्रासंगिकता को और मजबूत करने हेतु संशोधन प्रक्रिया प्रगति पर है।

समाधान एवं सुझाव

परिवार स्तर पर:

1. आदरभाव, संवाद, सहभागिता तथा भावनात्मक सहयोग – परिवार के स्तर पर वृद्धों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाते हैं।
2. घर में वृद्धों को उनके अनुकूल जिम्मेदारी देना जिससे वे व्यस्त रहें और अपनी भूमिका निभाने का अनुभव करें।
3. परिवार के विकास में उनके योगदान को मान्यता देना।

नीति–निर्माण में सुधार:

1. पेंशन और चिकित्सा योजनाओं को सरल बनाना।
2. वृद्धजनों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुँच।

सक्रिय वृद्धों के लिए:

1. मनरेगा जैसे श्रम के बजाय मानसिक कार्यों में नियुक्ति।
2. अनुभव–आधारित परामर्श या स्वैच्छिक सेवा योजनाओं में सहभागिता।

सामाजिक स्वीकृति एवं सक्रियता:

1. वृद्धों को क्लब, मंदिर, सामुदायिक लाइब्रेरी, योग केंद्र आदि से जोड़ना।
2. 'inter-generational bonding' हेतु परिवार–केंद्रित कार्यक्रम।

निष्कर्ष– वृद्धजन हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के संरक्षक हैं। यदि हम उनके अनुभव, भावना एवं अस्तित्व को सम्मानित करते हैं, तो यह केवल ऋण नहीं बल्कि समाज के लिए पुन: निवेश है।

वृद्धावस्था की गरिमा की रक्षा हेतु केवल सरकारी योजनाएँ ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी उद्देश्यपूर्ण सहभागिता निभानी होगी। 'वृद्धजन रूई का बोझ नहीं, वरन अनुभव की धरोहर हैं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. HelpAge India Annual Survey Report - 2023
2. भारत सरकार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
3. Ageing in India: Challenges and Policy Responses, Economic and Political Weekly.
4. National Sample Survey Office (NSSO) Reports
5. World Health Organization Global Ageing Report
6. राष्ट्रीय वृद्धनीति, राष्ट्रीय वृद्धजन शिक्षा संसाधन केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. उमेश चन्द्र अग्रवाल, 'बढ़ते बुजुर्ग, घटती सुरक्षा', पत्रिका कुरुक्षेत्र, 2021.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कामकाजी महिलाओं की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

नागेश्वरी कुमारी*

* शोधार्थी, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ (झारखंड) भारत

शोध सारांश – नारी को 'आधी दुनिया' कहा जाता है। वह एक ऐसी 'आधी दुनिया' है जो कदम- कदम पर पुरुष द्वारा अनुशासित होती रही है। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ-साथ आम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की नारियां भी शिक्षित हुई और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की प्रयास की। इसमें से कई महिलाओं ने सफलता भी हासिल की, लेकिन पुरुष प्रधान सोच और समझ हमेशा उनके आड़े आते हैं, जो उनकी समस्याओं का कारण बनती है। कामकाजी महिलाएं कौन है? असल इस प्रश्न का उत्तार समाज ने अपनी दृष्टिकोण और सोच पर आधारित बनाकर संग्रहित किया है। समाज सोचता है कि घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं। कामकाजी महिला का अर्थ काम करने वाली महिला से है ये सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण ही है, जो महिलाओं को तनावग्रस्त बनाता है। घर परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बाहर काम करने वाली महिला को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें बस उनसे अपने लिए सेवा चाहिए। एक महिला क्या कुछ प्रदान नहीं करती। नौकरी करने वाली महिला चाहे जितनी परेशान हो, उसे ही सब कुछ निभाना पड़ता है एक महिला न सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान रहती है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत अधिक तनावग्रस्त रहती हैं। जिसके कारण उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है जिस सेवा के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है किसी कार्य को महिलाएं बिना मूल्य के एवं बेरोजगारी के नाम के साथ खुशी से करती हैं।

अध्ययन में हम कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि वो घर और बाहर दोनों ही समस्याओं में महिलाओं को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है।

शब्द कुंजी – सामाजिक असमानता, दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विडम्बना,कामकाजी, कार्यस्थल, समस्याएं।

प्रस्तावना – कामकाजी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। जिन्हें समाज के कुछ पहलुओं की सोच ने सीमित कर दिया है। कामकाजी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है (काम काजी) काम करने वाला। कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायरू नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयोग हुआ है जो तनख्वाह वाले कार्य में लगी हैं। वर्तमान समय में महिलाएं घर के साथ-साथ कार्यालय का कार्य भी देखती है जिसके लिए उसे एक निश्चित वेतन दिया जाता है। अब महिलाएं विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में कार्य करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उद्योग - धंधों, कारखानो, न्यायालयों प्रशासन, राजनीति तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। कामकाजी होने के कारण जहां एक ओर महिलाओं को परिस्थिति और प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है जो कि सकारात्मक है वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याएं और भी बढी है। वर्तमान में कार्यरत महिलाओं को घर के कार्य के साथ-साथ कार्यालय की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और दोनों के बीच उचित तालमेल भी बिठाना पड़ता है जो बहुत ही कठिन कार्य है आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कार्यरत न हो। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी निरू संदेह महिलाओं के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आज बढ़ते विकास की प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित सीमिति का मानना है कि समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तय करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, परिवार, सामुदायिक भागीदारी और वैश्विक समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से देखना आवश्यक है। वर्ष 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया जिसका उद्देश्य महिला विकास को बढ़ावा देना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। वर्तमान में जो स्त्रियां शिक्षित और नौकरी करने वाली स्त्रियों की भूमिका निभा रही है उससे उन्हें एक नया सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा प्राप्त हुआ है तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी प्रभावित हुआ है।

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। वर्तमान के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहरी से बाहर कदम बढ़ाकर स्वयं कार्यशील महिला होने का गौरव प्राप्त किया है और स्वयं की एवं समाज की स्थिति को बदलने का बिडा उठाया है। 21वीं सदी में महिलाओं ने ऐसे कार्यों में भी प्रवेश कर लिया है जिन पर सदियों से पुरुषों का एकाधिकार था। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा सैनिक में भी भारतीय महिलाएं कार्यरत हैं जो की महिलाओं के लिए गौरव की बात है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. भारत कामकाजी महिलाओं का अध्ययन करना।
2. कामकाजी महिलाओं के समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शुद्ध प्रविधि विश्लेषणात्मक है एवं व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। शोध पत्र का विश्लेषण के लिए अनेक पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा विभिन्न शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

पूर्व शोध अध्ययन

1. वर्षा कुमारी द्वारा उड़ीशा राज्य के 'राउलकेला शहर' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो, बैंक, स्कूल व कॉलेजों में कार्यरत महिलाएं जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन किया गया । अध्ययन में पाया कि विभिन्न आयु – वर्ग में एवं विशेष वर्ग की महिलाओं तथा विभिन्न श्रेणियां में कार्यरत महिलाएं जैसे अविवाहित, विवाहित तथा तलाकशुदा महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों में विभिन्नता पाई जाती है लेकिन कुछ सामान्य तरह की समस्याओं जैसे – शारीरिक व मानसिक तनाव, नौकरी व परिवार के बीच उचित संतुलन की समस्या, परिवार की देखभाल व कार्यस्थल पर भेदभाव आदि का सामना करना पड़ता है।

2. सरिता वाशिष्ठ (2010),'महिला सशक्तिकरण', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने अपने अध्ययन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला है उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी सफल हो सकता है जब महिलाओं को अपने कामकाजी अधिकारों का ज्ञान हो । उनके अनुसार जागरूकता एक बहुत बड़ी कमी है। जिसके कारण कामकाजी महिलाएं अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाती।

3. रेखा तिवारी, दिवाकर शर्मा (2013),'प्रस्तुतिका में लेखिका ने बताया है कि कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग' प्राय: नौकरी करने वाली महिलाओं के संदर्भ में किया जाता है यथार्थ वे महिलाएं जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले कार्य में लगी है। काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, दूसरे व्यक्तियों से काम लेना भी है तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन देना आदि भी सम्मिलित है।

4. निर्मला के चित्रोडा (2016),'भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति', प्रस्तुत पुस्तिका में लेखिका ने बताया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ने बड़े-बड़े उतार – चढ़ाव देखे हैं। वैदिक युग में उसे देवी की तरह पूजा जाता था वही मुस्लिम युग में उसे दास की तरह रखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद से पालडा महिलाओं के पक्ष में रहा है या यू भी कह सकते हैं आजादी के बाद अनेक ऐसे सुधार हुए जिनसे महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का चाहे खेले जगत हो या फिर स्वास्थ्य जगत महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता कि उनकी स्थिति आज भी सोचनीय है।

5. शांति कुमार स्याल (2017),'कामकाजी महिलाएं समस्याएं और समाधान', प्रस्तुत पुस्तिका में बताया गया है कि कामकाजी महिला एक सशक्त महिला की श्रेणी में आती है। महानगरीय संस्कृति में परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों के सृजन के संदर्भ में उसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पारिवारिक वातावरण के रूप में संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य या आस – पड़ोस का योगदान नगण्य होता है। विपरीत इसके पीढ़ी – लिखी होने के बावजूद भी महिलाएं घरेलू वातावरण में अंधविश्वास व दकियानूसी विचारधाराओं का शिकार हो जाती हैं।

6. रेनू पवार (2017) कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन में पाया कि इस बदलते परिवेश में महिलाएं बहुत विकसित और जागरूक हुई हैं और वह अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सक्षम है लेकिन साथ ही वह दोहरी भूमिका निभाने की मांग से अत्यधिक रूप से प्रभावित होते जा रही है। महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन और कार्यस्थल पर संतुलन बनाते-बनाते खुद के जीवन को भूलते जा रही है। जिसके कारण उनके जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

7. सुधीर कुमार श्रीवास्तव (1985) ने , 'महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका' के अध्ययन में बताया है कि महिलाएं तभी सशक्त हो सकती है जब शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए।

8. संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने (1975) को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया और नारी उत्थान की दिशा में अनेक प्रयास किए जिससे महिलाएं विकसित हो रही है। लेकिन समाज की दृष्टिकोण के कारण महिलाएं आज भी तनावपूर्ण जीवन से जूझ रही है। इसके लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन में कार्यरत महिलाओं की भूमिका और उनमें सामंजस्य स्थापित करती महिलाओं का वर्णन से संबंधित प्रश्न के उत्तार में पाया कि कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। महिलाओं पर व्यवसाय का उत्तारदायित्व बढ़ा देने के बावजूद उनकी पारंपरिक भूमिका में कोई विशेष कमी नहीं की गई है। हमारे देश में अनेक रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़कर एक नई सोच को अपनाया है। किंतु जब बात महिलाओं की आती है तो आज भी समाज का दृष्टिकोण कुछ ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। हमारी सरकार के प्रयासों और योजना तथा महिलाओं की शक्ति ने महिला जीवन को नई उड़ान दी है किंतु फिर भी दूहरी सोच व पितृसत्ताात्मक समाज में नारी को समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। चाहे वह घर की कामकाजी महिला हो या बाहर काम करती हो। उसको अपनी आजादी और खुशियों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं भी इस समाज में गुलामी का जीवन व्यतीत कर संघर्ष कर रही है।

हमारी सरकार के कानून ने महिलाओं को चाहे बराबर के अधिकार दिए हैं। लेकिन समाज ने उन्हें सीमित दायरे में बांध रखा है। किसी भी घर समाज या देश की उन्नति एवं विकास में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी होती है इसलिए हमें अगर देश हुआ समाज को उन्नत एवं विकसित करना है तो महिलाओं के लिए समाज का दृष्टिकोण बदलना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. ज्योति शर्मा (2014) कामकाजी महिलाओं का असल अर्थ और महत्व (एक विश्लेषणात्मक शोध), सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, एथेम्स महाविद्यालय, हैदराबाद, भारत।
2. आशा नगर (2021) भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या में समाधान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवली, टोंक राजस्थान, भारत इनोवेशन दी रिसर्च कॉन्सेप्ट आई एस एस एन : 2456 – 5474.
3. डॉ. शकीला खान एवं डॉ रानी दुबेरू कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के तनाव का उनके स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव का अध्ययन : केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा महाविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय शोध

पत्रिका इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल।

4. प्रवीण कुमार (2019) कामकाजी महिलाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनरल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन आईएसएसएन: 2230 – 7540.
5. वर्मा अंजलि (2009) भारत में कार्यशील महिलाएं, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. चित्तौड़ के निर्मला (2016), भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति, आत्माराम एंड संत प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. डॉ. बबीता एवं मधु (2024) journal of emerging technologies and innovative research.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव

दीपिका शर्मा *

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो की भू-आबद्ध है,अर्थात इसकी सीमाएं तीन तरफ से भारत से गिरी हुई है इसलिए समुद्री व्यापार हेतु भारत नेपाल को सहयोग प्रदान करता है।

भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल, चीन और भारत के मध्य एक बफर स्टेट है ,जिसे दोनों देश अपनी तरफ से संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

ना केवल सामरिक दृष्टि बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी नेपाल ,भारत की विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। नेपाल में स्थित लुंबिनी भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था एवं नेपाल के संघीय गणराज्य घोषित होने से पूर्व इसे एक मात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था।

दोनों देश खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, विवाह और पारिवारिक संबंधों के कारण इन्हें रोटी बेटे के रिश्ता का नाम भी दिया जाता है इस प्रकार दोनों देश परस्पर धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास साझा करते हैं।

नेपाल भारत के पांच राज्यों उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सीमावर्ती नेपाल की तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला मधेशी समुदाय भी भारत से नजदीकी संबंध साझा करता है।

वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हुई शांति और मित्रता की संधि भी उनके संबंधों का एक ऐतिहासिक आधार है, जब नेपाल पर हमले को भारत की संप्रभुता पर खतरा माना जाता था।

वर्ष 1960 में काठमांडू के राजा महेंद्र के काल में भी भारत और नेपाल के मध्य औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया, कोसी एवं गंडक नहर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 1996 में गिरिजा प्रसाद कोइराला एवं भारत में एच.डी.देवगौड़ा की सरकार के मध्य महाकाली संधि जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है ,ने जल, विद्युत, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में साझा सहयोग को सुनिश्चित किया।

वर्ष 1990 में व्यापार एवं पारगमन संधि एवं उसके बाद हुए ऊर्जा, सड़क, सुरक्षा समझौतो ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुचा: रूप से गति प्रदान की और इन सभी संधियों की बदौलत ही सतही मतभेद कभी गहरे नहीं हुए और भारत ने एक जिम्मेदार पड़ौसी होने के नाते नेपाल को हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाया, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो ,बुनियादी ढांचे का विकास हो ,या व्यापार एवं पारगमन समझौतो पर क्रियान्वयन हो।

हाल ही में भारत ने काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकरण में सहायता देता है। भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल की पहाड़ी जिलों से भर्ती कर किया जाता है।

नेपाल हिमालय की तलहटी में बसा देश है जो भूकंप और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आता है उससे होने वाले जान माल के नुकसान की भरपाई करने हेतु भारत मानवीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है।

इन सभी बहुउद्देशीय संबंधों के बावजूद 21वीं सदी भारत और नेपाल के संबंधों के मध्य कई चुनौतियां लेकर आई है, जिसका मुख्य कारण नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण एवं उनका भारत पर प्रभाव ही इस शोध पत्र का अभीष्ट है।

नेपाल के इतिहास को देखा जाए तो इसने राजशाही से लेकर लोकतंत्र का सफर तय किया है ,जिसकी पहली शुरुआत वर्ष 1990 में नेपाल में पंचायत व्यवस्था की औपचारिक समाप्ति से हुई और तत्पश्चात नवंबर 1990 में के. पी. भट्टाराई की अंतरिम सरकार द्वारा एक नया संविधान निर्मित किया गया। साथ ही इसी वर्ष वहां पहली बार बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाई किंतु वह मात्र चार सालों में ही गिर गई।अत: 18 माह पूर्व नवंबर 1994 में पुन: चुनाव आयोजित किए गए ,परंतु किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से नेपाल के इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार अस्तित्व में आई किंतु अल्पमत के कारण वह भी 9 माह में गिर गई। सितंबर 1995 में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने सरकार बनाई और वर्ष 1999 में भी नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला किंतु राजा ज्ञानेंद्र ने वर्ष 2002 में संसद को भंग कर दिया।

जिसके फलस्वरुप पुष्प कमल दहल प्रचंड,बाबूराम भट्टाराई और छोटे कम्युनिस्ट समूहों द्वारा 1996 में गठित 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल' (माओवादी) ने राजशाही के विरुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध की घोषणा कर दी, इसे नेपाली माओवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1996 से लेकर 2006 तक चले इस जन आंदोलन में लगभग 13000 लोगों की जानें गई। इसी वर्ष भारत की मध्यस्थता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से 'समग्र शांति समझौता' भी करवाया गया।

जिसके बाद माओवादी लोगों की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया गया।

अतएव 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र द्वारा भंग संसद को बहाल करने की घोषणा की गई और राजशाही की शक्ति को समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 2006 से 2008 तक नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत की ओर सकारात्मक रुख अपनाया और भारत ने भी नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति प्रक्रिया को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

वर्ष 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और राजतंत्र का अंत हो गया इसी वर्ष संविधान सभा के चुनाव हुए और रामबरन यादव ने संघीय गणराज्य, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साथ ही गठबंधन सरकार को पुष्प कमल दहल प्रचंड का नेतृत्व मिला। इस माओवादी सरकार का भारत के प्रति संदेह पूर्ण दृष्टिकोण था और तुलनात्मक रूप से चीन की ओर झुकाव अधिक था।

वर्ष 2009 में प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यह राजनीतिक अस्थिरता का दौर नेपाल में लगातार चलता रहा।

वर्ष 2009 से 2011 के मध्य सीपीएन यूएमएल के माधव कुमार नेपाल ने दोनों देशों के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश की। साथ ही नेपाल के संविधान निर्माण में भारत ने भी यथा योग्य सहयोग प्रदान किया।

वर्ष 2011 में सीपीएन यूएमएल के झलनाथ खनाल का कार्यकाल अत्यंत छोटा रहा और भारत से उनके संबंध सामान्य किंतु ठंडे रहे।

2011 से लेकर 2013 तक माओवादी सरकार की बाबूराम भट्टाराई ने भारत से रिश्तो में सुधार की कोशिश की एवं सड़क, ऊर्जा ,व्यापार जैसे कई आर्थिक समझौते किए,इसे उनका व्यवहारिकता पूर्ण कदम कहा गया। वर्ष 2013 से 2014 में खिलराज रेग्मी (चीफ जस्टिस)की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में सामान्य सहयोगात्मक संबंध रहें।

वर्ष 2014 से 2015 में पुन: नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई और सुशील कोइराला के नेतृत्व में बनी सरकार ने भारत से अच्छे संबंधों की शुरुआत की।2015 में नेपाल का नया संविधान अस्तित्व में आया किंतु संविधान में मधेशियों की भागीदारी को लेकर विवाद हुआ जो कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव का कारण बना।

वर्ष 2015 से 2016 में सीपीएन यूएमएल के केपी शर्मा ओली की सरकार का प्रत्यक्ष झुकाव चीन की तरफ था। इस कारण भारत और नेपाल संबंध बहुत पेचीदा हो गए और 2015 में भारत– नेपाल सीमा पर आर्थिक नाकाबंदी भी हुई।

वर्ष 2016 से 2017 तक पुष्प कमल दहल प्रचंड का दूसरा कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने भारत से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।

वर्ष 2017 से 2018 तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने ,इस समय भारत के नेपाल से अपेक्षाकृत अच्छे संबंध रहे।आर्थिक सहयोग एवं सीमा सुरक्षा पर परस्पर बातचीत हुई।

2018 से 2021 में केपी शर्मा ओली के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरुआत में भारत से नजदीकी बढ़ी लेकिन बाद में 2020 में नेपाल द्वारा एक ष्राजनीतिक मानचित्रष जारी किया गया ,जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख ,कालापानी, लिपिंयाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया ,जिससे परस्पर तनाव में बढ़ोतरी हुई।

2021 से 2022 में शेर बहादुर देउबा का दूसरा कार्यकाल रहा, उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और ऊर्जा परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी पर सहयोग में वृद्धि की।

वर्ष 2022 से 2024 के मध्य पुष्प कमल दहल प्रचंड पुन: पद पर आसीन हुए और सत्ता में आते ही उन्होंने चीन का दौरा किया उसके बाद भारत की यात्रा भी की।उनकी नीति संतुलनकारी कूटनीति पर आधारित मानी गई, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान कई हाइड्रो पॉवर परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कोभारत के सहयोग से गति प्रदान की गई।

वर्ष 2024 से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, जिन्होंने भारत से ऊर्जा, रेलवे लिंक, पेट्रोलियम पाइपलाइन और पावर ट्रेड एग्रीमेंट के साथ –साथ ही डिजिटल भुगतान (यूपीआई)एवं कनेक्टिविटी से संबंधित कई समझौतो पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि, 1951 से लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक नेपाल में 40 से भी अधिक सरकारें बन चुकी है, लेकिन औसतन हर सरकार की उम्र 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं रही है। 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बावजूद भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर नहीं थमा है। अगर इस अस्थिरता का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि गठबंधन की राजनीति इसका एक मुख्य कारण सिद्ध हुई है।जब कोई भी दल अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है ,तो सरकारें गठबंधन पर निर्भर होती है और स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पाती है।

लोकतंत्रात्मक देश में दल बदल की संस्कृति भी सरकारों की अनिश्चितता को बढ़ावा देती है और ऐसा सिद्धांतों से हीन सत्ता संघर्ष में प्रत्यक्षत: देखा जाता है।

नेपाल के संवैधानिक और वैचारिक विवाद भी इस अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं जैसेय नेपाल का संघीय ढांचा, नेपाल में मधेशियों के अधिकार और संवैधानिक संशोधन, जिनसे मुद्दों की राजनीति को हवा मिलती है और विपक्ष तख्ता पलट करने में सफल रहता है।

दलों में होने वाला आंतरिक नेतृत्व संघर्ष भी पार्टी नेताओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर सरकार को गिरा देता है।जैसा किष ओली बनाम प्रचंडष के केस में देखा गया है। भारत के संदर्भ में इन अस्थिरताओं को जन्म देने का कारण नेपाल पर बढ़ता चीन का प्रभाव है, ऐसे बाहरी दबाव के कारण भी आंतरिक राजनीति में सत्ता संघर्ष बढ़ जाते हैं और सरकारें उनके इशारों की कठपुतली मात्र बन जाती है जो कि विशेषतया नेपाल में भारत विरोधी विचारों को पनाह दे,उनका प्रसार नकारात्मक ढंग से कर जनमत पर ग्राम्शी के विचारधारात्मक प्रभुत्व का प्रयोग कर उन्हें भड़काती है एवं हमारे संबंधों को कगार पर ले जाती है।

चीन द्वारा नेपाल को दी गई आर्थिक सहायता और वन बेल्ट वन रोड़ में नेपाल का शामिल होना चीन के बढ़ते प्रभाव को बताता है जो माओवादी के सत्ता में आने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

भारत के संदर्भ में देखा जाएं तो नेपाल की सरकारें जब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में रही तब भारत से नेपाल के संबंध अपेक्षाकृत मित्रतापूर्ण रहे, लेकिन जब नेपाल में सीपीएन यूएमएल या माओवादी दल सत्ता में आए तो भारत के साथ तनाव और चीन की तरफ झुकाव देखा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि दल के विचारों का प्रभाव जनमत को प्रभावित करता है।ना केवल

विदेश नीति अपितु देश की आंतरिक व्यवस्था भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अत्यंत प्रभावित होती है।

ये राजनीतिक अस्थिरता और तनातनी देश के विकास को पीछे की ओर ढकेलती है अत: जहां तक संभव हो लोकतांत्रिक तरीके से, सामंजस्यपूर्ण सरकार का स्थायित्व ही देश को प्रगति की ओर ले जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. wikipedia.com
2. panchjanya.com
3. योगेंद्र पाल सिंह –भारत की विदेश नीति।
4. प्रोफेसर रमाकांत – इंडो नेपाल इस रिलेशन फेज 1.
5. श्रीमन नारायण अग्रवाल – इंडिया एंड नेपाल: एन एक्सरसाइज ऑफ ओपन डिप्लोमेसी।
6. शोधपत्र– 21वीं सदी में भारत नेपाल संबंध ,द्वारा ममतामणि त्रिपाठी।

****

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला

वासुदेव एक्का*   डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

* शोधच्छात्र:, शासकीय दू.श्री वै. संस्कृत महाविद्यालय:, रायपुरम् (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक: (व्याकरणम्) शासकीय दू.श्री वै.संस्कृत महाविद्यालय:, रायपुरम् (छ.ग.) भारत

शोधसार:- हर्षवर्धनस्य रूपकेषु संस्कृतसाहित्यस्य ललितकलानां प्रमुखं स्थानमस्ति। हर्षवर्धन: सप्तमशताब्द्या: प्रख्यात: सम्राट: विद्वान: चासीत्। तस्य आश्रये बाणभट्ट: मयूर: मतङ्ग: च इत्यादय: कवय: आसन्। हर्षवर्धनस्य रचनायां नागानन्दनाटकं एकं प्रसिद्धं संस्कृतनाटकमस्ति। य: बौद्धधर्मस्य प्रभावं दर्शयति। ललितकला: यथा सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च नागानन्दनाटके प्रदर्शनस्य अङ्गानि वर्तन्ते। गीतानां रागात्मकं चित्रणं दर्शकानां हृदये आह्लादयति। ललितकला जीवनस्याधारोऽस्ति। ललितकलाया: जीवनस्य च महत्तवपूर्ण: सम्बन्धोऽस्ति। कला जीवनस्य लालित्यं जनयति। अत: नीतिशतकम् इति स्वग्रन्थे भर्तृहरि: कलाविहीन: मनुष्यं पशुतुल्यं कथयति -
'साहित्यसङ्गीतकलाविहीन: साक्षात् पशु: पुच्छविषाणहीन:।'(नीतिशतकम्-13)
कूटशब्द: - सङ्गीतं, नृत्यं, चित्रं, वाद्ययन्त्रं च इत्यादय:।

प्रस्तावना - हर्षवर्धन: भारतीय इतिहासे सम्राटस्य रूपे सुप्रसिद्धोऽस्ति। तस्य जन्म ज्येष्ठकृष्णद्वादशी दिनाङ्के 595 ईसवीं अभवत्। बाणभट्टस्य 'हर्षचरितम्' ह्वेनसाङ्गस्य च यात्रावृत्तान्तात् वयं स्पष्टतया जानीम: यत् हर्षवर्धन: 'हूण-हरिण-केसरी' प्रभाकरवर्धनयशोमत्यो: पुत्र: आसीत्। स: स्वपितु: द्वितीय: पुत्र: आसीत्। तस्य अग्रजस्य भ्राता राज्यवर्धन: आसीत्। तस्या: भगिनी राज्यश्री योग्या विदुषी आसीत्। तस्य बाल्यकाले सम्यक् शिक्षां दत्तम्। पिता हर्षवर्धनं राज्यवर्धनेन सह पञ्जाबदेशे निवसतां हुणानां पराजयार्थं प्रेषितवान्। दुर्दैववशाद्राज्यवर्धन: शशाङ्कनामकेन वङ्गीयनृपतिना छलेन निहत:। तदन्तरं हर्षवर्धनो राजा बभूव। अस्य राजधानी स्थाण्वीश्वरनामकं स्थानमासीत्। अस्य राज्यकाल: 606-647 खीष्टाब्दमासीदिति प्रतीतम्।
हर्षवर्धनस्य रूपकत्रयं सन्ति -1. रत्नावली, 2. प्रियदर्शिका,
3. नागानन्दञ्च।

नागानन्दनाटके जीमूतवाहनस्य यशो गीतम्। बौद्धहिन्दुधर्मयोरतिमधुरा संसृष्टिरस्ति। प्रियदर्शिका, रत्नावली च नाटिकयो: उदयस्य प्रियदर्शिकाया: रत्नावल्या: च अनुरागस्य कथा वर्णिता अस्ति। नागानन्दनाटके पञ्चाङ्का: सन्ति। यस्मिन् विद्याधर जीमूतवाहनस्य आत्मत्यागस्य कथां वर्णितास्ति। नाट्यदृष्ट्या हर्षवर्धनस्य रूपकेषु नाट्यशास्त्रीय पद्धतिं अभिनयस्य च गुणान् अनुसरन्ति। काव्यत्वस्य च दृष्ट्यापि उत्तमा: सन्ति। हर्षवर्धनस्य रूपकेषु विविधानि चित्रणानि उपलभ्यन्ते। अन्त:पुरस्य विलासपूर्णघटनानां, नागरिकानां उत्सवानां, देवपूजानां, प्रकृते: रमणीयताया:, स्त्रीणां सौन्दर्यस्य, प्रणयभावनानां, नृत्य-सङ्गीतस्य च वर्णनं वर्तते।

कविहर्षवर्धन: राजकार्येषु व्यस्त: सन् अपि स्वरचनासु सङ्गीतस्य चित्रकलाया: च समुचितप्रयोगं कृतवान्। हर्षवर्धनं सङ्गीतस्य चित्रकलाया: चापि ज्ञानमासीत् इति तस्य कृतीभ्य: स्पष्टं भवति। हर्षवर्धनस्य वीणाया: नाम घोषवती आसीत्। एतां वीणां वादन् गजान् वशयति स्म।

महाकविहर्षवर्धनस्य रूपकेषु ललितकला: - नागानन्दनाटके ललितकलया पूर्णमस्ति। अनेकेषु स्थानेषु ललिताकलाया: विषये उल्लेखा: प्राप्यन्ते -

1. **सङ्गीतकला -** नागानन्दनाटकस्य आरम्भेऽपि सङ्गीतकलाया: विषये अकथयत् -

'अहं गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्ठामि।'

इत्थं प्रथमोङ्कस्य नवमे श्लोके सङ्गीतस्य विस्तरेण चर्चा कृतामस्ति -

'क्रन्दत्कन्दरगह्वरो जलनिधेरास्फालितो वीचभि:'।

समुद्रस्य तरङ्गानां पर्वतगुहाप्रहारै: या ध्वनि: उत्पन्न: अत्यन्तं मनोहर: भवति। तस्या: ध्वन्या: माधुर्यगुण: मन्त्रमुग्धं भवति। नायक: विदूषक: च तस्मिन् स्थाने स्थातुं वार्ता कथयत:। सङ्गीतं मनुष्याणां श्रोत्रिन्द्रियाणां माध्यमेन अन्त:करणं प्रभावितं करोति। न केवलं मनुष्यान् अपितु प्रत्येक जीवं आनन्दं ददाति।

'स्थानप्राप्त्य दधानं प्रकटितगमकां मन्द्रतारव्यस्थां
विह्वरादिन्या विपंच्या मिलितमलिरूतेनेव तन्त्रीसवरेण।
एते दन्तान्तरालस्थित तृणकवलच्धेदशब्दं नियम्य
व्याजिह्मांगा: कुरंगा: स्फुटललितपदं गीतमाकर्णयन्ति॥'

मृग: वलितग्रीवा कृत्वा तृणचर्वणं च त्यक्त्वा सुमधुरगीतस्य प्राप्नोति। तस्मिन् सङ्गीते उच्चारित: शब्द: मन्त्रमुग्धं करोति। अस्मिन् तारस्वाराणां प्रस्तुता: सन्ति। अनेन आनन्दस्य प्रतीतं भवति। कर्णप्रियसङ्गीत मन: आह्लादयति पशव: अपि तस्यै श्रोतुं रोचन्ते। सुधयापीडित: हिरण: तृणं त्यक्त्वा सङ्गीतस्य आनन्दं नयति। सङ्गीतं न् केवलं तदेव यत् वाद्ययन्त्रै: उत्पाद्यते। कविना सङ्गीतरूपे अत्र भ्रमरझङ्कारं प्रस्तुतमस्ति।

'मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भृङ्गशब्दै:।'

वर्तमानकालेऽपि अतिथीनां स्वागतं गायनेन करोति इति द्रष्टुं शक्यते

। स्वागतस्य विविधरूपेषु स्वागतगीतं श्रेष्ठं मन्यते। देवतानां आमन्त्रणेऽपि गीतगायनस्य प्रथा अस्ति। तथा च अत्र भ्रमरझङ्कारेण नायकस्य विदूषकस्य च कर्णप्रियं स्वागतं क्रियेते।

सङ्गीतद्धारा एव मलवतीं भगवतीं गौरीं प्रसन्नं करोति। मलयवत्याः भगवत्याः गौर्याः आराधनायां गीतं गायति।

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरद्युते मम हि गौरी।
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन॥

अर्थात् पुष्पितकमलस्य केसराणां परागस्य इव पीतवर्णेन कान्तिः। हे भगवति गौरी, त्वत्प्रसादेन मम कामना सिद्धा भवतु।

2. **वादनकला –** गौरीदेवी मन्दिरे वीणावादनस्य विधिः सर्वोत्तमा अस्ति। वीणावादनकौशले दशविधव्यञ्जनधातूनां प्रयोगाः प्रदर्शिताः सन्ति। व्यक्तिर्व्यञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धाऽमुना–

विस्पष्टो द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽयं लयः।
गोपुच्छाप्रमुखाः क्रमेण यतयस्त्रिस्रोऽपि सम्पादिता–
स्तत्त्वौघानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक् त्रयो दर्शिताः॥

अस्मिन् गीते वीणावादनस्य दशकलाः स्पष्टतया अभिव्यक्तं भवति। द्रुतः, मध्यः, विलम्बितश्च इति त्रिभिः प्रकारैः लयाः विशेषरूपेण स्पष्टः भवति। समा, स्रोतोवहा गोपुच्छा चेति एताः तिस्रः यतयः क्रमेण अभिव्यक्तं भवति। तत्त्वं, ओघं अनुगतं च त्रिवाद्यविधयः सम्यक् दर्शिताः सन्ति।

उपर्युक्तपद्ये सङ्गीतशास्त्रस्य वाद्ययन्त्राणि हर्षवर्धनः कलाशास्त्रे प्रवीणतां प्रदर्शितवान् अस्ति। सङ्गीतशास्त्रस्य सूक्ष्मज्ञानं नास्ति। सः मनुष्यस्य कृते नाटकस्य एषः अंशः कठिनः अभवत्। मलयवत्या वीणावादनस्य उत्तमप्रस्तुतिः नाटके सङ्गीतस्य पराकष्ठायाः परियाचिका अस्ति।

नागानन्दनाटकस्य चतुर्थोऽङ्के यदा गरुडः नायकं अपहरति।
आमोदानन्दितालिर्निपतति किमियं पुष्पवृष्टिर्नभर्स्तेः?
स्वर्गे किं वैष चक्रं मुखरयति दिशा दुन्दुभीनां निनार्दे?

सुगन्धेन भ्रमरान् आनन्दिताः पुष्पवृष्टिः आकाशात् किमर्थं पतति? वा एषः दुन्दुभीनां ध्वनिः दिक्मण्डलं किमर्थं मुखरं करोति। दुन्दुभीनां ध्वनिः यः हृदयं प्रसन्नं करोति। नागानन्दनाटके वाद्ययन्त्राणां उल्लेखेन ज्ञायते यत् अस्य नाटकस्य रचनायां कविः ललितकलायां कियत् समर्पितमासीत्।

3. **चित्रकला –** ललितकलायां चित्रकलायाः अद्वितीयं स्थानमस्ति। चित्रं निर्जीवत्वेऽपि सजीवकार्यं करोति। कस्यचित् मनुष्यस्य छायाचित्रं परोक्षरूपेण तस्य उपस्थितेः आभासं कारयति मनः च आह्लादयति। चित्रकला मनुष्यस्य कल्पनाशक्तिं स्थापयति। यतः तस्य अन्थःकरणस्य अभिव्यक्तिः चित्ररूपेण प्रदर्शितं भूत्वा सर्वान् प्रसन्नं करोति। नागानन्दनाटके नायकेन नायिकायाः चित्रनिर्माणस्य कृते पञ्चानां वर्णानां शिला विदूषकः आनयति। येषां साहाय्येन नायकः मलयवत्याः अभावेऽपि सम्यक् चित्रं निर्माणं करोति।

अक्लिष्ट बिम्बशोभाधरस्य नयनोत्सवस्य इव।
दयितामुखस्य सुखयति रेखाऽपि प्रथमेदृष्टेयम्॥

नायकस्य मनसि स्थितभावरूपं मलयवत्याः छायाचित्रं शिलायाः साहाय्येन शीलायां प्रदर्शितं कृतवान् यत् दृष्ट्वा विदूषक कथयति। यस्य जनस्य प्रतिकृतिः अलिख्यते स पुरतो न विद्यते तथापि तस्य एवं सुन्दरं विरच्यते इति महदाश्चर्यम्। नायकः वदति– मित्रम्

प्रिया सन्निहितैवेयं सङ्कल्पस्थापिता पुरः।
दृष्ट्वा दृष्ट्वा लिखाम्येनां यदि तत् कोऽत्र विस्मयः॥

तस्याः विषये नित्यं चिन्तयित्वा मम प्रिया मम पुरतः एव अस्ति। यदि अहं तां पश्यन् चित्रं करोमि तर्हि अस्मिन् किं आश्चर्यम्

रत्नालवी नाटिकायां सागरिका द्वारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा सुसंगता सागरिकायाः प्रसंसां करोति – **अहो ते निपुणत्वम्। किं शून्यमिवैतच्चित्रं प्रतिभाति। तदहमप्यालिख्य रतिसनाथं करिष्यामि।**

अर्थात् धन्यं ते निपुणता। तथापि एतत् चित्रं शून्यमिव दृश्यते। अतः अहमपि चित्रयित्वा अनुरागयुक्तं करिष्यामि। उदयनः यदा सागरिका द्वारा निर्मितं चित्रं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवत्।

लीलावधूतपदमा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः।
मानसमुपेति केयं चित्रगता राजहंसीव॥

अर्थात् कोऽयं राजहंसीव अस्माकं मनसि प्रविशति?
लीलापूर्वकं पद्मानि कम्पयन्, अस्माकं कृते अतीव अनुकूला इति स्वलक्षणेन आत्मानं दर्शयति।

4. **नृत्यकला –** नृत्यकला मनुष्यं आह्लादयति। यस्याः आनन्दे मनुष्यः नृत्यं निवारयितुं न शक्नोति। आनन्देन नृत्यं कर्तुं आरभते।

निष्यन्दश्चन्दनानां शिशिरयति लतामण्डपे कुम्मिान्ता–
नाराद् धारागृहाणां ध्वनियनु तनुते ताण्डवं नीलकण्ठः।
यन्त्रोन्मुक्तश्च वेगाच्चलित विटपिनां पूरयन्नालवाला–
वापीतोत्पीडहेलाहृतकुसुमरजः पिञ्जरोऽयं जलौधः॥

नागानन्दनाटकस्य तृतीयेऽके नृत्यकला वर्णिता अस्ति। जलयन्त्राणां आपताभ्यां शब्दः निर्गच्छति। आपताभ्यां निःसृतं शब्दं श्रुत्वा मेघगर्जनस्य भ्रमात् मयूरः नृत्यति। सहचरै सह भङ्गानां गीतं सम्पूर्णं लतामण्डलं आनन्दयति। अयं आनन्दः अन्यत्र न लभ्यते, यः अस्मिन् लतामण्डले अनुभूयते। यत्र नृत्यसङ्गीतयोः अद्वितीयः संग्रहः अस्मिन् स्थाने उभयोः आनन्ददायकोऽस्ति।

निष्कर्षः – इत्थं संस्कृतनाट्यपरम्परायां कालिदासस्य पश्चात् यस्य कवेः नाम नयति सः महाकविर्हर्षवर्धनः अस्ति। यः शासनकार्यस्य अत्यन्त व्यस्तः सन् अपि स्वसाहित्यप्रतिभायाः प्रदर्शितवान्। तेन माध्यमेन च सहृदयानां हृदयान् चमत्कृतवान्। संस्कृतसाहित्ये न केवलं नाट्यपरम्परायाः अपितु नाटकीयकाव्यगुणानां च कारणात् संस्कृतसाहित्ये अद्वितीयमस्ति। महाकविर्हर्षवर्धनः स्वरूपकेषु सङ्गीतकलायाः, नृत्यकलाः, वादनकलायाः चित्रकलायाः च सृजनं कृत्वा अधिकं रोचकं कृतवान् अस्ति।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. नागानन्द नाटकम्, पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
2. रत्नावली नाटिकका, डॉ. बालगोविन्द झा, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
3. प्रियदर्शिका नाटिका,पण्डित रामनाथ त्रिपाठी, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण : महिलाएं आंतरिक शक्ति और बाहरी प्रभाव

डॉ. फरहत मंसूरी *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (Psychological Empowerment) महिलाओं की आत्म-जागरूकता, आत्म-सम्मान, और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह महिलाओं के लिए एक आंतरिक परिवर्तन है, जो बाहरी दुनिया में उनके प्रभाव को भी गहराई से प्रभावित करता है।सशक्तिकरण प्रक्रिया आत्म-चिंतन और विकास को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीवन अधिक संतुष्टिदायक बनता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने से उनकी क्षमता और आत्मनिर्णय की भावना बढ़ती है । जब एक महिला प्रगति देखती है, तो इससे उसे और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है ,और वह अपना एवं अपने परिवार का विकास करती है । समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी तब सशक्त बनती है जब वे अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर बाहरी संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं को न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने योग्य बनाता है।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की परिभाषा –'मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म-धारणा, निर्णय क्षमता, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दृढ़ करता है। इसमें स्वायत्तता का अनुभव,नियंत्रण की भावना,अर्थपूर्णता का बोध,प्रभावशीलता की अनुभूति शामिल होती है।'

शब्द कुंजी – मनोविज्ञान, सशक्तिकरण,लक्ष्य, प्रगति, आत्म चेतना, संतुष्टि।

आंतरिक शक्ति के तत्व– महिलाएं जब अपनी पहचान को आत्मसात करती हैं और आत्म-मूल्य को समझती हैं, तब वे मानसिक रूप से सशक्त होती हैं।

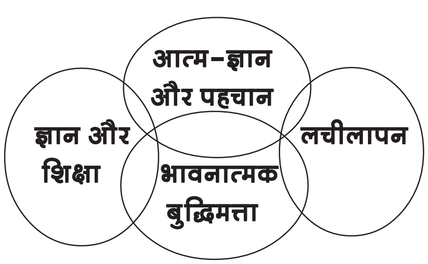

- **आत्म-ज्ञान और पहचान–** महिलाएं जब स्वयं को समझती हैं – अपने मूल्यों, क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने लगती हैं,तब उनके आत्म-विश्वास की नींव बनती है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता–** महिलाओं में जब अपने और दूसरों के भावों को समझने और संभालने की क्षमता आ जाती है,तब महिला तनावपूर्ण स्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती है।
- **लचीलापन (Resilience)–** जब एक महिला चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए पुन: उठ खड़े होने की क्षमता रखती है तो वह आंतरिक शक्ति का संकेत है।
- **ज्ञान और शिक्षा–** शिक्षा महिलाओं की सोच, तर्क और विश्लेषणात्मक शक्ति को बेहतर तरीके से निखारती है।

बाहरी प्रभाव की दिशा :

- **सामाजिक भूमिका–** समाज की सशक्त महिलाएं परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में नेतृत्व और बदलाव की प्रेरणा का स्त्रोत बनती हैं।
- **निर्णय लेने की स्वतंत्रता–** जब महिलाएं अपने जीवन से जुड़े फैसलों को स्वतंत्र रूप से लेने लगती हैं, तो समाज में उनके योगदान की गहराई बढ़ने लगती है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता–** आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं समाज एवं परिवार में अपने अधिकारों की बेहतर रक्षा कर सकती हैं और दूसरों के लिए एक उत्तम उदाहरण बनती हैं।

सशक्तिकरण का परस्पर चक्र – आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान से जन्मी आंतरिक शक्ति, महिलाओं को अधिक सामाजिक जुड़ाव और नेतृत्व के अवसर देती है,साथ ही वहीं पर सामाजिक पहचान और सफलता से उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति और भी प्रबल होती है – यह एक सकारात्मक चक्र है जो सतत चलता है।

बाहरी प्रभाव का विस्तार– सशक्त महिलाएं समाज में बदलाव की वाहक बनती हैं। उनका प्रभाव कई स्तरों पर होता है, प्रभाव के क्षेत्र निम्न है–

1. **परिवार में निर्णायक भूमिका –** जब एक महिला को परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तब महिलाके आत्मविश्वास का विकास बहुत तीव्रता से होता है।
2. **सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व –** जब एक महिला मानसिक रूप से

स्वस्थ्य एवं सशक्त होती है तब वह सामाजिक संगठन का निर्माण करती है तथा साथ ही उसमे नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से योगदान – महिलाओं को जब परिवार एवं समाज में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तो वह समाज एवं परिवार के विकास में स्वस्थ्य योगदान देती है।

4. राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व – जब समाज की महिलाएं समाजिक,आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र एवं सशक्त होती है, तब वह राजनीति में अपनी भागीदारी देते हुए अच्छा प्रतिनिधित्व करती है।

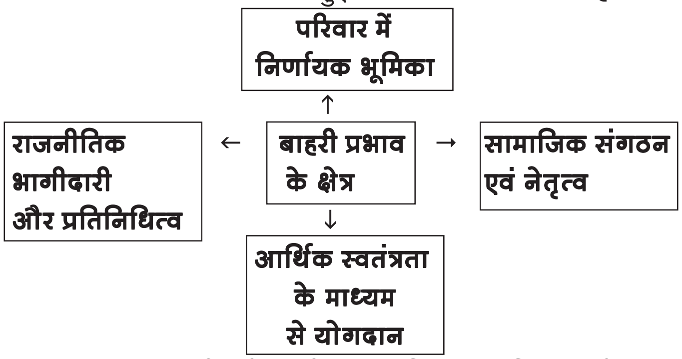

परस्पर संबंध– आंतरिक से बाहरी – जब महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होती हैं, तो उनके विचार, निर्णय और व्यवहार समाज में बदलाव लाने लगते हैं। महिलाओं में आंतरिक विश्वास बढ़ता है तो वह समाज के विकास में अपनी भागीदारी देने लगती है जब समाज में एक महिला को आत्म–सम्मान मिलता है, तो उसके नेतृत्व का विकास होता है महिलाओं में आत्मनिर्भरता आती है, तब वह महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, उदाहरण –

- राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, सशक्तिकरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं में आत्म–विश्वास और निर्णय क्षमता में 60% तक वृद्धि पाई गई।
- सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुईं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने लगीं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की प्रकृति – मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी बाहरी संसाधन पर आधारित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विचारधारा और आत्म–छवि पर आधारित होता है। इसमें महिलाओं के भीतर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं:

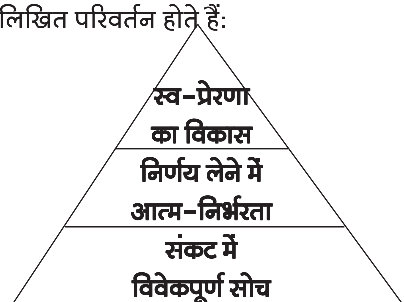

- **स्व–प्रेरणा का विकास–** इसके अंतर्गत महिलाएं बिना बाहरी दबाव के स्वयं को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं।
- **निर्णय लेने में आत्म–निर्भरता–** महिलाएं जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं।
- **संकट में विवेकपूर्ण सोच–** मानसिक सशक्तता महिलाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है।

सामाजिक परिवेश में परिवर्तन– जब महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, तो उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है:

- महिलाएं नेतृत्व भूमिकाओं में आने लगती हैं – पंचायत, स्कूल समिति, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि।
- महिलाएं प्रेरणा स्रोत बनती हैं – अन्य महिलाओं और युवतियों को जागरूक करती हैं।
- महिलाएं मूल्य आधारित संवाद की ओर अग्रसर होती हैं – संवाद में आत्म–विश्वास और स्पष्टता आती है।

मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण के आँकड़े

विवरण	आँकड़ा / विवरण	राशी / सक्रीय महिलाओं की संख्या
लाड़ली बहना योजना लाभार्थी	1.29 करोड़ महिलाएं,	रू 1250/माह की सहायता
स्व–सहायता समूहों में महिलाएं	62 लाख महिलाएं,	5 लाख समूह सक्रिय
महिला आरक्षण	35% शासकीय सेवाओं में, 50% पंचायत/निकाय चुनावों में	–
महिला उद्यमिओं को ऋण	2% ब्याज दर पर	रू 648.67 लाख की सहायता
महिला हेल्पलाइन 181	अब तक 1.57 लाख महिलाओं को सहायता	–
लिंगानुपात सुधार	927 से बढ़कर 956 प्रति 1000 पुरुष	–
बाल विवाह में कमी	बाल–विवाह दर में उल्लेखनीय गिरावट	–
मातृ मृत्यु दर (MMR)	राष्ट्रीय औसत के अनुसार 97 प्रति लाख जीवित जन्म	–

निष्कर्ष –मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण किसी आंदोलन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक करती है। जब महिलाएं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करती हैं, आत्म–निर्णय लेती हैं, और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं – तब सशक्त समाज की नींव रखी जाती है। महिलाओं में मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की नींव है। जब महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर बाहरी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं, तो वे समाज की दिशा बदल सकती हैं,और बदल रही है ।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए एक आत्मिक और सामाजिक विकास का मूल है। जब महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करती हैं, तो उनका प्रभाव घर की चौखट से निकलकर समाज, राष्ट्र और विश्व तक फैलता है। इस जागरण की प्रक्रिया को गति देना ही सच्चे सशक्तिकरण की दिशा है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा अब केवल आर्थिक या सामाजिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही – यह मनोवैज्ञानिक स्तर तक विस्तारित हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाएं अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानकर समाज में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. National Commission for Women. (2024). *Annual report on women's empowerment initiatives*. https://ncw.nic.in
2. Ministry of Health and Family Welfare. (2021). *National Family Health Survey (NFHS-5)*. https://rchiips.org/nfhs/
3. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2024). *Periodic Labour Force Survey 2023–24*. https://www.mospi.gov.in
4. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023
5. PWOnlyIAS. (2024, March 21). -भारत में महिला सशक्तिकरण https://pwonlyias.com/hi/current-affairs/women-empowerment-in-india/
6. NextIAS. (2024, April 15).महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता https://www.nextias.com/blog/महिला–सशक्तिकरण
7. Press Information Bureau. (2024, August 5). *11 years of women empowerment programs in India*. https://pib.gov.in
8. Academia.edu. (2023). पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण: मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में. https://www.academia.edu
9. Saras Janvaad (2025,May 22). महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है मध्य प्रदेश. https://sarasjanvaad.com/2025/05/chief-minister-dr-yadav-women-empowerment-madhy/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शरद मिश्र के काव्य में शिल्प के प्रतिमान

अभिषेक एड़े* डॉ. नीना उपाध्याय**

* शोधार्थी (हिन्दी) रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माँनकुवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन प्रमुख कवियों में हैं, जिन्होंने न केवल मानवीय संवेदनाओं को स्वर दिया, बल्कि काव्य-शिल्प की दृष्टि से भी नव्यता के प्रतिमान स्थापित किए। उनका काव्य पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़ते हुए एक नवीन काव्यभाषा, प्रतीक योजना, बिंब विधान तथा संरचना के स्तर पर मौलिकता का संकेत देता है। शरद मिश्र उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत हिन्दीं विषय के प्राध्यापक है, उन्होंने कविताएँ , गीत, काव्यपत्र, हिन्दी गजलें, बुन्देली गजले लिखकर विपुल साहित्य की सर्जना तो की ही है, साथ ही संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट एवं कालीदास के साहित्य का हिन्दी भाषा में 24 मात्राओं के छंद में काव्यानुवाद करके नया कीर्तिमान रचा है। अब तक शरद मिश्र की 400 से अधिक किताबें नये कलेवर में 23 खंड़ों में डॉं प्रणय के संपादन में प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में भी उनकी लेखनी निरंतर चल रही है। इस शोध पत्र में शरद मिश्र की कविताओं के शिल्पगत पक्षों का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनके प्रयोगधर्मी रचनात्मक दृष्टिकोण, भाषा की लयात्मकता, संरचनात्मक विविधता तथा अभिव्यक्ति के नये आयामों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करेगा कि शरद मिश्र की काव्य-रचना में शिल्प केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, बल्कि संवेदना के सार्थक अन्वेषण का उपकरण भी है। साथ ही यह अध्ययन उनके काव्य में शिल्प, अर्थ और अनुभूति का समुचित समन्वय की पड़ताल भी करेगा, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता के शिल्प विधान में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

शब्द कुंजी – काव्य-शिल्प, बिंब, प्रतीक, भाषा, दृश्य-बिंब, श्रव्य-बिंब, काव्य-शैली।

प्रस्तावना – अभिव्यक्ति मानवीय मन की स्वाभाविक और अनिवार्य प्रवृत्ति है। जब मनुष्य इस चराचर जगत में विभिन्न दृश्यों, घटनाओं और अनुभूतियों का अवलोकन करता है, तब उसके अंतर्मन में उनसे सम्बद्ध भाव-चित्र स्वत: अंकित हो जाते हैं। ये भाव-तरंगें इतनी तीव्र होती हैं कि मौन में बंधकर नहीं रह सकतीं; वे बाहर आने को आकुल हो उठती हैं। यही आकुलता अभिव्यक्ति की जन्मदात्री बनती है। साहित्य और कला के समस्त रूप – विशेषत: काव्य – इसी अभिव्यक्ति की सौंदर्यपूर्ण परिणति हैं। कवि अपने मनोभावों को आकार देने हेतु भाषा, बिंब, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि काव्य-तत्त्वों का आश्रय लेता है। इन कलात्मक साधनों के माध्यम से वह अपने विचारों को सौंदर्यबोध से युक्त कर जनमानस तक पहुँचाता है। शरद मिश्र ने उनके काव्य में ये अभिव्यक्ति-साधन परंपरागत रूढ़ियों से हटकर एक नवीनता के साथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि नवीन युगबोध और जटिल मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए नूतन शिल्प और संवेदन की आवश्यकता होती है। शिल्प किसी भी काव्य की आत्मा को रूप देने वाला तत्त्व है। यह न केवल कवि की संवेदनाओं को संप्रेषित करने का माध्यम होता है, बल्कि पाठक को काव्य की गहराइयों तक ले जाने का सेतु भी बनता है। शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता में उन कवियों में अग्रणी हैं, जिन्होंने न केवल विषय-वस्तु में नवीनता लाई, बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी काव्य को नए प्रतिमान प्रदान किए। इस शोध का उद्देश्य उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत प्रयोगों, नवाचारों एवं उनकी कलात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करना है।

शरद मिश्र की काव्य-संवेदना एवं उसका शिल्पगत अन्वेषण– शरद मिश्र की कविताएँ मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक विडंबनाओं और अस्तित्वगत प्रश्नों को एक मौलिक दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। उनके काव्य में अंतर्मन की गहन अनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से इस प्रकार ढलती हैं कि पाठक एक जीवंत अनुभव से गुजरता है। इस अनुभूति को प्रभावशाली रूप देने के लिए उन्होंने शिल्प को एक सक्रिय उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। उनकी संवेदना में जहाँ एक ओर गहरे आत्मचिंतन की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर समकालीन समाज की त्रासदियाँ भी बिंबित होती हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य संतुलन बनाने के लिए शरद मिश्र ने भाषा, प्रतीक, शैली और संरचना जैसे शिल्पतत्त्वों को अत्यंत सृजनात्मक ढंग से साधा है।

1. **भाषा-शिल्प –** भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं है, वह वह सेतु है, जिससे एक व्यक्ति का सत्य दूसरे तक पहुँचता है। काव्य-शिल्प के उपादानों में प्राथमिक उपकरण भाषा ही है। शरद मिश्र की काव्य-भाषा बहुआयामी है, जिसमें सरलता और सादगी होते हुए भी विशिष्टता विद्यमान है। लयात्मकता और भावानुकूलता के साथ-साथ सपाट बयान और व्यंग्यात्मकता का भी अद्‌भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ शब्दों और अलंकारों से काव्य को गरिमा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरल, सीधी और सपाट भाषा के माध्यम से आम जीवन की सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में व्यंग्य का स्वर भी प्रमुखता से उभरता है-कहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा कटाक्ष तो कहीं सामाजिक ढोंग पर तीखा प्रहार-यह सब वे व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, जिससे पाठक न केवल मुस्कराता है, बल्कि सोचने को भी विवश हो जाता है। लोकभाषा के प्रयोग से उनकी रचनाएँ और भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बन जाती हैं। इस तरह शरद मिश्र की भाषा केवल काव्य-सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का सशक्त दर्पण भी बन

जाती है। भाषा की सहजता का उदाहरण देखिये–

भिखारियों को भीख मत दे
इस पर अमल करने का
रहता है प्रयास।
पर माँगने वाले की शक्ल मिलती है कभी
मेरे पिता से
या फिर मेरे बेटे से
तो जेब से निकल ही जाता है कुछ
अनायास।।[1]

शरद मिश्र के काव्य की सपाट बयान बाजी यहाँ दृष्ट्व है–

नई पड़ रही है हिम्मत किसी की ,
कह तो दे नृप को नंगा।
जला दिये जायेंगे घर, फूँकेंगी दुकानें,
मारे जायेंगे कितने अलगू–जुम्मन[2]

शरद मिश्र ने अपने काव्य रूपांतरण में 'संस्कृतनिष्ठ' शब्दों के साथ–साथ शुद्धता, सरलता, लयात्मक भाषा का प्रयोग बहुतायत किया है। कादम्बरी काव्य रूपांतरण की भाषा के संबंध में डाँ. रमाशंकर शुक्ल लिखते हैं कि– 'डाँ. शरद मिश्र द्वारा रचित इस ग्रंथ की एक अलग विशेषता यह है कि इसमें सब कुछ पद्यमय है, गद्य का लेशमात्र भी स्थान नहीं है। सर्वाधिकार से लेकर पुस्तक के मूल्य तक का वर्णन छंद में है।'[3] भाषा पर ऐसा अधिकार की सब कुछ पद्य रूप में कह देना शरद मिश्र की विशेष प्रतिभा का परिचायक है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का सुन्दर संयोजन इस पद्य में अवलोकनीय है–

भवनों का तिलक सत्यभू अवन्तिका नगरी,
शोभित थी महाकाल, महादेव से नगरीय
वाराह ने किया ज्यों हिरण्याक्ष का विक्षेप ,
उज्जयिनी भी दिखाते हैं पाशों का निपेक्ष[4]

शरद मिश्र के कथ्य में भाषा के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र न होकर संवेदना और विचारों का सशक्त माध्यम बन जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ एक ओर संस्कृतनिष्ठ और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर बुंदेली जैसी लोकभाषा की सहजता और जीवंतता को भी स्थान दिया है। विशेषकर बुंदेली सृजन में उन्होंने लोकजीवन की भाषा की मौलिकता को बनाए रखने में अत्यंत कुशलता एवं प्रौढ़ता का परिचय दिया है। यही कारण है कि उनकी कविताएँ स्थानीय बोली–बानी की सोंधी महक और यथार्थ का आंचलिक सौंदर्य लिए हुए प्रतीत होती हैं। बुन्देली भाषा काव्य का उदा–

खा जैहौ गारीं तौ दइयौ नैं खोरी
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी!!
महँगी भई चीजें कैंसी गुजर है।
जा साल की होरी ऊँसइ निकर है।।
महँगाई ने सबकी कम्मर है टोरी।
ए देवरा रे! आज नैं खेलौ होरी।।[5]

शरद मिश्र ने अपने काव्य में नवीन प्रयोग करते हुये हिन्दी के कवियों की चौपाई , पंक्तियों का यत्र– तत्र प्रयोग किया है जो कि उनके काव्य की भाषा को और भी आकर्षक और अर्थवान बनाता है यथा उदा.–

पहुँच चुके सब एक दिन पूर्व
अगले दिन भांजेंगे तलवारें, दिखायेंगे हुनर
जनायेंगे जिसे आपा, फिर वह–
'जानत तुमहिं तुमहिं होई जाई'।।
अगर 'मुक्तिबोध' की मानें तो उन महागुरूओं को–
अब अभिव्य क्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगें।।[6]

हिन्दी के आदिकालीन कवि विद्यापति की पंक्ति प्रसिद्ध है कि – 'देसिल बअना सब जन मिट्ठा अर्थात देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सबको मीठी लगती है'।[7] शरद मिश्र ने अपने काव्य में लोकभाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है जो उनके भावों की अभिव्यक्ति को सरल और सशक्ता बनाती है उदा.–

बसमतिया से जंगल में जबरजिना का,
गवाह थे बहुतेरे धान कटैया,
कुछ चरवाहे– कुछ हरवाहे,
रो–रोकर बता रही थी बसमतिया,
परधनवा भी सुन रहा था दाँत निपोरे,
कोयल–पपीहे भी यही टेर लगा रहे थे।
पोंड़की–तीतर तक नियाव की आस जगा रहे थे।[8]

शरद मिश्र के काव्य की भाषा के संबंध में उनके काव्य पर शोध कर चुकी डाँ. मनीषा द्विवेदी लिखती है, कि 'डाँ. शरद कुमार मिश्र की भाषा सहज– सरल होते हुये भी अर्थ– गाम्भीर्य से युक्त हैं। कहीं– कहीं यह भाषा इतनी सहज हो गई है कि इसे आम आदमी की आम भाषा कहा जा सकता है।'[9] शरद मिश्र की भाषा आम आदमी की जुबान है, वर्तमान की भाषा है, उसमें एक विशेष प्रकार का अनगढ़पन है, । भाषा के अनगढ़पन का उदा.प्रस्तुत है–

दो समधियों में जुड़ गया संबंध प्यार का ।
टी.बी. पर फ्रिज पर हाँ हुई झगड़ा था कार का ।।
सामान न हो नेग में तो कैश दीजिये।
पालेंगे नहीं हम कोई लफड़ा उधार का ।।[10]

शरद मिश्र की काव्य–भाषा बहुस्तरीय और प्रभावपूर्ण है, जो शुद्ध साहित्यिकता के साथ–साथ व्यावहारिक जीवन की सच्चाइयों को भी समेटे हुए है। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ गरिमा, लोकभाषा की मिठास, सपाट बयानों की सादगी और व्यंग्य की तीक्ष्णता एक साथ दिखाई देती है। यही विशेषताएँ उनकी भाषा को न केवल काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त बनाती हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और संवेदना का भी प्रभावशाली माध्यम बना देती हैं।

2. **बिंब एवं प्रतीक–**'काव्य में बिंब और प्रतीक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं किन्तु संश्लिष्ट अर्थ– छायाओं को मूर्त करने की दृष्टि से 'बिंब' का महत्व अधिक है। प्रतीक और बिंब दोनों की चर्चा प्रायरू साथ में होती है। इसका कारण यह है कि दोनों ही मूर्ति– विधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है किन्तु दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। बिंब जब बार– बार प्रयुक्त होकर किसी वस्तु या भावस्थिति – विशेष के द्योतक बन जाते हैं तब उन्हें प्रतीक मान लिया जाता है।'[11] शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन सशक्त रचनाकारों में हैं, जिनके काव्य में बिंब योजना अत्यंत समृद्ध, सघन और बहुस्तरीय है। वे बिंबों के माध्यम से केवल दृश्य रचते भर नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को उद्घाटित करते हैं। शरद मिश्र के यहाँ बिंब योजना दृश्य, श्रवण, स्पर्श, भाव, वस्तु, प्रतीक, और विवृत बिंबों के सहारे एक ऐसी रचना प्रक्रिया का निर्माण करती है, जो कविता

को दृश्य नहीं, अनुभव का प्रमाण बनाती है। शरद मिश्र की कविताओं प्रयुक्त बिंब-

दृश्य बिंब - ये बिंब आँखों के सामने किसी नेता के आगमन के आयोजन की तैयारी का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। उदा.-

'बड़ी सुहानी है सुबह कस्बें की,
चार बजे भोर में ही चली है खर्राटा झाड़एँ,
नहीं है सड़क पर एकौ धूल
चुभती कहाँ है नंगे पाँव कोई काँकरी।
बड़े किये है लोगों ने अपने दिल,
चौड़ी हुई है ,प्रेम गली साँकरी।।
डाला है ट्रैक्टर ने सड़क पर पानी,
जगमगा रही है दिन में रोशनी', [12]

श्रवण बिंब - ये ध्वनि से जुड़ी संवेदना को जगाते हैं।उदा.

'बताया जा रहा है-
रिक्शो में बँधवाकर चोंगा, आटो से चिल्लाकर,
सुन रहे हैं मोटरियों में बैठे,
कुछ पढ़े लिखों को अखबार है।' [13]

वस्तु बिंब -वह बिंब जो किसी ठोस भौतिक वस्तु को इस तरह चित्रित करता है कि वह प्रतीक बन जाए। शरद मिश्र की कविता में खजूर को वस्तु बिंब के प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि खजूर अबला स्त्री का प्रतीक बन जाये।

'इधर बाहर मीटिंग में हजूर,
उधर भीतर कमरे में सकुचाया खजूर,
पोथी- पन्ने की समेटा- समाटी,
बँट गई हिसाब से रोटी दाँत काटी,
हजूर का तब कमरे में जा समाना।
गिराना लाल देखकर सहमे खजूर को,
पुचकारना, आँखें दिखाना,धौंस जमाना
मुँह फाड़ना बारबार खाने के लिये,
भिड़ा था खजूर अपने आपको बचाने के लिये' [14]

3. प्रतीक योजना - शरद मिश्र समकालीन हिंदी कविता के उन रचनाकारों में प्रमुख हैं, जिनकी कविता सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ की तीव्र पड़ताल करती है। उनके काव्य की एक विशेष उपलब्धि है - प्रतीक योजना की बौद्धिक गहराई और काव्यात्मक सघनता। वे प्रतीकों के माध्यम से अपने समय के संकटों को न केवल उजागर करते हैं, बल्कि उन्हें एक व्यापक दार्शनिक और मिथकीय आयाम भी प्रदान करते हैं। शरद मिश्र के प्रतीक परंपरागत नहीं हैं - वे न तो केवल सौंदर्यबोध के उपकरण हैं, न ही शुद्ध कल्पना के उपज वे यथार्थ की उपज हैं, उनकी कविता में महाभारत के चरित्र और घटनाएँ आधुनिक संदर्भों में प्रतीक रूप में प्रयुक्त होती हैं। यथा-

'वर्ग भेद करते अमानुष,
अर्जन के लिये
एकलव्य से पक्षपात करते द्रोणाचार्य
न घुस पाये गुरुकुल में' [15]

शरद मिश्र आज के समाज के यर्थात को नवीन प्रतीकों के माध्यम से कहने में सफल है। एक और उदा द्रष्टवय हैं-

'हजूर ,यह हमारे देश
का सबसे बड़ा सम्मानित भिखारी है!
यह भिक्षावृत्ति ही तो
हमारी सर्वोच्य कलाकारी है !!
भीख माँगते हैं इसके संग-
स्टेशनों और ट्रेनों में
हिंजड़े, पुलिस वाले, टीटी,
प्रमाण पत्र दिखाते हुये
देवी देवता के चित्रों पर' [16]

शरद मिश्र ने अपनी कविताओं में प्रतीकों को बड़ी ही कौशलता से गढ़ते है। परिणाम स्ववरूप उनके प्रतीक भावों के उद्घाटन और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के प्रभावी माध्यम बनते हैं। कवि ने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक यथार्थ को उकेरने के लिए ऐसे प्रतीकों का सहारा लिया है जो जीवंत, सशक्त और समयानुकूल हैं। ये प्रतीक पाठक के मन में सहज बोध उत्पन्न करते हैं और जटिल अनुभूतियों को सरल एवं ग्राह्य बना देते हैं। इसी कारण शरद मिश्र की प्रतीक योजना में एक ओर कलात्मकता का वैभव दिखाई देता है तो दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों की गहरी अभिव्यक्ति भी उभरकर सामने आती है।

'सर्कस -
चला है नये तरीके का ,
जाता है दिखाने
अपना खेल बिदेसों में अब
नहीं होते पर
इसमें आजकल
चौपाये एक भी कहीं,
सारे दो पाये ही,
बुद्धि पर वैसी ही कुछ !
होता है मालिक इन सबका
रिंग मास्टकर या मेट एक
इकट्टा करता है
चंदा इन दोपायों से
वेतन- उजारत देने की जगह' [17]

उपरोक्त विवेचन से कहा जा सकता है कि - शरद मिश्र का काव्य बिंब योजना एवं प्रतीकों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जहाँ बिंब यथार्थ का संवेदनात्मक उद्घाटन हैं। उनके बिंब सामाजिक विमर्श को गहराई प्रदान करते है, और पाठक को देखने से आगे समझने और महसूस करने की ओर ले जाते हैं। साथ ही, उनकी प्रतीक योजना भी उनके काव्य को एक सघन और वैचारिक स्वरूप प्रदान करती है। वे प्रतीकों के सहारे कालजयी मिथकों और समकालीन यथार्थ के बीच एक ऐसा सेतु निर्मित करते हैं, जो पाठक को केवल कविता के सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे प्रश्नों, प्रतिरोधों और हस्तक्षेपों में भी सहभागी बनाता है। इस प्रकार शरद मिश्र का काव्य साहित्यिक कला और सामाजिक चेतना का एक अद्वितीय संगम बन जाता है, जहाँ बिंब और प्रतीक दोनों ही संवेदना और विचार के वाहक बनकर उपस्थित होते हैं।

4. शैली और संरचना- शरद मिश्र अपनी काविताओं गजलों के शीर्षक से ही अपनी विशिष्ट शैली का परिचय देते है, जैसे तुम्हारे लिये, सबके

लिये, चलो गायें गीत प्यार के, आओं अपनी तुम्हारी बात करे, वे पाठकों से एक अंतरंग संवाद स्थापित करते हैं, मानो वे कविताओं, गजलों के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को सीधे उनके हृदय में प्रवाहित कर रहे हों। वे पाठक से केवल पढ़ने की नहीं, सोचने और महसूस करने की भी अपेक्षा रखते है। यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आत्ममंथन को प्रेरित करती हैं । वे कभी 24 मात्राओं के छंद में कविता गढ़ते है, तो कभी तंग काफिये की गजल कहते है। वे कभी अपनी कविता को छंद के मुक्ति दिलाते है तो कभी कालीदास ,बाण के गूढ़ साहित्य को हिन्दी भाषा के 24 मात्राओं के छंद्र में बांधते है। वे संवादात्मक शैली, आत्ममंथनपरक शैली ,विचारोत्तेजक शैली से काव्य को पुष्ट करते हैं।

संवादात्मक शैली का उदा–

मत ढो रंग बिरंगी किताबें,
हटा दो–
अष्टावक्र की कूबड़ सा
पीठ पर धरा बस्ता[18]

आत्ममंथनपरक शैली का उदा–

अजादी दिलाई थी जिसने
अहिंसा जिसका परम सहारा था।
उस लँगोटधारी को भी तो
ऐसे ही शस्त्र ने मारा था।।[19]

विचारोत्तोजक शैली का उदा.

इक रूपहल गान होना चाहिए।
अब तो सब आसान होना चाहिए।।[20]

5. लय और गति– यद्यपि उनकी कविता छंदबद्ध नहीं है, परन्तु उसमें उपस्थित कथानक में स्वाभाविक लय और विचार की गति विद्यमान रहती है, जो पाठक को बाँधकर रखती है। उदा.

जहर डगर डगर है, जहर नगर नगर हैय
है जहर कस्बे–कस्बे, गाँव–गाँव है।
डूबने में है–उतरने में है,
हर ठिकाने है, जहर हर ठावँ है।।[21]

समकालीनता और शिल्प – समकालीन हिंदी कविता ने विषय के साथ–साथ अभिव्यक्ति के ढंग में भी व्यापक परिवर्तन देखा है। शरद मिश्र इस प्रवृत्ति के संवाहक कवि हैं, जिन्होंने परंपरागत शिल्प से हटकर एक ऐसा शिल्प अपनाया है जो समय की जटिलता, विडंबनाओं और द्वंद्वों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। उनकी कविताओं में प्रयुक्त प्रतीक समकालीन जीवन के गहरे अनुभवों से उपजे हैं। भाषा विचारशील है, संरचना प्रयोगधर्मी है और शैली आत्मीय है। यही विशेषताएँ उनके शिल्प को समकालीन कविता की मुख्यधारा में एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं।

निष्कर्ष – शरद मिश्र का काव्य समकालीन हिंदी कविता की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल भाव की प्रखरता तक सीमित नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी सजग और प्रयोगशील है। उन्होंने शिल्प को केवल सौंदर्य का साधन न मानकर संवेदना के संप्रेषण का सक्रिय माध्यम बनाया है। उनके काव्य में प्रयुक्त शिल्पगत तत्त्वकृभाषा, बिंब, प्रतीक, लय, शैली एवं संरचना–सभी समकालीनता से अनुप्राणित हैं और उन्हें एक सशक्त काव्य–व्यक्तित्व प्रदान करते हैं।यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शरद मिश्र के काव्य में शिल्प और संवेदना का गहन और संतुलित संगम विद्यमान है, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 28.
2. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक,कविता– लाली देखन मैं गई , पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं 524
3. दैनिक समय शहडोल , कादम्बरी का काव्य रूपांतरण– डॉं रमाशंकर शुक्ला, संस्करण अगस्त 1994
4. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, महाकाव्य खंड 11, कादाम्बरी गाथा, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं.37
5. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,खड़ी बोली – बुन्देली काव्य खंड सात, कविता– बंधा पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं. 378.
6. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– शोध संगोष्ठी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 60,61
7. शुक्ल आचार्य रामचंद्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली1, आवृत्ति संस्करण 2015 पृ.सं. 15
8. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– नियाव पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 199
9. द्विवेदी डॉं. मनीषा, डॉं शरद कुमार मिश्र – स्वरूप एवं सजृन, शेखर प्रकाशन इलाहबाद, प्रथम संस्करणरण 2003, पृ.सं. 127
10. मिश्र डॉ. शरद कुमार, सबके लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1993, पृ.सं.28
11. तिवारी डॉ. रामचन्द्र ,भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिन्दी–आलोचना, विश्व विद्यालय प्रकाशन बाराणसी, तृतीय संस्करण 2016 पृ.सं.174
12. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना , नई कविता खंड दो, कविता– पधराई उनकी, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 143.
13. वही पृ.सं.142
14. वही पृ सं.130
15. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता– तो दो, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 21
16. डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड तेरह, पंकज बुक्स दिल्ली , प्रथम संस्करण 2022,पृ.सं. 49
17 वही पृ.सं.62
18 . डॉ. प्रणय संपादक, शरद सर्जना, नई कविता खंड एक, कविता– हजूर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 21
19. वही पृ.सं.38
20. मिश्र डॉ. शरद कुमार, तुम्हाकरे लिये गजल संग्रह, रचना प्रकाशन शहडोल म.प्र., प्रथम संस्करण जनवरी 1992, पृ.सं.31
21. डॉ.प्रणय संपादक, शरद सर्जना ,नई कविता खंड एक, कविता– जहर, पंकज बुक्स दिल्ली, प्रथम संस्करण 2020,पृ.सं. 135

वैदिक-सृष्टि संरचना एवं स्वरूप

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वेद शब्द का दार्शनिक आशय 'ज्ञान' है। 'विद्' धातु से इसकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका तात्पर्य है जानना, अनुभव करना, और सत्य का उद्घाटन करना। प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जो ब्रह्मांडीय सत्य अनुभूत किया, वही वेदों में प्रतिपादित है। अत: वेद केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर, दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चिंतन का प्राचीनतम स्रोत हैं।

'सत्येन विद्या ज्ञानेन, वेदि विश्वं विचक्षण:।।1।।'

अर्थात् सत्य और ज्ञान के द्वारा ही इस विश्व की वास्तविकता को जाना जा सकता है। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड का मूलाधार केवल आस्था नहीं, बल्कि गहन अनुभूति और ज्ञान है।

'विस्तृणि वि स्तृणि प्राणो, भूयिष्ठं सुषुम्नायोऽविन्दत्।
ततो विश्वानि भूतानि, वेदि विश्वे विचक्षण:।।2।।'

इस सूक्त में प्राण को सृष्टि का मूल कारण माना गया है। प्राण ही वह शक्ति है जिससे सभी भूत और जगत की उत्पत्ति हुई। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की उस धारणा से मेल खाती है जिसमें ऊर्जा को जगत का आधार कहा गया है।

'प्रजापतिर्यज्ञं तनोति, सूर्याचन्द्रमसाविह।
एवं द्विवेधा वेदा नस्य, यस्मात्सृष्टिर्विभज्यते।।3।।'

यहाँ प्रजापति को सृष्टिकर्ता माना गया है। वह यज्ञरूप सृजन प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था करता है, जिनसे काल और जीवन की लय संचालित होती है। 'यज्ञ' का आशय यहाँ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति में चल रही सृजन की सतत क्रिया है।

'आशायामासीदात्मन्येषां सूर्य आत्मा जगत: सुषुप्स:।
तं जन्मिनो बृहतो बिभ्रतीति, यतो देवा अजायन्त विश्वे।।4।।'

इस सूक्त में आत्मा को जगत का आधार बताया गया है। आत्मा ही सूर्यरूप में प्रकट होकर जगत को जीवन देती है और उसी से देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ।

ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त सृष्टि के रहस्य पर गहन चिंतन प्रस्तुत करता है–

'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीव: कुह कस्य शर्मन्नम्भ:, किमासीद्गहनं गभीरम्।।5।।'

इस मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में न सत् था, न असत्, न आकाश था, न पृथ्वी। केवल एक अनिर्वचनीय सत्ता थी। यह कथन सृष्टि के रहस्यमय और अज्ञेय स्वरूप की ओर संकेत करता है।

'तम आसीत्तमसा गूळ्हमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदत्।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्।।6।।'

यहाँ अंधकार और जल को प्रारंभिक स्थिति बताया गया है। उसी जल में छिपे एक महान तपशक्ति से एक अद्वितीय तत्तव प्रकट हुआ, जो सृष्टि की जड़ बना।

'किं स्विदासीत्क उ नु यत्रासीत्, अर्वाग्देवा अजनयन्नभूत।
विश्वकर्मा विमना: परो यत्को देवस्य हविषा विधेति।।7।।'

इस सूक्त में 'विश्वकर्मा' को महान शिल्पी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड की संरचना को एक सुव्यवस्थित योजना माना गया है, जिसमें प्रत्येक तत्तव की भूमिका निश्चित है। यह आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत समीप है।

ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सृष्टि-दर्शन का अत्यंत गहन निरूपण करता हैकृ

'सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वा, अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्।।8।।'

यहाँ पुरुष को विराट ब्रह्मांडीय सत्ता माना गया है, जो सहस्र शीश, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाला है। सम्पूर्ण जगत उसी का विस्तार है।

'स वै एष पुरुषो यज्ञेन सर्व प्रजापति:।
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्, पुरुषं जातमग्रत:।।9।।'

पुरुष को प्रजापति और यज्ञरूप बताया गया है। उसके अंगों से ही सृष्टि के विविध अंग प्रकट हुए।

'तेन देवा अजनयन्त, साध्या ऋषयश्च ये।
सर्वज्ञं सर्वत: स्थूलं, विश्वरूपं प्रजापतिम्।।10।।'

इस श्लोक में देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति पुरुष से मानी गई है। पुरुष ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और विश्वरूप प्रजापति है।

'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे, भूतस्य जात: पतिरेका आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम।।11।।'

यहाँ 'हिरण्यगर्भ' को सृष्टि का प्रथम कारण कहा गया है। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया और सम्पूर्ण सृष्टि का नियंता बना।

'यथा ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत तत: समुद्रो अर्णव:।।12।।'

यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऋत (नियम) और सत्य से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। उसी से रात्रि, दिवस और समुद्र की उत्पत्ति हुई। यह समय और प्रकृति की मूलभूत संरचना का संकेत है।

'न मृत्युरासीत्मृत्युनो न तर्हि, न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेत:।

आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न पर: किञ्चनास॥13॥'

इस सूक्त में कहा गया है कि आदि काल में मृत्यु और अमरत्व, दिन और रात्रि, किसी का भी अस्तित्व नहीं था। केवल एक ही सत्ता थी, जो अपनी स्वधामय शक्ति से विद्यमान थी।

इन समस्त वैदिक मंत्रों से स्पष्ट होता है कि भारतीय ऋषियों ने सृष्टि को केवल धार्मिक आख्यान के रूप में नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। कभी सृष्टि को रहस्यमय और अज्ञेय बताया गया, कभी उसे विराट पुरुष या हिरण्यगर्भ के रूप में मूर्त किया गया और कभी उसे विश्वकर्मा की सुव्यवस्थित रचना कहा गया। यह दृष्टिकोण भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिकता का परिचायक है और आधुनिक ब्रह्मांड-विज्ञान को भी एक प्राचीन बौद्धिक आधार प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अथर्ववेद 19.68.1
2. अथर्ववेद 11.4; ऋग्वेद के प्राण-सूक्तों से संबंधित
3. ऋग्वेद 10.90; शुक्ल यजुर्वेद 31
4. ऋग्वेद 10.121; हिरण्यगर्भ सूक्त
5. ऋग्वेद 10.129.1
6. ऋग्वेद 10.129.3
7. ऋग्वेद 10.129.6
8. ऋग्वेद 10.90.1
9. ऋग्वेद 10.90.6-7
10. ऋग्वेद 10.90.8
11. ऋग्वेद 10.121.1
12. ऋग्वेद 10.190.1-2
13. ऋग्वेद 10.129.2

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार: चुनौतियाँ, प्रगति और भविष्य का मार्ग

डॉ. नीता मौर्य *

* सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र) श्री शिवा डिग्री महाविद्यालय, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.)भारत

शोध सारांश – कार्यस्थल पर लैंगिक समानता केवल नैतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार है। यह शोध पत्र कार्यस्थल में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के अटूट संबंध का विश्लेषण करता है। इसमें व्यवस्थित असमानताओं (वेतन अंतराल, भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न), उनके मानवाधिकारों पर प्रभाव (समानता, गरिमा, सुरक्षा, आजीविका का अधिकार), और वैश्विक व भारतीय कानूनी ढांचों की समीक्षा शामिल है। साथ ही विविधता, समावेशन और सशक्तिकरण की रणनीतियों का मूल्यांकन करता है तथा सुझाव देता है कि सही मायने में समावेशी कार्यस्थल केवल कानूनी अनुपालन से नहीं, बल्कि संस्कृति, नेतृत्व प्रतिबद्धता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन से ही प्राप्त हो सकते हैं। निष्कर्षत: लैंगिक समानता किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत में मानवाधिकार कानून, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकने वाले, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों को 'मानवाधिकार' के रूप में परिभाषित करता है।

शब्द कुंजी – लैंगिक असमानता, मानवाधिकार, POSH.

प्रस्तावना – लैंगिक समानता और मानवाधिकार आधुनिक समाज के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कार्यस्थल पर समावेशी और निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों, महिलाओं और अन्य लैंगिक पहचानों के बीच समान अवसर, वेतन, और सम्मान सुनिश्चित करना। मानवाधिकार, जैसे कि गरिमा, समानता, और भेदभाव से मुक्ति, कार्यस्थल की नीतियों और प्रथाओं का आधार बनते हैं। यह पेपर कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के बीच संबंध, इसके महत्व, चुनौतियों, और समाधानों का विश्लेषण करता है। 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है।

समस्या कथन: लैंगिक आधार पर भेदभाव और असमानता, कार्यस्थल पर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह आर्थिक अक्षमता उत्पन्न करता है और सामाजिक प्रगति में बाधाक है।

उद्देश्य:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के महत्व को समझना।
2. मानवाधिकार सिद्धांतों के संदर्भ में लैंगिक भेदभाव की चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. समाधान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान प्रश्न:

1. कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप कौन से हैं और ये कैसे विशिष्ट मानवाधिकारों का हनन करते हैं?
2. लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनी/नीतिगत ढांचे की प्रभावशीलता क्या है?
3. भारतीय संदर्भ में, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, लैंगिक समानता के लिए क्या विशिष्ट बाधाएँ और समाधान हैं?

साहित्य समीक्षा

लैंगिक समानता और मानवाधिकारों पर कई अध्ययनों ने कार्यस्थल में भेदभाव, असमान वेतन, और अवसरों की कमी को उजागर किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं। भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन 15–30% कम है। मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से, संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) के अनुच्छेद 23 में सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। फिर भी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक रूढ़ियों, और ग्लास सीलिंग जैसे मुद्दे लैंगिक समानता को बाधित करते हैं।

मानवाधिकार ढांचा: CEDAW (1979), ILO समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (1951), यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स (2011) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मानवाधिकार के रूप

में स्थापित करते हैं। कांच की छत (Glass Ceiling): अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष पदों तक पहुँचने से रोकती हैं (Morrison et al– 1987)। मातृत्व अभिशाप (Motherhood Penalty): मातृत्व के कारण वेतन और करियर प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव (Correll et al–, 2007)। पुरुष–प्रधान संस्कृति (Hegemonic Masculinity): कार्यस्थल संस्कृति में पुरुष मानदंडों का वर्चस्व (Connell, 1987)। यआर्थिक तर्क: मैकिन्से (2015) – लैंगिक समानता वैश्विक GDP में +12 ट्रिलियन तक जोड़ सकती है। विविध टीमें अधिक नवाचारी होती हैं। भारत में, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून जैसे लैंगिक समानता अधिनियम, 1976, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 (POSH) और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लागू किए गए हैं। हालांकि, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में इन कानूनों का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है।

भारतीय संदर्भ: POSH अधिनियम, जिसका पूरा नाम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधा और निवारण) अधिनियम, 2013' है, भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना, उससे बचाव करना और उसका निवारण करना है. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (2013 – POSH), मातृत्व लाभ अधिनियम (2017 का संशोधान)। अध्ययन: अशोका यूनिवर्सिटी (2019) – भारत में उच्च शिक्षित महिलाओं की श्रम भागीदारी दर में गिरावट; ILO (2023) – भारत में महत्वपूर्ण वेतन अंतराल और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भेद्यता।

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार तालिका (अगले पृष्ठ पर देखे)

कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करती है। वेतन असमानता पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है। यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करता है। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। उदाहरण के लिए, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में केवल 8% सीईओ महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मानवाधिकारों के सिद्धांत, जैसे कि समानता, गरिमा, और स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को लागंकित करते हैं। UDHR और भारत के संविधान (अनुच्छेद 14, 15, और 21) लैंगिक भेदभाव को निषेध करते हैं। फिर भी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां इन अधिकारों के कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ:

1. **सामाजिक पूर्वाग्रह:** लैंगिक भूमिकाओं के पारंपरिक मानदंड (घरेलू जिम्मेदारियाँ महिलाओं की),'पुरुष कमाने वाला' मानसिकता।
2. **पॉश अधिनियम का कमजोर कार्यान्वयन:** आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की अनुपस्थिति/अप्रभावीता, पीड़ितों का डर, लंबी कानूनी प्रक्रिया।
3. **शहरी–ग्रामीण विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा/जागरूकता की कमी, परिवहन सुरक्षा चिंताएँ।
4. **सामाजिक रूढ़ियां:** पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं जो महिलाओं को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित करती हैं।
5. **नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** कई संगठनों में POSH समितियां केवल औपचारिकता तक सीमित हैं।
6. **जागरूकता की कमी:** कर्मचारियों और नियोक्ताओं में मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता की कमी।

परिचर्चा और सिफारिशें:

1. **कानूनों का सख्त कार्यान्वयन और निगरानी:** कोई भी कानून तब तक कारगर नही होते जबतक की उसका सही क्रियांवयन न किया जाय।
2. **सशक्तिकरण और समर्थन:** महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और करियर प्रगति कार्यक्रम को बढावा देना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षित शिकायत तंत्र सुनिश्चित करना। सभी के लिए लचीले कार्य मॉडल (FleÛi & hours, Remote work) को सामान्य बनाना।
3. **भारतीय विशिष्टता पर ध्यान:** ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्र: स्थानीय भाषाओं में जागरूकता, सुरक्षित परिवहन, सामुदायिक सहायता नेटवर्क। श्रमिक सहकारी समितियों को मजबूत करना, मोबाइल आधारित शिकायत पोर्टल।

समाधान और नीतिगत सुझाव –

1. **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** वेतन पारदर्शिता को बढ़ावा देना और असमानता को दंडित करने के लिए कड़े नियम लागू करना। POSH अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण।
2. **जागरूकता और प्रशिक्षण:** कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना। कर्मचारियों को उनके मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
3. **विविधता और समावेश को बढ़ावा:** नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा या प्रोत्साहन। लचीले कार्य घंटे और मातृत्व/पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करना।
4. **तकनीकी और डेटा–संचालित समाधान:** लैंगिक भेदभाव की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग। कार्यस्थल की नीतियों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।

निष्कर्ष – कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और मानवाधिकार एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लैंगिक समानता न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। हालांकि, सामाजिक रूढ़ियां, नीतिगत कमियां, और जागरूकता की कमी इस दिशा में बाधाएं हैं। मजबूत कानूनी ढांचे, जागरूकता अभियान, और समावेशी नीतियों के माध्यम से कार्यस्थल को अधिक समान और मानवाधिकार–अनुकूल बनाया जा सकता है। भविष्य में, संगठनों और सरकारों को मिलकर इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि एक निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण बनाया जा सके। एक समावेशी कार्यस्थल केवल नैतिकता नहीं बल्कि यह व्यवसायिक बुद्धिमत्ता है। यह मानवीय क्षमता को पूर्णत: उजागर करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना किसी भी समाज के लिए मानवाधिकारों और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की वास्तविक कसौटी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ashoka University. (2019). India's Peculiar Paradox: Rising Education, Declining Female Labour Force Participation.
2. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) - Data on Female Labour Force Participation.
3. Connell, R.W. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford University Press.
4. Correll, S.J., Benard, S., & Paik, I. (2007). Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? American Journal of Sociology.
5. ILO India. (Various). Reports on Gender Equality in the Indian Labour Market.
6. International Labour Organization (ILO). (1951). Equal Remuneration Convention (No. 100).
7. International Labour Organization (ILO). (2023). Global Wage Report.
8. McKinsey & Company. (2015). The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth.
9. Ministry of Labour and Employment, India. (2017). The Maternity Benefit (Amendment) Act.
10. Ministry of Women and Child Development, India. (2013). The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act.
11. National Commission for Women (NCW) - Reports on POSH Implementation.
12. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
13. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
14. World Bank. (Various Years). Women, Business and the Law Reports.
15. World Economic Forum. (Annual). Global Gender Gap Report.
16. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)- (2023)- Global Wage Report 2022&23.
17. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)- (2023)- Periodic Labour Force Survey.
18. संयुक्त राष्ट्र. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
19. भारत सरकार. (2013). यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH).
20. विश्व आर्थिक मंच. (2024). Global Gender Gap Report.

कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता के प्रमुख रूप और मानवाधिकार प्रभाव

लैंगिक असमानता का रूप	**मानवाधिकार हनन**	**प्रभाव एवं परिणाम**
वेतन असमानता	समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का अधिकार (UDHR Art, 23)	आर्थिक असमानता, वित्तीय निर्भरता, गरिमा का क्षरण।
भर्ती व पदोन्नति में पूर्वाग्रह	समान अवसर का अधिकार (CEDAW Art, 11)	कांच की छत, कैरियर सीमित होना, प्रतिभा का अपव्यय, आर्थिक अक्षमता।
यौन उत्पीड़न	गरिमा, सुरक्षा, कार्य के सम्मानजनक वातावरण का अधिकार (POSH Act)	मनोवैज्ञानिक आघात, कार्य प्रदर्शन में कमी, करियर छोड़ना, डर की संस्कृति।
मातृत्व भेदभाव	गैर-भेदभाव, पारिवारिक जीवन का अधिकार (मातृत्व लाभ अधिनियम)	'मातृत्व अभिशाप', नौकरी छूटना, कैरियर ठप, आर्थिक असुरक्षा।
लचीले कार्य व्यवस्था का अभाव	कार्य-जीवन संतुलन का अधिकार (ILO कन्वेंशन)	देखभाल कर्ताओं (महिलाओं) पर असमान बोझ,कार्यबल से बाहर होना।
अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण	सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य परिस्थितियों का अधिकार	कम मजदूरी, लंबे समय तक काम, शोषण, सामाजिक सुरक्षा का अभाव (विशेषकर महिला श्रमिक)।

****

Impact of Socio-Economic Offences in India : Analyzing Legal Mechanisms for Prevention and Redress

Raghvendra Joshi*

***Assistant Professor, Madhuban College of Law, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract :India is a developing country as it is on it's path of development the Increment in the crime rate is parallel to the success rate of this country .The offenders have found the new ways to commit the crime on of these new crimes is socio-economic offences these crimes affect the countries economy though there are penalties available for these crimes but they are increasing at a quick pace because the legal penalties are not harsh. This article deals with the History of socio-economic offences in the country as well as growth and their characteristics and impact of these offences and legal mechanisms and recommendations of different committees available to deal with them also the futuristic approach to prevent these crimes.
Keywords: Socio-economic offences , Legal Mechanisms, Economy, Committees.

Introduction - In the view of Blackstone, 'a crime is an act committed or omitted, in violation of a public law either forbidding or commanding it'. A crime is basicallyan act which a particular social group regards as sufficientlyharmful to its fundamental interests[1]. The offenses that impact a nation's social and economic circumstances are known as socio-economic offenses. Theyhave a wide-range impact on many people. It has an impact on society's morals and social well-being. This kind of crimes effect the nation's economy as well. In socioeconomiccrimes, mensrea is not strictly necessary. These crimes include, for instance, tax evasion,food and drug adulteration, black marketing, medical malpractice, etc. Socioeconomic offenses and white collar crime are thought to be interchangeable.

Socio-Economic Offences In India Throughout History : During the vedic period the society was based on agriculture and cattle most commonly committed socio-economic offence in that era was usury(Excessive interest) which was charged by the moneylenders on loan in the Mughal era the mughal's introduces mansabdari system the officials were corrupt and extorted peasants and merchants under the reign of Aurangzeb. Aurangzeb also increased tax on agricultural produces which led to the non-muslims and the lower caste person also face social and economic injustice which included low wages and forced labour also merchants started adulteration of goods and also started using false weights to cheat the customers .The scarcity of essential commodities and dishonesty gave rise to socio-economic offences in the country after world war 2nd the division of the society also led the emergence in the nation also the few forms of economic offences emerged as a result of the quick industrialization . In order to obtain illicit financial benefit a group of people indulged themselves in the activities of manipulating accounts and misuse of governments license and permits to obtain illicit financial gains .

Characteristics of Socio-Economic Offences :

a) These crimes are graver in nature than the traditional offences as the traditional offences only health and material welfares of an sole personality but the offences crumbles the social fabric and economic structure of the nation .
b) These motive behind these offences is greed of money and not hate or lust like the traditional offences.
c) These method of committing these offences are fraud or either misrepresentation the act is deliberate and willful .
d) These offences are done by the offenders during the course of their business , trade or profession.
e) The socio-economic offences emerges from the corrupt mind unlikely the traditional offences which emerges as outcome of guilt and criminal mind .

Legal mechanisms to combat Socio-Economic Offences in India

a) Drugs and Cosmetics Act 1940 : Section 13 of this act punishes the offence committed under section 9a , 9b and 9d which are related to adulteration of drugs , spurious drugs and spurious cosmetics or any cosmetic referred in

clause (ee) of section 10 of this acr with imprisonment for a term which may extend to 10 yeardsand fine wwhich may extend to 5 thousand rupees .

b) Prevention of Corruption of Act : Section 7 of this act punishes a public servant who accepts bribe with imprisonment which is not less than 3 years but which may extend to 7 year and a fine .The investigation process for corruption cases is given under section 17 of this act which says that in the case Delhi special police establishment of an Inspector of Police, in the metropolitan cities Calcutta , Madras , Ahmedabad , Bombay and in any other metropolitan area by assistant commissioner of police or for any other place by deputy commissioner of police or officer of equivalent rank can investigate any offence without metropolitan magistrate or magistrate of first class order and make a arrest without warrant but no official other than who is approved can conduct investigation or arrest without obtaining order from metropolitan magistrate of first class.

c) Essential Commodities Act 1955 : Section 7 of this act is provides penalty for contravention of any order made under section 3 of this act where order is made with reference to clause(h) or clause(i) of sub-section(2) is punishable with imprisonment which may extend to 1 year with fine and in case of any order imprisonments hall not be less than of 3 months but can extend to 7 years with fine.

Dowry Prohibition Act 1961 : sub-section (1) of section 3 of this act punishes any person who gives or takes or abets giving or taking dowry with imprisonment of which shall not be less than 5 years and also with fine shall not be less than 15000 rupees or amount of value of dowry whichever is more if the court has punished the offender with imprisonment of less than 5 years then it must record special reasons in judgement. Section 7 of this act provides that no court inferior than of judicial magistrate first class or metropolitan magistrate shall try offence committed under this act . Section 8b of this act provides the appointment of dowry prohibition officers by the state government the officers appointed under this section shall have powers and functions which are to see that provisions of this act are compiled.

Reports of the Committees To Combat Socio-Economic Offences

a) Mitra Committee Report 2001 : The committee was set up by the reserve bank of India under the chairmanship of N.L Mitra the committee submitted it's report on 31 august 2001 the committee recommended to set up separate institution to investigate serious financial frauds also suggested to amend the Indian penal code 1860 and to include definition of financial fraud and it's punishment and amendment in evidence act of 1872 for presumption for presumption of intention of the party or parties committing or abetting financial frauds the committee suggested that there should be a separate act to deal with financial frauds should be dealt with financial frauds and said that serious financial frauds should be dealt on the basis of criminal justice act 1978 of united kingdom the committee further suggested to set up separate institution to deal with financial frauds and establishment of office of director and multi-disciplinary under his chairmanship and the committee recommended the set up of special court with judges well versed in the economic system , regulatory mechanism and marked function to try the accused who has committed financial fraud to provide speedy justice in the case of serious financial frauds.

b) Mashelkar Committee Report on Spurious Drugs 2003: The committee was formed under the chairmanship of Dr R.A Mashelkar the committee consisted prominent lawyers , renowned scientists and retire police commissioners as it's member the controller general drugs (India) acted as member secretary and drug manufacturers , consumers and professional associations were also inducted as members. The committee recommended new structure for the drug regulatory system the committee identified certain problems in regulatory system due to non-uniformity of enforcement , shortage of drug inspectors inadequate testing facilities , non-existence of data bank and non-availability of information. The committee also recommended measures to strengthen drug regulatory infrastructure in centre and state the committee said the restructured central drug administration should have 10 main division at headquarters having adequately trained manpower the committee also suggested that the central drug administration should be made and independent office under ministry of health and family welfare.

c) The National Law Commission 47th Report : The report of the committee recommended to exclude probation in the socio-economic offences and also suggested the state suggested the state instrumentalities engaged in the investigation , prosecution and trial of socio-economic offences must stick to the philosophy which considers economic offences as gave threat to the material wealth of the country .

Impact of Socio-Economic offences in India :

a) Loss of Public Faith : The offences lead to the loss of public faith in country's financial system people withdraw their money from the market and are afraid to re-invest it which leads to the downfall of economic growth of the country.

b) Foreign Investments : The foreign investors are less likely to invest the money in the country where socio-economic offences are committed and also pull out their invested money from the countries market.

c) Strain on the Government Resources : The offences put a strain on the government funds and efforts because the investigation procedures in these crimes is very typical the funds used to investigate these crimes could have been used for the welfare of the public these crimes leads to the devastating impact on the nations economy and discourages investors from investing their money in the

market this makes a long term impact on the national economy .

Conclusion & Suggestions : The socio-economic offences have become a grave danger for the country as they destabilizes the economy of the nation and also brings inequality in the society these offences effect the countries growth and are increasing at a very rapid pace there is need to use the modern technology to investigate these crimes and need to draft strong legislations to punish the offenders who commits socio-economic offences these crimes can also be combated by educating countrymen's and promoting institutional reforms the society must be made aware of these crimes and media and the educational institutes have a crucial role in this in this the combat against socio-economic offences can only be won with the help of all sectors of the society by this India will able to prevent the socio-economic offences and will see economic growth and equality in the society also the provisions for the death penalty should be introduced for the white-collar criminals as suggested by justice V.R Krishna Iyer .

References :-

1. **Dr. Krishna pal Malik (2012) "Penology, Victimology and Correctional Administration" :**Described the report of 47th law commission in brief and also describe about types of socio-economic offences.
2. **S.N Mishra (2020) (22nd Ed) " Indian Penal Code" :** Discussed the characteristics of socio-economic offences.
3. **Ajay Pratap Singh Chauhan (2022) " Socio-Economic Offences in India An Analytical Study" :** Described the ancient history of socio-economic offences in India.
4. **Sumanpreet Kaur (2023) " Socio-Economic offences" :** Described the types of socio-economic offences and history of socio-economic offences in post-independent India.
5. **Dr. V Thangavel (2023) "The Repercussion of Economic offences in India " :**Discussed the Impact of Socio-Economic Offences.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

Histochemical Alterations in the Gills of Fingerlings of Tilapia Mossambica Caused by Herbicide 'Pursuit'

Dr. Kamlesh Ahirwar*

***Assistant Professor (Zoology) J.H.Govt.P.G. College, Betul (M.P.) INDIA**

Abstract: Histochemical reaction of PAS-Test for carbohydrate accumulation on the gills of fingerlings of T. Mossambica under control and treated condition gave different responses. Rich amount of carbohydrate content was present in the gill lamellae where as gradual reduction of carbohydrate content were noticed in Pilastor and epithelia cells when 63.7 PPM Pursuit given for 15 days. When dose were continued for 30 days period much decreases of carbohydrate content was observed in different part of gills.
Keywords: Histochemical, PAS-Test, Gill, Pursuit, Toxicity, Fingerlings, Alterations.

Introduction - Any changes in water component of an ecosystem adversely affects the entire ecosystem resulting many organisms to death or extinction. The pollution of aquatic environment by pesticide adversely affect the survival of aquatic organisms including cummercially important fish species (Johnson Pesticides which have been classified in 1973). Various ways amongst which herbicides are a class which specifically targeted to destroy weed is a very familiar economical poison used in agricultural fields. However the uses of such pesticides in excess of the recommended dose. Ultimately entering the water bodies have a fatal effect on fish (Metelev et.al. 1983).

The test herbicide pursuit falls in the category of carbamate extensively used for the control of weeds in Soyabean and groundnut crops. In early investigation it was established that the developmental stages of fish viz fries and fingerlings are more susceptible to the toxicants. Early life stages are more susceptible to toxicant exposure (Richen Back, 1972; Mckim, et.al. 1977; Rozik et.al. 1983; Nakano, et.al. 1995). As they are immature adult forms in its outward appearance having undeveloped repreoductive organ and delicate organ system.

Hence an attempt was made to study the chronic histochemical alterations of pursuit induced gills of T. Mossambica fingerlings.

Material and Method : Living fingerlings of fresh water teleost Tilapia mossambica were collected from the local fish form and kept in glass aquaria for acclimatization. After determining LC50 (0.51 ml/g) fingerlings were exposed to 63.7 PPM concentration of Pursuit for 15 and 30 days respectively. The LC50 value were read to 50% survival (Duodroff, et.al. 1951).

After specific interval like 15 and 30 days specimen of aquaria were taken out and dissect the tissue - washed in saline water and fixed in 10% neutral formaline and processed for histochemical evaluation using periodic Acid Schiff's (PAS) staining for carbohydrate (Manus, 1948).

Result and Discussion : Histochemical stain viz. PAS Test gave good result for estimating the distribution and accumulation of biochemical components in the tissue. These aspects on gills are studied by few researchers only viz. Neeraja & Rao (1988), Kothari & Saxena (1989), Singh (1993), Gnathy et.al. (1994), Tilanthe (2000), Kasotiya et.al. (2004).

Gills of untreated (control) fingerlings show strong positive reaction towards PA/S Test in the cartilagenous part of gill arch and primary gill lamellae. Epithelial and acidophilic cells exhibited moderate positive reaction with PAS test (Fig.-1).

After 15 days exposure of 63.7 PPM Pursuit caused reduction in carbohydrate content of gill tissue. Weak positive reaction was observed in cartilagenous part of primary gill lamellae. Acidophilic and epithelial cells were also exhibited weak positive reaction (Neethirajan K. and Mathavam S. 2004) (Fig. 2). Long term exposure of 63.7 PPM Pursuit decrease the carbohydrate content in different part of gill when his exposure was continued for 30 days. Heavy reduction observed in the carbohydrate content in comparison to the controlled gill in which pilaster cells, blood capillaries were shown weak positive reaction, feeble reactions were noticed in primary and secondary gill lamellae (Fig. 3). These results were inconformity with the findings of Anita et.al. (1997), Mehrotra et.al. (2004); Kasotiya and Vyas (2004)

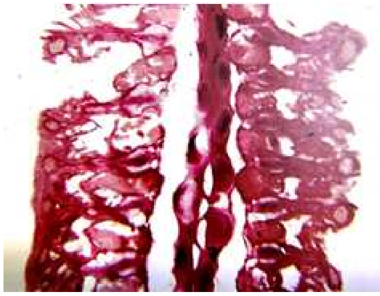

Fig.-1 - Photomicrograph of T.S. of gills of control Tilapia mossambica fingerlings stained with PA/S - Test x 400.

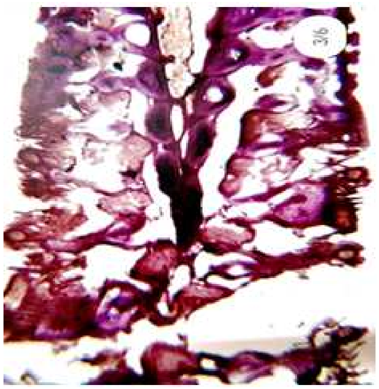

Fig.-2 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 15 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.

Fig.-3 - Photomicrograph of T.S. of gills of Tilapia mossambica fingerlings after 30 days exposure to 63.7 PPM Pursuit. Stained with PA/S - Test x 400.

References:-

1. Anita Kumari, S. and Shree Ram Kumar, N. (1997) : Effect of Polluted water on histochemical localization of carbohydrate in Channa Punctuates from Hussain Sagar lake (A.P.) Poll.Res. 16(3), 197-200.
2. Kasotiya, S. (2004) : Effect of Malathion on histochemistry of Protein in Oesophagus of Channa gachua, Indian J. Applied and Pure Biol. Vol. 19(3); 367-370.
3. Kothari, S. and Saxena, G. (1989) : Histopathological and histochemical studies on the gills of Pontius Sophore exposed to cadmium chloride. J. Hydrobiol, 1:1-7.
4. Momus, J.F.A. (1948) : Histological and Histochemical uses of periodic acid stain technology, 23; 99-108.
5. Makim, J.M. (1977) : Evaluation of tests with early life stages of fish for predicting long term toxicity. J. fish, Res.Bd.Can. 34; 1148-1154.
6. Mehrotra, A., Singh S. and Khare, S. (2004) : Copper sulphate induced histochemical changes in the intestine of fresh water fish Nandus Nandus - Indian J. Applied and Pure Bio. Vol. 19(3), 371-374.
7. Metelev, V.V., Kanaer A.I. and Dzasokhova, N.G. (1983) : Water toxicology, Amerind Publ.Co.Pvt.Ltd. New Delhi, 7.
8. Neethirajan, K. and Mathavan, S. (2004) : Submidon induced changes on some aspects of metabolism in the tissues of the fresh water cat fish mystics vitiates J. Exp. Zool. India Vol. 7, No. 2, PP 279-283.
9. Neeraja, P. and Rao, C.S. (1988) : Metabolic alteration in Tilapia mossambica on chronic exposure to ambient ammonium ulphate.
10. Rojik, J., Nemcsok, J. (1983) : Morphological and Biochemical studies on kidney and gill of fishes effected by pesticides. Acta.Bio. Hungaria, 34(1), 81-92.
11. Singh, R.K. (1993) : Pesticidal effect of the gills, liver and Kidney of a fresh water tallest Cyprians cardio, Ph.D. Thesis, B.U., Bhopal.
12. Tilanthe, R. (2000) : Toxicological studies on the histological and histochemical changes in gills and kidney of fingerlings of carmine mrigal Ph.D. Thesis, B.U. Bhopal.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

A Comparative Study of Aerobic Fitness Between U-22 and Senior Male Division-Level Cricket Players

Tarun Rawat*   Rahul Barod   Pooja Rawat*****

*Sports Officer, Swami Vivekananda Govt. College Budhni, Sehore (M.P.) INDIA
** Sports Officer, Shri Raj Rajendra Jayantsen Suri Siksha Mahavidhyalaya, Ujjain (M.P.) INDIA
***Physical Education Teacher, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract: Background: In cricket, aerobic capacity (VO2 max) facilitates sustained performance across extended match lengths, recuperation in between overs, and repeated sprint ability. VO2 max may be impacted by age, training age, and role-specific demands (quick bowling vs. spin, batting vs. fielding effort).

Objective: To compare the aerobic fitness between Under-22 and Senior (≥22 years) male division cricket players.

Methods: The purpose of this study was to compare the aerobic fitness (VO2 max) of division level male cricket players. There was 35 (N=35) trained male division level cricketers chosen for this study from Narmadapuram Division Cricket Association (NDCA), Madhya Pradesh, India. Researcher were selected 02 active cricket groups (a) U-22 Boys {n=18} (b) Senior Boys {n=17}. An estimation of VO2 max was calculated from the test results, using YO-YO Intermittent Recovery level-1 (YYIR1 test): (mL * kg^{-1} * min^{-1}) = IR1 distance (m) × 0.0084 + 36.4.Normality was checked by using skewness and kurtosis value in descriptive summary;group differences tested with independent t tests.

Results: Both groups displayed marginally similar mean values and significantly similar VO2 max. The study also revealed that VO2max of male cricket players of selected groups was in average range according to the norms and earlier research.

Conclusion: Differences in VO2 max between U-22 and Senior Boys division level players appearedsimilar. Conditioning programs are almost sameand prioritize aerobic maintenance in seniors and U-22 Boys development might be the reason behind same results.

Keywords: VO2 max, cricket, aerobic fitness, YO YO test, physiology.

Introduction - Cricket requires a special blend of sustained low-to-moderate intensity exercise (fielding, extended batting innings, multi-day matches) and sporadic high-intensity efforts (sprinting, repetitive run-ups for fast bowlers). Performance and recovery in all formats (T20 to multiday) are aided by adequate aerobic capacity, which promotes phosphocreatine resynthesis, lactate clearance, and thermoregulation. U-22 players' VO2 max may be impacted differently than senior players' due to age-related physiological changes and cumulative training experience. Comprehending these distinctions can help direct workload periodization, talent transition planning, and conditioning.

These days, sports sciences are crucial to the growth of physical education programs and sports in every country. It is commonly recognized that industrialized nations have made great progress in these fields. Fitness testing is crucial in cricket to assess player development, guide training plans, and maximize performance. By assessing young athletes, coaches can identify players who have special physical attributes that might help them succeed in cricket. Fitness testing may provide a precise picture of a player's current physical condition. Regular fitness testing allows athletes and coaches to track their development over time.The YO-YO test is one of the most important tests used in Cricket to evaluate the players' fitness and endurance performance. The test acts as a selection criterion in countries such as India, New Zealand and Australia, etc. For instance, to make it into the national cricket team of India, the players must attain a cut off fitness level of the YO-YO test which is set at 16.5.

One of the most crucial ele ments of physical fitness in cricket is aerobic fitness (VO2max) (Da Silva et al., 2008; Nikolaidis, 2011; Noakes and Durandt, 2000). According to Noakes and Durandt (2000), cricket players who have optimal level aerobic fitness (VO2 max) are better able to sustain repetitive high-intensity actions during a match, speed up their recuperation, and keep their physical condition at its peak throughout the game and season.

1.1 Objectives

Primary Objective: To compare the aerobic fitness by using VO2 max (mL·kg^{-1}·min^{-1}) between U-22 and Senior male division-level cricketers.

Secondary Objectives:

1. To assess the aerobic fitness of senior male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.
2. To assess the aerobic fitness of U-22 male division-level cricket players of Narmadapuram Division cricket association, Madhya Pradesh.

1.2 Hypotheses

H1: There will be significant difference in aerobic fitness of U-22 and senior male division- level cricketers.

2. Methods

2.1 Participants

- **Eligibility:** Male cricket players from division squads of Age 17–21 for U22; ≥22 for Senior group. Subjects must involve for minimum 3 years structured training.
- **Sampling & Sample Size:** The researcher usedstratified sampling by division cricket team groups. Total 35 male cricket players has been selected for the study, n = 18 from U-22group and n = 17 from Senior group.

2.2 Procedures

2.2.1 Fitness Test Procedure (YO YO IR Level-1)

Standardized warm up time given to the players for half an hour before actual testing; cones 20 m apart with 5 m recovery zone; and sound speaker placed with audio pace of YO-YO Test application. All subjects were given the opportunity to take the trial if they wanted to. Yo-Yo Recovery level-1 test has been used to assess aerobic fitness and to calculate VO2max of the players. If the line was not reached before the beep sound, the subject was warned and instructed to get there. Test participants are given a maximum of two warnings. Two more 'beeps' were to be heard, and they were to turn and try to keep up. The test must finish if the individual misses the line (within 2 meters) on two different ends after being warned.

2.2.2 Scoring. Convert to VO2 max estimate using validated equations. The total distance travelled before the athlete lost the ability to keep up with the recording is their score. VO2 max (ml/min/kg) estimation formula based on Yo-Yo IR1 test data. (not a substitute for lab VO2 max)

2.2.3 Calculation of VO2 max: For the **Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IR1),** VO2 max can be estimated from the total distance covered using the regression equation by **Bangsbo et al.**

The formula is:

VO2 max = 36.4+(0.0084 ×YYIR1 distance in meters)

2.3 Statistical Analysis

- **Software used for data analysis:**Microsoft Excelwas used for analysing the data.
- **Pre processing:**The descriptive approach is used to assess the assumption of normality of data and for screening for outliers. Both group's skewness and kurtosis values fall between -1 and +1. The thumb rule indicates that the data has a normal distribution. So that we can go for parametric tests. Additionally, descriptive statistics are used to analyse data in order to determine variance, mean, and standard deviation.
- **Comparative Analysis:** Independent t-test was used to compare aerobic fitness of both selected groups i.e. U-22 and Senior male division level cricket players. As groups are unequal in numbers therefore two-sample assuming unequal variances analysis was used to analyse the difference between both groups.

3. Results:

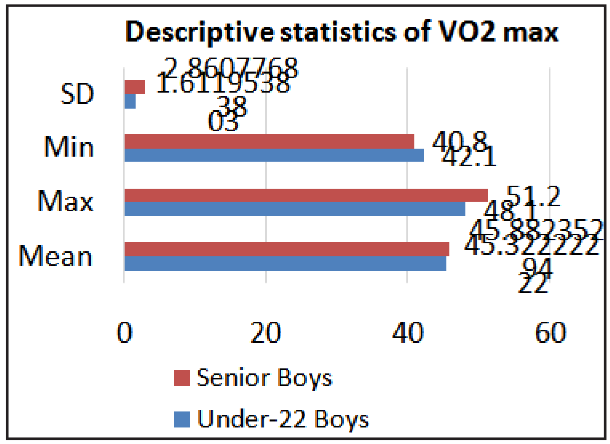

Above graph depicts that the mean values of VO2 max are almost similar 45.32 and 45.88 (ml/kg/min)of U-22 and Senior male division level cricket players respectively of Narmadapuram Division Cricket Association. Graph also shows the maximum and minimum values of VO2 max in both groups separately. U-22 male cricket players found 48.1 maximum and 42.1 minimum VO2 max, However, Senior male cricket players group found 51.2 maximum and 40.8 minimum VO2 max. Standard deviation of senior group found 2.86 greater than U-22 group i.e. 1.61.

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances		
	Senior	**U-22**
Mean	45.88235294	45.32222222
Variance	8.184044118	2.75124183
Observations	17	18
Hypothesized	0	
Mean Difference		
df	25	
t Stat	0.703323848	
P(T<=t) one-tail	0.244176429	
t Critical one-tail	1.708140761	
P(T<=t) two-tail	0.488352859	
t Critical two-tail	2.059538553	

The table shows the comparative analysis of aerobic fitness with VO2 max level in both groups by using Yo-Yo IRL-1 aerobic fitness test. For data analysis by using MS Excel software after applying two sample unequal variances researchers found P value for two tail 0.48. As P value is greater than 0.05.

Therefore, we can conclude that there was no significant difference in aerobic fitness of both selected groups. It shows that U-22 and senior male division-level cricket players of the Narmadapuram division have similar aerobic fitness (VO2 max).It was also found that VO2 max of male cricket players of the present study was in average range when compared with the VO2 max norms reported by Robert (2012).

4. Discussion : According to the current study, there was not a significant difference in the aerobic fitness (VO, max) of male cricket players in the Under-22 and Senior divisions. This implies that aerobic capacity at this competitive level may not be determined solely by age group. Rather, the maintenance of cardiovascular fitness across age groups may be more significantly influenced by regular training exposure, role-specific demands, and total playing experience. The findings show that the aerobic profiles required for the demands of modern cricket are similar for U-22 and senior players.In order to determine if role demandsrather than ageaccount for variations, future research should evaluate aerobic fitness across playing roles (batters, fast bowlers, spinners, and wicketkeepers).

Acknowledgement: We would like to thank ***Mr. Anurag Mishra [Honorary Secretary, NDCA]*** for his valuable support in facilitating data collection and providing assistance throughout the research process. We are also grateful to *entire division association team* for their kind cooperation and help in completing this study.

References:-

1. https://www.researchgate.net/publication/374477882_Comparison_of_Aerobic_Fitness_VO_2max_of_Cricket_ Players_on_Basis_of_Their_Playing_Positions
2. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/13761/8/08_chapter%201.pdf
3. Bangsbo J, Iaia FM, Krustrup P., The Yo-Yo Intermittent Recovery Test A Useful Tool for Evaluation of Physical Performance in Intermittent Sports, Sports Med 2008; 38 (1): 37-51.
4. Draper, N. and Whyte, G (1997) Here's a new running-based test of anaerobic performance for which you need only a stopwatch and a calculator. Peak Performance, 97, p. 3-5
5. https://www.topendsports.com/testing/tests/rast.htm
6. https://ijcrr.com/article_html.php?did=3685&issueno=0
7. https://fieldhockeybc.com/wp-content/uploads/2018/08/Fitness-Test-Protocol_2018.pdf
8. https://journals.lww.com/nscajscr/Fulltext/2010/11000/Physiologic_Profile_of_Professional_Cricketers.3.aspx?utm_source=chatgpt.com
9. https://www.researchgate.net/publication/308271006_VO2max_assessment_in_athletes_A_thorough_method_comparison_study_between_YoYo_ test_and_ direct_measurement

****

लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि

अश्वनी* डॉ. बहुरन सिंह पटेल**

* शोधार्थी (संस्कृत व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** विभागाध्यक्ष (व्याकरण) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महन्त वैष्णवदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – विभक्तं सर्व विश्वं व्यक्तिं समग्रं च द्विधा। अयं संसारः चराचरः, दृश्यमानः अदृश्यः, सूक्ष्मदर्शी, बृहत् इत्यादिभिः तत्त्वैः निर्मितः अस्ति। अस्य केचन मूलभूततत्त्वानि, केचन सामान्यतत्त्वानि च सन्ति। यावत् लोकसंस्कृतेः विषयः अस्ति तावत् अस्मिन् अनेके घटकाः तत्त्वरूपेण समाविष्टाः सन्ति। लोकशब्दः एव तत्त्वसमूहं वाचयति। अस्य विविधता, एकता, बहुलता च अस्ति। रूप, वर्ण, जाति, स्वभाव, संस्कार, शरीर संरचना, व्यवहार, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार-पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, साहित्य, कला, लोकमनोरञ्जन आदि सर्वेषु लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि सन्ति।

लोकसंस्कृतिः स्थानं, कालः, परिवेशः, प्रकृतिः, धर्मः इत्यादयः मुख्यतत्त्वेषु आधारितः अस्ति। समाजशास्त्रज्ञाः मन्यन्ते यत् मनुष्येण भौतिकजगति स्वस्य आवश्यकतानां पूर्तये, सुरक्षायाः कृते, कालान्तरेण निर्मितस्य धरोहरस्य च कृते ये सम्झौताः कृताः, ते अस्माकं संस्कृतिस्य मूलभूताः कारकाः सन्ति। लोकसंस्कृतिः बहुवर्णीयः पटः इव अस्ति यस्मिन् विविधवर्णसूत्राणां प्रयोगः भवति। लोकाचाराः परम्पराश्च बहुविधाः बहुवर्णाः च सन्ति। संक्षेपेण बहुवर्णजीवनं यथार्थजीवनमिति चेत्, तर्हि अतिशयोक्तिः न भविष्यति।

शब्द कुंजी – प्रकृतिः, विविधतायां एकता, मानवता सहिष्णुता च, आध्यात्मिक विकासः, सत्यत्वम्।

प्रस्तावना – लोकसंस्कृतेः अनेके विद्वांसः लोकसंस्कृतेः तत्त्वानि स्पष्टीकृतवन्तः। भारतीयऋषयः अध्यात्मं, आस्था, धर्मः, शुद्धजनव्यवहारः इत्यादयः लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि इति मन्यन्ते। सर्वेषु प्रकृतिः अग्रणी अभवत्। लोकसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि–

प्रकृतिः– प्रकृतिः लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम् अस्ति। जन्मतः मृत्युपर्यन्तं प्रकृतेः अङ्के वसति, विविधानि कार्याणि च करोति मानवः। मनुष्यः द्विविधवातावरणे निवसति, एकं प्राकृतिकं अपरं मानवनिर्मितं कृत्रिमम्। प्राकृतिकपर्यावरणविघ्नानाम् सामना कर्तु आवश्यकतानां पूर्तये च मनुष्यः अनेकानि समाधानं प्राप्नोत्, प्राकृतिकसंसाधनानाम् उपयोगं कृतवान्, कालान्तरेण तान् अग्रिमपीढीं प्रति स्थानान्तरितवान्। एवं प्रकारेण एतत् वंशजं पुस्तिकाभ्यां वंशवस्तुभूतम्। समस्तस्य जगतः संस्कृतिः वनपर्वतनदीसमुद्रादिसमीपे आरब्धा। एतत् सर्व लोकसंस्कृतिः इति वक्तुं अनुचितं न स्यात्। अद्यत्वे अपि आदिवासीसंस्कृतौ प्रकृतेः मौलिकतत्त्वानि स्पष्टतया दृश्यन्ते।

प्रकृतिः किम् ? ये तत्त्वानि अस्माकं परितः प्रसृतानि सन्ति येषां प्रजापतिः ईश्वरः, ते प्रकृतिः इति उच्यन्ते। प्रकष्ट रूपस्य कृतिः प्रकृतिरिति कथयते।वैसे प्रकृति इत्यपि प्रकृति इत्यर्थः। हिन्दी-संस्कृत-आङ्ग्लादिभाषा-लेखकैः प्रकृत्याः ये तत्त्वानि गृहीताः ते सन्ति – नदी, वनम्, समुद्रः, पर्वतः, भूमिः, आकाशः, वृक्षः, वनस्पतिः, सौरमण्डलम्, अहोरात्रि इत्यादि।

प्रकृतिपूजा लोकसंस्कृतेः मुख्यतत्त्वम्-अस्माकं तीर्थयात्राः उत्सवाः च प्रकृतिपूजायाः प्रतीकाः सन्ति। प्रायः सर्वाणि तीर्थयात्राः नदीतीरेषु पर्वततीरे वा भवन्ति। सर्वे उत्सवाः कस्मिन्चित ऋतौ वा अन्यस्मिन् वा पतन्ति। तेषां विशेषः अस्ति यत् ते मनुष्यस्य हृदयं प्रत्यक्षतया प्रभावितं कुर्वन्ति। शरदपूर्णिमायां प्रकृतेः सौन्दर्य मनोहरं भवति। वसन्तऋतुवर्णनं श्रेष्ठम्। वसन्तसौन्दर्य सर्वत्र राज्यं करोति। अस्माकं विजयदशमी, दीपावली, होली इत्यादयः उत्सवाः अस्माकं जीवने नवीनशक्तिं प्रविशन्ति। एते सर्वे आनन्दं जनयन्ति, परस्परं सुखस्य सद्भावनायाश्च सन्देशं च आनयन्ति। अध्यात्मः भारतीयसंस्कृतेः आत्मा, निधिः च, सम्पूर्णे विश्वे नूतना दिशां दत्तवती अस्ति। ब्रह्माचार्यशब्दस्य पर्यायः अन्यस्मिन् विदेशीयभाषायां न दृश्यते। अस्य अर्थः एतावत् विस्तृतः यत् जीवनस्य प्रत्येकं पक्षं प्रभावितं करोति। एषः एव भारतीयसंस्कृतेः मूलभूतः आदर्शः अभवत् भारतीयजीवनस्य मुख्यं वैशिष्ट्यं स्वच्छतायाः नियमाः इत्यादयः सन्ति प्रत्येकं भोजनात् पूर्व स्नानं भोजनानन्तरं गार्गलं करणं, परस्परं प्रयुक्तपात्रेभ्यः जलं न पिबितुं भोजनं न खादनं च, एतानि सर्वाणि वस्तूनि केवलं भारते एव दृश्यन्ते। अन्येषु संस्कृतिषु कान्तेन सह अर्ध, प्रियेन सह अर्ध भोजनं च फैशनम् अस्ति।

विविधतायां एकता–अस्माकं भारतदेशस्य विशेषः अभवत् लोकसंस्कृतेः स्थितिः अपि तथैव अस्ति। जगतः अर्थः नानात्वम्, किन्तु सर्व्वं नानातत्त्वं सामञ्जस्यं कृत्वा एकं भवति। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम्–

वेदः विभिन्ना, स्मृतयोर्विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मार्टिनाभिन्नम्।
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायन, महाजनो येन गातो स पंथा॥

देशस्य भिन्नाः प्रान्ताः, भिन्नाः वातावरणाः, भिन्नाः जलवायुः, विविधाः भूभागाः च सन्ति। क्वचित् पर्वताः क्वचित् वनानि क्वचित् समतलं कुत्रचित मरुभूमिः। केषुचित् स्थानेषु रूक्षभूमियुक्ताः क्षेत्राणि दृश्यन्ते। एतादृशे परिस्थितौ राम-कृष्ण-सीता-सावित्री-नाम्ना जनानां नामकरण-संस्काराः विविध-प्रकार-आचरण-वेष-पर्व-जीवनशैल्याः च भवन्ति स्म। जैन, बौद्ध, शैव, शवत, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई आदि विभिन्न धर्म अनुयायिनः एकत्र वसन्तः आगताः सन्ति। काले काले ये विग्रहाः भवन्ति ते धार्मिकविमर्शेषु एव सीमिताः सन्ति। न कश्चित् परस्परं नाशं कर्तु प्रयतितवान् भारतस्य उदारपरोपकारः, शरणार्थीनां प्रति प्रेम च विदेशिनां, अन्यधर्मानुयायिनां च

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अत्र शान्तिं सुखं च वसितुं आश्रयं दत्तवान्।

मानवता सहिष्णुता च– मानवतायाः सहिष्णुतायाः च मूलभूततत्त्वानि भारतीयलोकसंस्कृतौ रत्नमुक्तिवत् तारितानि सन्ति। दया, साहाय्यम्, अहिंसा, क्षमा, एते सर्वे मानवतायाः सहिष्णुतायाः च पर्यायाः सन्ति। मानवता मानवता च अतीव दुर्लभानि तथ्यानि सन्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ जनकल्याणस्य भावः अस्याः लोकसंस्कृतौ मानवता पूर्णतया समाविष्टा इति तथ्यस्य प्रमाणम् अस्ति। अज्ञातव्यक्तिं शरणं दत्तवा, यथाशक्ति साहाय्यं कृत्वा, सर्वेषां दुःखेन दुःखं अनुभवन्, यदि एषा मानवता न भवति तर्हि किम्? संस्कृतसाहित्ये प्रार्थनायां मानवतायाः विषये चर्चा कृता अस्ति–

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तुश

तस्मादपि–

काले वर्षत, पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी।
देशोऽयं क्षोभ रहितो स्यात् ब्राह्मणों सन्तु निर्भयाः ।।

एषा स्वस्तिभावना मानवतायाः एव सूचकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्राणां मन्त्राः अपि मानवतायाः आपूर्तिः भवन्ति। स्वस्तिपाठमपि मानवकल्याणस्य निरपेक्षतया क्रियते। उदाहरणं प्रस्तुतम्– .

ओइम् स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तक्षर्योः अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।।

प्रस्तुते स्वस्तिपाठे नः प्रयुक्तः यस्य अर्थः 'वयं सर्वे' इति। यतो हि लोकसंस्कृतिः विकासं इच्छति, तस्याः स्वभावः रचनात्मकः, न तु विनाशकारी, अतः मानवता तस्याः मूलतत्त्वम् अस्ति। मानवतायाः अनन्तरं सहिष्णुतायाः प्रश्नः आगच्छति। मानवता सहिष्णुता च परस्परं पूरकौ स्तः। अस्माकं संस्कृतिषु सहिष्णुता व्याप्तिपर्यन्तं पूरिता अस्ति। सहिष्णुतायाः कारणात् माता पृथिव्याः उपमा कृता अस्ति, परन्तु वर्तमानसभ्यतायां बालकाः परिचारिकाभिः पालिताः भवन्ति। ताः मातरः मातरः मातरः इति वक्तुं शक्यन्ते – ते मातृत्वस्य पूर्णतां न प्राप्नुवन्ति। मातृशब्दः अतीव विस्तृतः, आदरणीयः च अस्ति।

सहिष्णुतायाः मुख्यतत्त्वानि अस्माकं परम्परासु, धर्मेषु, कर्मसु, देवदेवतादिषु च चित्रितानि सन्ति। सहिष्णुतायाः मूलतत्त्वं प्रकृतौ अपि प्राप्यते। तूफानस्य समये ये वृक्षाः वनस्पतयः च नमन्ति ते उद्धारिताः भवन्ति, ये बृहत् वृक्षाः तेषां कठोरतायां स्थिराः तिष्ठन्ति ते भग्नाः भवन्ति।अस्माकं विषये किमपि अस्ति यत् अस्माकं अस्तित्वं न क्षीणं भविष्यति, अस्य पृष्ठतः उदारतायाः सहिष्णुतायाः च गुणः अस्ति। अनेकप्रहारानाम् सामना कृत्वा अपि अस्माकं लोकसंस्कृतिः सर्वोत्तामा अस्ति। वयं प्राणिनां मध्ये सद्भावनायाः, विश्वकल्याणस्य च विषये वदामः। पूजानन्तरं विजयनारासु घोषणासु च एतत् वस्तु प्रमुखतया दृश्यते– प्राणिनां मध्ये सद्भावना भवतु। जगतः कल्याणं भवतु।

आध्यात्मिक विकासः–कस्यापि देशस्य लोकसंस्कृतौ स्थानीयपर्यावरणेन सह आस्था इत्यादयः तत्त्वानि सन्ति, देशसमयः, रीतिरिवाजाः, विश्वासाः इत्यादयः सन्ति। लोकसंस्कृतौ यः बृहत्तामः तत्त्वः दृश्यते सः धर्मः अस्ति। धर्मस्य पक्षद्वयं भवति– एकः लौकिकः अपरः अलौकिकः। उभयोः परस्परनिर्भरः सम्बन्धः अस्ति। परलोकस्य नाशभयात् मनुष्यः यथाशक्ति विनाशकारीहिंसककर्माणि कर्तुं असमर्थः भवति, धार्मिकाचरणं च तस्य स्वभावः भवति। परलोकसम्बद्धानि सर्वाणि वस्तूनि आध्यात्मिकता उच्यन्ते। अध्यात्मस्य अर्थः अतीव विस्तृतः व्याप्तिः च विशालः अस्ति। अनेके मुनयः, साधवः, महापुरुषाः, पण्डिताः च स्वविवेकेन विवक्षिताः। आत्मा वा ईश्वरसम्बद्धं ज्ञानं आध्यात्मिकता उच्यते। तानि सर्वाणि तत्त्वानि सर्वाणि च ज्ञानानि यानि शाश्वततत्त्वसम्बद्धानि सन्ति।अस्माकं देशः धर्मस्य देशः अस्ति। अत्र वेदोपनिषदेषु ऋषिसन्तवचनेषु च अध्यात्मस्य चर्चा कृता अस्ति। 'ईशवस्योपनिषद्' इत्यत्र उक्तमिदं वस्तु अध्यात्म इति प्रसिद्धम् ।

ईशावास्यामिदं सर्व यत्किंचित जगत्यांजगत,
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।

यस्यार्थः – यज्ञेन सह किमपि सेवनं केवलं आध्यात्मिकतायां एव आगच्छति। आत्मा–ईश्वरस्य प्रकृतिपुरुषस्य वा विषयः अस्माकं उपनिषदेषु बहुविस्तारेण व्याख्यातः अस्ति। एतां भावनां जनानां मध्ये प्रवर्तयितुं सर्वदा प्रयत्नाः कृताः सन्ति। निर्गुणसम्प्रदायस्य साधूनां आध्यात्मिकशिक्षा क्रथमानं दुग्धं स्थापयितुं जलस्य सिञ्चनरूपेण कार्यं करोति ।एवं उपसंहारे आध्यात्मिकपक्षः लोकसंस्कृतौ गभीररूपेण निहितः इति सिद्धं भवति। यदि आध्यात्मिकता विरक्तं भवति तर्हि संस्कृतिः निष्प्राणः भविष्यति।

सत्यत्वम्– अस्माकं वैदिकग्रन्थेषु प्रार्थना अस्ति–**'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय'** इत्यर्थः हे भगवन्, असत्यतः सत्यं प्रति अस्मान् नयतु। भारतीयदर्शनस्य मुख्यः सिद्धान्तः सत्यस्य मार्गस्य अनुसरणं भवति स्म। समाजनिर्माणप्रक्रिया, आचरणं, विचाराः, धर्मः, सर्वे सत्याधारिताः सन्ति। उपनिषदेषु अपि उल्लिखितं यत् गुरुः गुरुकुलेषु स्नातकानाम् दीक्षांतप्रवचनं निम्नलिखितप्रकारेण ददाति स्म– **'वेदमन्च्याचार्योअन्तेवासिनमनुशासित, सत्यं वद, धर्म चर स्वाध्यायान मा प्रमदः।'**

एतस्य वचनस्य अर्थः अस्ति यत् भारतीयानां प्रत्येकस्मिन् छिद्रे प्राचीनकालात सत्यं निहितम् आसीत्। यदा प्रचारकाः, साधवः, धर्मगुरुः जनानां मध्ये किमपि वार्तालापं आरभन्ते स्म तदा ते सत्यं अग्रस्थाने एव स्थापयन्ति स्म। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् भारतीयत्वस्य नारा आसीत् अद्यत्वे अपि तथैव अस्ति।

सत्यं किम् ? कस्यापि वस्तुनः वास्तविकस्थितिः सत्यम् एव। ज्ञानं सत्यं जलं सत्यं आत्मा सत्यं शरीरमिदं मर्त्यमिदं सत्यम्। यत् शिवं सुन्दरं च तत् सत्यम्। **'नहिं सत्यात् परो धर्मः'** सत्यात् परं धर्मः नास्ति इत्यर्थः। सत्यं नित्यं नित्यं, न नश्यति कदापि। सरलम् अस्ति। अस्माकं लोकसंस्कृतौ अपि एषः प्रमुखः तत्त्वः इति ज्ञायते। सत्यम् आदौ एव अनुसृतम् अस्ति। कृष्णः, युधिष्ठिरः, हरिश्चन्द्रः, कर्ण इत्यादयः सत्यस्य पर्यायाः सन्ति। दशरथः सत्यसन्ध इति।

अस्माकं लोककथाः सत्यरक्षकैः पूर्णाः सन्ति। सर्वे रीतिरिवाजाः शैत्याः च सत्याधारिताः सन्ति। सत्यं वदन् सत्यस्य अनुसरणं पुरुषाय सुखं जनयति यशः च वर्धते, एतादृशः विश्वासः पूर्वमेव जनानां मनसि गभीरं निहितः अस्ति। सत्यं धर्मे अध्यात्मेषु च रत्नवत् प्रवणं भवति।

एतेभ्यः मूलतत्त्वेभ्यः विहाय अन्ये बहवः तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृतेः आधारं सुदृढां कुर्वन्ति। लोक रीतिः, लोकगीत, लोकधर्म, कर्तव्य, ग्राम, देवता, कुलदेवता, इष्टदेवता इत्यादिषु श्रद्धा, विवाह, तनसुरे इत्यादि संस्कारेषु शुभ अवसरे क्रियमाणाः पूजा, संस्कारः, दानं, उपादान इत्यादयः, एते सर्वे लोकतत्त्वानि लोकसंस्कृतेः निधिः सन्ति। जादू–टोना, यन्त्र–तन्त्र–मंत्र, योग साधना, सर्वे लोक–संस्कृतेः क्षेत्रान्तरे आगच्छन्ति। सन्तानाम् उपदेशाः, ज्ञानस्य अविरामतृष्णा, ज्ञानप्राप्तिः च अस्मिन् सहायकाः भवन्ति। वर्ण–आश्रम–व्यवस्था, संस्कारादिकं प्रत्यक्षं परोक्षं वा प्रभावं जनयन्तः

कारका: अपि लोकसंस्कृते: तादात्म्यं भवन्ति।

सुव्यवस्था, सुरक्षा, राज्यजीवनं, सुसमये समृद्धि: एतादृशा: तत्त्वानि सन्ति ये लोकसंस्कृते: सुदृढीकरणं स्थायित्वं च कुर्वन्ति। इतिहास: साक्षी यत् यदा यदा शासनव्यवस्थायां परिवर्तनं भवति, अराजकता, लुण्ठनम्,या लोकसंस्कृति: लुण्ठादिपरिग्रहे आसीत् सा अपि क्षुब्ध: एव आसीत्। अस्माकं लोकसंस्कृते: विश्वास: अभवत् यत् सुविधायै, विघ्नान् दूरीकर्तु च कस्यापि देवताया: पूजा आवश्यकी अस्ति। अत एव श्री गणेश: उत्सवेषु अपि पूजित: पूजित: च भवति।

गो: भारतीयलोकसंस्कृते: प्रतीकम् अस्ति। अस्माकं शास्त्रेषु पुराणेषु च गौ: महत् महत्तवम् अस्ति। वनयुगे अपि गोस्य महत् महत्तवम् अस्ति। गो: मुख्यतया वनयुगे अपि पालित: आसीत्। गोमय रोगाणुनाशकं गोदुग्धं च अमृतवत्। भारतस्य ग्रामा: स्वत: एव संस्कृति:। तेषां संरचना, शुक्लीकरणं, द्वारेषु स्वस्तिकात्पना: मन: मोहयन्ति।

उपसंहार– उपसंहाररूपेण लोकसंस्कृते: मूलतत्त्वानि निम्नलिखितरूपेण निर्धारयितुं शक्यन्ते विविधतायां एकता। बाह्यरूपेण परिवर्तनं किन्तु मौलिकस्थिरता। मानवता सहिष्णुता च। प्रकृते: पूजा।नित्यसत्यस्य आश्रय: यत् सर्वदा सरलम्। सर्वविधज्ञानकलाकौशलयो: उन्नति:।आध्यात्मिक विकास। संतानां, दार्शनिकानां, महापुरुषाणां च युगत: युगपर्यन्तं निरन्तरं उपस्थिति:। ज्ञानतृष्णा च यतो यत्र लभ्यते तत: प्राप्ति:। जनरक्षणं कुर्वन् नियम:।

उपर्युक्ता: मूलतत्त्वा: लोकसंस्कृते: विविधपक्षं व्यवस्थितरूपेण प्रकाशयन्ति। एते मूलतत्त्वानि लोकसंस्कृते: मूलरूपस्य पूर्णतां प्रददति।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाभारत, वनपर्व अध्याय 313, श्लोक 117
2. ऋग्वेद 10 वें मंडल 107वें सूक्त 6वां मन्त्र।
3. अथर्ववेद काण्ड 19वें, सूक्त 67, मन्त्र 1-2
4. ऋग्वेद 1 वें मंडल, सूक्त 89, मन्त्र 6
5. ईशावास्यउपनिषद्1मन्त्रवां।
6. बृहदारण्यकउपनिषद्1 अध्याय, 3 ब्राह्मण, मन्त्र 28
7. तैत्तिरीयउपनिषद् – शिक्षावल्ली1 अनुवाक का उत्तरार्ध।
8. महाभारत शान्तिपर्वअध्याय 162, श्लोक 21

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

लखन शर्मा *

* शोधार्थी, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस योजना के जरिए किसानों को एक प्रकार से आय का सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास सरकार द्वारा अत्यन्त न्यूनतम प्रीमियम दरों पर किया गया है। इसमें फसलों की बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। नुकसान के दावों का ऑनलाईन भुगतान करने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, फसल हानि होने पर दावों के शीघ्र भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करने का भी इसमें प्रावधान है। पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्तव को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। देश में कृषि विकास को बढ़ाने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रस्तावना – भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जिसकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग इसी से प्राप्त होता है। भारत में 70 करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की कृषि प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति फसलों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत का कृषि उत्पादन में विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी गाँव में बसती है। इनका मूल पेशा कृषि है। एक तरह से कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जब तक की कृषि का विकास नहीं होगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात बेमानी है, क्योंकि भारत की दो तिहाई जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि एवं उससे जुड़े अन्य उपक्रमों पर आधारित है। यही वजह है कि भारत में कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों में हम विकास की चकाचौंध में बहुत आगे निकल गए और अपने गाँव, खेत-खलिहान व खेती किसानी की विरासत को गँवा बैठे। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खुराक ले रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि विकास के सभी प्रयत्नों के बावजूद भारतीय कृषि मुख्यत: प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है, अतिवृष्टि, सूखा, ओले, पाला पड़ने व प्राकृतिक विपदाओं और कीड़े लग जाने पर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और कृषक अपने भाग्य को कोसने और वर्ष भर साहूकारों के कर्ज में पिसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी कई पीढ़ी कर्जदार हो जाती है। प्रत्येक उद्योग चाहे वह छोटा हो या बड़ा कुछ न कुछ विश्वसनीयता रहती है पर कृषि में इसका पूरी तरह से अभाव है। भारत में सूखा, अतिवृष्टि, ओले, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसान की यदि फसल खराब हो जाती है तो उसका पूरा नुकसान उसी को सहना होता है। पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य में सरकार ज्यादा से ज्यादा फसल की या तो मालगुजारी माफ करती है या फसल उगने के लिए जो उसने कर्ज लिया है उसे लौटाने की अवधि बढ़ा देगी। इसमें विपत्तिग्रस्त कृषकों को राहत तो पहुँचती है, परन्तु इसमें अपेक्षित लाभ नहीं हो पाता और ये किसानों को सरकार के द्वारा मिली दया और सहानुभूति मात्र है। देश के अधिकतर राज्य सूखे से जूझ रहे हैं और बहुसंख्य ग्रामीण आबादी संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। वर्ष 2014-2015 में मानसून में 12 प्रतिशत की कमी से ही फसलोत्पादन में 3.2 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी।

1901 से लेकर अब तक ऐसा चौथी बार हुआ, जब लगातार दो सालों तक देश को सूखे का सामना करना पड़ा। इसी तरह ओलावृष्टि और कहीं-कहीं अत्यधिक वर्षा ने भी फसलों को प्रभावित किया। किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बर्बाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी पर उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का विस्तार कृषक जनसंखा में मात्र 23 प्रतिशत आबादी तक ही था। इसमें जरूरी बदलाव किये गए और प्रीमियम में कटौती से लेकर क्लेम के भुगतान में तेजी और नये जोखिम को सम्मिलित करने संबंधी धारा इसमें जोड़ी गई। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को विधिवत आरम्भ किया। यह योजना 2016 में खरीफ की बुवाई के समय से लागू की गई। इसमें किसानों के लिए बेहद कम प्रीमियम देने का प्रावधान रखा गया है।

बीमा कंपनियाँ जो प्रीमियम की दर तय करेंगी उसमें खरीफ के लिए किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत राशि देना होगी। रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत राशि देना किसानों के लिए तय किया गया। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर देंगी। इस योजना मे यह प्रावधान रखा गया की कम से कम 25 प्रतिशत का दावा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएँगी। कृषि मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 प्रतिशत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लेने का लक्ष्य रखा है। पहले वर्ष 2016-2017 में 30 प्रतिशत किसानों को इसमें शामिल किया गाया। इस योजना के लिए 2016-2017 में 5550 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। इसके पश्चात प्रतिवर्ष इसके बजट में वृद्धि की गयी एवं चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा 69515.71 करोड़ रु. राशि का व्यय किया गया और म.प्र. सरकार के द्वारा भी 2000 करोड की राशि प्रदान की गयी है।

अत: प्रस्तुत शोध में कृषकों की आर्थिक स्थिति पर फसल बीमा योजना के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतू म.प्र. के उज्जैन जिले का अध्ययन किया जायेगा एवं इस योजना से संबंधित सभी जानकारियों का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया जायेगा।

साहित्य की समीक्षा – प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के साथ, भारतीय कृषि में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और 2014 में शुरू किए गए सुधारों का एजेंडा मुखर हो गया है। इस समिति में 7 राज्यों-महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री तथा सदस्य सचिव के रूप में नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की भारत में किसी भी विकास योजना प्रक्रिया में अहम् भूमिका है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। खाद्यान्न और खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और चीनी, कपड़ा, हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करते हैं, जिनमें लोगों को बड़ी संख्या में स्तरीय रोजगार मिलते हैं। कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि, मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण कृषि जीडीपी में वृद्धि कुछ कम रही। (मिश्रा, डॉ. जे.पी.)

कृषि बजट में निरन्तर वृद्धि – इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान सरकार द्वारा गत चार वर्षो के दौरान कृषि क्षेत्र को निरन्तर प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में न सिर्फ कृषि उत्थान पर आधारित नई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया, बल्कि इनके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। कृषि बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ (वर्ष 2014-19) किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के कृषि बजट के लिए 1.21 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। कृषि से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रवार आवंटन पर गौर करें तो फसल बीमा योजना की राशि को 2151 करोड़ से छह गुना बढ़ाकर 13000 करोड़, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रावधान को 30 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़, कृषि यंत्रीकरण के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में राशि को बढ़ाकर 1165 करोड़ रूपये (वर्ष 2013-14 में 58 करोड़), ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि सिंचाई योजना का बजट भी इस वर्ष बढ़ाकर 4000 हजार करोड़ रूपये किया गया है। कमोबेश, इसी तरह से अन्य प्रमुख कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी (1420करोड़), मात्स्यिकी (642करोड़) आदि में बजटीय राशि की बढ़ोतरी चालू वर्ष के बजट में की गई।

राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशें लागू – कृषि क्षेत्र पर आधारित देश की अधिकांश आबादी और इससे मिलने वाले रोजगार के अवसरों के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रीय किसान कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है। इनमें कई तरह की कृषि सुधार योजनाएँ भी शामिल हैं। कृषि में फसल कटाई उपरांत प्रसंस्करण, विक्रय के लिए बाजार एवं इससे सम्बन्धित व्यवस्था पर समुचित ध्यान देने का भी इसमें सुझाव दिया गया था। यही नहीं, प्राकृतिक सम्पदाओं में लगातार क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान कमीशन ने प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक तौर-तरीके से प्रबन्धन एवं सतत् उत्पादन तथा विकास की ओर भी इशारा किया था। इसी तरह से मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से भू-धारकों एवं लीज प्राप्तकर्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। (सिंह, अशोक)

भारत में सत्तर करोड़ लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हैं और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 20 प्रतिशत है, लेकिन पिछले काफी समय से भारतीय कृषि उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। जिन इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए, वे कहीं न कहीं मौजूदा ग्रामीण संकट के केन्द्र में रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसकी खासियत के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ेगा। बीमा कंपनियाँ खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ 1.5 फीसदी किसान देंगे। वहीं, बागवानी और कपास की फसलों के मामले में किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केन्द्र और राज्य की सरकारें बराबर-बराबर देंगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। इस दौरान की कृषि उपलब्धियों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 284.63 मिलियन टन होने की संभावना है। इसी प्रकार बागवानी फसल 305 मिलियन टन, दलहन उत्पादन 25.23 मिलियन टन, दुग्ध उत्पादन 176.35 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 306.82 मिलियन टन एवं मत्स्य उत्पादन 126.14 मिलियन टन होने का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। इन उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय सामूहिक तौर पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों तथा कृषि-आधारित सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनके कारण कृषि उत्पादन के रिकार्ड ऊँचाइयों तक पहुँच पाना संभव हो सका है। (मिश्र, उमाशंकर)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसका उद्देश्य है फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिवर्धित रूप है। फसलों की बढ़ती लागत, होने वाले नुकसान और फसलों की कीमत में आ रही गिरावट से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे किसान मानसिक दबाव में हैं। कई राज्यों में इसी वजह से हाल ही में किसान आंदोलन हुए और कुछ किसान खुदकुशी करने लिए मजबूर हुए। कई राज्य सरकारों को कृषि कर्ज को माफ भी करना पडा। भारत में अभी भी खेती-किसानी बारिश पर निर्भर है। मानसून के अच्छे नहीं

रहने पर फसल अक्सर बर्बाद हो जाती है। बाढ़ और सूखा भारतीय किसानों की नियति बन गई है। मानसून की अनिश्चितता के चलते किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रस्तावित की गई जिसे 13 जनवरी, 2016 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। शुरू में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया में कुछ खामियाँ थीं, जिन्हें बाद में लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर दूर किया गया। योजना को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम कर रहा है और इसके तहत 3 सालों के अंदर सरकार की योजना 8800 करोड़ रूपये खर्च करने की है। इसके अलावा मंत्रालय 50 प्रतिशत किसानों को भी इस योजना की जद में लाना चाहता है। (सिंह, सतीश)

केन्द्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच फसल बीमा अहम् योजना है। इसके जरिए किसानों को राहत प्रदान की जाती है। फसल बीमा के अन्तर्गत अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से इसके कुछ स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए संशोधित फसल बीमा योजना नाम को मंजूरी दी गई हैं। फसलों के बर्बाद होने के बाद निराश होने वाले किसान अब घर बैठने के बजाय खेतों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाते नजर आते है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। (श्रीवास्तव, दिव्या)

फसल बीमा से किसानों को लाभ - किसान फसल बीमा अपनाकर अपने आपको अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, अकाल, कीटों एवं रोगों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देश में राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम के तीनों घटकों पर कार्य चल रहा है। इसमें एक संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, तो दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं तीसरी नारियल पाम बीमा योजना है। इन सभी में अलग-अलग व्यवस्थाएं दी गई।

मुख्य विशेषता - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना है। हाँ, वार्षिक फसलों जैसे, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की दर से बीमा किश्त देनी होगी। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने बीमा किश्त की दर को बहुत ही कम रखा है। हालाँकि, बीमा कंपनियों को सरकार वास्तविक बीमा किश्त का भुगतान कर रही है, जिसका भार केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रहे हैं।

लक्ष्य - इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व रोगों से फसलों को नुकसान होने होने पर किसानों को बीमा के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थायित्व देना, कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना आदि है।

वर्ष 2020 के बाद यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए यह योजना को वेकल्पिक कर दिया गया किसानों को बैंक में जहाँ पर उनका खाता हैं वहाँ पर जाकर फसल का बीमा करवाना होता हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसान आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

(1) फसल बोने के अधिकतम 10 दिन के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है।

(2) फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान है तो भी आप इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(3) इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिल सकेगी जब आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण ही खराब हुई हो, जैसे ओला, जलभराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, जमीन धँसना इत्यादि।

शोध का उद्देश्य:

(1) उज्जैन जिले में किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर का अध्ययन करना।

(2) फसल बीमा के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।

(3) फसल बीमा से किसानों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना:

1. फसल बीमा योजना अपनाने वाले कृषकों की फसल उत्पादन क्षमता के बीच सीधा संबंध है।
2. फसल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव कृषकों की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है।

शोध प्रविधि - अध्ययन हेतु उज्जैन जिले उज्जैन तहसील में से तीन गांव का चुनाव फसल बीमा लेने वालों किसानों की संख्या की अधिकता के आधार पर किया गया और प्रत्येक गांव से 10-10 किसानों का सर्वे किया गया। इन किसानो को कृषक भूमि के क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा, इन 10 किसानों में से 2 किसान सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर से कम या 5 बीघा से कम), 2 किसान लघु कृषक (1 हेक्टेयर से अधिक एवं 2 हेक्टेयर से कम, 5 बीघा से अधिक तथा 10 बीघा से कम), 2 किसान अर्द्धमध्यम कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक व 4 हेक्टेयर से कम, 10 बीघा से अधिक एवं 20 बीघा से कम), 2 किसान मध्यम कृषक (4 हेक्टेयर से अधिक तथा 10 हेक्टेयर से कम, 20 बीघा से अधिक एवं 50 बीघा से कम) एवं 2 किसान वृहद कृषक (10 हेक्टेयर से अधिक या 50 बीघा से अधिक) के रूप में चयनित किये गये।

तालिका क्र.1 : किसानों के लिंग की जानकारी

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	23	76.66
2	महिला	7	23.33
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में कुल 30 किसानों में 23 पुरूष किसान जिनका 76.66 प्रतिशत रहा और 7 किसान महिला जिनका प्रतिशत 23.33 रहा हैं। इनमें सभी को फसल बीमा की जानकारी इन सभी को कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से दी गई थी इन सभी किसानों ने अपनी फसल गेंहूँ और सोयाबीन की फसल का बीमा जिस बैंक से किसानों ने कृषि कार्य हेतू लोन लिया था उसी बैंक के द्धारा किसानों से सहमती लेकर उनकी फसल का बीमा कर दिया गया। खरीफ 2025 की फसल में सोयाबीन का बीमा किया गया जिसकी प्रीमियम राशि 940 रू. प्रति हेक्टेयर थी जो की किसानों के बैंक खाते काटी गई और सरकार के द्धारा भी प्रीमियम राशि 3901 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। इसी तरह रबी 2023-24 में गेहूँ की

फसल का बीमा प्रीमियम राशि 705 रू. प्रति हेक्टेयर किसानों के बैंक खाते से काटी गई और सरकार के द्धारा भी प्रीमियम राशि 2783 रू. का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया। जिससे किसानों की फसल का बीमा किया गया जिससे की प्राकृतिक आपदा से फसल को हाने वाले नुकसान से सुरक्षा मिली। और किसानों की चिंता कुछ कम हुई।

तालिका क्र.2 : किसानों के मध्य फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर

क्र.	फसल बीमा के बारे में जानकारी के स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च	7	23.33
2	मध्यम	9	30
3	निम्न	14	46.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में उच्च फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 7 रही जिसका प्रतिशत 23.33 रहा हैं और मध्यम फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा हैं और निम्न फसल बीमा के बारे में जानकारी किसान की संख्या 14 रही जिसका प्रतिशत 46.67 रहा हैं। जिससे यह कहा जा सकता है कि फसल बीमा के बारे में जानकारी जिनके पास निम्न है उनकी संख्या अधिक हैं।

तालिका क्र.3: किसानों का आकार

क्र.	किसानों का आकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत किसान	13	43.33
2	लघु किसान	8	26.67
3	अर्द्धमध्यम किसान	3	10
4	मध्यम किसान	4	13.33
5	वृहद् किसान	2	6.67
	कुल	30	100.0

हमारे सर्वे में सीमांत किसान की संख्या 13 रही जिसका प्रतिशत 43.33 रहा हैं और लघु किसान किसानों की संख्या 8 रही जिसका प्रतिशत 26.67 रहा। अर्द्धमध्यम किसान की संख्या 3 रही जिसका प्रतिशत 10 रहा। इन किसानों को ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हाने से अधिक नुकसान होता हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल का उत्पादन कर्ज लेकर करते हैं यदि प्राकृतिक आपदा से इनकी फसल खराब होती हे तो इनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है। मध्यम किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा और वृहद् किसान 2 रहे जिसका प्रतिशत 6.67 रहा इन किसानों के पास अधिक भूमि होने के कारण यह बहुफसल का उत्पादन करते हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति छोटे किसानों की तुलना अच्छी होती हैं जिससे इन पर फसल बीमा का प्रभाव कम रहा।

तालिका क्र.4: फसल बीमा के लाभ

क्र.	फसल बीमा के लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है	17	56.67
2	ऋण की चिंता नहीं रहती हैं	9	30
3	फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती	4	13.33
	कुल	30	100.0

सर्वे के अनुसार फसल बीमा के लाभ में फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति होती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 17 रही जिसका प्रतिशत 56.67 रहा। ऋण की चिंता नहीं रहती है यह कहने वाले किसानों की संख्या 9 रही जिसका प्रतिशत 30 रहा। और फसलो में पूँजी लगाने में चिन्ता नहीं रहती कहने वाले किसानों की संख्या 4 रही जिसका प्रतिशत 13.33 रहा। फसल का औसत उत्पादन से यदि 25 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होने पर ही बीमा कंपनी फसल का बीमा देती है। यह जानकारी किसानों को नहीं है, जिनसे उनका स्वयं का नुकसान ज्यादा होता है और बीमा कंपनी इसका लाभ उठाती है और बीमा क्षतिपूर्ति करने से बच जाती है और किसानों को नुकसान की भरपाई स्वयं ही वहन करनी पड़ जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर होता है। कई किसान इस वजह से भी डिफाल्टर हो गये हैं और सरकार द्धारा दी जा रही सरकारी सहायता से भी वंचित हो जाते हैं और किसानों को फिर सोसायटी से खाद/बीज भी नहीं मिल पाता है और उनको यह सब बाजार कीमत पर खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी फसल की लागत भी बढ़ जाती है और उन पर नया कर्ज हो जाता है। जिसका ब्याज अधिक होता है, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले और अधिक दब जाता है। किसानों को चाहिये कि वह क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में सही वजन करवाये और उसी वजन को लिखवाये और अधिकारियों को भी उन्हें सही तरह से समझना चाहिये कि कि आज का वजन सही लिखने पर, जब फसल खराब होगी तो उन्हें उस समय इसका फायदा अधिक होता है और फसल का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ ही बार होता है कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसलिये क्रॉप कटिंग के समय फसल उत्पादन का सही-सही वजन लिखवाना ही लाभदायक होगा, जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर उनकी आर्थिक रूप से रक्षा करेगा और उन्हें नये ऋण के कर्ज से बचायेगा। समय-समय पर सरकार भी इनकी मदद करती है पर यह मदद बहुत ही कम मात्रा में होती हैं जिससे किसान परिवार को आर्थिक रूप बहुत ही कम लाभ मिल पाता है और किसान सिर्फ अपने भाग्य को ही कोसता रह जाता है। सरकार को फसल बीमा की क्षतिपुर्ति की राशि को जल्द और वास्तव में जो फसल के उत्पादन किसान का खर्च हुआ हैं कम से कम उतनी बीमा राशि अवश्य रूप से किसानों को बीमा कम्पनी से फसल की क्षतिपुर्ति देने को बाध्य करना चाहिये और बीमा कम्पनी को यह भी बताने को कहना चाहिये किस आधार पर आपने खराब हुई फसल का बीमा दिया हैं वह किसानों को बताना होंगा यदि किसी किसान का बीमा नहीं मिला हैं तो उसके कारणों को किसानों को बताना चाहिये। जिससे यह योजना और अधिक कारगर और किसान हितेषी हो सकेगी।

निष्कर्ष – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किफायती दर पर फसली ऋण एवं दूसरे कृषि ऋणों की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फसलों का बीमा काराना किसान आवश्यक मानते है। अस्तु, कर्ज के माध्यम से किसान अपने जोखिम का आसानी के साथ प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान है। सरकार ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज देने में कोताही नहीं करें, साथ

ही ऋण प्रक्रिया को और भी आसान बनाएँ। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किश्त बहुत ही कम रखी गई है और सस्ती दर पर कृषि ऋण भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना को अपने क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सभी फसलों के लिए किया जाना चाहिए और कब कोन सी फसल का बीमा होगा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिये जिससे सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सके और अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित कर सके और फसल खराब हाने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, डॉ.जे.पी. (2019),'कृषि सम्बन्धी सुधारों के लिए रोडमैप' *कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र.8-12, आईएसएसएन 0971-8451
2. सिंह, अशोक (2019),'कृषि विकास की दिशा में प्रयास और उपलब्धियाँ',*कुरूक्षेत्र*, अंक 12, पृ.क्र. 16-20, आईएसएसएन 0971-8451
3. सिंह, सतीश (2018),'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि ऋण',*कुरूक्षेत्र*, अंक 04, पृ.क्र. 26-30, आईएसएसएन 0971-8451
4. मिश्र, उमाशंकर (2016), यकिसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, *कुरूक्षेत्र,* अंक 08, पृ. क्रं. 09-14, आईएसएसएन 0971-84851.
5. श्रीवास्तव, दिव्या (2015),'संशोधित फसल बीमा योजना से समृद्ध हो रहे किसान', *कुरूक्षेत्र,* अंक 11, पृ. क्रं. 23-25, आईएसएसएन 0971-84851

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका और जागरूकता का मूल्यांकन: इंदौर शहर के लेखाकारों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. रेणुका पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग में लेखांकन प्रणाली में निरंतर तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित सेवाएँ, और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसे तत्वों ने लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका को व्यापक बना दिया है। इस शोध का उद्देश्य इंदौर शहर के 83 लेखाकारों के मध्य आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति उनकी जागरूकता, उनकी वर्तमान भूमिका और आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। शोध में पाया गया कि अधिकांश लेखाकार सामान्य लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग में दक्ष हैं, परंतु अत्याधुनिक तकनीकों (जैसे एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स) के प्रति जागरूकता सीमित है। प्रशिक्षण की कमी, तकनीकी बदलावों के प्रति अनिच्छा तथा नैतिकता के प्रति चिंतन की कमी प्रमुख अवरोध हैं। यह शोध सुझाव देता है कि निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नयन, और नैतिक लेखांकन के लिए नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं। अध्ययन लेखांकन क्षेत्र में प्रासंगिक जागरूकता और सुधार हेतु दिशा देता है।

शब्द कुंजी –लेखांकन प्रणाली, लेखाकार, तकनीकी जागरूकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) , नैतिक लेखांकन, प्रशिक्षण, डिजिटल लेखांकन, इंदौर, वित्तीय पारदर्शिता, लेखांकन सॉफ्टवेयर।

प्रस्तावना – वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में लेखांकन की भूमिका केवल वित्तीय विवरण तैयार करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक रणनीतिक प्रबंधन उपकरण के रूप में विकसित हो चुकी है। व्यापारिक निर्णयों की पारदर्शिता, नियामकीय अनुपालन, कर योजना, निवेश मूल्यांकन और वित्तीय जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में लेखांकन की उपयोगिता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में लेखाकार का कार्य भी मात्र संख्यात्मक लेखा-जोखा रखने से कहीं आगे बढ़ गया है, वे अब नीति-निर्माण, जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं।

इसी के समानांतर, आधुनिक लेखांकन प्रणाली ने तकनीकी विकास के साथ नई दिशा ग्रहण की है। टैली ईआरपी, एसएपी, क्विकबुक, ज़ीरो जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, डिजिटल इनवॉइसिंग, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ऑटोमेशन जैसे साधनों ने लेखांकन को अधिक तीव्र, सटीक और रणनीतिक बना दिया है। किंतु इन नवाचारों की सार्थकता तभी संभव है जब उन्हें कार्यान्वयन करने वाले लेखाकार उनमें दक्ष, जागरूक और नैतिक दृष्टि से सजग हों।

भारत जैसे विकासशील देश में, विशेषत: इंदौर जैसे व्यापारिक और औद्योगिक शहर में कार्यरत लेखाकारों की जागरूकता एवं उनकी बदलती भूमिका का मूल्यांकन अति आवश्यक है। यह अध्ययन इस आवश्यकता को केंद्र में रखता है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों को अध्ययन में शामिल कर यह जानने का प्रयास किया गया कि वे आधुनिक लेखांकन प्रणालियों से किस हद तक परिचित हैं, उन पर उनका दृष्टिकोण कैसा है, तकनीकी परिवर्तन के प्रति उनकी अनुकूलता क्या है, और क्या वे अपने कार्य में नैतिकता एवं पारदर्शिता को बनाए रख पा रहे हैं।

इसके साथ-साथ यह अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि लेखाकार किस हद तक डिजिटल बदलावों को आत्मसात कर पा रहे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और किस प्रकार की प्रशिक्षण/नीति आवश्यक है जिससे वे अपने व्यवसायिक कार्य को अधिक दक्षतापूर्वक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकें।

इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली में लेखाकारों की भूमिका एक सक्रिय निर्णयकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और नैतिक प्रहरी की बन गई है। अत: इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है - इन भूमिकाओं का समग्र मूल्यांकन करना और लेखांकन क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता तथा जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य

आवश्यकता:

1. लेखांकन में तकनीकी बदलाव के बावजूद, कई लेखाकार अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं।
2. आधुनिक उपकरणों एवं सॉफ़्टवेयर के उपयोग में अनुभव की कमी देखी गई है।
3. लेखाकारों की भूमिका अब केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक निर्णयों में सहयोगी बनना है।

उद्देश्य:

1. इंदौर के लेखाकारों की आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।
2. लेखाकारों की बदलती भूमिका और उसमें आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
3. जागरूकता को बढ़ाने हेतु संभावित उपाय सुझाना।

शोध पद्यति – प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का प्रमुख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र, इंदौर शहर है। इंदौर को मध्य भारत का आर्थिक हृदय कहा जाता है, जहाँ व्यापार, सेवा, बैंकिंग, वित्तीय परामर्श और लेखांकन से संबंधित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। यह शहर तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है।

इसी सन्दर्भ में इस अध्ययन हेतु 83 लेखाकारों को चुना गया, जो इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों – जैसे निजी संस्थान, सीए फर्म, लघु व्यवसाय, स्टार्टअप, तथा स्वतंत्र लेखाकार से संबद्ध हैं। न्यादर्श चयन के लिए लक्षित चयन विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें विशेष रूप से उन लेखाकारों को सम्मिलित किया गया जो किसी न किसी रूप में आधुनिक लेखांकन प्रणाली (जैसे कंप्यूटर आधारित लेखांकन, ई–फाइलिंग, जीएसटी, ईआरपी, क्लाउड अकाउंटिंग आदि) से जुड़े हुए हैं।

इस न्यादर्श के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि इंदौर जैसे विकसित नगर में कार्यरत लेखाकारों की तकनीकी समझ, जागरूकता स्तर और उनकी भूमिका आधुनिक लेखांकन प्रणालियों के संदर्भ में किस दिशा में विकसित हो रही है। इस क्षेत्रीय और व्यावसायिक पृष्ठभूमि का गहराई से अध्ययन, शोध को यथार्थपरक और नीति–प्रेरक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

समंक विश्लेषण एवं परिणाम

तालिका 1: लेखाकारों की जनसांख्यिकी

जनसांख्यिकीय चर	वर्गीकरण	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	59	71.08%
	महिला	24	28.92%
	कुल	83	100%
आयु समूह	21–30 वर्ष	26	31.33%
	31–40 वर्ष	35	42.17%
	41–50 वर्ष	14	16.87%
	51 वर्ष से अधिक	8	9.63%
	कुल	83	100%
शैक्षणिक योग्यता	B.Comया समकक्ष	28	33.73%
	M.Com / MBA (Finance)	31	37.35%
	CA / CMA / CS	24	28.92%
	कुल	83	100%
अनुभव	0–5 वर्ष	21	25.30%
	6–10 वर्ष	29	34.94%
	11–15 वर्ष	18	21.69%
	16 वर्ष से अधिक	15	18.07%
	कुल	83	100%
कार्य क्षेत्र	निजी फर्म / उद्योग	34	40.96%
	स्वतंत्र लेखाकार	20	24.10%
	चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म	17	20.48%
	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	12	14.46%
	कुल	83	100%

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर में सर्वे किए गए लेखाकारों में 71.08% पुरुष और 28.92% महिलाएँ हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन पेशे में अभी भी पुरुषों की प्रधानता बनी हुई है। 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लेखाकार सर्वाधिक (42.17%) पाए गए, जो इस क्षेत्र में सक्रिय और अनुभवी कार्यबल को दर्शाता है।शैक्षणिक योग्यता के स्तर पर एम.कॉम या एमबीए (वित्त) धारक लेखाकारों की संख्या सर्वाधिक (37.35%) रही, जो यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लेखाकार आधुनिक प्रणाली की ओर अधिक आकर्षित हैं।

अनुभव के संदर्भ में, 6 से 10 वर्ष के अनुभव वाले लेखाकार सबसे अधिक (34.94%) पाए गए, जो लेखांकन क्षेत्र में परिपक्वता और व्यावसायिक स्थायित्व को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में सर्वाधिक लेखाकार निजी फर्म या उद्योग (40.96%) से जुड़े हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंदौर में लेखांकन का क्षेत्र मुख्य रूप से निजी उद्यमों में केंद्रित है।यह जनसांख्यिकी विश्लेषण लेखाकारों की सामाजिक–शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उनकी पेशेवर स्थिति को दर्शाता है, जो आगे के विश्लेषण के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है।

तालिका 2: आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति

आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
नियमित रूप से प्रयोग करते हैं	56	67.47%
कभी–कभी प्रयोग करते हैं	17	20.48%
प्रयोग नहीं करते	10	12.05%
कुल	**83**	**100%**

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के कुल 83 उत्तरदाता लेखाकारों में से लगभग 67%(56 लेखाकार) आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, ज़ोहो बुक्सआदि का नियमित प्रयोग करते हैं। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और अधिकांश पेशेवर अब परंपरागत पद्धतियों की अपेक्षा कंप्यूटरीकृत और ऑटोमेटेड प्रणाली को अपना रहे हैं। वहीं, 20.48% लेखाकार ऐसे हैं जो इन सॉफ्टवेयरों का केवल कभी–कभी प्रयोग करते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास संभवत: पूर्ण प्रशिक्षण या संसाधान की कमी हो सकती है। 12.05% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि वे इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग नहीं करते, जो डिजिटल लेखांकन को अपनाने में अब भी मौजूद व्यवहारिक, तकनीकी या मानसिक अवरोध की ओर संकेत करता है।इस आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन प्रणाली की स्वीकार्यता में वृद्धि हो रही है, परन्तु पूर्ण समावेशन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवहारिक परिवर्तन की दिशा में और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं।

तालिका 3: लेखाकारों की एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति

एआई एवं डेटा एनालिटिक्स संबंधी जानकारी की स्थिति	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
सम्यक जानकारी है	23	27.71%
सामान्य जानकारी है	38	45.78%
जानकारी बहुत कम या नहीं है	22	26.51%
कुल83	**100%**	

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के अनुसार, इंदौर शहर के केवल 23 लेखाकारों (27.71%) ने यह स्वीकार किया कि उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डेटा एनालिटिक्स से संबंधित लेखांकन प्रक्रियाओं की सम्यक जानकारी है। यह दर्शाता है कि डिजिटल युग के सबसे उन्नत लेखांकन उपकरणों के प्रति लेखाकारों में अभी भी साक्षरता और व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी है।

वहीं 38 उत्तरदाता (45.78%) ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में केवल सामान्य जानकारी है, परंतु वे तकनीकी दक्षता या व्यावहारिक प्रयोग में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। 22 लेखाकार (26.51%) ने यह स्वीकार किया कि उनकी जानकारी बहुत सीमित है या नहीं के बराबर है।यह स्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि लेखांकन में (एआई) और डेटा विश्लेषण जैसे नवीनतम साधानों को अपनाने में अब भी व्यावसायिक बाधाएँ, प्रशिक्षण की कमी और नवाचार के प्रति असहजता मौजूद है।

यदि लेखाकारों को इन आधुनिक तकनीकों के लाभ, प्रयोग, और नैतिक पक्ष की व्यापक समझ दी जाए, तो लेखांकन की पारदर्शिता, गति और निर्णय-निर्माण क्षमता को नया आयाम मिल सकता है।

तालिका 4: लेखांकन में नैतिकता और पारदर्शिता की भूमिका के प्रति लेखाकारों की राय

लेखाकारों की राय	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं	34	40.96%
महत्वपूर्ण मानते हैं	28	33.73%
सामान्य महत्व देते हैं	13	15.66%
कम महत्व देते हैं या महत्व नहीं देते	8	9.63%
कुल	**83**	**100%**

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका से स्पष्ट होता है कि इंदौर शहर के 83 लेखाकारों में से 41%(34 लेखाकार) लेखांकन में नैतिकता एवं पारदर्शिता को अत्यधिाक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह इस बात का संकेत है कि लेखाकारों में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सामाजिक विश्वास बनाए रखने की भावना सुदृढ़ है।33.73% उत्तरदाता (28 लेखाकार) इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखांकन केवल संख्यात्मक गणना नहीं, बल्कि नैतिक जवाबदेही का भी क्षेत्र बन चुका है। वहीं 15.66% लेखाकार (13) इसे केवल सामान्य महत्व देते हैं, और 9.63%(8 लेखाकार) ऐसे भी हैं जो इसे कम या नगण्य महत्व देते हैं, जो चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है।

यह विश्लेषण इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि लेखांकन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को केवल तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे न केवल पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय धोखाधाड़ी एवं अनुशासनहीनता पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

तालिका 5: आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में प्रमुख चुनौतियाँ

समस्या / चुनौती	आवृत्ति (f)	प्रतिशत
तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव	48	57.83%
वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा	39	46.99%
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर अनिश्चितता	35	42.17%
ग्राहक जागरूकता की कमी	44	53.01%

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

नोट: उत्तरदाताओं को एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति थी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव (57.83%) आधुनिक लेखांकन प्रणाली को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लेखाकारों में नवीन सॉफ्टवेयर एवं तकनीकों को समझने और प्रयोग करने की पर्याप्त क्षमता अभी विकसित नहीं हो सकी है।इसके अतिरिक्त, ग्राहक जागरूकता की कमी (53.01%) भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चूंकि कई ग्राहक पारंपरिक विधियों को अधिक सहज मानते हैं, इसलिए वे लेखाकारों पर डिजिटल प्रणाली अपनाने का दबाव नहीं डालते, जिससे परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है।

वरिष्ठ लेखाकारों में नवीन प्रणाली अपनाने की अनिच्छा (46.99%) भी उल्लेखनीय है, जो दर्शाता है कि अनुभवजन्य लेखाकारों में तकनीकी बदलावों के प्रति मानसिक रुकावट है। वहीं डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता (42.17%) के कारण भी कई पेशेवर डिजिटल प्रणाली को लेकर सशंकित रहते हैं।कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंदौर जैसे उभरते हुए औद्योगिक केंद्र में भी आधुनिक लेखांकन प्रणाली के क्रियान्वयन में तकनीकी, मानसिक और सामाजिक स्तर की चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और ठोस नीतिगत प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष – इस अध्ययन के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि लेखांकन क्षेत्र में तकनीकी विकास के चलते लेखाकारों की पारंपरिक भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इंदौर शहर के 83 लेखाकारों पर केंद्रित यह शोध दर्शाता है कि यद्यपि आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर जैसे टैली ईआरपी, बिजी, ज़ोहो आदि का उपयोग अब सामान्य हो गया है, किंतु एआई, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड आधारित लेखांकन जैसी नवीनतम प्रणालियों के प्रति जागरूकता और व्यावहारिक दक्षता अभी भी सीमित है।लेखाकारों में नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य देखा गया, किंतु तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, वरिष्ठ पेशेवरों में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा, डेटा सुरक्षा को लेकर संदेह और ग्राहकों में जागरूकता की कमी जैसे कारकों ने इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से अपनाने में बाधा उत्पन्न की है।यह अध्ययन इंगित करता है कि लेखांकन अब केवल लेखा-जोखा भर नहीं रहा, बल्कि यह एक रणनीतिक, नैतिक और तकनीकी दक्षता वाला क्षेत्र बन चुका है, जहाँ लेखाकारों को न केवल संख्या और रिपोर्ट समझनी है, बल्कि डिजिटल कौशल, नैतिक विवेक और आगामी तकनीकी परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करनी

होगी।

सुझाव :

1. सरकारी तथा निजी संस्थाओं को लेखाकारों के लिए नियमित रूप से आधुनिक लेखांकन सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, एआई आधारित टूल्स तथा साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे वे व्यावहारिक रूप से दक्ष हो सकें।
2. अनुभवी लेखाकारों में तकनीकी नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कार्यशालाएँ, व्यावसायिक संवाद और प्रेरक सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे भी नवाचार को सहज रूप से स्वीकार करें।
3. लेखांकन शिक्षा एवं प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाए। नैतिक आचरण, पारदर्शिता, और वित्तीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों को नियमित रूप से व्यवहारिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. व्यवसायिक ग्राहकों को यह समझाना आवश्यक है कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली पारदर्शिता, समय की बचत और कर-सम्बंधी अनुपालन में अत्यंत सहायक है। इसके लिए लेखाकार संगठनों को ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए।
5. डिजिटल लेखांकन प्रणाली अपनाते समय डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता के मानकों को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। लेखाकारों को यह बताया जाना चाहिए कि क्लाउड सेवा प्रदाताओं द्वारा किस प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
6. सीए, सीएमए, बी.कॉम, एम.कॉम, एमबीए (फाइनेंस) जैसे पाठ्यक्रमों में आधुनिक लेखांकन टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, ईआरपी, तथा एआई आधारित विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
2. Sharma, R. (2020). *Role of Accountants in Financial Ethics*. Mumbai: Himalaya Publishing.
3. Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from https://www2.deloitte.com
4. ICAI. (2022). *Handbook on New Accounting Standards*. Institute of Chartered Accountants of India.
5. World Bank. (2023). Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia. Washington, DC.
6. Institute of Chartered Accountants of India. (2022). *Handbook on New Accounting Trends and Technologies*. ICAI Publications.
7. Kumar, A. (2021). *Accounting in the Digital Era*. New Delhi: Taxmann Publications.
8. Sharma, R. (2020). *Professional Ethics and Modern Accounting Practices*. Mumbai: Himalaya Publishing House.
9. World Bank. (2023). *Digitizing Tax and Accounting Services in South Asia: Challenges and Opportunities*. Retrieved from https://www.worldbank.org
10. Deloitte. (2023). *AI and the Future of Accounting*. Retrieved from https://www2.deloitte.com
11. PwC India. (2022). *Survey Report on Digital Adoption in Indian Accounting Sector*. Retrieved from https://www.pwc.in
12. Tiwari, M., & Saxena, P. (2020). Modernization of Accounting in Indian Firms: A Field Study. *International Journal of Finance & Accounting*, 12(4), 45–52.
13. ACCA Global. (2021). *The Role of Accountants in Digital Transformation*. Retrieved from https://www.accaglobal.com
14. Gupta, S. (2019). *Ethics, Compliance and Corporate Governance in Financial Reporting*. New Delhi: PHI Learning.
15. Ministry of Corporate Affairs. (2023). *Digital India and Financial Reporting Initiatives*. Retrieved from https://www.mca.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव

डॉ. विनेता*

* अस्टिंट प्रोफेसर, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, जानकारी साझा करने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का एक मंच दिया है। हालाँकि, इस डिजिटल क्रांति ने जहां कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, वहीं इसके नकारात्मक पहलू, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव 'तुलना' की भावना है। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जीवन के केवल 'हाईलाइट रील' को साझा करते हैं – छुट्टियों की तस्वीरें, सफल करियर की कहानियाँ, और खुशहाल रिश्तों के पल। दूसरों की इन 'उत्कृष्ट' तस्वीरों को देखकर, व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता की तुलना करता है और अपर्याप्तता, ईर्ष्या और आत्म-सम्मान में कमी महसूस करता है। इस तरह की निरंतर तुलना से चिंता, अवसाद और आत्म-मूल्य में कमी आ सकती है।

शब्द कुंजी – मानसिक, स्वास्थ्य, सोशल, मीडिया।

प्रस्तावना – आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा मंच है जिसने दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है, जहाँ लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से भी एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने संचार, सूचना प्रसार और सामाजिक जुड़ाव के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन, क्या सोशल मीडिया केवल एक वरदान है या इसका एक नकारात्मक पहलू भी है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

सोशल मीडिया ने हमें कई तरीकों से सशक्त बनाया है :

जुड़ाव और संचार: यह लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से जुड़े रहने में मदद करता है, भले ही वे भौगोलिक रूप से दूर हों। यह पुराने संबंधों को फिर से स्थापित करने और नए संबंध बनाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

सूचना का स्रोत: सोशल मीडिया समाचार और जानकारी का एक त्वरित और व्यापक स्रोत बन गया है। हम दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में तुरंत जान सकते हैं। यह जागरूकता फैलाने और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

शिक्षा और ज्ञान: छात्रों और पेशेवरों के लिए सोशल मीडिया एक उत्कृष्ट शैक्षिक उपकरण है। वे ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक पृष्ठों और विशेषज्ञों के ब्लॉग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें अपनी रुचि के विषयों पर नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

व्यवसाय और रोजगार: सोशल मीडिया ने व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोले हैं। कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकती हैं, ग्राहकों से सीधे जुड़ सकती हैं और नए बाजार तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा, इसने सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ जैसे कई नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं।

अभिव्यक्ति का मंच: यह हर व्यक्ति को अपनी राय, विचार और रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर और अन्य रचनात्मक लोग अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं।

इसके फायदों के साथ-साथ, सोशल मीडिया के कुछ गंभीर नुकसान भी हैं:

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, साइबर-बुलिंग और नकारात्मक टिप्पणियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इससे अवसाद, चिंता, और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

गलत सूचना का प्रसार: सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इससे समाज में भ्रम, तनाव और विभाजन पैदा हो सकता है। यह विशेष रूप से चुनावों और सामाजिक आंदोलनों के दौरान एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

समय की बर्बादी: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। लोग घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है और वे वास्तविक जीवन की गतिविधियों से दूर हो जाते हैं।

गोपनीयता का खतरा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से डेटा चोरी और साइबर अपराधों का खतरा बढ़ जाता है। हैकिंग और फिशिंग जैसी घटनाएँ आम हो गई हैं।

सामाजिक अलगाव: विरोधाभासी रूप से, सोशल मीडिया पर अत्यधिक जुड़ाव वास्तविक दुनिया में सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। लोग ऑनलाइन बातचीत में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने आस-

पास के लोगों से दूरी बना लेते हैं।

साहित्य की समीक्षा

आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमें दूर बैठे दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, हमें दुनिया भर की जानकारी देता है और हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। हालांकि, इस आभासी दुनिया की चकाचौंध के पीछे एक गहरा और खतरनाक पहलू छिपा है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह चिंता, अवसाद, और अकेलेपन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देता है।[1]

सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों के 'आदर्श' और 'सफल' जीवन की झलक देखते हैं। लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, अपनी छुट्टियां, अपनी उपलब्धियां और अपनी खुशियों के क्षण साझा करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ सब कुछ परिपूर्ण दिखता है।[2]

जब हम अपनी वास्तविकताओं की तुलना इस आभासी दुनिया से करते हैं, तो हमारे मन में हीनता की भावना जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, और हम दूसरों की तरह खुश या सफल नहीं हैं। इस निरंतर तुलना के कारण हम आत्म–सम्मान में कमी, असुरक्षा और असंतोष महसूस करने लगते हैं, जो धीरे–धीरे चिंता और अवसाद का रूप ले लेता है।[3]

मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव – सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसके सही और गलत दोनों तरह के उपयोग हो सकते हैं। यह वरदान भी है और अभिशाप भी। इसका सही उपयोग हमें प्रगति और विकास की ओर ले जा सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके सकारात्मक पहलुओं को अपनाना और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचना महत्वपूर्ण है। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम इसके लाभों का आनंद ले सकें और इसके नुकसानों से बच सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' की दौड़ एक तरह का डोपामाइन चक्र बनाती है। जब किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक मिलते हैं, तो मस्तिष्क को खुशी मिलती है, जो उपयोगकर्ता को और अधिक पोस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक लत में बदल सकता है, जहां व्यक्ति अपनी आत्म–मूल्य को बाहरी स्वीकृति से जोड़ता है। जब उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वे निराश, उदास और खाली महसूस कर सकते हैं। यह लत वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों, सामाजिक संबंधों और यहां तक कि नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। साइबरबुलिंग एक और गंभीर समस्या है जो सोशल मीडिया के साथ आती है। डिजिटल दुनिया की गुमनामी के कारण, कुछ लोग दूसरों को परेशान करने और अपमानित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। साइबरबुलिंग के शिकार लोग अक्सर गंभीर तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' (FOMO) एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित बिना हमारे कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी मजेदार गतिविधि में भाग ले रहे हैं, तो हमें यह डर सताने लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह भावना बेचैनी और चिंता पैदा करती है, जिससे व्यक्ति लगातार ऑनलाइन रहने और अपने फोन को जांचने के लिए मजबूर होता है। हालांकि, यह कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया केवल नुकसानदायक है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। यह लोगों को समान रुचियों वाले समुदायों से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने, जानकारी साझा करने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कोविड–19 महामारी के दौरान, सोशल मीडिया ने लोगों को अपने प्रियजनों से जुड़े रहने और भावनात्मक सहारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। लोग अपनी पोस्ट पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से अपनी कीमत आंकने लगते हैं। जब किसी पोस्ट पर कम लाइक या कमेंट आते हैं, तो यह उन्हें अस्वीकृत महसूस कराता है और उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। यह स्थिति 'छूट जाने का डर' (FOMO-Fear of missing out) भी पैदा करती है, जहाँ व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से पीछे छूट रहा है या किसी महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा नहीं है। यह डर उन्हें लगातार ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी नींद, एकाग्रता और वास्तविक जीवन के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सोशल मीडिया का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि यह लोगों को वास्तविक दुनिया से दूर कर रहा है। लोग अपने फोन पर इतना समय बिताते हैं कि उनके पास अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत करने का समय नहीं रहता। वे आभासी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उनका वास्तविक सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, जिससे वे भावनात्मक रूप से अलग–थलग और अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन, भले ही वे सैकड़ों ऑनलाइन 'फ्रेंड्स' से घिरे हों, मानसिक तनाव और निराशा का कारण बनता है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की लत एक मानसिक बीमारी का रूप ले रही है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, झूठी खबरों और ऑनलाइन उत्पीड़न (साइबरबुलिंग) का सामना करना, और दूसरों की आभासी जीवनशैली से तुलना करना हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और शिक्षा में भी बाधा डालता है। निष्कर्ष के तौर पर, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यह हमें एक ऐसी आभासी दुनिया में धकेलता है जहाँ तुलना, दिखावा और निरंतर सत्यापन की मांग हमें मानसिक रूप से कमजोर और असुरक्षित बनाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नकारात्मक प्रभाव को कैसे पहचानें और इसे सीमित करें, ताकि हम इस डिजिटल दुनिया का उपयोग समझदारी से कर सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकें। सोशल मीडिया पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चररू मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारी जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हमें दुनिया से जोड़ते हैं, हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर देते हैं। हालांकि, इन प्लेटफॉर्मों पर 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर, जो शुरू में केवल प्रशंसा

का एक माध्यम था, अब एक जटिल और कभी-कभी हानिकारक मनोविज्ञान का रूप ले चुका है। यह कल्चर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर डाल रहा है, जो चिंता, अवसाद और आत्म-सम्मान की कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है। सबसे पहले, 'लाइक' और 'कमेंट' की संख्या अक्सर हमारे आत्म-मूल्य का मापदंड बन गई है। जब हम कोई पोस्ट डालते हैं, तो हम अनजाने में यह उम्मीद करते हैं कि हमें पर्याप्त संख्या में लाइक और सकारात्मक कमेंट मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं और खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार का 'सामाजिक सत्यापन' (Social Validation) बन गया है, जहां हमारा आत्म-सम्मान दूसरों की राय पर निर्भर करता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह हमें बाहरी कारकों के आधार पर अपनी कीमत आंकने के लिए मजबूर करती है, न कि हमारे आंतरिक गुणों और क्षमताओं के आधार पर।

इसके अलावा, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक निरंतर तुलना का माहौल बनाता है। जब हम दूसरों की पोस्ट देखते हैं, जहां उनके पास हमसे ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं, तो हम तुरंत अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा रोमांचक, सफल या लोकप्रिय है। यह तुलना हमारे अंदर ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की 'परफेक्ट' ऑनलाइन जिंदगी से तुलना करते हैं, जो अक्सर एक भ्रम होता है। लोग सोशल मीडिया पर केवल अपनी सबसे अच्छी और सुखद तस्वीरें और क्षण साझा करते हैं, जिससे एक अवास्तविक छवि बनती है।

यह कल्चर 'फोमो' (Fear of missing out) यानी कुछ खो जाने के डर को भी बढ़ावा देता है। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित किसी पार्टी या इवेंट में जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों पर बहुत सारे लाइक और कमेंट आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यह डर हमें अकेला और अलग-थलग महसूस कराता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है।

नकारात्मक कमेंट और ट्रोलिंग भी एक बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आसानी से बिना किसी परिणाम के दूसरों पर नकारात्मक कमेंट कर सकता है। ये कमेंट किसी की भावनाओं को गंभीर रूप से ठेस पहुंचा सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। ट्रोलिंग और साइबर-धमकी (Cyber Bullying) की घटनाएं अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे सकती हैं। संक्षेप में, 'लाइक' और 'कमेंट' का कल्चर एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ हमारा आत्म-सम्मान बाहरी सत्यापन पर निर्भर करता है, जहाँ हम निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और जहाँ हम आलोचना और नकारात्मकता के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा और हानिकारक प्रभाव डालता है। इस समस्या का समाधान व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया वास्तविक नहीं है। हमें अपनी कीमत को लाइक और कमेंट की संख्या से नहीं आंकना चाहिए। हमें अपनी आत्म-मूल्यता को आंतरिक गुणों और व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर परिभाषित करना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से कैसे करें और इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचें। अंततः, हमें सोशल मीडिया को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि एक ऐसी वस्तु के रूप में जो हमारे जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करे।

निष्कर्ष – मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। इसका उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक सहायक उपकरण भी हो सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से बचने, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करने और वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देने से हम सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम इसके लाभों का आनंद लेते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बत्तीनेनी जी., चिंतलापुडी एन., अमेंटा एफ. एफबी-प्रोफेट मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा चार उच्च प्रभावित देशों (यूएसए, ब्राजील, भारत और रूस) में कोविड-19 महामारी के आकार का पूर्वानुमान। एप्लिकेशन कम्प्यूटेशनल। 2020
2. चावेज एस., लॉन्ग बी., कोयफमैन ए., लियांग एस.वाई. कोरोनावायरस रोग (कोविड-19): आपातकालीन चिकित्सकों के लिए एक प्राइमर। अमेरिकन जर्नल ऑफ इमर्जेंसी 2020
3. चावला एस., मित्ताल एम., चावला एम., गोयल एल. कोरोना वायरस-प्राकृतिक आपदा के दूसरे तरीके की अंतर्दृष्टि। ईएआई समर्थित ट्रांस। व्यापक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। 2020;6: 1-5
4. छेत्री बी., गोयल एल.एम., मित्तल एम., बट्टीनेनी जी. कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय छात्रों में तनाव की व्यापकता का अनुमान लगाना: भारत से एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। जे. तैयबा यूनिवर्सिटी मेड साइंस। 2021;16: 260-267
5. अरोड़ा एम., गोयल एल.एम., चिंतलापुडी एन., मित्तल एम. कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक: एक सांख्यिकीय मॉडलिंग दृष्टिकोणय कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षा (ICCCS) पर 2020 के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाहीय पटना, भारत। 14-16 अक्टूबर 2020य पिसकैटवे, एनजे, यूएसए: इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE)य 2020. पृष्ठ 1-5
6. एल फिरदौसी एस., लचगर एम., काबैली एच., रोचडी ए., गौजदामी डी., एल फिरदौसी एल. कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का आकलन। शिक्षा अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय 2020
7. चिंतलापुडी एन., बट्टीनेनी जी., अमेंटा एफ. डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करके कोविड-19 ट्वीट्स का भावुक विश्लेषण। इन्फेक्ट डिस. रिप. 2021;13: 329-339
8. ली सी., चेन एल.जे., चेन एक्स., झांग एम., पैंग सी.पी., चेन एच. इंटरनेट खोजों और सोशल मीडिया डेटा से कोविड-19 प्रकोप की भविष्यवाणी करने की संभावना का पूर्वव्यापी विश्लेषण, चीन, 2020 यूरोसर्विलांस 2020

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. उत्तरांजलि बिष्ट*

* एम.एससी.(बॉटनी) एम. एड. 6बी/115, आवास विकास, फेज-2, बुद्धि विहार, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – उपलब्धि आधुनिक समाज का केंद्र बिंदु है जिसका मूल शैक्षिक उपलब्धि मानी जाती है। विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एक बहुआयामी घटना है जिस पर अनेक कारकों का प्रभाव होता है जिसमें पारिवारिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध में उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव देखा गया है। शोध न्यादर्श में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। शोध निष्कर्ष में पाया गया है कि लिंग व क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार में नियंत्रण के स्तर का प्रभाव नहीं है।

शब्द कुंजी –पारिवारिक वातावरण, नियंत्रण, शैक्षिक उपलब्धि,उच्च माध्यमिक विद्यालय।

प्रस्तावना – शैक्षिक उपलब्धि छात्र के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है यह बालक के जीवन में व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसके लिए किसी निश्चित क्षेत्र अथवा विशिष्ट प्रयास, समर्पण एवं निश्चित स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विद्यालय परीक्षा और परीक्षाओं में प्राप्त अंक अथवा ग्रेड संबंधित विषयों में प्राप्त जानकारी,ज्ञान एवं कौशल का परिणाम होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि की परिभाषा शिक्षा विश्व कोष में इस प्रकार दी है कि,'किसी विशेष क्षेत्र अथवा पाठ्यक्रम में सफल उपलब्धि या प्रदर्शन सामान्य रूप से कौशल,कठिन परिश्रम एवं रुचि के परिणाम स्वरुप शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न प्रकार के अंक ग्रेड या वर्णनात्मक टिप्पणी के रूप में होती है'।

पारिवारिक वातावरण–माता-पिता और बच्चों के बीच मौजूदा रिश्तों की व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे पुराना एवं बुनियादी मानव समूह है। यह बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए कई सामाजिक समूहों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। जहां बालक अपने माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से उन सामाजिक मानदंडों को सीखना शुरू करते हैं, जिसमें वह स्वयं को पाते हैं। यह बालक की शिक्षा का आदर्श स्थान एवं सबसे महत्वपूर्ण समूह है। परिवार बच्चे का प्रथम विद्यालय है, जहां पर माता-पिता बच्चों के आदर्श शिक्षक होते हैं,जिन पर बच्चों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चे की शिक्षा पर परिवार का गहरा प्रभाव होता है।

पारिवारिक वातावरण में कई आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिसमें मां की प्रतिक्रिया, अनुशासन, माता-पिता का बच्चे पर नियंत्रण, सुरक्षा शैली एवं माता-पिता एवं बच्चों के आपसी संबंध। किशोरावस्था में पारिवारिक वातावरण का बच्चे पर प्रभाव अधिक होता है जो उसके व्यक्तित्व एवं उपलब्धि को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह अवस्था बालक में भावात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को तेजी के साथ लाती है जिस कारण बालक को अतिरिक्त देखभाल, नियंत्रण एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि किशोर बालक अधिक परिपक्वता के साथ अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। इस परिवारिक पर्यावरण में उसके आत्मसम्मान और शैक्षिक उपलब्धि को घटाने या बढ़ाने की शक्ति होती है।

अध्ययन की आवश्यकता–आज की प्रतिस्पर्धात्मक एवं पूर्णता की दुनिया में हर कोई सफल होने की आकांक्षा रखता है। छात्रों के लिए इस सफलता में शैक्षिक उपलब्धि सम्मिलित है,जिसे उन स्तंभों के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जाता है जो बालक के भविष्य की सफलताओं का समर्थन करते हैं। यही कारण है की माता-पिता अपने बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर अत्यधिक ध्यान देने लगे हैं। इस प्रयोजन के लिए वे बालक पर कई प्रकार के दबाव,नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक नियमों को थोपते हैं। जिसका प्रभाव अंततः छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर होता है। इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण में बच्चों पर नियंत्रण के प्रभाव का अध्ययन करना है। आशा है कि यह शोध विषय वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक होगा एवं छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव को नए तथ्यों के साथ संदर्भित कर सकेगा।

समस्या कथन–'पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन।'

शोध उद्देश्य

1. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

2. पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्षेत्र के आधार पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमांकन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधि-प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध की सर्वे शोध अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है। अत: शोध की प्रकृति सर्वे शोध की है। सर्वे शोध में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी का वर्णन किया जाता है।

शोध जनसंख्या-यह शोध उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों पर किया गया है। अत: प्रस्तुत शोध में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं जनसंख्या के रूप में सम्मिलित हैं।

शोध न्यादर्श-प्रस्तुत शोध अध्ययन में गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 512 छात्र-छात्राओं का न्यादर्शन की असमान अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक विधि के आधार पर किया गया है। इस विधि में जनसंख्या को विभिन्न उप समूह में विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक उप समूह से न्यादर्श का चयन किया जाता है परंतु चयनित न्यादर्श उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं होता है।

शोधार्थी ने 23 विद्यालयों (14 ग्रामीण क्षेत्र से वं 9 शहरी क्षेत्र से) का चयन न्यादर्श में किया। इन विद्यालयों में 512 छात्र-छात्राओं का चयन न्यादर्शन की असमान स्तृरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया,जिनमें से 307 छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से एवं 205 छात्र छात्राएं का शहरी क्षेत्र से चयन किया गया।इसी प्रकार 282 छात्र एवं 230 छात्राओं का चयन न्यादर्श में किया गया।

शोध उपकरण-प्रस्तुत शोध में करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित 'Home Environment Inventory' का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण हेतु किया गया है विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में संग्रहित किया गया है।

प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण-शैक्षिक उपलब्धि -प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थिनी ने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षा परिणाम के रूप में प्राप्त की एवं उसे तीन वर्गों में विभाजित किया 30 से 44 प्राप्तांक को निम्न स्तर,45 से 59 प्राप्तांक को औसत स्तर एवं 60 व उससे अधिक प्राप्तांक को उच्च स्तर की शैक्षिक उपलब्धि में विभाजित किया।

परिकल्पना. 1- छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.1- छात्र एवं छात्राओं का माध्य, मध्यमान अंतर,मानक विचलन व टी.मान

लिंग	संख्या	माध्य	माध्य अन्तर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
छात्र	282	46.52	1.48	11.94	1.451	सार्थक अन्तर नहीं है
छात्राऐं	230	45.04		10.90		

उपरोक्त सारणी 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों का माध्य 46.52 है एवं मानक विचलन 11.94 है। वहीं छात्राओं का माध्य 45.04 है और मानक विचलन 10.90 है। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का औसत अंतर 1.48 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) t=1.451है जो टी.के सारणीबद्ध मान (table value) t=1.96 से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अत: छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिकल्पना.2-शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.2-शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य, मध्यमान अंतर, मानक विचलन एवं टी.मान ।

क्षेत्र	संख्या	माध्य	माध्य अन्तर	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
ग्रामीण छात्र	307	45.73	0.31	11.47	0.306	सार्थक अन्तर नहीं है
शहरी छात्राऐं	205	46.04		10.56		

उपरोक्त सारणी 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण छात्रों का माध्य 45.73 है तथा मानक विचलन 11.47 है। वहीं शहरी छात्रों का माध्य 46.04 है तथा मानक विचलन 11.56 है। ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के बीच मध्यमान अंतर 0.31 है।

सार्थकता स्तर 0.05 पर टी.का गणना मान (calculated value) t=.306 है जो की टी.के सारणीबद्ध मान(Table value) 1.96 से कम है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का स्तर-पारिवारिक वातावरण में इन्वेंटरी के मैन्युअल के अनुसार नियंत्रण के स्तर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है,जिसका आधार प्रतिशतांक(Percentile)है। P25 एवं इससे कम को निम्न स्तर,P26 से P74 को औसत स्तर और P75 या उससे अधिक को उच्च स्तर में विभाजित किया गया है।

परिकल्पना.3-छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.3-छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का माध्य,मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	लिंग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियन्त्रण	छात्र	282	23.98	6.405	3.755	सार्थक अन्तर नहीं है
	छात्राऐं	230	21.74	7.071		

उपरोक्त सारणी 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवार में नियंत्रण के आधार पर छात्रों का माध्य 23.98 तथा मानक विचलन 6.405 है। वहीं छात्राओं का माध्य21.74 तथा मानक विचलन 7.071 है।

सार्थकता स्तर 0.01 पर टी.का गणना मान 3.755 है,जो की टी.के सारणीबद्ध मान से अधिक है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। अत: छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर सार्थक अंतर है।

परिकल्पना.4- शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी.4- शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण

का माध्य, मानक विचलन एवं टी.मान।

आयाम	क्षेत्र	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी.मान	सार्थकता
नियन्त्रण	ग्रामीण	307	24.96	4.870	0.751	सार्थक अन्तर नहीं है
	शहरी	205	21.32	6.846		

उपरोक्त सारणी 4 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि परिवार में छात्रों पर नियंत्रण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का माध्य 24.96 तथा मानक विचलन 4.870 है। वहीं शहरी क्षेत्र के छात्रों का माध्य 21.32 तथा मानक विचलन 6.846 है।

सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर टी.का गणना मान .751 है जो टी. के सारणीबद्ध मान 1.96 से कम है। परिणामस्वरुप शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अत: शहरी एवं ग्रामीण छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि में सहसंबंध–

चर	छात्रों की संख्या	सहसम्बन्ध	सार्थकता स्तर
शैक्षिक उपलिब्ध	512	0.708**	0.01
परिवारिक वातावरण	512		

उपरोक्त सारणी 5 के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि छात्रों के पारिवारिक वातावरण एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बीच सहसंबंध गुणांक .708** है जो की सार्थकता.01 पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच एक सहसंबंध है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की छात्रों के पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं पारिवारिक वातावरण को बदलने पर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है।

निष्कर्ष–छात्रों के जीवन में सफलता प्राप्त करने का सार उनकी शैक्षिक उपलब्धि को माना जाता है। पारिवारिक वातावरण का छात्र के व्यक्तित्व पर निर्णायक एवं स्थाई प्रभाव पड़ता है। इसमें छात्र की शैक्षिक उपलब्धि भी निर्णायक रूप से प्रभावित होती है। प्रस्तुत शोध में पारिवारिक वातावरण में छात्रों के व्यवहारों पर नियंत्रण के आधार पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात किया गया है। शोध परिणामें में पाया गया है कि–

1. लिंग अर्थात छात्र एवं छात्राओं के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। परंतु लिंग के आधार पर अर्थात छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में सार्थक अंतर है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लिंग के आधार पर छात्रों के परिवार में नियंत्रण का स्तर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित नहीं करता है।
2. क्षेत्र के आधार पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर अर्थात शहरी क्षेत्र के विद्यालय के छात्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के छात्रों के पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अत: उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर पारिवारिक वातावरण में नियंत्रण का प्रभाव नहीं पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. A., Maldonado-Macías, A. A., Arredondo-Soto, K. C., Baez-Lopez, Y., Carrillo-Gutiérrez, T., & Hernández-Escobedo, G. (2020) the Impact of Environmental Factors on Academic Performance of University Students Taking Online Classes during the COVID-19 Pandemic in Mexico Sustainability, 12(21), 9194
2. Abhishek Srivastava “Effect of School Environment on the Academic Achievement of Students” January 2022 DOI:10.52984/ijomrc2114
3. Achievement- A casual Model. 2nd International Conference on Education and Management Technology. vol-13,pp- 200-204
4. Adekola, B.O. (2012): Home and School factors as determinants of student’s achievement in Senior Secondary School English comprehension in four South Western States. Research Journal in Organizational Psychology and Educational Studies. vol-1, issue-5, pp- 280- 283.
5. Bhadaria P. (2013): A Study on role of Emotional Intelligence for Academic Achievement for Students. Research Journal of Educational Sciences. Vol-1, issue-2, pp-8-12.
6. Bhadwal, P.S. and Sharma, D.(2012): Intelligence and Self- concept as Co-relates of Academic Achievement. Indian Streams Research Journal. vol- 2 , issue-9 , pp-1-5.
7. Chaudhari, V.P., Jain, 2005, Factors Contributing to Academic Under-achievement, Ph.D. Psy., Nag. U., pg660
8. Chen, J.J.L. (2009). Relation of parental, teacher and peer support to academic engagement and achievement among Hong Kong students. School Psychology Intern., 29,183-198.
9. Yara and Olatunde (2009): Relationship between Teachers attitude and students’ Academic Achievement in Mathematics in some selected Senior Secondary Schools in South-western Nigeria. European Journal of Social Sciences. vol-11, issue-3, pp-364-369.
10. Zokaitluangi & Lalhunlawma (2005), “Intelligence and Academic Achievement in Relation to Parent-Child Relationship”, Indian Journal of Psychometry & Education, Vol. 36(1).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग का संबंध : एक अध्ययन

श्रीमती योगिता गौर* डॉ. राखी शर्मा **

*शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन एवं सोशल मीडिया उपयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, आत्म-अनुशासन एवं समय-प्रबंधन पर देखे जा रहे हैं। अध्ययन में देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थियों (60 लड़के और 60 लड़कियाँ) को यादृच्छिक नमूना पद्धति से चुना गया। डेटा संग्रह हेतु 'Time Management Test (TMT)' तथा 'Social Media Usage Scale (SMUS)' का उपयोग किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण t test, ANOVA और Pearson सहसंबंध विधियों से किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध ($r = -0.412$, $p<0.01$) पाया गया। लड़कियों का समय-प्रबंधन स्तर लड़कों की अपेक्षा उच्च था तथा अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग करने वाले विद्यार्थियों का समय-प्रबंधन स्तर न्यूनतम पाया गया। यह अध्ययन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि संतुलित सोशल मीडिया उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता और आत्म-विकास हेतु आवश्यक है।

शब्द कुंजी – समय-प्रबंधन, सोशल मीडिया, विद्यार्थी, शैक्षणिक उपलब्धि, सहसंबंध।

प्रस्तावना – वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप तथा स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि ज्ञानार्जन, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि इन माध्यमों का संतुलित उपयोग विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव और शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को सुलभ बनाता है, किन्तु इनका 'अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग' विद्यार्थियों के 'समय-प्रबंधन कौशल' पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

समय-प्रबंधन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य कौशल है, जो न केवल अध्ययन में सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके भविष्य की उपलब्धियों और व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यदि विद्यार्थी अध्ययन, खेलकूद, पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने में असफल रहते हैं, तो उनकी शैक्षणिक आकांक्षाएँ और उपलब्धियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

इसी संदर्भ में यह शोध अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन के मध्य संबंध को उजागर करता है। यह अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं के लिए भी उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

समीक्षा साहित्य

1. डॉ. सुधीर कुमार एवं डॉ. रमेश मिश्रा (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों के अध्ययन समय को कम करता है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन औसतन 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, उनमें ध्यान भंग होने की प्रवृत्ति अधिक होती है और उनके परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए।
2. डॉ. प्रिया शर्मा (2021) ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किए गए अध्ययन में निष्कर्ष दिया कि लड़कियों का समय-प्रबंधन लड़कों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लड़कियाँ सोशल मीडिया का प्रयोग प्राय: सामाजिक संपर्क और शिक्षा-संबंधी जानकारी के लिए करती हैं, जबकि लड़के मनोरंजन और गेमिंग में अधिक समय व्यतीत करते हैं।
3. डॉ. अरविंद सिंह (2020) ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया उपयोग और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच नकारात्मक सहसंबंध है। उनका अध्ययन दर्शाता है कि जो विद्यार्थी 4 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, उनमें परीक्षा अंकों का औसत 15-20 प्रतिशत तक घटा हुआ पाया गया।
4. डॉ. कविता जोशी (2018) ने अपने शोध में यह रेखांकित किया कि जिन विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का उपयोग मुख्यत: शैक्षणिक उद्देश्यों (जैसे – शैक्षिक वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स साझा करना) के लिए किया, उनका समय-प्रबंधन अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर था। इससे यह सिद्ध होता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

5. डॉ. संजय वर्मा (2020) ने शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि शहरी विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग का औसत 4.2 घंटे प्रतिदिन था, जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत 2.1 घंटे था। समय-प्रबंधन के स्तर पर भी ग्रामीण विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

6. डॉ. रेखा तिवारी (2022) ने यह पाया कि सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन गेमिंग का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की दिनचर्या पर पड़ता है। समय-प्रबंधन की कमी के कारण न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन गिरता है बल्कि मानसिक तनाव और नींद की समस्या भी बढ़ती है।

7. डॉ. अनिल चौधरी (2017) ने अपने शोध में सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को समय-प्रबंधन कौशल सिखाना अत्यंत आवश्यक है। उनके अध्ययन में पाया गया कि समय-प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित किया और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इन सभी भारतीय अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया उपयोग और समय-प्रबंधन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। संतुलित एवं शैक्षणिक उपयोग विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक हो सकता है, जबकि अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से अध्ययन, स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ववर्ती शोध इस अध्ययन के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि यह विषय वर्तमान समय की शैक्षिक चुनौतियों में से एक है।

शोध के उद्देश्य:

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों में समय-प्रबंधन स्तर का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों के सोशल मीडिया उपयोग स्तर को जानना।
3. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच संबंध का पता लगाना।
4. लड़के एवं लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में अंतर का विश्लेषण करना।
5. सोशल मीडिया उपयोग के विभिन्न स्तरों (कम, मध्यम, अधिक) का समय-प्रबंधन पर प्रभाव देखना।

परिकल्पनाएँ:

1. समय-प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'नकारात्मक सहसंबंध' होगा।
2. लड़के और लड़कियों के समय-प्रबंधन स्तर में 'सार्थक अंतर' होगा।
3. सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय-प्रबंधन को 'प्रभावित करेगा'।

अध्ययन का महत्व – यह अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक प्रशासन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह समझने में मदद करेगा कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय-प्रबंधन और अध्ययन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। साथ ही, यह नीति-निर्माताओं को भी डिजिटल शिक्षा और सोशल मीडिया नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

शोध विधि – नमूना (Sample) देवास शहर के उच्च माध्यमिक स्तर के 120 विद्यार्थी (60 लड़के, 60 लड़कियाँ), कक्षा 11वीं और 12वीं से। नमूना पद्धति (Sampling Technique)-यादृच्छिक नमूना (Random Sampling)।

उपकरण (Tools)

1. Time Management Test (TMT) –डॉ. सुधीर कुमार द्वारा विकसित।
2. Social Media Usage Scale (SMUS) – शोधकर्ता द्वारा निर्मित, विश्वसनीयता।

सांख्यिकीय तकनीक (Statistical Techniques) :

- माध्य और मानक विचलन
- Pearson सहसंबंध
- t test
- ANOVA

शोध न्यादर्श – शोध के दौरान कुछ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव भी लिए गए। कई विद्यार्थियों ने स्वीकार किया कि वे 'रील्स' और 'गेमिंग स्ट्रीम्स' में इतना समय बिताते हैं कि पढ़ाई का समय कम हो जाता है। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि वे टाइम-टेबल बनाकर सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होती।

आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका 1: शोध नमूना (Sample Distribution)

लिंग (Gender)	विद्यार्थी संख्या	प्रतिशत
लड़के	60	50
लड़कियाँ	60	50
कुल	120	100

तालिका 2: विद्यार्थियों का औसत समय-प्रबंधन स्कोर (Time Management Test – Mean & SD)

समूह	N	माध्य	मानक विचलन
लड़के	60	68.45	7.82
लड़कियाँ	60	72.30	8.15
कुल	120	70.38	8.04

तालिका 3: सोशल मीडिया उपयोग का औसत (Daily Usage in Hours)

उपयोग का स्तर	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन
कम (0-2 घंटे)	40	1.8	0.42
मध्यम (2-4 घंटे)	50	3.1	0.51
अधिक (4 घंटे)	30	5.6	0.68
कुल	120	3.3	1.54

तालिका 4: सहसंबंध (Correlation between Time Management & Social Media Usage)

चर	r-मूल्य (r-value)	महत्व स्तर (p-value)	व्याख्या
समय-प्रबंधन स्कोर एवं सोशल मीडिया उपयोग	0.412	0.01	नकारात्मक एवं सार्थक सहसंबंध

तालिका 5: t Test (Gender Difference in Time Management)

समूह	N	माध्य विचलन	मानक	t –मूल्य	p–मूल्य	परिणाम
लड़के	60	68.45	7.82	2.46	0.015	अंतर सार्थक
लड़कियाँ	60	72.30	8.15			

तालिका 6: ANOVA (Effect of Social Media Usage Level on Time Management)

स्रोत	SS	df	MS	f-मूल्य	p–मूल्य	परिणाम
समूहों के बीच	525.43	2	262.71	4.52	0.013	सार्थक
समूहों के भीतर	6782.57	117	57.96			
कुल	7308.00	119				

निष्कर्ष :

1. विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि समय–प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग के बीच 'सार्थक नकारात्मक सहसंबंध' ($r= -0.412$, $p<0.01$) विद्यमान है, अर्थात् सोशल मीडिया उपयोग बढ़ने पर विद्यार्थियों का समय–प्रबंधन स्तर घटता है।
2. लड़कियों का औसत समय–प्रबंधन स्कोर लड़कों की अपेक्षा अधिक पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अध्ययन और अन्य गतिविधियों में समय के नियोजन में अधिक सक्षम हैं।
3. जिन विद्यार्थियों का सोशल मीडिया उपयोग उच्च स्तर (4 घंटे या अधिक) का था, उनका समय–प्रबंधन सबसे निम्न पाया गयाय जबकि सीमित उपयोग (0–2 घंटे) करने वाले विद्यार्थियों ने सर्वाधिक संतुलित समय–प्रबंधन प्रदर्शित किया।
4. t test के परिणामों ने यह सिद्ध किया कि लिंगानुसार अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समय–प्रबंधन में लिंग एक प्रभावी कारक है।
5. ANOVA के निष्कर्षों से यह पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया उपयोग का स्तर विद्यार्थियों के समय–प्रबंधन पर 'महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव' डालता है।

सुझाव – अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से 'डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रमों' तथा 'समय–प्रबंधन प्रशिक्षण' से जोड़ा जाए, जिससे वे अपने अध्ययन एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित कर सकें। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'वर्कशॉप' और 'काउंसलिंग सत्र' आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग तथा अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा हो। अभिभावकों को भी बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके सोशल मीडिया उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए तथा उन्हें उद्देश्यपूर्ण और संतुलित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा नीति एवं पाठ्यचर्या में 'डिजिटल अनुशासन और समय–प्रबंधन कौशल' को शामिल किया जाना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था से ही इन आदतों को आत्मसात कर सकें। विद्यार्थियों को 'टाइम–टेबल' एवं 'डेली प्लानर' अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे अध्ययन, मनोरंजन और सामाजिक जीवन में संतुलन बना सकें। साथ ही, विद्यालयों में 'मेंटॉरशिप प्रोग्राम' और 'मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएँ' उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को समय–प्रबंधन संबंधी समस्याओं और तनाव का प्रभावी समाधान मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुमार, संजीव एवं मिश्रा, राजेश (2019). 'सोशल मीडिया और शैक्षणिक उपलब्धि', नई दिल्ली: अजय पब्लिकेशन।
2. शर्मा, प्रीति (2021). 'किशोरों में समय–प्रबंधन: एक अध्ययन' जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
3. सिंह, अमित (2020)– Impact of social media on academic life of students- International Journal of Education Research, 45'(2), 98-110.
4. गुप्ता, अनीता (2020). 'डिजिटल युग और विद्यार्थियों का आत्म–अनुशासन', वाराणसी: ज्ञानगंगा पब्लिकेशन्स।
5. वर्मा, सुनील (2021). 'शैक्षिक मनोविज्ञान और सोशल मीडिया', लखनऊः यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. Brown, J., & Larson, R. (2020). Adolescents and time use. *Journal of Youth Studies,23*(4),112–128. https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1599173
7. OECD (2022). `Digital education outlook'. [{nag: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/19939019
8. Patel, Jyoti (2022). Adolescents' time management and digital distractions. *Indian Journal of Psychology and Education, 12(1), 55–66.
9. चौहान, आर. के. (2021). 'समय–प्रबंधन एवं शैक्षणिक उपलब्धि का सहसंबंध', दिल्ली: शारदा पब्लिकेशन्स।
10. भारत सरकार (2020). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

****

Freedom of Speech Vs. Online Hate Speech in India

Dr. Sunita Shrivastava*

***Professor (Law and Legal Studies) SAGE University, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract : The digital revolution has increased India's free speech opportunities and risks. Free expression is protected by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, yet online hate speech is causing divisiveness, harassment, and even physical violence. Social implications result from technologies that circulate divisive narratives and create online "echo chambers" that legitimize prejudice. To address this problem, India has created a web of constitution, criminal, and IT laws. Definitional issues and selective enforcement restrict these rules' effectiveness. Legislative reformers want clearer standards, appropriate bounds, and government overreach safeguards. This shows that the Supreme Court takes hate speech seriously by requiring proactive FIR filing. Hate speech and social media platforms remain important due to private firms' disproportionate power over public discussion and lack of transparency regarding their moderation and accountability policies. To reconcile constitutional rights with societal protection, stronger legal definitions, proactive monitoring, improved platform administration, and greater digital literacy must be implemented. This article stresses the contradiction between free speech and hate speech in India's digital era and proposes a multi-stakeholder model that balances personal freedom, judicial oversight, technological responsibility, and democratic values.
Keywords: Freedom of Speech, Reasonable Restrictions, Online Hate Speech, Social Media Platforms.

Introduction - Article 19(1)(a) of the Constitution of India mandates that citizens have the right to freedom of expression, which is considered to be one of the most fundamental principles of Indian democracy. [1] It ensures that any and all individuals are free to express their opinions without the fear of being punished for doing so. The United States Supreme Court has referred to this right as "the mother of all liberties" [2] due to the fact that it established the foundation for a democratic society in which all individuals are deemed to be on an equal footing.

Reasonable Restrictions under Article 19(2): The right to free speech does not include everything, despite the fact that it encompasses a lot of area. Article 19(2) specifies necessary restrictions to defend the sovereignty, integrity, security, public order, decency, and morality of the state, as well as to prevent the promotion of criminal behavior, contempt of court, and defamation [3]. By virtue of the fact that speech may be transmitted instantly and has far-reaching repercussions, the delicate equilibrium that exists between freedom and restriction becomes very challenging in the digital era.

Growth of Online Hate Speech in India: Because to the spread of social media, an unprecedented number of individuals are able to have their voices heard with their ideas. On the other hand, the rapid proliferation of hate speech on the internet in India is a consequence of the empowerment that digital technology facilitates. Studies have shown that religious minorities, women, and underprivileged people are often the targets of hate speech on the internet [4]. This is because online hate speech has the effect of normalizing prejudice and expanding social disparities. The fact that communal misinformation was spread before to elections and that high-profile incidents such as the Bulli Bai and Sulli Deals applications demonstrate how hate on the internet can inflict serious harm [5].

Regardless of whether or not formal complaints have been lodged, the Indian Supreme Court has mandated that states submit First Information Reports (FIRs) against hate speech. This directive was issued in response to the severe nature of the situation [6]. The court has recognized the need of striking a balance between the protection of democratic freedoms and the restriction of speech that is disruptive and puts public safety at risk.

Objectives :

1. To research online hate speech and freedom of expression within the legal framework of India.
2. To evaluate the societal effect and provide well-rounded remedies.

Prevalence Of Online Hate Speech: According to surveys, there has been a concerning increase in the amount of hate speech that can be found on the internet in India. According to a whitepaper published by Microsoft, the frequency of incidents involving hate speech grew by 26%

between the years 2016 and 2020. Religion, along with gender and caste, continues to be the primary focus of attention. Social media platforms such as YouTube, Facebook, and Twitter are perfect for the distribution of controversial information because of the combination of characteristics that include user anonymity, echo chambers, and algorithms that reward content that is contentious. The issue of hate speech on the internet has become an increasingly major problem in India over the last few years, which has resulted in the passage of criminal laws and an increase in worries over the impact it has on society, especially on social media platforms.

There have been a number of factors that have led to the proliferation of hate speech on the internet, including religious disputes, political differences, and the anonymity that the internet allows. A response to this danger has been taken by India, which has enacted criminal legislation with the intention of limiting hate speech on the internet. Social media platforms are supposed to actively strive towards decreasing hate speech, misinformation, and other harmful content in accordance with the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These rules were formed as a result of the IT Act. Additionally, in order for systems to be in compliance with these standards, they are required to have criticism officers, establish processes for the removal of information, and adhere to an ethical code. As a result of the criticism that has been leveled against the application of these restrictions, concerns over potential censorship and limitations on free speech have been raised. According to groups that are part of civil society, the ideas have the potential to provide the government an excessive amount of jurisdiction to restrict communication online and to stifle opposing viewpoints.

As a consequence of the widespread dissemination of hate speech on the internet, intolerance, discrimination, and acts of violence have grown increasingly prevalent in today's society. Due to the vast reach of social media platforms and the algorithmic amplification they provide, hate speech flourishes on these platforms, which further exacerbates the tensions and differences that already exist in society. People have the confidence to participate in hate speech without fear of penalties when they use the internet because of the anonymity that comes with utilizing the internet. This only helps to further foster the propagation of hate speech. Among the consequences that this has in the real world include acts of violence against members of the community, cyberbullying, and damage to intellectual property that is directed against specific persons and organizations. In order to combat hate speech on the internet, it is necessary to strike a careful balance between safeguarding individuals' rights to self-defense and preventing unnecessary injury. In order to construct robust regulatory frameworks, create a lifestyle that is tolerant and polite online, and promote virtual literacy, it is vital to implement a multi-stakeholder approach that includes government, civil society, and generational agencies. It is only through the collaborative efforts of its people that India will be able to tackle hate speech on the internet and create a digital world that is more safe and inclusive.

Social Impact On Social Media: Because of the changes in criminal law in India, the social media prison system has been drastically transformed, which has had an effect not only on the framework but also on the users.

There has been a rise in the amount of pressure placed on social media platforms to efficiently display and edit content using their systems. Because of this, platform responsibility is given a high priority. In order to ensure that the new criteria are followed, systems have created technology that filter information automatically and have formed teams of moderators to ensure that they are in compliance. Concerns about censorship and the restriction of free speech have been exacerbated as a result of the fact that institutions are struggling to find a medium ground between maintaining the right of people to free expression and lowering instances of hate speech.

When it comes to the repercussions of indulging in hate speech online, users of social media platforms are more aware of the implications as a result of the legislation amendments. As a result of more stringent regional results, individuals are becoming more careful about the material and language that they use on social media networks. As a consequence of this heightened knowledge, a number of users have started engaging in self-law, while others continue to test the boundaries of what constitutes permissible speech, often putting themselves in danger of legal repercussions for doing so.

We have been able to successfully advocate for more stringent legislative requirements to effectively prevent hate speech on the internet, thanks to the assistance of civil society organizations. Through their efforts, they have advocated for social media platforms to become more transparent and responsible, and they have demanded that these platforms create severe standards and processes in order to successfully address hate speech. As a result of the participation of civil society, the stories of underrepresented groups who have been victims of hate speech online have been amplified, and the debate around social media platforms has become more inclusive.

The modifications that have been made to the prison system in India in order to address hate speech on the internet have been an essential step toward building a safer and more inclusive online world. It is possible that these modifications may reduce the dissemination of hate speech and the adverse impact it has on society. This will be accomplished by holding defensive social media institutions accountable and by boosting the attention of consumers. It is still a difficult task to find a reasonable middle ground between preventing vulnerable businesses from being harassed online and enabling people to express themselves

freely. For the purpose of properly addressing these challenges and cultivating a subculture of appreciation and tolerance inside the digital domain, it is very necessary for the government, social media institutions, civil society, and customers to continue working together.

Legal Framework: At this time, there are no rules in India that particularly address hate speech that occurs online. In spite of the fact that they are subject to challenging conditions, the provisions of the Indian Penal Code (IPC) and the Information Technology Act (IT Act) that are now in effect provide significant protection. On the other hand, Section 153A [7] makes it unlawful to foster hostility among groups, whilst Section 295A [8] makes it illegal to do anything with the intention of offending spiritual emotions. Some people believe that these legal guidelines are too vague and simple to exploit, which will eventually prevent people from expressing themselves in a real manner. Furthermore, in 2015, it was decided that Section 66A [9] of the content Technology Act violated free speech principles, which rendered its power to authorize the removal of content that was deemed to be "offensive" unlawful. An increase in hate speech on the internet has occurred in India in recent years, and it may be attributed to a number of factors, including political conflict, spiritual tensions, and the fast rise of social media. The severity of the issue has prompted the government of India to initiate measures to address the societal impact on the infrastructure of social media platforms and to modify the laws that regulate criminal behavior.

Legal Reforms: The Indian legal system has changed to combat online hate speech. Ministry of Electronics and Information Technology announced the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 to make social media intermediaries responsible for content uploaded on their networks. These standards require corporations to adopt mechanisms to identify and remove unlawful information, including hate speech, within strict timelines. Additional regulations addressing online hate speech have been introduced to the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. For instance, Section 153C of the Indian Penal Code makes it a felony to instigate religious, racial, caste, or community hatred, and it becomes much more unlawful when it leads to violence. Online hate speech in India is rising, prompting new criminal regulations.

1. **Legislative Reforms:** The Information Technology (IT) Act and the Indian Penal Code (IPC) are two of several anti-hate speech statutes in India. To properly regulate hate speech on the internet and hold offenders accountable, amendments to those statutes were put forth.
2. **Section 153A and 295A of IPC:** Plans and malevolent deeds meant to incite religious feelings are dealt with by these laws, while selling enmity among separate firms is dealt with by others based on factors such as religion, race, place of birth, home, language, etc. They provide the groundwork for cases where hate speech is prosecuted.
3. **Amendments to the IT Act:** Other laws address marketing animosity among distinct enterprises based on variables like as religion, race, place of birth, home, language, etc., whereas these laws deal with plans and malicious activities aimed to provoke religious emotions. For prosecutions including hate speech, they provide the necessary framework.

Supreme Court Directs States To Proactively Register Firs Against Hate Speech: The Supreme Court of India ordered all states to automatically file First Information Reports (FIRs) for hate speech without a complaint. The court stressed that this injunction applies to all hate speech offenders regardless of religion to protect the nation's secular character. Hate speech offenders may be charged under IPC 153A, 153B, 295A, and 505A. The Supreme Court advises states to respond quickly to hate speech cases regardless of official complaints to preserve India's secular ethos. The court has stated that hate speech must be prosecuted under the IPC. The court also ordered all state director generals of police to inform their subordinates of this ruling and warned that law enforcement that disobeys will be in contempt of court. Many supported the court's ruling to curb hate speech, while others concerned it would restrict free expression. Advocates say we must maintain free speech while fighting hate speech. The authors stressed the need for a balanced approach based on existing hate speech jurisprudence and the rule of law, and they advised against severe measures that may accidentally limit free expression. This decision extends on the Supreme Court's October rule that hate speech incites communal violence and requires immediate FIR submission. The court's rulings have indicated its concern for hate speech's consequences on social harmony and national integrity, as well as its commitment to India's secularism and unity. Few of the many hate speech reasons are:

1. **Social and economic factors:** Disparities between wealth and power fuel bigotry [10]. Hate speech is more likely to be perpetrated or aimed at disadvantaged or underprivileged people [11]. A little optimism is all it takes for individuals who have gotten nothing so far to embrace terrible things very fast. As soon as they fall for a ruse, cunning individuals start taking advantage of them. Hysteria is promoted by social elites who take advantage of the situation. Victims deceive those who are good at heart for their own gain.
2. **Political Climate:** The level of hate speech in a society is significantly affected by political discourse and policy. His goal [13] or the normalization and encouragement of such conduct [12] may be attained by inflammatory political speech. It is very uncommon for political parties, which have differing ideologies, to use their considerable influence to influence public opinion in their favor.
3. **Access to Technology:** Hate speech has grown at a fast pace due in large part to the expansion of the internet

and social media. Hate speech has found an easy outlet on several internet platforms [14], such as WhatsApp, Facebook, Instagram, and others. On top of that, people may feel more comfortable expressing racist or sexist ideas on these sites since they may remain anonymous and not be held accountable.

4. **Group Dynamics:** Hate speech may spread quickly in certain communities. Conformity anxiety and peer pressure may amplify hate speech. For instance, the Shiv Sena, Bajrang Dal, KarniSena, Bheem Sena, and others have disseminated hate speech. Online echo chambers and IRL groups may listen to hate speech. Like-minded persons may influence group members to become more extreme, polarizing them [15].

5. **Fear and Ignorance:** Hate speech may develop from ignorance about other cultures, beliefs, and origins and fear of the unknown. Other religions or groups may make prejudiced judgments and assumptions about others since they don't know enough. To overcome ignorance and fear, which fuel hate speech, public education and awareness are frequently needed. Promoting cultural and religious knowledge, open-mindedness, and interfaith dialogue may help people overcome their prejudices. Representatives of various organizations and religions must engage in civic debate and mutual learning to reduce misunderstandings and promote tolerance. Media literacy initiatives may also reduce misinformation and bias by educating people to properly evaluate news.

6. **Historical and Cultural factors:** Cultural and historical biases may perpetuate hate speech. Ancient religious writings and epics often spark this debate. Our holy books and epics form the basis of numerous faiths. Controversies concerning these texts and different interpretations of prior epics cause strife and hate speech. Atheists or secular persons may reject ancient epics' religious tales. Speaking up against superstition may lead to hate speech. When viewpoints on these old epics vary, cultural conflict [16] may occur when one group views another's beliefs as an assault to their cultural identity. Conflicts may lead to hate speech. Due to these prejudices, individuals may use hate speech to degrade and stereotype others. Stop these discrepancies. Everyone thinks as they do.

7. **Political and Ideological Extremism:** Extremist political and ideological groups may utilize hate speech. A diverse society may lead to tensions and hate speech due to political and ideological differences [17]. Some individuals identify with Sangh Parivar and RSS, while others with Bajrang Dal, Gau Raksha Dal, and Jai BhimSena. They may have distinct aims and beliefs, and when they clash, hate speech may help either group. Effective solutions often require tolerance, peaceful political discourse, and the rejection of hate speech for ideological or political gain. Entertainment, Media Entertainment that reinforces unfavorable stereotypes or portrayals of specific cultures may encourage hate speech.

8. **Lack of Legal Consequences:** When hate speech laws are weak or poorly enforced, some may feel empowered to engage. Because they may think their actions won't be punished. People may not realize the implications of religiously motivated hate speech [18]. Hate speech often results in fines, prison time, or both, however penalties vary by country and region. Hate speech that incites violence or damages others may have greater legal implications. To deter hate speech, the public must be aware of these norms and their consequences and enforce them.

9. **Psychological Factors:** Psychological factors including racism, intolerance, and the craving for control may also spread hate speech [19]. Hate speech poisons individuals and societies due to a complex combination of psychological factors. These basic mechanisms must be understood to combat hate speech. Hate speech is propagated by psychological factors including power, intolerance, and prejudice. Each of these elements spreads racist and sexist discourse in its own manner. Hate speech is fueled by biases against other groups, whether by race, religion, or ethnicity. Bigots' discriminating rhetoric becomes more widespread when they vent their fury [20]. Intolerant people may hate individuals who are different due to a lack of information or fear of the unknown. Hate speech emerges from intolerance as individuals want dominance. Raising intolerance via hyperbole only deepens disparities and societal tensions.

10. **Desire for Power and Control:** Hate speech stems from the craving for domination and control. When they feel powerless or rejected, some resort to hate speech to show their dominance. Oppressors may dehumanize their targets using hate speech to gain power. Understanding these psychological factors is crucial to fighting hate speech. Opposing prejudice, promoting tolerance, and addressing power disparities may help destroy hate speech's psychological underpinnings.

11. **Global Events and Conflicts:** Global conflicts and events may intensify hate speech against some groups in local discourse. Global events and wars may impact domestic discourse, which might increase hate speech against specific populations. As states recover from global events, latent tensions may rise, fostering racist discourse. International events like wars or geopolitical conflicts may increase hate speech at home. When global tensions grow, many become more prejudiced. Frustrations or anxieties about specific groups might generate hate speech. Due to globalization, global events impact local discourse more. As said, social media platforms make hate speech simple to spread, which intensifies internal tensions and enables it to transcend borders. The influence of current events on hate speech requires a nuanced response. Governments and public society must collaborate together to address global crisis-inspired hate speech [22].

12. **Echo Chambers and Confirmation Bias:** It is possible for hate speech to thrive and even increase inside

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

closed networks as a result of internet echo chambers and the tendency to seek out data that supports one's present opinions.

Social Media Platforms And Hate Speech: Hindu nationalist groups, organizations, and leaders in India have more outlets than ever to promote their messages and influence voters thanks to social media. X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, and Telegram have helped mainstream Hindu nationalist beliefs and propagate hateful material. It's troubling that this digital mobilization broadcasts and shares in-person hate speech gatherings and activities to Indian and diaspora audiences worldwide. Meta-controlled sites have spread internet violence, especially after Prime Minister Modi's 2014 election [23]. WhatsApp expects 800 million Indian users this year[24], whereas Facebook has around 581 million [25]. There are 392 million Instagram users nationwide. YouTube dominates beyond Meta with 462 million users. 84 million Indians use Telegram, whereas just 27.3 million use X (formerly Twitter) [28]. Facebook whistleblower Frances Haugen called Modi one of the "early ones who weaponized social media," influencing politics and public opinion [29]. Modi's BJP has used shadow accounts [30] and ghost adverts to target Facebook users to increase its electoral chances and cement support for its Hindu nationalist ideology [31]. Additionally, the party and its proxies manage several WhatsApp groups and channels [32].

BJP leaders believe their messaging can reach every state in 12 minutes, running over five million WhatsApp groups (Deccan Herald, 33). Meta's cross-posting across WhatsApp, Instagram, and Facebook has increased social media's influence on politics. Understanding how Big Tech spreads hate speech on their platforms is crucial to understanding hate speech in India. Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, Antarrashtriya Hindu Parishad (AHP), Rashtriya Bajrang Dal (RBD), Durga Vahini, Hindu Jagran Manch (HJM), Hindu Janajagruti Samiti (HJS), Hindu Rashtra Sena (HRS), Sri Ram Sena, Shiv Pratishthan Hindustan, Hindu Jagaran Vedike, Due to the distinct sites they operate for village units, city chapters, district chapters, state chapters, and individual leaders, these organizations have a widespread digital presence. The internet allows destructive and hostile remarks during marches, rallies, religious processions, and political rallies to reach people worldwide. Huge events may now go far beyond their initial attendees. Hate speech now reaches millions via live streaming or widely circulated video recordings. Thanks to social media, such content may be shared and repurposed long after the event.

Indian social media outlets and the government have overlooked anti-minority hate speech [34]. Hate speech events in India have been high all year, and these platforms have failed to halt them. This was especially visible during the 2024 national and state elections and after "Hindu genocide" charges in Bangladesh were blown out of proportion following Sheikh Hasina's collapse in August and hate marches in India. Remember that most hate speech was shared and cross-posted on many media. There are several styles for a single event, from an hour-long YouTube or Facebook video to a five-minute Facebook highlights clip to a 30-second Instagram reel or X post. Extremist groups and hate influencers tailor their content to each channel to get the most people. This research examined sites that initially posted film or live streams of hate speech occurrences in person. Facebook, Instagram, and YouTube were our key targets because of their massive Indian user populations and significance in live broadcasting and documenting these events. These channels repackage and broadcast videos on X and Telegram to reach more people.

Hate Speech Trends On Social Media Platforms: During the year 2024, the Human Rights Law Center (IHL) discovered a total of 1,165 instances of hate speech directed at Christian and Muslim communities. There were 995 of these that started on social media, where they were uploaded or broadcast by individuals who were hateful, leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP), or by far-right groups.

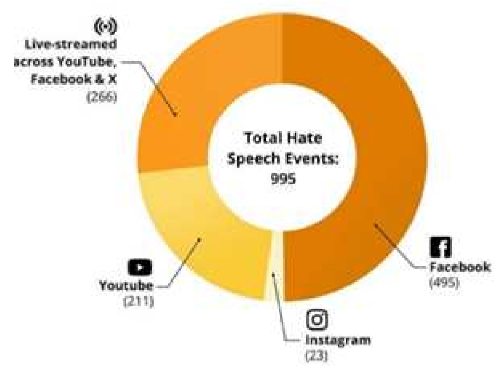

Figure 1: The Spread of Hate Speech on Social Media

A total of 495 of them, which accounts for around 49.8 percent, were solely posted on Facebook, illustrating the dominant role that Facebook has in the dissemination of films that include hate speech. In spite of the fact that 211 videos depicting hate speech incidents were only uploaded to YouTube (21.2%), 23 instances (2.31%) were first published on Instagram when they were first made public. During the general elections that took place in April and June, a total of 266 hate speeches directed at minority groups were found. This represents 26.7% of all speeches detected. These statements were made by prominent members of the ruling BJP, and they were carried live on channels such as YouTube, Facebook, and X.

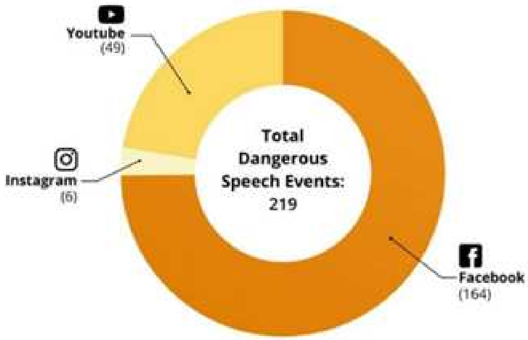

Figure 2: Improprie Content On Social Media

More than two hundred and ninety-nine of the 259 instances of abusive speech (including direct encouragement to violence) were first aired or uploaded on social media platforms. 164 of the remarks that were shared were first published on Facebook, which accounts for 74.8 percent of the total. On Instagram, six of the remaining 49 (22.4%) were first posted, while the remaining 49 were uploaded to YouTube. There was a consistent pattern that developed in cases of hate speech, such as when calls for boycotts and calls to arms were issued. Facebook served as the first platform for 70.2% of the 94 remarks on the boycott that were posted online, while YouTube served as the initial site for 27.7% of the talks. Seventy of the 102 remarks that included a call to arms were publicized on social media sites such as Facebook, YouTube, and Instagram. This is 68.6% of the total.

Proposed Solutions: It is necessary to have sophisticated procedures in place in order to deter hate speech via the use of illegal tactics while yet acknowledging the existence of cultural diversity. In the case of India, a country that is highly respected for the quantity and diversity of its cultural traditions, it is of utmost importance to achieve this balance. I will outline the following legal techniques in order to prevent hate speech while maintaining cultural sensitivity throughout the process:

To begin, there must be a legal definition of hate speech that is both specific and comprehensive in order to make it a criminal offense. It is necessary for this phrase to include a broad variety of manifestations that encourage discrimination, hate, or violence against individuals on the basis of their race, religion, ethnicity, gender, or sexual orientation. However, in order to prevent restricting legitimate speech or ancient norms, it is necessary to take into consideration the nuances of culture.

1. **Legislative Framework:** In order to combat hate speech, India has enacted a number of legislative regulations, including the Information Technology Act and the Indian Penal Code. By modifying or adding certain components to existing laws, it is feasible to reinforce prohibitions against hate speech via the use of the internet and guarantee that their execution takes into account the cultural differences that exist.
2. **Penalties that are reasonable:** Legal frameworks should provide consequences for breaches of hate speech that are appropriate, taking into account the harm that was caused and the cultural context. By using this strategy, people are held accountable for their actions, but at the same time avoiding consequences that are too harsh and would restrict their right to free expression.
3. **Involvement of the Community:** In order to get a more comprehensive understanding of the problems that are associated with hate speech, legal procedures have to include the engagement of the community. It is possible that this will assist ensure that criminal interventions are responsive to the interests and values of various groups by making them more customized to certain cultural situations.
4. **Facilitating Education and Awareness Campaigns:** The implementation of educational programs and awareness campaigns that bring attention to the repercussions of hate speech has the potential to bring about a society that is more accepting and welcoming to people of all backgrounds. It is important that educational programs be sensitive to cultural norms and accessible to all segments of society in order to successfully educate individuals with the ability to detect and counteract hate speech.
5. **Regulation of Social Media Platforms:** Given the enormous role that social media platforms play in the dissemination of hate speech, it is of the utmost need to enact legislation that target online structures. In India, the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, together with other regulations, have the potential to hold platforms accountable for regulating hate speech while also taking into consideration the importance of cultural sensitivity.
6. **Examining the judicial system:** The effectiveness of judicial scrutiny is essential to the execution of legislative measures to suppress hate speech in a manner that is both fair and legal. The establishment of legal precedent, the settlement of conflicts, and the safeguarding of individual rights—including, but not limited to, the right to free expression within appropriate cultural parameters—are all very reliant on the court system.
7. **Cooperation on a Global Scale:** Because hate speech is so ubiquitous, it is very necessary for governments to collaborate in order to resist it. In order to combat hate speech in a manner that is respectful to the plurality of cultures, India may collaborate with other countries and international organizations to exchange information, discuss best practices, and coordinate efforts. By using these criminal strategies, India has the potential to successfully decrease hate speech, foster social fraternity, and safeguard cultural diversity. A complex balancing act is required in order to protect individuals from damage while still maintaining their fundamental rights, such as the freedom of expression, within a framework that is sensitive to cultural norms.

Conclusion : There is a contradiction in India between the

right to free speech and the need to suppress hate speech that is expressed on the internet. The fact that this is the case demonstrates how difficult it is to find a healthy equilibrium between democratic rights and the need to protect underrepresented groups and preserve social harmony. Despite the fact that Article 19(1)(a) guarantees the right to free expression, the constraints outlined in Article 19(2) have now even more significant in light of the digital era. This is because hate speech that is expressed online may swiftly spread via social media, which in turn can lead to violence, prejudice, and division in the real world. Despite attempts to resolve this issue via India's expanding legislative framework, which includes the Industrial Property Code (IPC), the Information Technology Act (IT Act), and other legal developments such as the Intermediary Guidelines, concerns of overreach and censorship continue today. Both the battle against hate speech and the protection of the secular fabric of the country are of the utmost importance, as the Supreme Court has made abundantly clear in its proactive orders. A multi-stakeholder approach that includes the courts, individuals, social media platforms, civic society, and the government is required for long-term solutions. Punitive law alone is not sufficient to achieve this goal. India can enhance the clarity of its laws, boost digital literacy, hold platforms responsible, and foster a culture of tolerance and respect in order to create a welcome online environment where individuals may freely express themselves without fear of punishment. One way to do this is by encouraging a culture of respect and tolerance.

References:-

1. Basu, D. D. (2020). Commentary on the Constitution of India. LexisNexis.
2. Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248.
3. Pattanaik, S. (2021). Freedom of Speech and its reasonable restrictions in India. Indian Law Review, 7(1), 112–130.
4. Chaturvedi, S., & Singh, R. (2023). Online hate speech and its socio-political impact in India. Journal of Digital Society Studies, 12(2), 45–59.
5. BBC News. (2022). India apps put Muslim women up for "auction". Retrieved from https://www.bbc.com/news
6. The Hindu. (2023). SC directs states to register FIRs against hate speech suo motu. Retrieved from https://www.thehindu.com
7. https://indiankanoon.org/doc/345634/
8. https://indiankanoon.org/doc/1803184/
9. https://indiankanoon.org/doc/170483278/
10. Dhammika Dharmapala and Richard H. McAdams Words That Kill? An Economic Model of the Influence of Speech on Behavior (with Particular Reference to Hate Speech) The Journal of Legal Studies by The University of Chicago Press Vol. 34, No. 1 (January 2005), pp. 93-136 (44 pages)
11. Nadine Strossen Hate Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship 2018 P 131
12. MICHAEL HERZ, PETER MOLNAR, The Content and Context of Hate Speechrethinking regulation and responses, Cambridge University Press 2012 P329
13. Maya MirchandaniDigital hatred, real violence: Majoritarian radicalisation and social media in India observe research foundation aug. 2018, https://www.orfonline.org/research/43665-digital-hatred-realviolence-majoritarian-radicalisation-and-social-media-in-india/#_ednref18
14. David Ingram, "Twitter bars tactics used by 'bots' to spread false stories", Reuters, 22 February, 2018.
15. Right-Wing Groups Hold Rally For Release Of Vaibhav Raut In Nallasopara", NDTV, 18 August, 2018.
16. Samuel Huntington's essay in Foreign Affairs in 1993, titled, "The Clash of Civilizations?", hypothesised that in the post Cold-War era, the primary source of global, geo-political conflicts, would arise out of cultural differences as opposed to economic, ideological differences. His writing marked a paradigm shift in how governments and non-state actors view conflict and conflict resolution.
17. The Times of India (TOI) describes the Vishwa Hindu Parishad, or VHP as a conservative Hindu nationalist organisation that abides by the ideologies of Hindutva and is often characterized as "militant" for initiating anti-social activities like the Ram Janmabhoomi movement that resulted in demolition of the Babri Masjid.The group was founded by M. S. Golwalkar and S. S. Apte in 1964. It operates on ideology which is "to organize, consolidate the Hindu society and to serve, protect the Hindu Dharma."
18. IPC 295 A
19. Smith, J. K. The Psychology of Hate. American Psychologist, (2018)73(5), 431–444.
20. Id.
21. https://www.livemint.com/Opinion/ZAHBp4YDLp1BcCnlIuwFON/Hate-speech-and-the-role-of-social media.html visited 18/02/2018 at 2:00.
22. Smith, A. N., & Johnson, R. Public Attitudes towards Immigrants and Immigration Policy in the United States: The Role of Personal and Collective Threat. Political Research Quarterly, (2017). 70(2), 366–379
23. Idrees Ali, "Social Media Played Big Role in India's Election," Voice of America, June 6, 2014, https://www.voanews.com/a/social-media-emerges-as-a-key-tool-in-indias-election/1931238.html.
24. Napoleon Cat, "Social Media Users in India - December 2024," Social media users in India, 2025, https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-india/2024/12/.
25. Degenhard, J, "Whatsapp Users in India 2025" (Statista, August 23, 2023), https://www.statista.com/forecasts/1146773/whatsapp-users-in-india.

26. Brian Dean, “YouTube Stats: How Many People Use YouTube in 2024?,” Backlinko, March 27, 2023, https://backlinko.com/youtube-users.
27. Statista Research Department, “Telegram Downloads by Country 2023” (Statista, August 27, 2024), https://www.statista.com/statistics/1336855/telegram-downloads-by-country/.
28. World Population Review, “Twitter Users by Country / X Users by Country 2024,” World Population Review, 2025, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/twitter-users-by-country.
29. Deeksha Udupa, “How Advertisers and Investors Can Push Social Media Platforms to Curb Hate Speech and Disinformation,” Center for the Study of Organized Hate, November 2, 2024, https://www.csohate.org/2024/11/02/frances-haugen-big-tech-accountability/.
30. Ryan Thomas, “How Shadow Accounts on Meta Spread BJP Propaganda in Jharkhand,” Caravan Magazine, January 1, 2025, https://caravanmagazine.in/politics/shadow-accounts-meta-bjp-propaganda-jharkhand.
31. Sambhav, Kumar, Ranganathan, Nayantara, and Jalihal, Shreegireesh, “Inside Facebook and BJP’s World of Ghost Advertisers,” Al Jazeera, accessed February 2, 2025, https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/15/inside-facebookand-bjps-world-of-ghost-advertisers.
32. Jaswal, Srishti, “Inside the BJP’s WhatsApp Machine,” Pulitzer Center, May 15, 2024, https://pulitzercenter.org/stories/inside-bjps-whatsapp-machine.
33. Madhukalya, Amrita, “50 Lakh WhatsApp Groups and Transmission Anywhere in 12 Minutes — What BJP Is Doing on Social Media for 2024,” Deccan Herald, accessed February 2, 2025, https://www.deccanherald.com//elections/india/political-theatre-bjp-on-social-media-2950186.
34. Sahana Udupa, “Enterprise Hindutva and Social Media in Urban India,” Contemporary South Asia 26, no. 4 (October 2, 2018): 453–67, https://doi.org/10.1080/09584935.2018.1545007.

****